मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण

2015 - 2016

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण

2015-16

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
मध्यप्रदेश

प्राक्कथन

"मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16" नामक प्रकाशन में प्रदेश की समाजार्थिक अर्थ-व्यवस्था, राज्य शासन की नीतियों/ उपलब्धियों / घोषणाओं एवं कार्यकलापों का विश्लेषणात्मक विवेचन करने का प्रयास किया गया है ।

प्रस्तुत प्रकाशन हेतु संबंधित विभागों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा समयावधि में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके लिये मैं उनका आभारी हूं । यह प्रकाशन आर्थिक विश्लेषण संभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के सतत् प्रयासों, संचालनालय के अन्य तकनीकी संभागों एवं सूचना प्रौधोगिकी संभाग के सहयोग से ही समयावधि में तैयार किया जाना संभव हो सका है ।

आशा है प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की वर्तमान समाजार्थिक स्थिति एवं प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों / उपलब्धियों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा । उक्त प्रकाशन राजनीतिज्ञों, योजना निर्माताओं, सांख्यिकी विदों एवं शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । प्रकाशन को और अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाने हेतु प्राप्त सुझावों का स्वागत है ।

भोपाल 18 फरवरी, 2016

डॉ. राजेन्द्र मिश्रा
आयुक्त
आर्थिक एवं सांख्यिकी
मध्य प्रदेश

प्रकाशन को तैयार करने में सहयोग देने वाले अधिकारी/कर्मचारी

1.	श्री आर. एस. राठौर	अपर संचालक
2.	डॉ. एस. महाले	संयुक्त संचालक
3.	श्री संजय बातव	सहायक संचालक
4.	श्री अतुल आनंद अग्रवाल	सहायक संचालक (सू.प्रौ.)
5.	श्री एस. के. मालवीय	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
6.	श्री राजकुमार कड़वे	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
7.	श्रीमती गुंजन मिश्रा	अन्वेषक
8.	श्रीमती कलावती सोंधिया	सहायक ग्रेड-3
9.	श्रीमती मीनाक्षी तेकाम	सहायक ग्रेड-3

अनुक्रमणिका

	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	**आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा**	**1-19**
2	**लोक वित्त**	**20-23**
3	**बचत एवं विनियोजन**	**24-32**
	बैंकिंग	24
	बीमा क्षेत्र	30
4	**भाव, खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण**	**33-38**
	भाव स्थिति	33
	खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण	35
5	**कृषि**	**39-88**
	कृषि	39
	मौसम एवं फसल की स्थिति	40
	वाणिज्यिक फसलें	44
	कृषि विकास योजनाएं	46
	कृषि यंत्रीकरण	52
	उद्यानिकी	54
	कृषि विपणन	61
	भंडारण सुविधा	65
	पशुधन एवं डेयरी विकास	67
	पशुधन एवं कुक्कुट विकास	70
	मत्स्य पालन से विकास	79
	वानिकी	83
6	**उद्योग**	**89-109**
	विनिर्माण	89
	औद्योगिक प्रक्षेत्र अधोसंरचना	93
	हाथकरघा उद्योग	96
	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास	96

	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	रेशम उद्योग	101
	खादी तथा ग्रामोद्योग विकास	102
	पर्यटन	103
	खनिज	105
7	**अधोसंरचना**	**110-133**
	ऊर्जा	110
	नवीन एवं नवकरणीय उर्जा	118
	परिवहन	120
	पंजीकृत वाहन	122
	लोक निर्माण विभाग की सड़क	125
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क	126
	सिंचाई	129
	कमांड क्षेत्र (आयाकट)	131
	एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रंबंधन	132
8	**सामाजिक क्षेत्र**	**134-247**
	प्रारम्भिक शिक्षा	134
	माध्यमिक शिक्षा	139
	उच्च शिक्षा	143
	तकनीकी शिक्षा	146
	स्वास्थ्य	149
	पेयजल व्यवस्था	156
	श्रम	159
	रोजगार	160
	प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	161
	कारखानों की संख्या एवं नियोजन	161
	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार	161
	स्वच्छ भारत मिशन	164
	शहरी क्षेत्रों में रोजगार	168
	महिला एवं बाल विकास	173

	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	महिला सशक्तिकरण	176
	महिला वित्त एवं विकास	183
	अनुसूचित जातियों का विकास	185
	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	188
	पिछड़ा वर्ग का कल्याण	203
	अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण	207
	सामाजिक न्याय	209
	नगरीय विकास	213
	जेल विभाग की योजनाएं	214
	पुलिस विभाग की योजनाएं	216
9	**मानव विकास**	**248-254**

परिशिष्ट की सूची

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	मध्य प्रदेश एवं भारत के चुने हुए समाजार्थिक विकास संकेतांक	255
2	प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	257
3	प्रदेश में महत्वपूर्ण उत्खनित खनिजों का मूल्य	258
4	प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का प्रतिटन औसत मूल्य	259
5	रोजगार समंक	260
6	सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार	261
7	मध्यप्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	262

सांख्यिकीय तालिकाएं

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.1	राजकोषीय घाटा	20
2.2	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां	21
2.3	राजस्व प्राप्तियों की संरचना	21
2.4	राज्य के कर राजस्व में वृद्धि	22
2.5	राज्य के करेत्तर राजस्व की वृद्धि	22
2.6	आयोजना तथा आयोजनेत्तर व्यय	23
2.7	शुद्ध लोक ऋण	23
3.1	बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तार	24
3.2	बैंकिंग व्यवसाय के मुख्य सूचकांक	26
3.3	राष्ट्रीय मानक से प्रदेश के सूचकांकों की तुलना	26
3.4	वार्षिक साख योजना की उपलब्धि	27
3.5	कमजोर वर्ग को साख अंतर्गत उपलब्धि	28
3.6	बैंक द्वारा वितरित गृह निर्माण अग्रिम का विवरण	28
3.7	किसान क्रेडिट कार्ड वितरण	29
3.8	आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत परियोजना एवं ऋण राशि का वितरण	30
3.9	व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों की उपलब्धियॉ (मध्य क्षेत्र)	31
3.10	पेंशन समूह एवं सामाजिक सुरक्षा योजना	31
4.1	कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक	33
4.2	औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	34
4.3	कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	35
4.4	समर्थन मूल्य के अंतर्गत खाध्यान्न उर्पाजन की मात्रा	36
5.1	वर्षा की स्थिति	40
5.2	प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन	41

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
5.3	प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन	41
5.4	दलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन	42
5.5	दलहनी फसलों का उत्पादन	42
5.6	प्रमुख तिलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन	43
5.7	प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन	44
5.8	प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्राच्छादन	45
5.9	प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन	45
5.10	बी.टी.काटन का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन	46
5.11	रासायनिक उर्वरकों का वितरण	46
5.12	पौध संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र	47
5.13	प्रमुख मसालों का क्षेत्राच्छादन	57
5.14	प्रमुख मसालों के उत्पादन	57
5.15	प्रमुख साग, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल	58
5.16	प्रमुख साग, सब्जी फसलों का उत्पादन	58
5.17	प्रमुख फलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन	59
5.18	प्रमुख फलों का उत्पादन	59
5.19	भण्डारण शाखाओं की संख्या एवं कुल क्षमता	65
5.20	भण्डारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति	65
5.21	पशुधन वृद्धि	67
5.22	पशुधन एवं कुक्कुट योजनाओं की प्रगति	70
5.23	दुग्ध संकलन एवं संबद्ध गतिविधियां	73
5.24	सघन डेयरी विकास परियोजना	74
5.25	सघन डेयरी विकास (अ) झाबुआ, छिन्दवाड़ा तथा बालाघाट	74
5.26	सघन डेयरी विकास (ब) हरदा, बड़वानी, नीमच, श्योपुर तथा सिवनी	75
5.27	सघन डेयरी विकास (स) देवास, धार, खंडवा तथा बैतूल	75

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
5.28	वनोत्पादन का विवरण	83
5.29	तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं निर्वतन	85
5.30	विक्रित वनोपज एवं प्राप्त राजस्व क्राप - 1	87
5.31	विक्रित वनोपज एवं प्राप्त राजस्व क्राप - 2	88
6.1	इण्डस्ट्रियल एंटरप्रिन्योर मेमोरेन्ड्म	91
6.2	वित्तीय सहायता अंतर्गत योजनावार प्रगति	92
6.3	वित्तीय सहायता अंतर्गत योजनावार प्रगति	92
6.4	रेशम उत्पादन	102
6.5	महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन	106
6.6	प्रदेश में स्थित खनिज भण्डार	108
6.7	खनिज भण्डार	109
7.1	उपलब्ध विद्युत क्षमता	112
7.2	विद्युत उपलब्धता वृद्धि योजना	112
7.3	विद्युत प्रदाय	113
7.4	राजस्व प्रबंधन	117
7.5	राज्य सकल घरेलू उत्पाद में परिवहन का अंश	121
7.6	पंजीकृत वाहनों की संख्या	122
7.7	प्रदेश में लोकनिर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों की लम्बाई	125
7.8	सिंचाई के स्त्रोत द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल	129
7.9	निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग	130
7.10	प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र	131
8.1	राज्य शिक्षा केन्द्र की योजनाऐं	134
8.2	प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में नामांकन	135
8.3	प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात	136
8.4	शाला त्यागी दर	136
8.5	प्रदेश में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या	139

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
8.6	हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नामांकन	139
8.7	प्रदेश में हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं का नामांकन	140
8.8	प्रदेश में हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का नामांकन	140
8.9	प्रदेश में हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या	140
8.10	शाला त्यागी दर	141
8.11	सकल नामांकन दर	141
8.12	तकनीकी शिक्षण संस्थायें	146
8.13	शासन द्वारा अनुदान प्राप्त परियोजना संस्थाओं का विवरण	147
8.14	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की उपलब्धि वर्ष 2014-15	170
8.15	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की उपलब्धि वर्ष 2015-16	170
8.16	अनुसूचित जाति विकास द्वारा आवासीय शैक्षणिक संस्थायें	186
8.17	आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थायें	189
8.18	अनुसूचित जनजाति राज्य छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें	191
8.19	प्रोत्साहन राशि	204
8.20	नगरवार स्वीकृत परियोजनाएं	213
9.1	मानव विकास इन्डेक्स	250

चित्रों की सूची

चित्र क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2004-05) भावों पर	1
1.2	विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण प्रचलित भावों पर	2
1.3	विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण स्थिर (2004-05) भावों पर	3
1.4	प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित एवं स्थिर (2004-05) भावों पर	4
3.1	राष्ट्रीय मानक की तुलना में राज्य की स्थिति	26
3.2	वार्षिक साख योजना की उपलब्धि	27
5.1	कृषि क्षेत्र में विकास दर	39
5.2	दुग्ध उत्पादन	68
5.3	अंडों का उत्पादन	69
5.4	मांस का उत्पादन	69
6.1	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना	90
6.2	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश (लाख रू. में)	90
6.3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार	91
7.1	विद्युत विक्रय	114
7.2	अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति	114
7.3	विद्युत पारेषण प्रणालियों में इनपुट	115
7.4	विद्युत का उपयोग	116

बाक्स की सूची

बाक्स क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
5.1	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	48
5.2	बीज की गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	53
6.1	खनिज उत्पादन	106
6.2	खनिज नीति एवं खनिज प्रशासन	107
7.1	उर्जा	111
7.2	मार्गों का चयन	127
8.1	प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण	135
8.2	योजना के मुख्य बिन्दु	163
8.3	राष्टीय शहरी आजीविका मिशन	168
8.4	लाड़ली लक्ष्मी योजना	177
8.5	तेजस्वनी कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु	184
8.6	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना	190

1

आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा

1.1 मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में नवीन आधार वर्ष 2004-05 पर, वर्ष 2013-14 (त्वरित) की तुलना में वर्ष 2014-15 (अग्रिम) में सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों पर 10.19 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित रही जबकि वर्ष 2013-14 (त्वरित) के दौरान यह वृद्धि 9.48 प्रतिशत दर्ज की गई थी। प्रचलित एवं स्थिर भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद **चित्र 1.1** में प्रदर्शित किया गया है ।

चित्र 1.1

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2004-05) भावों पर

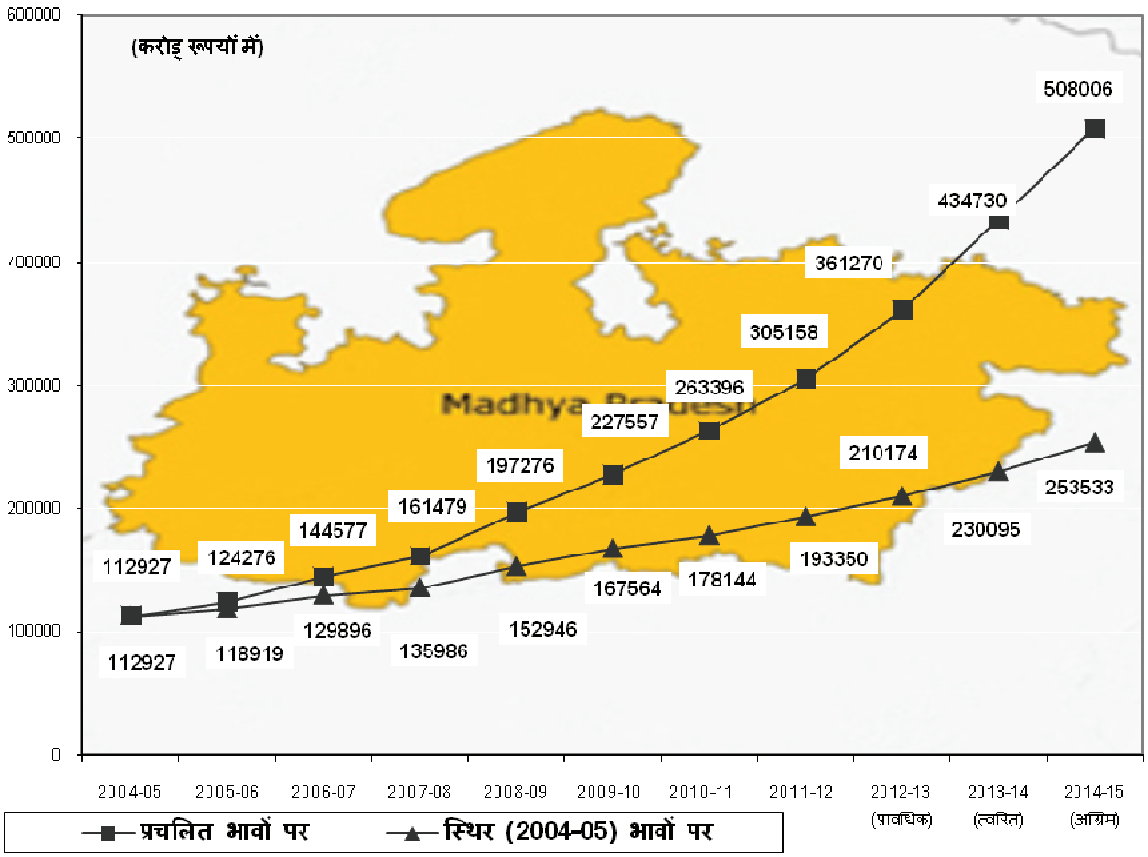

उक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों पर आधार वर्ष (2004-05) की तुलना में 112927 करोड़ रूपये थी जो वर्ष 2013-14

(त्वरित) एवं 2014-15 (अग्रिम) में क्रमशः 103.76 प्रतिशत एवं 124.51 प्रतिशत वृद्धि के साथ क्रमशः 230095 करोड़ रूपये एवं 253533 करोड़ रूपये अनुमानित है।

1.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वृहद क्षेत्रवार निष्पादन में आधार वर्ष 2004-05 की तुलना में तृतीयक क्षेत्र के अंश में निरंतर वृद्धि हुई है तृतीयक क्षेत्र का अंश वर्ष 2004-05 में 45.19 प्रतिशत था जो वर्ष 2013-14 (त्वरित) एवं 2014-15 (अग्रिम) में बढ़कर 46.01 प्रतिशत एवं 45.15 प्रतिशत स्थिर (2004-05) भावों पर रहा । जबकि प्राथमिक क्षेत्र का अंश वर्ष 2004-05 में 27.66 प्रतिशत था । जो वर्ष 2013-14 (त्वरित) एवं 2014-15 (अग्रिम) में क्रमशः 28.09 प्रतिशत एवं 30.30 प्रतिशत स्थिर (2004-05) भावों पर रहा । जो **चित्र 1.2 एवं 1.3** में प्रदर्शित है ।

चित्र 1.2

विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण प्रचलित भावों पर

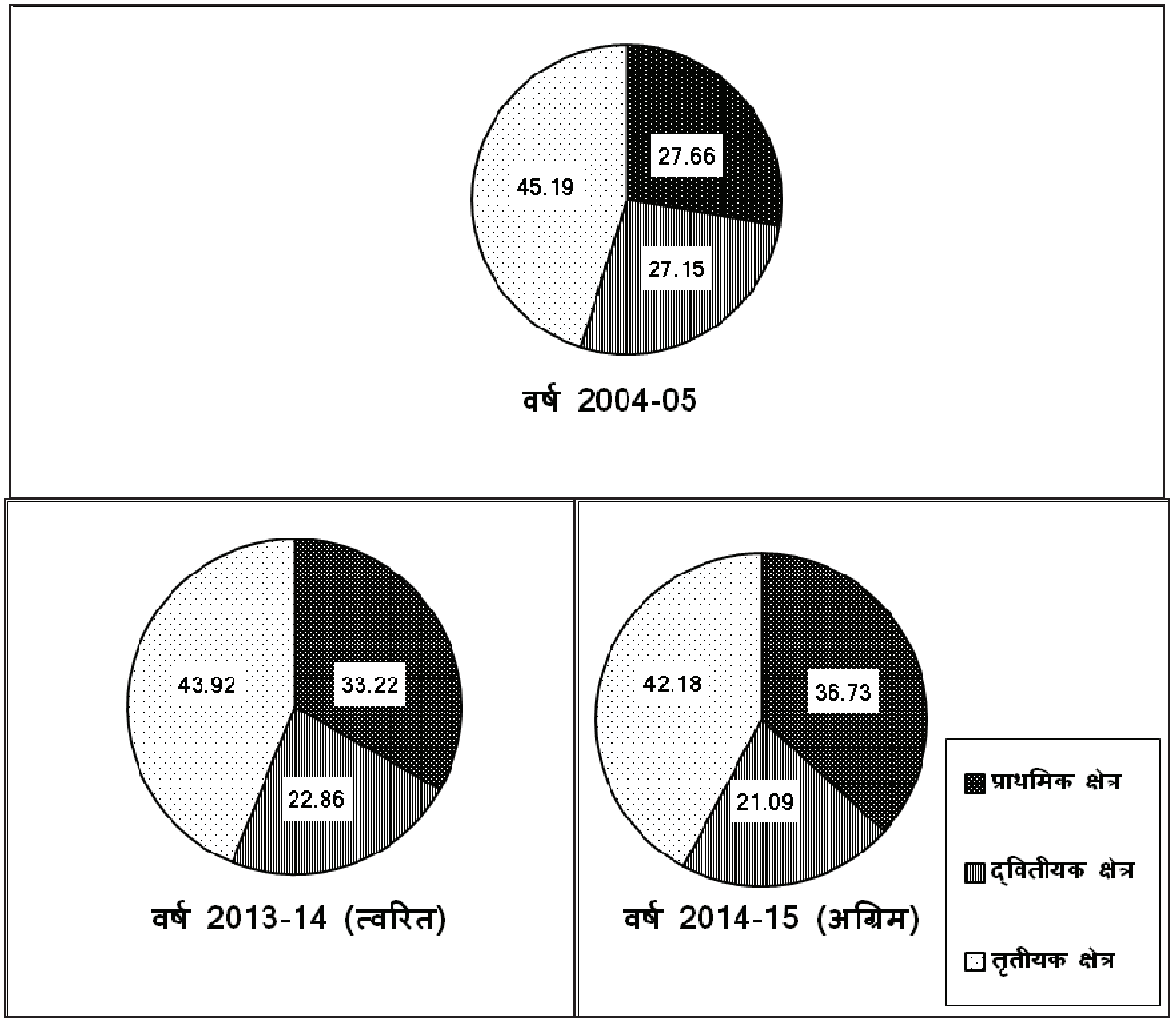

चित्र 1.3

विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण स्थिर (2004-05) भावों पर

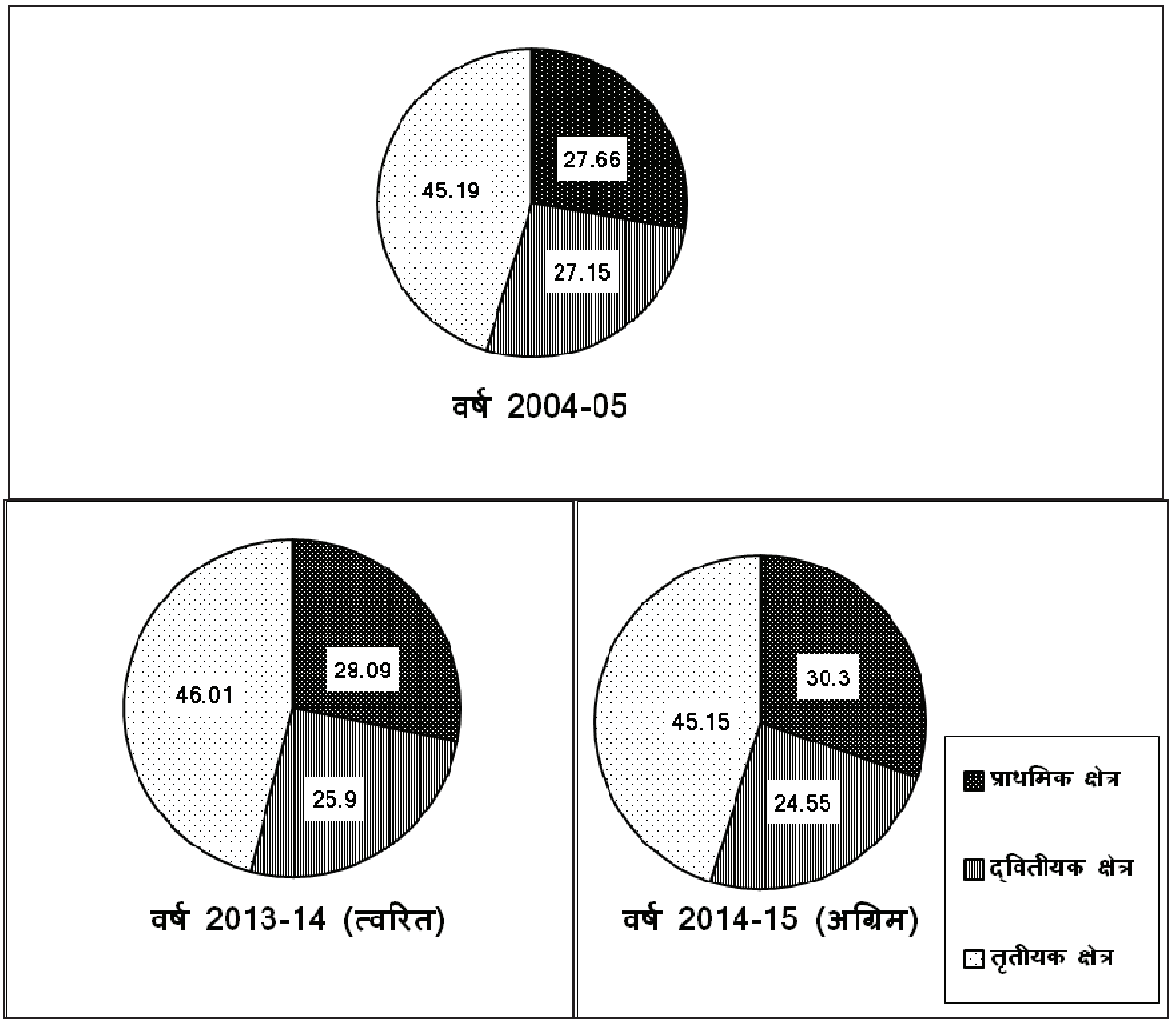

1.3 वर्ष 2014-15 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2013-14 (त्वरित) की तुलना में प्रचलित भावों पर 16.86 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 10.19 प्रतिशत की वृद्धि रही । वर्ष 2014-15 (अग्रिम) के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 29.18 प्रतिशत की वृद्धि आंकलित की गई है । इसी प्रकार द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 7.82 प्रतिशत की एवं 12.24 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित रही ।

1.4 स्थिर भावों (वर्ष 2004-05) के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2013-14 (त्वरित) में 26853 रूपये थी जो बढ़कर वर्ष 2014-15 (अग्रिम) में रूपये 29218 हो गई जो गतवर्ष की तुलना में 8.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है । प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय (वर्ष 2013-14) में 51798 रूपये से बढ़कर वर्ष 2014-15 (अग्रिम) में 59770 हो गई, जो 15.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है ।

चित्र 1.4

प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित एवं स्थिर (2004-05) भावों पर

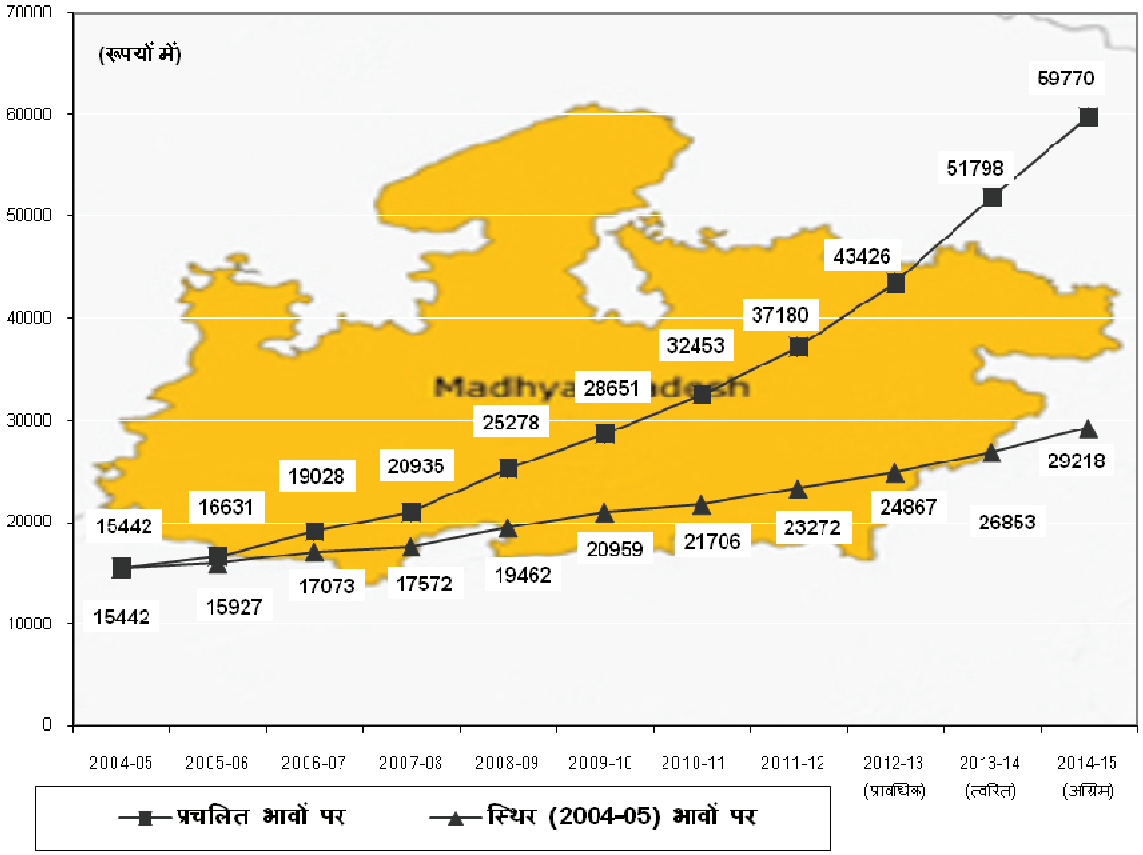

1.5 प्रदेश में सकल जिला उत्पाद के अनुमान वर्ष 2004-05 आधार वर्ष पर तैयार किये गये जिसके अनुसार वर्ष 2004-05 से 2012-13 के लिये सकल जिला उत्पाद में वृद्धिदर भोपाल, जबलपुर, बड़वानी, तथा हरदा जिलों में 10 प्रतिशत से अधिक पाई गई, जबकि शहडोल, नरसिंहपुर, बालाघाट एवं दमोह में यह वृद्धि दर 7 प्रतिशत से कम पाई गई । इसी प्रकार जिला स्तर पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2012-13 में प्रचलित भावों पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन में सर्वाधिक रही । जबकि झाबुआ, उमरिया, रीवा, टीकमगढ़, एवं मण्डला जिलों में न्यूनतम स्तर पर रही है ।

1.6 लोक वित्त : वित्तीय वर्ष 2004-05 से मध्यप्रदेश राजस्व आधिक्य प्रदेश रहा है । ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात क्रमश: घट रहा है । वर्ष 2015-16 (बजट अनुमान) में राजस्व प्राप्तियां 114422.89 करोड़ रूपये अनुमानित है जो गत वर्ष से 29.09 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2015-16 के मध्य कुल प्राप्तियों का अनुपात 91.19 तथा 88.77 प्रतिशत के मध्य परिवर्तित होता रहा है । वर्ष 2014-15 में राज्य का प्राथमिक घाटा (-) 4580.34 करोड़ रूपये था । वर्ष 2015-16 में प्राथमिक घाटा (-) 8687.61 करोड़

रूपये अनुमानित है । राज्य के कर राजस्व में वृद्धि 13.75 प्रतिशत रही है । राज्य का आयोजना पूंजीगत व्यय वर्ष 2015-16 में 17959.69 करोड़ रूपये अनुमानित है, जो गत वर्ष से 51.93 प्रतिशत अधिक है । जबकि आयोजना राजस्व व्यय 68105.96 करोड़ रूपये है, जो गत वर्ष से 21.93 प्रतिशत अधिक है । 31 मार्च 2015 के अनुसार राज्य का शुद्ध लोक ऋण 57137.26 करोड़ रूपये अनुमानित है ।

1.7 बचत एवं विनियोजन : प्रदेश में कुल बैंकों की शाखाओं में निरंतर वृद्धि देखी गई है । बैंकों की शाखाओं में वृद्धि के साथ-साथ बैंकों के अग्रिम एवं जमा राशि में भी वृद्धि हो रही है । वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 की प्रथम छः माही के दौरान कुल जमा राशि में 12.49 प्रतिशत तथा अग्रिम ऋण राशि में 12.49 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिलक्षित हुई । सितम्बर, 2015 की स्थिति में प्रदेश में ऋण-जमा अनुपात 63.79 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय मानक 60 प्रतिशत से अधिक है । कुल अग्रिम से कृषि क्षेत्र में सीधे कृषि को दिये गये अग्रिम का अंश मार्च, 2013 में लगातार बढ़कर वृद्धि दर सितम्बर, 2015 में 14.08 प्रतिशत की रही । इसी अवधि में लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये अग्रिम में 26.25 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है । कृषि क्षेत्र में अग्रिम में से सीधे कृषि हेतु दिया गया अग्रिम का अंश वर्ष 2012-13 में 90.30 प्रतिशत था जो 9.7 प्रतिशत अधिक रहकर वर्ष 2015-16 के प्रथम छः माह में शत-प्रतिशत हो गया ।

1.8 किसान क्रेडिट कार्ड : बैकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2014-15 में 13.97 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये है। वर्ष 2015-16 में माह सितम्बर, 2015 तक 15.99 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये है ।

1.9 स्वाईल हेल्थ कार्ड : इस योजना का उददेश्य प्रदेश के कृषकों को उनके खेतों की मिट्टी का परीक्षण उपरांत संतुलित उर्वरक के उपयोग हेतु मृदा स्वास्थ पत्रक उपलब्ध कराना है । जिससे किसानो को अधिक पैदावार मिल सके । वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से प्राप्त राशि रू. 1298.61 लाख रू. व्यय हेतु उपलब्ध है जिसके विरूध्द माह दिसम्बर 2015 तक 222.86 लाख रू. व्यय किये गये हैं ।

1.10 फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड : मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मार्ग प्रशंस्थ करने के साथ ही मत्स्य पालन को बढावा देने के उददेश्य से फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड वर्ष 2012-13 से शून्य प्रतिशत से वार्षिक ब्याज पर फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं । वर्ष 2014-15 में 12391 फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड पर 617.86 लाख रू. जारी किये गये । वर्ष

2015-16 में 10 हजार फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड दिये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक 5576 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं ।

1.11 कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक : वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में भावों में बढने की प्रवृत्ति देखी गई । यह वृद्धि कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांको एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों दोनों में ही परिलक्षित रही । राज्य स्तरीय समस्त कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 1991-92 से 1993-94=100) में वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15 में 1.43 प्रतिशत की वृध्दि देखी गई । इसी अवधि में खाद्यान्न के थोक भाव सूचकांक में 2.60 प्रतिशत तथा अखाद्यान्नों के सूचकांकों में 0.39 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज की गई ।

1.12 औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : राज्य में भाव स्थिति के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में विगत वर्षो से बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई । औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में खाद्य समूह सूचकांकों में वृद्धि सामान्य समूह सूचकांकों से अपेक्षाकृत अधिक रही । यही स्थिति कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के सूचकांकों में दृष्टिगोचर हुई है । वर्ष 2014 में गत वर्ष से औद्योगिक कामगारों के अंतर्गत खाद्य एवं सामान्य समूह सूचकांकों में सर्वाधिक वृद्धि भोपाल केन्द्र में क्रमशः 5.91 एवं 5.46 प्रतिशत देखी गई । कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य समूह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गत वर्ष से वर्ष 2014 में क्रमशः 2.67 तथा 2.50 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई वहीं इन्ही समूहों के खाद्य एवं सामान्य समूह सूचकांक गत वर्ष से क्रमशः 0.72 एवं 2.50 प्रतिशत हैं ।

1.13 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें : राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में 22.42 हजार शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, जिनमें 4.10 हजार शहरी एवं 18.32 हजार ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं ।

1.14 समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन : राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर खादयान्न (गेहू,धान एवं मोटा अनाज) का उपार्जन ई उपार्जन परियोजना अंतर्गत किया जाता है जिसके तहत उपार्जन केन्द्रो पर किसानों द्वारा बोये गये रकबे तथा उनके खातों की कम्प्यूटराइज जानकारी संकलित की जाती है । वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का 1450 रूपये, धान का 1410 रूपये, धान ग्रेड-ए 1450 रूपये, मक्का 1325 रूपये, प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है

1.15 पंहुच विहीन क्षेत्रों के लिये खाद्यान्न भण्डारण व्यवस्था : प्रदेश की ऐसी दुकाने जिनके आवागमन मार्ग वर्षा ऋतु में अवरूध्द हो जाते हैं उनमें खादयान्न शक्कर, नमक, एवं केरासीन उपभोक्ताओं को सुलभता से उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों पर भण्डारित किया जाता है । वर्ष 2015-16 में 304 पहुंच विहीन केन्द्रों पर खाद्यान्न का संग्रहण किये जाने हेतु 2.04 करोड़ रूपये की ऋण राशि (ब्याज रहित) प्रदाय की गई ।

1.16 मौसम की स्थिति : प्रदेश की सामान्य औसत वर्षा 1026.4 मिली मीटर की तुलना में वर्ष 2014 में 733.4 मिली मीटर तथा वर्ष 2015 में 804.3 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई जो सामान्य औसत वर्षा से क्रमशः 28.54 प्रतिशत कम एवं 21.61 प्रतिशत कम रही ।

1.17 प्राकृतिक आपदायें एवं राहत : राज्य में 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि एवं क्षमता निर्माण अनुदान हेतु वर्ष 2014-15 में 482.39 करोड रूपये आवंटित हुए ।

वर्ष 2015-16 में प्रदेश में ओलावृष्टि तथा बाढ की आपदा भिन्न-भिन्न अवधि में घटित हुई । इन आपदाओं का प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रभाव पडा है, सुखे की स्थिति में वर्ष 2015 में अल्प वर्षा खरीफ फसल की आनावारी एवं रबी की औसत बुआई के आधार पर वर्तमान में प्रदेश के कुल 43 जिलों की 276 तहसीलें सुखा प्रभावित घोषित की गई है ।

14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2015-16 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि रूपये 877.00 करोड निर्धारित की गई, जिसमें रूपये 657.75 केन्द्राशं एवं रूपये 219.25 राज्याशं शामिल है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभिन्न आपदाओं में अब तक पेयजल परिवहन के लिए ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए राशि रूपये 19.04 करोड, अग्नि मद में राशि रूपये 16.17 करोड, आर.बी.सी 6 (4) में राशि रूपये 34.93 करोड, बाढ मद में रूपये 67.36 करोड, ओला मद में राशि रूपये 395.56 करोड, पुर्नस्थापन के लिए आर्थिक सहायता, सूखा पाला, कीट प्रकोप एवं वन्य प्राणियों मद में राशि रूपये 3737.70 करोड एवं सर्पदंश मद में राशि रूपये 14.35 करोड़ रूपये इस प्रकार कुल राशि रूपये 4285 करोड़ आवंटित की गई है ।

1.18 कृषि : प्रदेश में कृषि अभी भी परम्परागत है तथा कृषि की मानसून के ऊपर निर्भरता है । प्रदेश के जिन जिलों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं कृषि विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत विकसित जिले रहे हैं । उन जिलों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। राज्य की

अर्थ व्यवस्था में (सकल घरेलू उत्पाद) वर्ष 2013-14 के त्वरित अनुमानों के अनुसार कृषि क्षेत्र (पशु पालन सहित) का योगदान 26.23 प्रतिशत है ।

1.19 कृषि विकास योजनाएं : कृषि विकास की विभिन्न योजनाओं यथा-रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण, प्रमाणित बीजों का वितरण आदि के माध्यम से प्रदेश में कृषि की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं । वर्ष 2013-14 में 18.39 लाख मीटरिक टन रसायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया था जबकि वर्ष 2014-15 में 17.06 लाख मीटरिक टन रसायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया ।

वर्ष 2014-15 पौध संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 219.69 लाख हेक्टर क्षेत्र लाया गया है । वर्ष 2014-15 में 32.75 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण किसानों को किया गया था । खरीफ वर्ष 2015-16 में 19.31 लाख क्विंटल तथा रबी हेतु 16.65 लाख प्रमाणित बीज वितरित किए गए दिसम्बर, 2015 में 32.63 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया जा चुका है ।

1.20 उद्यानिकी : प्रदेश में उद्यानिकी फसलें फल, साग-सब्जी मसाले आदि के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्र लाया जाकर उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के तहत् वर्ष 2015-16 में प्रमुख साग-सब्जी फसलों का उत्पादन 153.90 लाख मीटरिक टन प्रमुख फलों के उत्पादन में 63.74 लाख मीटरिक टन रहा साथ ही मसालों का उत्पादन 44.46 लाख मीटरिक टन अनुमानित है ।

1.21 सिंचाई : प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में विगत वर्षों में सामान्य वृद्धि देखी गई है । विशेषकर यह देखा गया है कि सिंचाई हेतु भू-जल के दोहन पर निर्भरता बढ़ रही है । प्रदेश में सिंचाई जलाशयों के माध्यम से जल संग्रहण क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है ।

1.22 निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग : वर्ष 2014-15 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 9584 हजार हेक्टर है जो गत वर्ष के 9455 हजार हेक्टर से 1.36 प्रतिशत अधिक रहा । वर्ष 2014-15 के अन्त तक शासकीय सिंचाई योजनान्तर्गत 3315 हजार हेक्टर सिंचाई क्षमता निर्मित की गई जो गत वर्ष निर्मित सिंचाई क्षमता से 4.02 प्रतिशत अधिक रही । इसी अवधि में 2609 हजार हेक्टर में क्षमता का उपयोग किया गया जो कुल निर्मित क्षमता का 78.70 प्रतिशत है ।

1.23 मत्स्योत्पादन : वर्ष 2012-13 (प्रा.) की अपेक्षा वर्ष 2013-14 (त्व.) में सकल घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमानों के अनुसार 12.93 प्रतिशत की वृद्धि रही है । वर्ष 2015-16 में समस्त स्त्रोतों से 122000 टन लक्ष्य के विरूध्द माह दिसम्बर, 2015 तक 76943 टन

मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 63.0 प्रतिशत है । प्रदेश में मत्स्योत्पादन 9260.79 लाख मीटरिक टन रहा ।

1.24 वानिकी : वर्ष 2013-14 (त्व.) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का अंश 1.67 प्रतिशत रहा है । वर्ष 2013-14 (त्व.) की तुलना में ईमारती लकडी के उत्पादन में 2.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 2014-15 में 1100.00 करोड लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूध्द 1073.93 करोड रू. का सकल राज्स्व प्राप्त हुआ ।

1.25 उद्योग : द्वितीयक क्षेत्र की विकास दर में वर्ष 2012-13 (प्रा.) से वर्ष 2013-14 (त्व) में 2.55 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है जिसे विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिये औद्योगीकरण नितांत आवश्यक है । प्रदेश की अर्थ व्यवस्था ग्रामीण है जो कृषि से निकटता से जुड़ी है फलस्वरूप ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास में सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की विशेष भूमिका है । वर्ष 2014-15 में कुल 19.84 हजार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई तथा 750.04 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हुआ एवं 51.57 हजार रोजगार उपलब्ध हुये । वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर, तक 13.93 हजार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई जिसमें 840.62 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हुआ तथा 37.21 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । केन्द्र शासन की औद्योगिक उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक की अवधि में आई.ई.एम. की संख्या 756 तथा प्रस्तावित पूंजी निवेश 420374 करोड़ था, जो वर्ष 2013 से 2015 (नवम्बर 2015) की अवधि में 317 (संख्या) तथा 114044 (निवेश) करोड़ रूपये हो गया ।

1.26 पर्यटन : वर्ष 2014-15 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को 107.33 करोड रूपये की आय प्राप्त हुई है वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक 95.05 करोड की आय प्राप्त हुई इस दौरान 6.63 करोड़ पर्यटक मध्यप्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हेतु आये ।

1.27 खनिज : खनिज संपदा की दृष्टि से मध्यप्रदेश के आठ प्रमुख खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है । वर्ष 2012-13 (तेल एवं प्राकृतिक गैस को छोड़कर) प्रदेश में कोयला के सकल उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान है । राज्य की अर्थ व्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र की वद्धि योगदान वर्ष 2012-13 के प्रचलित भावों के अनुमानों के अनुसार 6.25 प्रतिशत एवं वर्ष 2013-14 (त्वरित) अनुमानों के अनुसार 1.01 प्रतिशत है ।

1.28 ऊर्जा : राज्य शासन द्वारा विद्युत की उपलब्ध्ता में वृद्धि हेतु किये गये सतत् प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2013-14 में प्रदेश विद्युत आधिक्य की स्थिति में आ गया है। वित्तीय वर्ष

2014-15 में कुल विद्युत प्रदाय 56196 मिलियन यूनिट किया गया, जिसमें इन्दिरा सागर परियोजना से 2543 मिलियन यूनिट, सरदार सरोवर परियोजना से 1621 मिलियन यूनिट उत्पादन तथा म.प्र. विद्युत उत्पादन कम्पनी व्दारा कुल विद्युत प्रदाय 17951 मिलियन यूनिट है । वर्ष 2013-14 में वर्ष 2014-15 की तुलना में 9.96 प्रतिशत अधिक विद्युत विक्रय की गयी । इस अवधि में प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत उपयोग 38.7 प्रतिशत का कृषि क्षेत्र में किया गया । इसके पश्चात घर-निवास हेतु 23.40 प्रतिशत विद्युत उपभोग रहा । विद्युत उत्पादन क्षमता तथा पारेषण क्षमता में लगातार वृद्धि से प्रदेश में उद्योग तथा कृषि दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहने की संभावना है। वर्ष 2013-14 में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा दीर्धकालीन विद्युत क्रय अनुबंध के कारण विद्युत की उपलब्धता मांग के अनुरूप हो गयी हैं तथा प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की स्थिति में आ गया है । ग्रामीण विद्युतीकरण की नवीन अवधारणानुसार प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण का औसत 85 प्रतिशत हो गया है ।

1.29 ऊर्जा क्षेत्र में राजस्व प्रबंधन : प्रदेश में राजस्व प्रबंधन के सुधार हेतु उठाये गये कदमों के फलस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई है फलस्वरूप प्रदेश में गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में राजस्व में 24.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

1.30 परिवहन : राज्य की अर्थ व्यवस्था में परिवहन क्षेत्र (भंडारण सहित) में वृद्धि तथा वर्ष 2012-13 (प्रा.) में 8.59 प्रतिशत एवं वर्ष 2013-14 (त्व.) में 7.71 प्रतिशत है । प्रचलित भावों पर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 (त्व.) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की क्रमशः 3.49 एवं 3.37 प्रतिशत अंश की भागीदारी रही है । स्थिर भावों पर (2004-05) राज्य घरेलू उत्पाद में की भागीदारी का अंश वर्ष 2012-13 व 2013-14 में क्रमशः 3.17 एवं 3.11 रहा ।

मध्यप्रदेश राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012-13 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.16 प्रतिशत रहा जबकि स्थिर भावों (2004-05) पर 1.62 प्रतिशत अंश है। वर्ष 2013-14 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.07 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 1.63 प्रतिशत है । मध्यप्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर संचार क्षेत्र का अंश 0.72 प्रतिशत एवं वर्ष 2013-14 (त्व.) के अनुसार 0.70 प्रतिशत है जबकि स्थिर भावों (2004-05) पर वर्ष 2012-13 में 2.63 प्रतिशत एवं वर्ष 2013-14 (त्व.) में 2.59 प्रतिशत अंश परिलक्षित है ।

1.31 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रारंभ से नवम्बर, 2015 तक 62.63 हजार किलोमीटर लम्बाई की 14117 सडके 75 बडे पुलों का निर्माण कार्य करते हुए 16096 करोड रूपये व्यय किये गये ।

1.32 लोक निर्माण विभाग की सड़क : वर्ष 2014-15 में माह जनवरी, 2015 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित कुल सडकों की लम्बाई 61.62 हजार राष्ट्रीय राजमार्गो की लंबाई 4.77 हजार तथा प्रांतीय राज मार्गो की लंबाई 10.93 हजार किलोमीटर रही । प्रदेश में सडकों के निर्माण/उन्नयन के साथ-साथ पंजीकृत वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है ।

1.33 पंजीकृत वाहन : पंजीकृत वाहनों की संख्या वर्ष 2013-14 के 9721 हजार से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 11141 हजार हो गई जो गत वर्ष से 14.60 प्रतिशत अधिक रही ।

1.34 शिक्षा : राज्य में साक्षरता दर में विगत दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश में साक्षरता दर 70.6 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 74.04 प्रतिशत से कुछ ही कम है । सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के नामांकन में वृद्धि रही एवं शाला त्यागी दर में भी कमी आई है । वर्ष 2013-14 की स्थिति अनुसार प्रदेश में लगभग 83.89 हजार शासकीय प्राथमिक तथा 30.34 हजार शासकीय माध्यमिक शालायें हैं । इन शालाओं में नामांकन क्रमशः 95.03 लाख एवं 49.92 लाख है । कुल नामांकन में बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत क्रमशः 47.74 एवं 24.07 प्रतिशत है । प्रदेश में बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । वर्ष 2014-15 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की संख्या 14.50 हजार है जिनमें नामांकन 38.43 लाख है । वर्ष 2014-15 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र तथा छात्राओं की शाला त्यागी दर क्रमशः 5.9 एवं 6.4 प्रतिशत रही, तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं की शाला त्यागीदर क्रमशः 5.2 एवं 6.0 रही । इसी अवधि में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं की शाला त्यागी दर क्रमशः 14.30 एवं 18.4 प्रतिशत रही । प्रदेश में विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश वितरण, साइकिल प्रदाय, मध्यान्ह भोजन आदि की योजनाओं का क्रियान्वयन कर शालाओं में उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास उपयोगी रहे हैं ।

1.35 नि:शुल्क सायकिल वितरण : प्रदेश में कक्षा पांचवी पास करके कक्षा छटवी में दूसरे ग्राम में अध्ययन हेतु जाने वाले बालिकाये/बालकों को नि:शुल्क सायकिल हेतु 2300 रू. प्रतिश्सा यकिल का प्रावधान हे वर्ष 2014-15 में 3.06 लाख से अधिक बालक/बालिकाओं को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया । इसी तरह कक्षा नवमी में प्रवेश लेने हेतु बालक/बालिकाओंको भी इस योजना अंतर्गत 2400 रू. का रेखांकित चैक प्रदान किया जाता है वर्ष 2014-15 में राशि 150.00 करोड के प्रावधान के विरूध्द 4.30 लाख छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया ।

1.36 गांव की बेटी : राज्य शासन ने **"गांव की बेटी"** योजना के माध्यम से ग्रामीण लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास सुनिश्चित किये हैं । योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 36.79 हजार छात्रायें लाभान्वित हुई हैं ।

1.37 प्रतिभा किरण : शहरी क्षेत्रों की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बालिका को प्रतिभा किरण योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है । वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 3.49 हजार छात्रायें लाभान्वित हुई हैं ।

1.38 तकनीकी शिक्षा : वर्तमान में तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्ष 2015-16 माह नबम्वर, 2015 तक 676 संस्थायें संचालित हैं जिनमें वार्षिक प्रवेश क्षमता 1.46 लाख विद्यार्थी है ।

1.39 स्वास्थ्य : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 के अनुसार सभी के लिये स्वास्थ्य के राष्ट्रीय उद्देश्य को स्वीकार करते हुये प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है । विगत वर्षो में प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों में उल्लेखनीय बदलाव परिलक्षित हुये हैं तथा प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर लाने के प्रयासों के तहत कामयाबी हासिल हुई है । नगरीय क्षेत्रों में औषधालयों एवं चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है ।

वर्ष 2006 से संचालित दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में 20.52 लाख वर्ष 2015-16 में माह अक्टूबर 2015 तक कुल 9.65 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क सेवायें प्रदान कर लाभान्वित किया गया है । प्रदेश में टीकाकरण, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन तथा पुनरीक्षण क्षय नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित कर लोगों को स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराई जा रही हैं । मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिये राज्य शासन द्वारा प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, संचालित की जा रही है ।

सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना नवम्बर 2012 से 1.60 हजार स्वास्थ्य केन्द्रों, 49.00 हजार ग्राम आरोग्य केन्द्र में प्रारंभ की गई है । वर्ष 2014-15 में अभी तक प्रदेश में 57.78 हजार आशा कार्यकर्त्ता कार्यरत है । नेशनल एम्बुलेंस सर्विस अन्तर्गत राज्य में आपातकालीन सेवाओं के प्रबंन्ध हेतु संजीवनी 108 ऐम्बुलेंस वाहन संचालित किये गये है । वर्तमान में 604 एम्बुलेंस संचालित है । वर्ष 2014-15 मे 951823 तथा वर्ष 2015-16 में माह अक्टूबर 2015 तक 479597 मरीजों को इस सेवा द्वारा लाभांवित किया गया है ।

1.40 मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना : इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 0,15 वर्ष के बच्चों जो हदय रोग से पीडित हैं का उपचार/आपरेशन किया जाता है इस योजना अंतर्गत 1 लाख रू. तक की स्वीकृति का प्रावधान है वर्ष 2014-15 में अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक 597 हितग्राहियों को लाभान्वित कर 5.19 करोड रू. व्यय किये गये । वर्ष 2015-16 में मार्च 2015 तक 203 हितग्राहियों को लाभान्वित कर 1.77 करोड रू. व्यय किये गये इस योजना के प्रारंभ से वर्ष 2015 माह जून तक लगभग 4847 हितग्राहियों को लाभान्वित कर 41.94 करोड रू. व्यय किये गये ।

1.41 जीवनांक : न्यादर्श पंजीयन प्रणाली (एस.आर.एस.) के आधार पर प्रदेश में वर्ष 2013 में प्रति हजार व्यक्तियों पर जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 26.3 एवं 8.0 रही । इसी अवधि में प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर 54 रही । प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्युदर राष्ट्रीय स्तर से अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है । प्रदेश में संस्थागत सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराकर मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्युदर को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

1.42 पेयजल व्यवस्था : नई नीति अनुसार 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल व्यवस्था की गई है । ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में माह नवम्बर, 2015 तक 7.53 हजार बसाहटों में हैंडपंप योजनाओं द्वारा पेयजल की व्यवस्था की गई है । इसी अवधि में 200 ग्रामीण शालाओं, 2491 आंगनबाडियों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है ।

1.43 रोजगार की स्थिति : वर्ष 2015 के अंत में प्रदेश में स्थित रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर कुल 4.23 लाख व्यक्ति दर्ज रहे । इसी अवधि में दिसम्बर 2015 तक 334 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों में से 07 महिलायें, 30 अनुसूचित जाति तथा 04 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं । राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में लगे व्यक्तियों की 2013-14 की अवधि में संख्या में 8.64 लाख रही, इसी अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में लगी महिलाओं की संख्या भी 1.19 लाख है ।

1.44 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन : राज्य में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन की गणनानुसार 31 मार्च 2015 में कुल कर्मचारियों की संख्या 7,68,863 रही जो गत वर्ष से 1.31 प्रतिशत अधिक रही । शासकीय कर्मचारियों (नियमित) की संख्या में 2.59 प्रतिशत की वृद्धि रही, इसी प्रकार विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 2.34 की प्रतिशत वृद्धि रही ।

1.45 कारखानों की संख्या एवं नियोजन : वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक 171 नये कारखानें पंजीकृत हुए है तथा राज्य में कारखानों की संख्या 16.69 हजार तथा कुल नियोजन क्षमता 8.54 लाख हो गयी है ।

1.46 औद्योगिक विवाद : वर्ष 2014-15 में औद्योगिक अशांति के कारण विवादों की संख्या 11 रही जिसमें 18.79 हजार मानव दिवसों की हानि हुई । वर्ष 2015-16 में सितम्बर 2015 तक औद्योगिक विवादों की संख्या 10 रही तथा 10.59 हजार मानव दिवसों की हानि हुई है ।

1.47 गरीबी उन्मूलन परियोजना : राज्य में गरीबी उन्मूलन हेतु उक्त योजना चयनित 15 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । वर्ष 2014-15 में माह नवम्बर, 2014 तक कुल 13.84 लाख महिलाओं को संगठित कर 1.21 हजार स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है । रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम के अंतर्गत 9.14 हजार युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण दिलवा कर रोजगार/स्व-रोजगार से जोड़ा गया है एवं 134 रोजगार मेलों के माध्यम से 19.51 हजार युवाओं को विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये है । इसी अवधि में 45.35 करोड रूपये का व्यय किया गया है । परियोजना प्रारंभ से माह नवम्बर, 2014 तक 4.07 लाख महिलाओं को संगठित कर 35.44 हजार स्व-सहायता समूहो का गठन किया गया ।

1.48 इंदिरा आवास योजना : ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को वर्ष 2015-16 में योजनान्तर्गत आवास निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 97109 आवासों का निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 35523 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया !

1.49 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन : यह मिशन वर्ष 2011-12 से लगातार प्रगतिरत है । यह राज्य सरकार की एक अभिनय आवास योजना है । यह मिशन 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों, 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं 6 सहकारी बैंको की सहभागिता से चलाया जा रहा है । इस मिशन से अभी तक लगभग 561106 ग्रामीण परिवारों को आवास निर्माण हेतु लगभग राशि रूपये 5059.56 करोड रूपये का बैक ऋण एवं शासकीय अनुदान स्वीकृत एवं वितरित किया गया है । माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार हितग्राही की सभी स्त्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय रू. 2 लाख पुनरीक्षित की गई है ।

1.50 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन : इस योजना अंतर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम तथा कौशल प्रशिक्षित एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । यह योजना

भारत शासन के सहयोग से प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में क्रियान्वित की जा रही है जिसमें केन्द्र एवं राज्य शासन का अंशदान क्रमश: 75 एवं 25 प्रतिशत है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करके गरीबी उन्मूलन करना है । वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक 5126.52 लाख रू. अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए गए जिससे 60320 हितग्राही लाभान्वित हुए ।

1.51 महिला एवं बाल विकास : प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण, उन्नति एवं सर्वांगीण विकास हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजनायें संचालित की जा रही हैं । बच्चों के शाररिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं कुपोषण से मुक्ति कराने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं तथा 73 शहरी बाल विकास परियोजनाएं सहित प्रदेशमें कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही है । इन परियोजनाओं में कुल 80.16 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 12.07 हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है ।

इस परियोजना के माध्यम से 80.00 लाख बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है । आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि में 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । वर्ष 2015-16 में पोषण आहार अन्तर्गत राशि रूपये 1231.09 करोड रूपये का प्रावधान रखा गया है तथा सबला योजनान्तर्गत राशि रूपये 154.99 करोड रूपये का पृथक से प्रावधान किया गया है ।

1.52 लाड़ली लक्ष्मी योजना : बालिका के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधार शिला रखने के उदेश्य से एक महत्वाकांक्षी योजना **"लाड़ली लक्ष्मी योजना"** आरंभ की गई है । इस योजना के तहत दिनांक 1 जनवरी, 2006 के बाद जन्मी बालिकाओं को लाभ दिया जा रहा है । 18 वर्ष आयु होने तक यह योजना लागू होती है । योजनान्तर्गत बालिका के नाम पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्ष तक 30.00 हजार रूपये मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी निधि में जमा किये जायेगें । बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2000 रूपये, कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर 4000 रूपये और कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर 6000 रूपये एक मुश्त भुगतान किया जावेगा । कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने के पश्चात आगामी 6000 रूपये का भुगतान बालिका को किया जावेगा । बालिका की आयु 21 वर्ष की होने पर 1.00 लाख रूपये प्रदाय जाते है । इस योजनान्तर्गत अब तक 21.00 लाख बालिकाओं को इसका लाभ दिया जा चुका है ।

1.53 शौर्यादल योजना : प्रदेश में महिलाओं/बालिकाओं के विरूध्द हिंसा, अपराध, उत्पीडन, योन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शौर्य दल योजना के तहत राज्य में अभी तक 20204 शौर्यादलों का गठन किया गया है । शौर्यादलों को मार्च 2015 में टाइम्स ऑफ इण्डिया द्वारा **(एडवोकेसी एवं एम्पावरमेंट)** आवार्ड प्राप्त हुआ है ।

1.54 लाडो अभियान : समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुरीतियों से बच्चों का शारीरिक मानसिक, बौध्कि एवं आर्थिक शशक्तिकरण बाधित हुआ है । मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल (गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिककरण, लैंगिंग समानता को बढावा देने बच्चों के जीवन की सुरक्षा महिला स्वास्थ्य में सुधार को) प्राप्त करने के लिए बाल विवाह को शून्य करना अत्यन्त आवश्यक है । लाडो अभियान के तहत राज्य में 81724 बाल विवाह सम्पन्न होने के पूर्व परामर्श/समझाइश से रोके गए हैं । **माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाडों अभियान को वर्ष 2014 का प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कर्षता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ।**

1.55 मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना : किसी भी प्रकार के हिंसा से पीडित महिलाओं को यदि पारिवारिक सहायता नही मिलती है तो जीवन यापन करने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं ऐसी कठिन परिस्थितयों में परिवार एवं समाज में पुर्नस्थापित होने हेतु पीडित महिला की आत्मनिर्भरता को बढावा देने के उदेश्य से कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोडा जाता है जिससे वह स्वयं के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती है वर्ष 2015-16 में जनवरी 2016 तक कुल 706 महिला हितग्राहियों का प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है **इस योजना को वर्ष 2015 में स्कॉच गोल्ड आवार्ड** से सम्मानित किया गया है ।

1.56 अनुसूचित जातियों का कल्याण : वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का 15.62 प्रतिशत है । इन वर्गों के बच्चों को छात्रवृत्तियां एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर शैक्षणिक स्तर में वृद्धि करने के साथ-साथ इनके जीवन स्तर को उन्नत करने एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं । अनुसूचित जाति के बच्चों को आवास सुविधा तथा पढाई के लिये अनुकूल वातावरण निर्मित करने हेतु पृथक-पृथक आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में 127 पोस्ट मेट्रिक छात्रावास प्री मैट्रिक छात्रावास 1370, आश्रम शालाएं 188 एवं 20 संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालय संचालित है ।

1.57 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण : वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.10 है । पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में 100000.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूध्द 3810.75

लाख रू. व्यय किया गया । वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015, तक प्रावधान राशि रू. 13062.89 लाख के विरूध्द ग्यारहवीं एवं बारहवी के 124273 विद्यार्थियों को रू. 3451.00 लाख रू की छात्रवृति स्वीकृत की गयी तथा महाविदयालयीन कक्षा के 10912 विदयार्थियों को 176.00 लाख छात्रवृति का वितरण किया गया ।

कन्या साक्षरता को प्रोत्साहित करने हेतु 5 वीं, 8 वीं एवं 10 वीं बोर्ड परीक्षा पास कर अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर क्रमशः 500, 1000 एवं 3000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों पर देने का प्रावधान है । वर्ष 2015-16 में कक्षा नवमी एवं ग्यारहवीं में छात्राओं के लिए राशि रू. 1475.03 लाख प्रावधान के विरूध्द माह दिसम्बर 2015 तक राशि 964.95 लाख व्यय किये गये तथा 33000 बालिकाओं के लक्ष्य के विरूध्द 32165 छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है ।

1.58 पिछड़ा वर्ग का कल्याण : शासन द्वारा पिछडे वर्ग के कल्याणार्थ चलाये जा रहे कार्यक्रमों के तहत राज्य छात्रवृति पिछडा वर्ग के विधार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरन्तर विधाध्ययन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु (10 माह के लिए) दी जाती है छात्रवृति का वितरण बैंक के माध्यम से किया जाता है ।

वर्ष 2014-15 में रू. 12981.01 लाख की राशि स्कूल शिक्षा विभाग को प्रदाय की गई जिससे 25.83 लाख विधार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई इसी प्रकार वर्ष 2015-16 में कुल रू. 13936.00 लाख का प्रावधान रखा जाकर स्कूल शिक्षा विभाग का हस्तांतरित की गई, दिसम्बर 2015 तक 30.21 लाख विधार्थियों को छात्रवृति स्वीकृत की गई है ।

1.59 अल्पसंख्यक का कल्याण : पोस्ट मैटिक छात्रवृति अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौध्द, पारसी एवं जैन) के प्रतिभावान विधार्थियों जिनके प्राप्तांक 50% से अधिक है तथा स्वयं माता, पिता की वार्षिक आय की 2.00 लाख से अधिक न हो उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । वर्ष 2014-15 में 11509 विधार्थियों की रू. 7.79 करोड राशि तथा वर्ष 2015-16 में 12697 नवीन विधार्थियों का लक्ष निर्धारित कर लिये गये हैं छात्रवृति का भुगतान विधार्थियों के एकल खाते में किया जा रहा है ।

1.60 सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय : राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में आवंटन 31556.23 लाख रूपये में से दिसम्बर 2015 तक 14538.62 लाख रूपये व्यय कर 834749 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

- **इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना :** इस योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में आवंटन 6108.00 लाख रूपये में से दिसम्बर 2015 तक 4012.03 लाख रूपये व्यय कर 101927 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

- **इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** : इस योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में आवंटन 45903.00 के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2015 तक 3641321 लाख रूपये व्यय कर 1329749 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है ।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ;** इस योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 आवंटन 13144.68 लाख रूपये के विरूद्ध दिसम्बर, 2015 तक 18422.27 लाख रूपये व्यय कर 873568 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

1.61 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब,जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु जुलाई 2014 से सावधि जमा रूपये 10.00 हजार विवाह संस्कार के आवश्यक सामग्री 5.00 हजार रूपये तथा कन्या की गृहस्थी स्थापना हेतु 7.0 हजार रूपये प्रदाय की जाती है । सामूहिक विवाह कार्यक्रम को आयोजित करने के लिये ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 3.0 हजार इस प्रकार कुल 25.00 हजार रूपये प्रदान किये जाते है । वर्ष 2015-16 में आवंटन 12902.20 लाख रू. के विरूध्द माह दिसम्बर, 2015 तक 9420.72 लाख रूपये व्यय किये जाकर 39.86 हजार कन्याओं के सामूहिक विवाह संपंन कराये गये ।

1.62 मुख्यमंत्री निकाह योजना : मध्य प्रदेश शासन व्दारा मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत निराश्रित निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्याओं/विधवा/ परित्यक्ताओं के सामूहिक निकाह सम्पन्न कराये जाने का प्रावधान है । माह जुलाई 2014 से सावधि जमा रूपये 10.00 हजार, विवाह संस्कार के आवश्यक सामग्री 5.00 हजार रूपये तथा कन्या की गृहस्थी स्थापना हेतु 7.0 हजार रूपये प्रदाय की जाती है । सामूहिक विवाह कार्यक्रम को आयोजित करने के लिये ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 3.0 हजार इस प्रकार कुल 25.00 हजार रूपये प्रदान किये जाते है । योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 में आवंटन 500.00 लाख के विरूध्द दिसम्बर 2015 तक 234.29 लाख रूपये व्यय किये जाकर 1432 मुस्लिम कन्याओं के सामूहिक निकाह सम्पन्न कराया गया ।

1.63 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेशन योजना : इस योजना के अंतर्गत ऐसे दंपति जिसमें पति/पत्नि में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याये हैं जीवित पुत्र नही तथा हितग्राही आयकर दाता न हो को 500 रू प्रति माह पेंशन दी

जाती है । वर्ष 2015-16 में आवंटन 1000.00 लाख रू. के विरूध्द दिसम्बर 2015 तक 300.15 लाख रू. व्यय कर 27351 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

1.64 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : इस योजना का उदेृश्य मध्यप्रदेशके मूल निवासी जो (आयकर दाता न हो) वरिष्ठ नागरिको (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर (श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री जगन्नाथपुरी, श्री द्वराकापुरी, हरिद्वार, अमरनाथ, वेष्णोदेवी शिरडी, तिरूपति, अजमेर शरीफ, काशी (वाराणासी) गया, अमृतसर, रामेश्वर, सम्मेद शिखर, श्रवणबेलगोला, वेलांगणी चर्च नागापटटम (तमिलनाडू) तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान की जाती है । इस योजनान्तर्गत 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक कुल 66 ट्रेने चलाई गयी जिससे कुल 66 हजार वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा का लाभ मिला है ।

1.65 मानव विकास : मानव विकास प्रगति का लक्ष्य भी है तथा जरिया भी मानव विकास में प्रमुख रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीविका को सम्मिलित किया गया है । मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने में प्रदेश अग्रणी रहा है ।

भारत के महारजिस्टार द्वारा जारी नवीतम आंकडों के अनुसार वर्ष 2013 में राष्टीय शिशु मृत्युदर 40 के विरूध्द मध्यप्रदेश में अनुमानित शिशु मृत्यु दर 54 है ग्रामीणक्षेत्र में राष्टीय शिशु मृत्यु दर 44 के विरूध्द प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 57 रही है जबकि शहरी इलाकों में राष्टीय शिशु मृत्यु दर 27 के विरूध्द प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 37 रही है बालिकाओं की शिशु मृत्यु दर बालकों की तुलना मे अधिक है । प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर वर्ष 2011-13 में 221 रही जो भारत वर्ष की मातृत्व मृत्यु दर 167 से 32.33 प्रतिशत अधिक है । अत: स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक सुधार करने की आवश्यकता है ।

2

लोक वित्त

2.1 सिंहावलोकन :

मध्यप्रदेश के प्रमुख राजकोषीय द्योतकों का विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2004-05 से मध्य प्रदेश राजस्व आधिक्य प्रदेश रहा है । ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात घटा है, यह वर्ष 2013-14 में 8.44 प्रतिशत रहा जो वर्ष 2015-16 (ब.अ.) में घट कर 7.04 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा म.प्र. उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित सीमा में है। राजस्व प्राप्ति की तुलना में ब्याज भुगतान में कमी परिलक्षित है जो कुशल वित्तीय प्रबंधन का द्योतक है।

तालिका 2.1
राजकोषीय घाटा

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16 (बजट अनुमान)
राजस्व आधिक्य	5879.48	6267.96	5587.97
राजकोषीय (वित्तीय) घाटा	(-) 9881.29	(-) 11651.60	(-) 16745.33
प्राथमिक घाटा	(-) 3489.97	(-) 4580.35	(-) 8687.61
राजकोषीय घाटा / जी.एस.डी.पी.	2.19%	2.29%	2.99
राजस्व आधिक्य / जी.एस.डी.पी.	1.30%	1.23%	1.00
ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्ति (प्रतिशत में)	8.44%	7.98%	7.04

2.2 प्राप्तियां : राज्य सरकार की प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.2 में दिया गया है। वर्ष 2010-11 तथा 2015-16 के मध्य कुल प्राप्तियों से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 91.19 प्रतिशत तथा 88.77 प्रतिशत के बीच परिवर्तित होता रहा है।

तालिका 2.2
राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (बजट अनुमान)
राजस्व प्राप्तियां	51854.19	62604.01	70427.28	75749.24	88640.78	114422.89
लोक ऋण	4928.71	3600.46	5207.22	5536.18	10148.19	13627.54
उधार वसूली	401.84	9147.86	73.12	131.63	6793.70	30.84
शुद्ध लोक लेखा	(-) 320.9	5561.2	3255.1	4781	1230.60	2734.00
कुल प्राप्तियां	56863.84	80913.6	78962.72	86198.05	106813.27	130815.27
राजस्व प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों से प्रतिशत)	91.19	77.37	89.19	87.88	82.99	88.77

2.3 राज्य का स्वयं का कर राजस्व : राज्य की राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका 2.3 में एवं प्रमुख कर राजस्व मद में प्राप्तियॉ तालिका 2.4 में दर्शायी गई है । विगत वर्षों में राज्य के कर राजस्व में वृद्धि दर की प्रवृत्ति, औसत 13.75 प्रतिशत रही है।

तालिका 2.3
राजस्व प्राप्तियों की संरचना

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2010--11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	वृद्धि दर की प्रवृत्ति प्रतिशत	2015-16 (बजट अनुमान)	वृद्धि प्रतिशत
राज्य कर	21419.34	26973.44	30581.71	33552.15	36567.12	13.75	43447.69	18.82
केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	15638.52	18219.14	20805.16	22715.28	24106.99	11.47	30449.65	26.31
केन्द्रीय अनुदान	9076.56	9928.77	12040.2	11776.82	17591.44	16.12	30401.27	72.82

2.4 केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा : चौदहवें वित्त आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के लिए वितरण योग्य कर (सेवा कर को छोड़कर) का 7.548 प्रतिशत तथा वितरण योग्य सेवा कर का 7.727 प्रतिशत अंश निश्चित किया है, जबकि तेरहवें वित्त वित्त आयोग द्वारा क्रमशः 7.12 प्रतिशत तथा 7.23 प्रतिशत का अंश निश्चित किया गया था।

तालिका 2.4
राज्य की मुख्य कर राजस्व मदों में वृद्धि

(करोड़ रूपये में)

स्वयं के कर राजस्व	2010-11	2011- 12	2012-13	2013- 14	2014-15	वृद्धि दर की प्रवृति प्रतिशत	2015-16 (बजट अनुमान)	वृद्धि प्रतिशत
भू-राजस्व	360.81	279.06	443.59	366.23	243.1	.5.06	500	105.72
स्टाम्प व पंजीयन	2514.27	3284.41	3944.24	3400	3892.77	9.52	4700	20.74
राज्य आबकारी	3603.42	4316.49	5078.06	5907.39	6695.54	16.80	7800	16.50
वाणिज्यक कर	10256.76	12516.73	14856.3	16649.85	18135.96	15.32	21300	17.45
मोटरयान कर	1198.38	1357.12	1531.25	1598.93	1823.84	10.57	2300	26.11
माल तथा यात्रियों पर कर	1746.2	2047.46	2395.03	2578.74	2686.39	11.55	3200	19.12
वियुत शुल्क	1476.32	1773.32	1477.71	1972.2	2010.2	7.51	2200	9.44

2.5 राज्य के करेतर राजस्व : राज्य के प्रमुख करेतर राजस्व मदों में वर्षवार प्राप्तियां **तालिका 2.5** में दर्शाई गई हैं । राज्य के करेतर राजस्व में उतार-चढ़ाव परिलक्षित हैं ।

तालिका 2.5
राज्य के करेत्तर राजस्व की वृद्धि

(करोड़ रूपये में)

करेतर राजस्व	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	वृद्धि दर की प्रवृति प्रतिशत	2015-16 (बजट अनुमान)	वृद्धि प्रतिशत
वन	836.5	878.81	910.38	1036.8	968.77	4.70	1250.31	29.06
सिंचाई	241.6	304.47	517.36	357.85	437.33	14.48	500.34	14.41
खनन	2121.49	2038.31	2443.39	2306.17	2813.66	7.13	3200	13.73

2.6 व्यय : लोक व्यय एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा सरकार राज्य के विकास के लिए सामाजिक तथा भौतिक अधोसरंचना उपलब्ध कराती है । अतः लोक व्यय का आकार, संरचना तथा उत्पादकता अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक है । राज्य के आयोजना तथा आयोजनेतर व्यय का विवरण **तालिका 2.6** में हैं ।

तालिका 2.6
आयोजना तथा आयोजनेत्तर व्यय

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	वृद्धि दर की प्रवृत्ति प्रतिशत	2015-16 (बजट अनुमान)	वृद्धि प्रतिशत
आयोजना राजस्व व्यय	12910.72	16016.54	18349.33	19426.27	26514.56	17.73	40728.96	53.61
आयोजना पूंजीगत व्यय	8657.07	9022.87	11542.98	10769.96	11821.05	8.33	17959.69	51.93
आयोजनेतर राजस्व व्यय	32100.87	36677.17	44619.2	50443.49	55858.26	15.33	68105.96	21.93

लोक व्यय का एक अधिक उपयुक्त वर्गीकरण पूंजीगत तथा राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय का स्तर लोक निवेश के स्तर को दर्शाता है, जो केवल लोक आस्तियों को नहीं बनाता, बल्कि निजी निवेश को भी त्वरित गति से बढ़ाता है। राज्य शासन को कठिन बजट बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राजस्व व्यय कम करते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जाये । पिछले कुछ वर्षो में राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी है, जिससे पूंजीगत व्यय के लिए ऋण पर निर्भरता कम हुई है। वर्ष 2010-11 से गत वर्ष तक पूंजीगत आयोजना व्यय में वद्धि दर की प्रवृत्ति, औसत 8.33 प्रतिशत रही है।

2.7 लोक ऋण : 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार राज्य का शुद्ध लोक ऋण 57137.26 करोड़ रूपये अनुमानित है । शुद्ध लोक ऋण की संरचना तालिका 2.7 में दर्शायी गई है । लोक ऋण का 45.43 प्रतिशत बाजार से लिया गया ऋण है तथा अल्प बचत का योगदान 20.28 प्रतिशत है ।

तालिका 2.7
शुद्ध लोक ऋण

(करोड़ रूपये में)

स्त्रोत वर्ष	31 मार्च, 2014	कुल का प्रतिशत	31 मार्च, 2015	कुल का प्रतिशत
बाजार से उधार लेना	34978.79	41.69	43149.92	45.43
केन्द्र	12718.23	15.16	13253.83	13.95
वित्तीय संस्था	6340.46	7.56	6598.15	6.95
अल्पबचत	18075.84	21.54	19259.61	20.28
अन्य	11784.58	14.05	12717.65	13.39
योग	83897.90	100.00	94979.16	100.00
घटाईये				
राज्य को देय बकाया ऋण	32072.34		37841.90	
शुद्ध लोक ऋण	51825.56		57137.26	

3

बचत एवं विनियोजन

बैंकिंग

घरेलू बचत को प्रोत्साहित करते हुए उसे वित्तीय बाजार में संचारित करने में बैंकिंग संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका का निवर्हन करते हैं । बैंकों द्वारा घरेलू बचत राशि के सुरक्षित विनियोजन की सेवा तथा अवसर प्रदान किया जाता है तथा इस बचत राशि का कृषि, उद्योग, सेवा, आदि क्षेत्रों हेतु निवेश के लिये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है ।

3.1 बैंक शाखा नेटवर्क : प्रदेश में बैंक शाखा नेटवर्क की क्षेत्रवार संख्या **तालिका 3.1** में दी गई है । प्रदेश में वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है । वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक की अवधि में 18 ग्रामीण एवं 63 शहरी शाखाओं की वृध्दि हुई । वर्ष 2014-15 में कुल 538 शाखाओं की वृध्दि हुई जिनमें से 121 ग्रामीण, 218 अर्धशहरी तथा 199 शहरी शाखाओं की वृध्दि हुई ।

तालिका 3.1

बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तार

बैंक का प्रकार	मार्च-14	मार्च-15	दिसम्बर-15
ग्रामीण बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	1363	1458	1454
सहकारी बैंक	558	558	558
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	809	835	857
योग	**2730**	**2851**	**2869**
अर्द्धशहरी बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	1223	1433	1426
सहकारी बैंक	470	470	470
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	282	290	292
योग	**1975**	**2193**	**2188**
शहरी बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	1516	1707	1765
सहकारी बैंक	93	93	93
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	101	109	114
योग	**1710**	**1909**	**1972**
कुल बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	4102	4598	4645
सहकारी बैंक	1121	1121	1121
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1192	1234	1263
योग	**6415**	**6953**	**7029**

3.2 जन धन योजनाः भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना प्रारम्भ की गई थी। योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित कुल 11,864 सब सर्विस एरिया तथा शहरी क्षेत्र के कुल 6,884 वार्ड में निवासरत कुल 153.86 लाख परिवारों में से बगैर बैंक खाते वाले चिन्हित कुल 49.47 लाख परिवारों के बैंक खाते खोले जाकर उन्हें बैंक से जोड़ने का कार्य माह नवम्बर, 2014 में पूर्ण किया गया।

योजना अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी, 2016 तक 180.16 लाख से अधिक बैंक खाते खोले जाकर 145.43 लाख से अधिक खाताधारकों को कार्ड जारी किये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उददेश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्याति बीमा योजना प्रारंभ की गई है । इन दोनो योजनाओं के तहत न्यूनतम बीमा राशि पर दुर्धटना बीमा तथा जीवन बीमा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है ।

3.3 वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्र (एफएलसीसी): प्रदेश के सभी जिलों में संबंधित अग्रणी बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्र (एफएलसीसी) की स्थापना की गई है। वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्रों के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में वित्तीय साक्षरता के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

3.4 बैंकिंग के मुख्य सूचकांकः बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों के आकार का आंकलन मुख्यतः जमा, अग्रिम, विनियोजन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अग्रिम, कृषि अग्रिम, सीधे कृषि अग्रिम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को अग्रिम, तृतीयक क्षेत्र को अग्रिम, कमजोर वर्ग को अग्रिम आदि सूचकांकों से किया जाता है। प्रदेश के लिये विगत वर्षों में इन सूचकांकों का विवरण तालिका 3.2 तथा 3.3 में दिया गया है। बैंकों में कुल जमा राशि में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 की प्रथम छः माही के दौरान 12.49 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 की प्रथम छः माही कुल जमा राशि में 5.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिम राशि में 12.49 प्रतिशत की दर से वर्ष 2012-13 से 2015-16 की प्रथम छः माही के दौरान वृद्धि परिलक्षित है। वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 की प्रथम छः माही में कुल अग्रिम राशि में 4.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल अग्रिम में वृद्धि की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम में वृद्धि दर 14.08 प्रतिशत रही । कृषि क्षेत्र में सीधे कृषि अग्रिम में वृद्धि दर 14.08 प्रतिशत रही। इसी प्रकार तृतीयक क्षेत्र में भी अग्रिम राशि में 20.26 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिलक्षित है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को दिये अग्रिम में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2015-16 की प्रथम छः माही में गत वर्ष की तुलना में 5.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में अग्रिम में से सीधे कृषि हेतु दिया गया अग्रिम का अंश वर्ष 2014-15 में 88.43 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2015-16 की प्रथम छः माही में बढ़कर शत प्रतिशत हो गया।

तालिका 3.2

बैंकिंग व्यवसाय के मुख्य सूचकांक

(करोड़ रूपये में)

विवरण	मार्च- 13	मार्च- 14	मार्च- 15	30 सितम्बर-2015	मार्च-13 से सितम्बर-15 में वृद्धि दर
कुल जमा	220689	249525	294183	309307	**12.49**
कुल अग्रिम	139337	164877	188331	197309	**12.49**
कुल विनियोजन	7571	7544	5374	10498	**6.62**
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	79813	96619	108459	119133	**14.08**
कृषि अग्रिम	47123	55681	61348	64729	**11.06**
सीधे कृषि अग्रिम	42552	51152	54251	64729	**14.08**
लघु उघोग क्षेत्र को अग्रिम	17688	22937	26509	27877	**16.29**
तृतीयक क्षेत्र में अग्रिम	15002	18002	20602	26527	**20.26**
कमजोर वर्ग को अग्रिम	15400	21277	25810	25227	**18.22**

तालिका 3.3

राष्ट्रीय मानक से प्रदेश के सूचकांकों की तुलना

विवरण	राष्ट्रीय मानक	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-15	सितम्बर-15
साख-जमा अनुपात	60%	63%	66%	64.02%	63.79%
साख-विनियोजन-जमा अनुपात	60%	67%	69%	65.85%	67.18%
कुल अग्रिम का प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	40%	57%	59%	58.00%	60.38%
कुल अग्रिम का कृषि अग्रिम	18%	34%	34%	32.57%	32.80%
कुल अग्रिम का कमजोर वर्ग को अग्रिम	10%	11%	13%	14.00%	12.79%

चित्र 3.1

राष्ट्रीय मानक की तुलना में राज्य की स्थिति

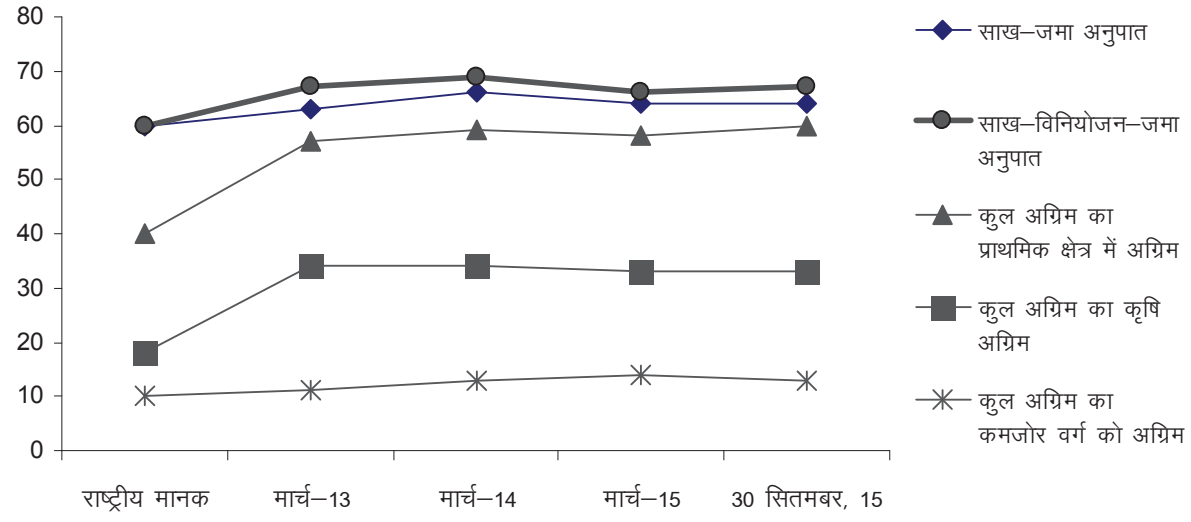

3.5 साख जमा अनुपातः वर्ष 2015-16 की प्रथम छःमाही के दौरान प्रदेश का साख-जमा अनुपात 63.79 प्रतिशत रहा है, जो राष्ट्रीय मानक 60 प्रतिशत से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत साख जमा अनुपात के निर्देश हैं । प्रदेश में कुल 9 जिलों यथा उमरिया, टीकमगढ, मण्डला, अनूपपुर, शहडोल, डिण्डोरी, अजीराजपुर, रीवा एवं सिंगरोली का साख-जमा अनुपात 40 प्रतिशतसे कम पाया गया था वर्तमान में इन 9 जिलों में 4 जिले में यथा मण्डला, अलीराजपुर, रीवा एवं सिंगरोली का साख-जमा अनुपात 40 प्रतिशतसे अधिक हो गया है तथा शेष 5 जिलों का साख-जमा अनुपात अभी भी 40 प्रतिशत से कम है । प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में साख जमा अनुपात राष्ट्रीय मानक से सामान्यतः काफी कम रहा है।

3.6 साख योजना का क्रियान्वयन : बैंकिंग समुदाय द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक साख योजना तैयार कर जिलेवार एवं बैंकवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वार्षिक साख योजना के क्रियान्वयन का विवरण तालिका क्रं.3.4 में है । प्रदेश में कृषि एवं सम्बन्ध गतिविधियों के लिये ऋण वितरण में स्थिर परिलक्षित हो रहा हे । सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उधोगों के लिए ऋण वितरण में निरन्तर सुधार हो रहा है लधु उधोगों के लिये ऋण वितरण में वृध्दि के फलस्वरूप ही इन औद्योगिक गतिविधियां में विस्तार होने का संकेत है ।

तालिका 3.4

वार्षिक साख योजना की उपलब्धि

गतिविधियां	2012-13	2013-14	2014-15	सितम्बर, 2015
कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	31651	43618	49871	35382
लघु उद्योग	5950	7181	13823	8864
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3594	5099	10935	4860
योग	41195	55898	74629	49106

चित्र 3.2

वार्षिक साख योजना की उपलब्धि

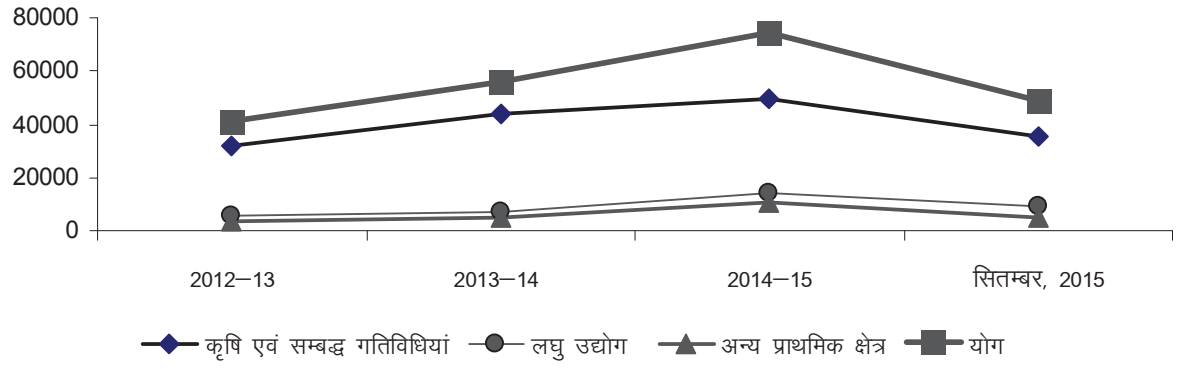

3.7 कमजोर वर्ग को साख: प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा महिला वर्ग को निर्गमित साख का वर्षान्त पर शेष का विवरण **तालिका 3.5** में है।

तालिका 3.5

कमजोर वर्ग को साख अंतर्गत उपलब्धि

(करोड़ रूपये में)

विवरण	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-15	सितम्बर-15	मार्च-13 से सितम्बर-15 में वृद्धि दर
महिलाओं को अग्रिम	10918.22	14720.87	14366.66	30250.50	**35.43**
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग	4517.11	6690.50	7674.31	9350.13	**26.11**
अल्पसंख्यक समुदाय	4891.57	5791.47	7488.38	7377.81	**16.07**

3.8 सूक्ष्म वित्त : वर्तमान परिदृश्य में स्व-सहायता समूहों द्वारा बचत के साथ-साथ नये व्यवसायों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में विकास करते हुए व्यवसाय में वृद्धि का कार्य किया जा रहा है । भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र हेतु एन.आर.एल.एम. तथा शहरी क्षेत्र हेतु एन.यू.एल.एम. नाम से मिशन प्रारम्भ किये है । इन दोनों मिशन अंतर्गत बैंकों एवं स्व-सहायता समूहों के मध्य लिंकेज की गतिविधियां संचालित की जा रही है ।

3.9 गृह निर्माण अग्रिमः बैंकों द्वारा प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराया जा रहे गृह निर्माण हेतु अग्रिम का विवरण **तालिका 3.6** में है ।

तालिका 3.6

बैंक द्वारा वितरित गृह निर्माण अग्रिम का विवरण

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	सितम्बर 2015
प्रकरण स्वीकृत (संख्या)	56224	97172	113839	40551
प्रकरण वितरित (संख्या)	57046	106438	111333	46684
राशि निर्गमित **(करोड़ रूपये में)**	1835.61	3506.91	3552.84	2029.27

3.10 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन : राज्य शासन द्वारा इस योजनान्तर्गत ग्रामीण आवासहीन को आवास उपलब्ध कराने की योजना का क्रियान्वयन बैंको के माध्यम से किया जा रहा है । इस योजनान्तर्गत की आवास निर्माण की संशोधित लागत रू. 1,20,000/- आंकलित किया गया है । जिसमें से रू. 20,000 हजार हितग्राही का अंशदान, राज्य शासन द्वारा रू. 50,000 का अंशदान एवं बैंक द्वारा हितग्राही को रू. 50,000 का ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

3.11 किसान क्रेडिट कार्डः बैंकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे कार्ड का विवरण **तालिका 3.7** में है । बैंकों द्वारा वर्ष 2014-15 में लक्ष्य की 130.20 प्रतिशत पूर्ति की गई थी जबकि वर्ष 2015-16 की प्रथम छः माही के दौरान 149.05 प्रतिशत पूर्ति हुई है ।

तालिका 3.7
किसान क्रेडिट कार्ड वितरण

वर्ष	लक्ष्य	कार्ड वितरण	लक्ष्य के विरूद्ध वितरण का प्रतिशत
2013-14	7,35,680	11,02,226	149.82
2014-15	10,73,000	13,97,087	130.20
2015-16 (माह **सितम्बर** 15 तक)	10,72,900	15,99,132	149.05

3.12 बैंक की अतिदेय राशि की वसूली : बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम की समय पर वसूली साख रिसाईक्लिंग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कतिपय कारणों से बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निर्गमित अग्रिम की समय पर वसूली नहीं होने तथा लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात वसूली की संभावना नहीं होने पर बैंक द्वारा ऐसी राशि को नॉन-परफार्मिंग सम्पत्ति मानते हुए प्रावधान करना होता है।

बैंकों की अतदेय राशियों की वसूली हेतु प्रदेश में म.प्र. लोक धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 लागू है। उक्त अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत राजस्व अधिकारियों द्वारा बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली की जाती है।

3.13 आर.आई.डी.एफ. योजना अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति : भारत सरकार की योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अधोसंरचना विकास परियोजनाओं (आर.आई.डी.एफ.) हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं स्वीकृत राशि का विवरण **तालिका 3.8** में है।

तालिका 3.8

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा

स्वीकृत परियोजनाएं एवं ऋण राशि का विवरण

(करोड़ रूपये में)

परियोजना क्षेत्र	वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16 जनवरी 2016 तक	
	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि
सिंचाई	3	643.40	1	1035.68	2	1372.51
सड़क	177	542.28	63	200.36	43	285.49
पुल एवं पुलिया	1	12.89	25	210.36	13	92.48
आई.टी.आई. भवन	0	0.00	0	0.00	30	102.00
ग्रामीण पेयजल वितरण	19	905.36	6	394.14	0	0.00
स्वास्थ्य	0	0.00	10	132.00	0	0.00
कुल योग	**200**	**2103.93**	**105**	**1972.54**	**88**	**1852.48**

नाबार्ड द्वारा नाबार्ड इंफ्रास्टक्चर डेव्हलपमेंट असिस्टेंस (एनआईडीए) के तहत कुल रू. 1855.68 करोड की 22 सडक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं ।

3.14 बचत जमा की सुरक्षा हेतु निक्षेपकों के हितों का संरक्षणः देश की जनता द्वारा बचत राशि को विनियोजित करते हुए आय के संसाधन बढ़ाए जाते हैं। पूर्व वर्षों में बचत राशि को मुख्यत: बैंक, बीमा, डाकघर आदि में जमा रखा जाता था किन्तु पिछले कुछ समय से नॉन-बैंकिग फायनेन्स कम्पनियां भी विभिन्न तरीकों से राशि एकत्र करने का कार्य कर रही हैं। प्रदेश में निक्षेपकों के हितों को संरक्षित करने हेतु **"मध्य प्रदेश** निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000" लागू है।

बीमा क्षेत्र

3.15 जीवन बीमा : बीमा क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी घरेलू बचत को वित्तीय बाजार में संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है । ये संस्थायें प्रदेश के सुदूर अंचलों में बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुंच कर बीमा सुरक्षा प्रदान कर रही हैं । भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है ।

निगम के द्वारा वैयक्तिक बीमा योजनाओं में मध्यम तथा समाज के कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के व्यक्तियों के लिये न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है । निगम द्वारा अल्प प्रीमियम भुगतान क्षमता वाले लोगों को जीवन बीमा सुरक्षा देने के उदेश्य से सूक्ष्म बीमा की विशेष प्रकार की पॉलिसियां भी उपलब्ध है । निगम के मध्य क्षेत्र (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) द्वारा व्यक्तिगत बीमा क्षेत्र में विगत तीन वर्षो की स्थिति **तालिका 3.9** में दर्शायी है ।

तालिका 3.9

व्यक्तिगत बीमा पालिसियों की उपलब्धियाँ (मध्य क्षेत्र)

मद	2013-14	2014-15	2015-16 31 जनवरी 2016
पालिसी संख्या (लाख में)	20.79	10.64	8.21
प्रथम प्रीमियम आय (करोड़ रूपये)	1597.71	1468.64	818.14

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य क्षेत्र में न केवल बीमा पालिसियों एवं बीमित राशि में वृद्धि हो रही है, वरन निवेश, अधोसंरचना एवं सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धता हासिल की गई है । निगम के मध्य क्षेत्र (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) द्वारा **पैंशन, समूह बीमा** तथा **सामाजिक सुरक्षा योजना** की प्रगति को **तालिका 3.10** में दर्शाया गया है ।

तालिका 3.10

पैंशन समूह एवं सामाजिक सुरक्षा योजना (मध्य क्षेत्र)

मद	2013-14		2014-15		2015-16 (31जनवरी 2016 तक)	
	पैंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पैंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पैंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना
नये जीवनों की संख्या (लाख में)	55.90	13.93	53.71	19.27	38.74	17.63
प्रथम प्रीमियम आय (करोड़ रूपये में)	811.53	2.10	757.19	13.79	393.10	0.93

विगत वर्ष तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 58.81 लाख परिवारों के मुखियाओं को जो गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर जीवन यापन करते हैं, **"आम आदमी बीमा योजना / जनश्री बीमा योजना"** के तहत बीमा सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त

चालू वित्तीय वर्ष में आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत 17.63 लाख परिवारों के मुखियाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है ।

इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना** (PMJJYBY) के तहत मध्य प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 187455 व्यक्तियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है ।

निगम ने पोर्टल सेवा के माध्यम से पॉलिसी धारको को अपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। निगम अपने ग्राहकों को दक्ष, बेहतर एवं प्रभावी बीमा सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में सतत् प्रयत्नशील है। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है जिनमें मिनी ऑफिस, ई-फीप, ई,डी,एम,एस, कस्टमर जोन, आइ,वी,आर,एस, मुख्य है ।

प्रीमियम भुगतान हेतु भी शाखाओं के अतिरिक्त अन्य विकल्प मौजूद है जैसे वरिष्ठ व्यवसाय सहयोगी (एस.बी.ए.) के कार्यालय में प्रीमियम प्वाइंट, डायरेक्ट डेबिट (आई सी आई सी आई बैंक एवं एल आई सी नोम्यूरा म्यूचल फंड से) ए.टी.एम., ई.सी.एम. ई.बी.पी.पी. ऑनलाईन प्रिमियम भुगतान एम.पी.ऑनलाईन किओस्क के माध्यम से, बिल डेस्क के माध्यम से आदि से प्रीमियम भुगतान किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश एंव छत्तीसगढ में निगम ने आधारभूत संरचना के विकास हेतु आवास विद्युत परियोजनाओं सिंचाई जल निकासी सडक पोर्ट पुल रेलवे टेलीकोम व अन्य सेक्टर में कुल राशि रुपये 24653.67 करोड माह मार्च 2015 तक का निवेश किया गया है ।

4

भाव, खाद्यान्न उर्पाजन एवं वितरण

भाव स्थिति

4.1 कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक : राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 1991-92 से 1993-94 =100) (त्रिवर्षीय) पर आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा तैयार किये जाते हैं, जिसमें प्रत्येक फसल का राज्य स्तर पर भाव निर्धारित है । वर्ष 2014-15 में गतवर्ष की तुलना में खाद्यानों, अखाद्यानों एवं समस्त वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक में वृद्धि की प्रवृति रही, सर्वाधिक वृद्धि खाद्यानों के थोक भाव सूचकांक में 2.60 प्रतिशत की रही तथा सूचकांक गतवर्ष के 180.5 से बढकर वर्ष 2014-15 में 185.2 हो गया । इसी प्रकार अखाद्यान्नों का थोक भाव सूचकांक वर्ष 2013-14 में 228.3 था जो 0.39 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2014-15 में 229.2 हो गया ।

तालिका 4.1

कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक

(आधार वर्ष 1991-92 से 1993-94=100)

मद	2012-13	2013-14	वृद्धि/ कमी (प्रतिशत)	2014-15	वृद्धि/कमी (प्रतिशत)
खाद्यान्न	441.8	180.5	(-) 59.14	185.2	2.60
अखाद्यान्न	393.1	228.3	(-) 41.92	229.2	0.39
समस्त वस्तुएं	414.4	203.3	(-) 50.94	206.2	1.43

समस्त कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक में वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15 में 1.43 प्रतिशत की वृद्धि रही और सूचकांक गतवर्ष के 203.3 से बढकर वर्ष 2014-15 में 206.2 हो गया ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

4.2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) तथा कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100) का समावेश किया जाता है ।

4.3 औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : मध्य प्रदेश के चार केन्द्रों यथा- भोपाल, जबलपुर, इन्दौर एवं छिन्दवाड़ा के साथ साथ अखिल भारत के लिये यह उपभोक्ता

मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा (आधार वर्ष 2001=100) तैयार किये जाते हैं औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्षवार विवरण **तालिका 4.2 में** दर्शाया गया है ।

तालिका 4.2

औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार वर्ष (2001 = 100)

केन्द्र	2013		2014		वर्ष 2014 में गतवर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)		2015 माह नम्बवर तक	
	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य
भोपाल	254	238	269	251	5.91	5.46	281	259
इन्दौर	255	222	267	232	4.71	4.50	282	242
जबलपुर	259	231	274	240	5.79	3.90	297	255
छिन्दवाड़ा	267	242	274	247	2.62	2.07	295	261

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में राज्य के सभी केन्द्रों में खाद्य समूह एवं सामान्य समूह दोनों के सूचकांकों में वृद्धि रही है परन्तु वृद्धि की गति सामान्य समूह सूचकांकों की अपेक्षा खाद्य समूह में अधिक परिलक्षित रही है । वर्ष 2015 (11 माह की अवधि) में सर्वाधिक सूचकांक खाद्य समूह 297 जबलपुर में तथा सामान्य का सूचकांक 261 छिन्दवाडा में आका गया ।

4.4 कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : मध्य प्रदेश राज्य के कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा (आधार वर्ष 1986-87=100) खाद्य एवं सामान्य दोनों समूहों के लिये तैयार किये जाते हैं । कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्षवार विवरण **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 4.3

कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1986-87 = 100)

वर्ष	मध्य प्रदेश							
	कृषि श्रमिक				ग्रामीण श्रमिक			
	खाद्य	सामान्य	पूर्व वर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)		खाद्य	सामान्य	पूर्व वर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)	
			खाद्य	सामान्य			खाद्य	सामान्य
2010	565	546	10.35	10.75	566	554	10.33	11.24
2011	596	592	5.49	8.42	596	599	5.30	8.12
2012	633	644	6.21	8.72	634	652	6.38	8.85
2013	697	711	10.11	10.40	697	721	9.94	10.58
2014	694	730	(-) 0.43	2.67	692	739	(-) 0.72	2.50
2015 (माह नम्ब..तक)	690	753	-	-	692	763	-	-

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत वर्ष से कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूह में कमी आयी है तथा सामान्य के सूचकांक में वृद्धि देखी गई है । वर्ष 2014 में खाद्य समूह में कमी के साथ सामान्य सूचकांक में वृद्धि के साथ वर्ष 2015 में 11 माह की अवधि मे सामान्य समूह सूचकांक में अपेक्षाकृत वृद्धि रही है ।

4.5 मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूह सूचकांक में गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में -0.43 एवं -0.73 प्रतिशत की कमी रही, जबकि इसी अवधि में कृषि एवं ग्रामीण समूहों के सामान्य समूह सूचकांक में 2.67 एवं 2.50 प्रतिशत की वृध्दि रही है । वर्ष 2015 में 11 माह की अवधि माह नम्बवर, 2015 तक कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूह के सूचकांक क्रमशः 690 एवं 692 रहे जबकि सामान्य समूह के सूचकांक क्रमशः 753 एवं 763 रहे ।

खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण

4.6 समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन : राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न (गेहू,धान एवं मोटा अनाज) का उपार्जन ई-उपार्जन परियोजनांतर्गत किया जाता है, जिसके तहत उपार्जन केन्द्र पर किसानों द्वारा बोए गए रकबे तथा उनके बैंक खाते की कम्प्यूटराईज्ड जानकारी संकलित की जाती है । उपार्जन के समय किसानों को उनकी फसल विक्रय करने के दिनांक से एसएमएस द्वारा सूचित किया जाता है, ताकि किसान को उपार्जन केन्द्र पर फसल विक्रय करने हेतु अधिक इन्तजार नही करना पड़े। किसानों द्वारा

विक्रय की गई फसल का भुगतान अधिकतम 7 दिवस में सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है ।

वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का 1450 रूपये, धान का 1410 रूपये, धान ग्रेड-ए 1450 रूपये, मक्का 1325 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है । खादयान्न उपार्जन की मात्रा का विवरण **तालिका 4.4** में दर्शाया गया है ।

तालिका 4.4

समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खाद्यान्न उपार्जन की मात्रा

खाद्यान्न	उपार्जन केन्द्र	किसानो की संख्या जिनसे खरीदी गई	खरीदी की मात्रा मे.टन	भुगतान की गई राशि रू. लाख में
धान	884	2,43,396	12,65,309.84	1,78,408.69
मक्का	183	3709	22,962.78	3042.57
गेहूं	2967	9,57,195	7,31,0040.39	10,59,955.94

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4.7 आयोडीनयुक्त नमक का प्रदाय : आदिवासियों के संरक्षण के लिए एवं घेंघा नामक रोग की रोकथाम के लिए आयोडीनयुक्त नमक का प्रदाय प्रारंभ में प्रदेश के 19 जिलों के 89 विकासखण्डों में प्रारंभ किया गया है । जिसे माह जून 2013 में प्रदेश के समस्त जिलों के समस्त प्राथमिकता परिवार एवं अन्त्योदय परिवारों को 1 किलों नमक प्रतिमाह रूपये 1.00 प्रतिकिलों की दर से वितरण प्रारंभ किया गया है । मार्च 2014 में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदेश के सभी 51 जिलों के 117 लाख पात्र परिवारों को 11,700 में टन नमक का वितरण प्रारंभ किया गया है । जिस पर राज्य सरकार द्वारा राशि रूपये 50 करोड अनुदान के रूप में व्यय किया गया है ।

4.8 अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों की पात्रता पर्ची पर राशन सामग्री का वितरण : प्रदेश के अति गरीब अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवारों की पात्रता पर्चियों पर एक रूपये प्रति किलो से खाघान्न वितरण किया जा रहा है । प्राथमिकता परिवारों को 5 किलों ग्राम प्रति सदस्य के मान से तथा अन्त्योदय परिवारों को 35 किलो ग्राम प्रति परिवार के मान से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है ।

4.9 टंकी एवं ड्रम का प्रदाय : वर्ष 2015-16 में अनुसूचित क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिये 13 जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केरोसीन भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राशि रूपये 2.00 करोड का प्रावधान किया गया जिसके विरूद्ध 2015-16 में रूपये 1.37 करोड का व्यय किया गया ।

4.10 शासकीय उचित मूल्य की दुकान : राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है तथा दूरस्थ वन क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को निवास के नजदीक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को भी शासकीय उचित मूल्य दुकानों का आवंटन किए जाने का प्रावधान किया गया है । प्रदेश में कुल 22,419 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित है जिसमें शहरी क्षेत्र में 4,097 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 18322 दुकानें संचालित है ।

4.11 शक्कर का वितरण : भारत सरकार द्वारा राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित बीपीएल एवं एएवाय के हितग्राहियों के लिये शक्कर का मासिक आंवटन अप्रैल एवं मई 2013 में उपलब्ध कराया गया, इसके उपंरात राज्य सरकार को भारत सरकार से शक्कर पर प्रति किलोग्राम 18.50 रूपये के मान से अनुदान दिया जा रहा है । जनवरी 2016 से प्रदेश के 117 लाख परिवारों की 5.38 करोड जनसंख्या को 1 रू. प्रति किलोग्राम खादयान 1 रू. प्रति किलोग्राम नमक तथा शक्कर 13.50 रू. प्रति किलोग्राम की दर से वितरण कराई जा रही है ।

4.12 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का क्रियान्वयन: मार्च 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया गया । माह जनवरी 2016 में लगभग 117 लाख परिवारों एवं 5.38 करोड जनसंख्या को रूपये 1 प्रति किलोग्राम खाद्यान्न रूपये 1 प्रतिकिलो ग्राम नमक तथा 13.50 प्रति किलोग्राम शक्कर का वितरण प्रारंभ किया गया ।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवारों को भारत सरकार द्वारा रूपये 2.00 प्रति किलो एवं चावल रूपये 3.00 प्रति किलो दिये जाने का प्रावधान है। जबकि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत सभी पात्र परिवारों को गेहूं एवं चावल रूपये 1.00 प्रतिकिलों की दर से दिया जा रहा है ।
- वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत लाभांवित परिवारों की संख्या 117 लाख है । इस पर राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष में राशि रूपये 860 करोड का अनुदान दिया गया है ।

4.13 पहुंचविहीन क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था : प्रदेश की ऐसी दुकाने जिनके आवागमन मार्ग वर्षाऋतु में अवरूद्ध हो जाते है, में खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसीन उपभोक्ताओं को सुलभता से उपलब्ध कराने के दृष्टि से वर्षाऋतु के पूर्व शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर भण्डारित किया जाता है । शासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य संचालन करने वाली संस्थाओं इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुऐं 4 माह के लिए संग्रहित करने हेतु बिना ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2015-16 में 304 पहुंचविहीन केन्द्रों को 2.04 करोड़ रूपये की ऋण राशि (ब्याज रहित) प्रदाय की गयी ।

राजीव गांधी खादयान सुरक्षा मिशन :

4.14 ग्रामीण ग्रेन बैंक योजना : प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन तथा सिंचाई सुविधा के अभाव में अभी भी पारिवारिक स्तर पर खादयान सुरक्षा का अभाव है । ग्रामों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को भूख से मुक्ति दिलाने एवं भोजन की सम्मानजनक स्थाई व्यवस्था कराने की दृष्टि से "**राजीव गांधी खादयान सुरक्षा मिशन**" की स्थापना 20 अगस्त 1998 से की गई है । मिशन द्वारा खादयान ग्रामीण ग्रेन बैंको की स्थापना की जाकर चिन्हित परिवारों को खादयान सुरक्षा देकर उनकी जीविका चलाने में सहयोग दिया गया है ।

नवीन ग्रामीण ग्रेन बैंक खोलने के लिये संशोधित मार्गदर्शी योजनानुसार 40 परिवारों पर 1 ग्रामीण ग्रेन बैंक खोलने एवं उस पर प्रशिक्षण, भण्डारण, पर्यवेक्षण मूल्यांकन एवं परिवहन हेतु प्रति ग्रेन बैंक रू 12200/- किये जाने का मापदंड निर्धारित किया गया है । नवीन संशोधित योजना के अंतर्गत राज्य के 17 जिले में 2784 ग्रेन बैंकों के प्रस्ताव भेजे गये थे । भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में 926, वर्ष 2007-08 में 359, एवं वर्ष 2008-09 में 1499 ग्रामीण ग्रेन बैंक खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

वर्ष 2009-10 में नवीन ग्रामीण ग्रेन बैंकों की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में प्रस्ताव मंगाये गये थे ।जिसमें सीधी से 72, अशोकनगर से 32, अनूपपुर से 80, सतना से 321 मण्डला से 1119, रीवा से 72, झाबुआ के 126 एवं डिण्डोरी जिले से 177 इस प्रकार कुल 1954 ग्रामों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये ।

जिसमें से वर्ष 2011-12 में 498 ग्रेन बैंकों की स्वीकृति के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। राशि जिलों को आवंटित कर ग्रेन बैंक संचालन की कार्यवाही की गयी है । ग्रामीण ग्रेन बैंक योजनान्तर्गत वर्तमान में कुल राज्य मे कुल 4240 ग्रेन बैंक स्वीकृत है ।

5

कृषि

मध्य प्रदेश में कृषि आज भी ग्रामीण जनसंख्या के लिये रोजगार एवं जीविका की दृष्टि से मुख्य साधन है, फिर भी राज्य में कृषि अभी भी परम्परागत है तथा वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है । कृषि क्षेत्र की उक्त स्थिति कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने की महती आवश्यकता को रेखांकित कर रही है । प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है तथा आर्थिक गतिविधियों, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र से निकटता से जुड़ी है । वर्ष 2013-14 (त्वरित) के दौरान कृषि क्षेत्र में 22.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वहीं वर्ष 2014-15 (अग्रिम) अनुमानों के अनुसार 18.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र की विकास दर को **चित्र 5.1** में दर्शाया गया है । यह वृद्धि दर देश में सर्वाधिक है ।

चित्र 5.1
कृषि क्षेत्र में विकास दर

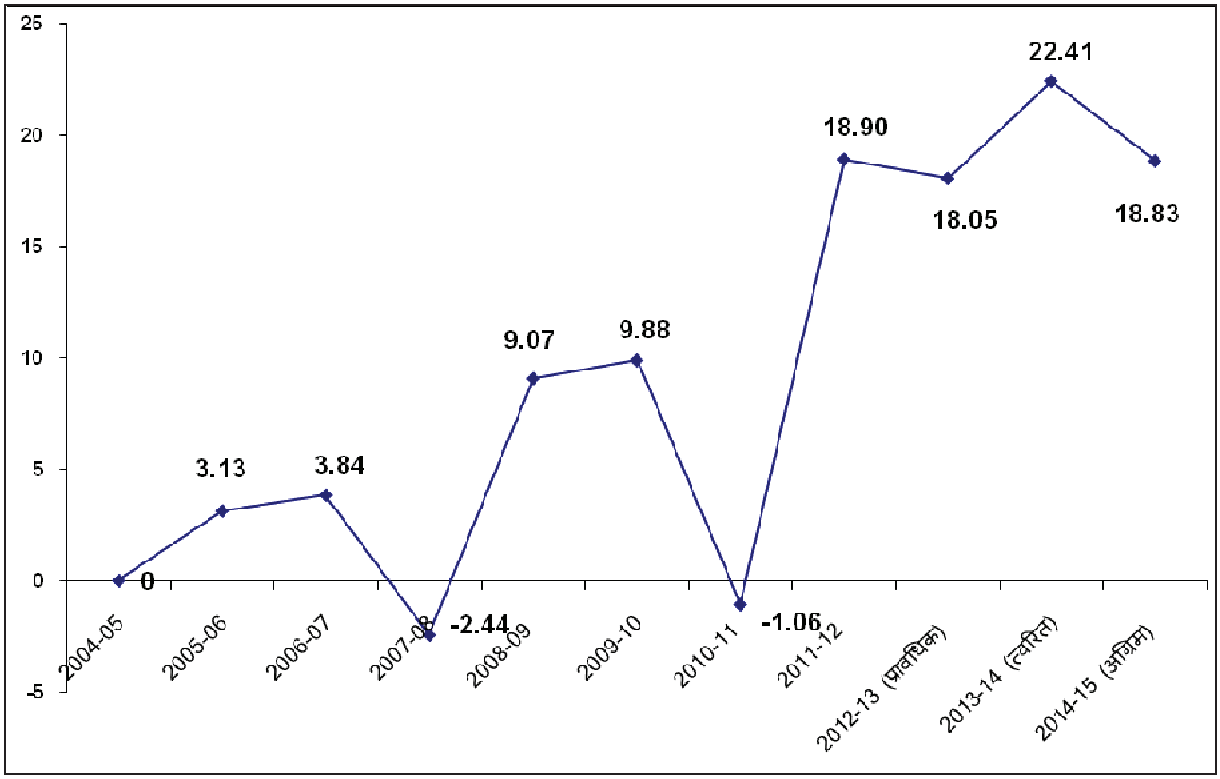

मौसम एवं फसल की स्थिति

5.1 कृषि क्षेत्र का निष्पादन प्रायः वर्षा, मौसम, विद्युत एवं सिंचाई के उपलब्ध साधनों इत्यादि पर निर्भर रहता है जिसके कारण कृषि उत्पाद पर धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है ।

मध्य प्रदेश में वर्षा का सामान्य मौसम माह जून से प्रारंभ होकर सितम्बर तक होता है तथा सामान्य औसत वर्षा 1026.4 मि.मी. है । वर्ष 2014 की (जून से सितम्बर) अवधि में 733.4 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी । जो सामान्य औसत वर्षा से लगभग 28.55 प्रतिशत कम है। वर्ष 2015 में इसी अवधि में कुल वर्षा 804.3 मि.मी. दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत से लगभग 21.64 प्रतिशत कम है । वर्षा की स्थिति का वर्षवार विवरण **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.1
वर्षा की स्थिति

(मिली.मीटर)

माह	2012	2013	2014	2015	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
जून	40.00	178.8	38.7	85.9	121.96
जुलाई	303.04	699.4	304.3	429.1	41.01
अगस्त	814.06	1107.6	521.2	715.0	37.18
सितम्बर	1001.00	1203.6	733.4	804.3	9.67

स्त्रोत :- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र. ।

5.2 **खाद्यान्न :** वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में प्रमुख खाद्यान्नों के क्षेत्रफल में वृद्धि/कमी परिलक्षित रही । वर्ष 2013-14 में गेहूँ एवं चावल के क्षेत्रफल में विगत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 9.30 एवं 5.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि गेहूं के क्षेत्रफल में सर्वाधिक 9.30 प्रतिशत की वृद्धि रही । समग्र रूप से कुल खाद्यान्न के क्षेत्रफल में 4.22 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई । इस अवधि में खाद्यान्नों के क्षेत्रफल में वृद्धि होने के बाद ही खाद्यान्न का उत्पादन गतवर्ष से 10.03 प्रतिशत कम हुआ है । प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.2 तथा 5.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.2

प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टेयर)

फसलें	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
चावल	1603.28	1583.74	1703.44	1801.36	1891.75	5.02
मक्का	823.36	848.77	859.80	865.43	862.55	(-) 0.33
गेहूं	4471.08	4645.21	5260.57	5613.11	6135.13	9.30
कुल खाद्यान्न	**12723.45**	**13274.87**	**13511.80**	**13786.00**	**14367.55**	**4.22**

स्त्रोत :- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र. ।

तालिका 5.3

प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
चावल	1362.52	1773.46	2279.90	3113.01	3328.58	6.92
मक्का	1026.64	1340.02	1324.45	2388.51	1493.93	(-) 37.45
गेहूं	8872.75	9227.15	14544.41	16517.89	15730.09	(-) 4.77
कुल खाद्यान्न	**16470.52**	**16549.41**	**23021.35**	**27623.00**	**24853.58**	**(-) 10.03**

स्त्रोत :- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र. ।

5.3 चावल : चावल के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में 5.02 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष के 1801.36 हजार हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 1891.75 हजार हेक्टेयर हो गया । चावल के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि के होने से उत्पादन में भी वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में 6.92 प्रतिशत की वृध्दि परिलक्षित हुई और उत्पादन गत वर्ष के 3113.01 हजार मीटरिक टन से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 3328.58 हजार मीटरिक टन हो गया ।

5.4 मक्का : मक्का के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में 0.33 प्रतिशत की कमी हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष के 865.43 हजार हेक्टर से बढकर वर्ष 2013-14 में 862.55 हजार हेक्टेयर रह गया । मक्का के उत्पादन में वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में 37.45 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई एवं उत्पादन गत वर्ष के 2288.51 हजार मीटरिक टन से घटकर वर्ष 2013-14 में 1493.93 हजार मीटरिक टन रह गया ।

5.5 गेहूं : गेहूं के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में 9.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष के 5613.11 हजार हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 6135.13 हजार हेक्टेयर हो गया, इसी अवधि में गेहूं के क्षेत्रफल में वृद्धि के बाद भी उत्पादन में 4.77 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है, और उत्पादन गत वर्ष के 16517.89 हजार मीटरिक टन से घटकर वर्ष 2013-14 में 15730.09 हजार मीटरिक टन हो गया है ।

5.6 दलहन : कुल दलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में कमी एवं वृध्दि परिलक्षित रही । दलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.4 तथा तालिका 5.5** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.4

दलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टेयर)

फसलें	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
अरहर	328.82	642.13	536.21	458.49	399.66	(-) 12.83
चना	3013.87	2888.40	2629.79	2722.41	2780.46	2.13
कुल दलहन	**4802.22**	**5214.60**	**4778.65**	**4692.00**	**4728.23**	**0.77**

स्त्रोत :- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र. ।

तालिका 5.5

दलहनी फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
अरहर	257.36	205.62	338.22	318.50	288.87	(-) 9.30
चना	3221.32	2265.63	2844.65	3321.10	2105.55	(-) 36.60
कुल दलहन	**4134.01**	**3027.12**	**3713.00**	**4410.00**	**3225.55**	(-) 26.**86**

स्त्रोत :- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र. ।

5.7 अरहर : अरहर के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में 12.83 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष के 458.49 हजार हेक्टर से घटकर वर्ष 2013-14 में 399.66 हजार हेक्टेयर रह गया । अरहर के उत्पादन में वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-145 में 9.30 प्रतिशत की कमी आंकी गई और उत्पादन गत वर्ष के 318.50 हजार मीटरिक टन से घटकर 288.87 हजार मीटरिक टन रह गया ।

5.8 चना : चना के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में 2.13 प्रतिशत की वृध्दि आंकी गई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 2722.41 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2013-14 में 2780.46 हजार हेक्टेयर हो गया । चने का उत्पादन वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में 36.60 प्रतिशत की कमी आंकी गई और उत्पादन गतवर्ष के 3321.10 हजार मीटरिक टन से घटकर 2105.55 हजार मीटरिक टन रह गया है ।

5.9 तिलहन : तिलहन फसलों के अन्तर्गत कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल में कमी तथा उत्पादन में गतवर्ष से मिश्रित प्रवृति परिलक्षित हुई है । वर्ष 2012-13 में कुल तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल 7575.00 हजार हेक्टेयर था जो वर्ष 2013-14 में 4.59 प्रतिशत से बढकर 7922.96 हजार हेक्टेयर हो गया । जबकि कुल तिलहनी फसलों के उत्पादन में गत वर्ष से 40.52 प्रतिशत की कमी आंकी गई और उत्पादन वर्ष 2012-13 के 9956.00 हजार मीटरिक टन से घटकर वर्ष 2013-14 में 5922.23 हजार मीटरिक टन गया है । कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.6** एवं **तालिका 5.7** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.6

प्रमुख तिलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टेयर)

फसलें	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
राई - सरसों	769.86	726.86	663.58	704.40	703.20	(-) 0.17
सोयाबीन	5453.66	5552.17	5786.27	6186.45	6597.39	6.64
कुल तिलहन	**6983.91**	**7064.97**	**7206.00**	**7575.00**	**7922.96**	**4.59**

स्त्रोत :- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र. ।

तालिका 5.7
प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
राई सरसों	805.24	810.01	790.02	962.46	651.90	32.27
सोयाबीन	6427.92	6280.56	6497.14	8416.03	4720.27	(-) 43.91
कुल तिलहन	**7698.31**	**7639.64**	**7897.57**	**9956.00**	**5922.23**	**(-) 40.52**

स्त्रोत :- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र. ।

5.10 राई-सरसों : राई-सरसों के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में 0.17 प्रतिशत की कमी हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 704.40 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2013-14 में 703.20 हजार हेक्टेयर रह गया तथा इस अवधि में राई-सरसों के उत्पादन में वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में 32.27 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई और उत्पादन गत वर्ष के 962.46 हजार मीटरिक टन से घटकर वर्ष 2013-14 में 651.90 हजार मीटरिक टन रह गया ।

5.11 सोयाबीन : प्रदेश में मुख्य फसल का स्थान प्राप्त करने वाले सोयाबीन के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में 6.64 प्रतिशत की वृध्दि आंकी गई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 6186.45 हजार हेक्टेयर से बढकर वर्ष 2013-14 में 6597.39 हजार हेक्टेयर हो गया । इसी अवधि में सोयाबीन का क्षेत्रफल बढने के बाद भी उत्पादन में कमी परिलक्षित हुई और उत्पादन गत वर्ष के 8416.03 हजार मीटरिक टन से घटकर वर्ष 2013-14 में 4720.27 हजार मीटरिक टन अर्थात 43.91 प्रतिशत कम उत्पादन हुआ ।

वाणिज्यिक फसलें

5.12 प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कपास एवं गन्ना हैं । वर्ष 2013-14 कपास एवं गन्ने के क्षेत्रफल में कमी तथा उत्पादन में वृध्दि रही है । इन फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़ों का वर्षवार विवरण **तालिका 5.8** एवं **5.9** में दर्शाये गये हैं ।

तालिका 5.8
प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टेयर)

फसलें	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
गन्ना	74.81	76.79	90.30	54.65	102.00	86.64
कपास (रूई)	630.00	593.20	623.79	607.00	580.74	(-) 4.32

स्त्रोत :- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र. ।

तालिका 5.9
प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
गन्ना	185.07	196.45	196.94	276.01	280.10	1.48
कपास (रूई) #	746.05	1017.55	1164.12	1173.27	1236.10	5.36

(#) = 170 किलोग्राम की गांठों में । स्त्रोत :- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र. ।

5.13 गन्ना : गन्ना फसल के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन में विगत वर्ष से वृद्धि हो रही है । गन्ना फसल के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में 86.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 54.65 हजार हेक्टेयर से बढकर वर्ष 2013-14 में 102.00 हजार हेक्टेयर बढ गया, साथ ही गन्ना फसल के उत्पादन में वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में 1.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उत्पादन गतवर्ष के 276.01 हजार मीटरिक टन से बढकर वर्ष 2013-14 में 280.10 हजार मीटरिक टन हुआ है।

5.14 कपास (रूई) : कपास फसल के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में 4.32 प्रतिशत की कमी हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 607.00 हजार हेक्टर से घटक़र वर्ष 2013-14 में 580.74 हजार हेक्टेयर रह गया । इस अवधि में कपास फसल के उत्पादन में वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में 5.36 प्रतिशत की वृध्दि हुई और उत्पादन गत वर्ष के 1173.27 हजार मीटरिक टन से बढकर वर्ष 2013-14 में 1236.10 हजार मीटरिक टन रह गया ।

कृषि विकास योजनाएं

5.15 कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण, कल्चर वितरण, बलराम ताल, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, अन्नपूर्णा-सूरजधारा योजना, प्रमाणित बीजों का वितरण, जैविक खेती हेतु प्रोत्साहन योजना, बीज ग्राम योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि कार्यक्रम संचालित हैं, जिनका विवरण आगे दर्शाया गया है ।

5.16 बी.टी.कॉटन : मध्यप्रदेश में बी.टी.कॉटन की व्यवसायिक खेती वर्ष 2002-03 से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जी.ई.ए.सी. की अनुशंसा व निर्धारित शर्तो के अधीन जारी स्वीकृति उपरांत प्रारंभ हुई । बी.टी. कॉटन के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक के क्षेत्राच्छादन एवं वितरित पैकिट संख्या का विवरण **तालिका 5.10** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.10

बी.टी. कॉटन का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन

वर्ष	क्षेत्राच्छादन (हेक्टेयर में)	वितरित पैकिट (संख्या)
2011-12	750000	2994135
2012-13	617500	2952850
2013-14	621000	2684120
2014-15	564000	2436480
2015-16 दिसम्बर, 2015 तक	547000	1447141

5.17 रासायनिक उर्वरकों का वितरण : कृषि उत्पादन बढ़ाने में रासायनिक उर्वरक विशेष रूप से सहायक होते हैं । फलस्वरूप प्रदेश में संतुलित उर्वरकों के वितरण पर ध्यान दिया जा रहा है । रासायनिक उर्वरकों के वितरण का विवरण वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक **तालिका 5.11** में दर्शाया गया है

तालिका 5.11

रासायनिक उर्वरकों का वितरण

(लाख मीटरिक टन)

वर्ष	नत्रजन (N)	फास्फेट (P)	पोटाश (K)	कुल (N+P+K)
2011-12	10.62	7.50	0.80	18.92
2012-13	10.82	7.15	0.70	18.67
2013-14	11.86	5.98	0.55	18.39
2014-15	10.63	5.77	0.66	17.06
2015-16 दिसम्बर, 15 तक	9.88	5.15	0.67	15.70

5.18 पौध संरक्षण : फसलों को रोगों एवं कीड़ों आदि से होने वाली क्षति से बचाने के लिये पौध संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इसके अन्तर्गत फसल संरक्षण, बीजोपचार, चूहा नियंत्रण तथा नींदा उन्मूलन कार्यक्रम मुख्य रूप से सम्मिलित हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक उपलब्धियॉ का विवरण **तालिका 5.12** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.12

पौध संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र

(लाख हैक्टेयर)

कार्यक्रम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 दिसम्बर, 2015
बीज उपचार	181.11	188.39	154.53	142.76	135.11
फसल उपचार	49.65	45.50	37.58	34.15	36.50
चूहा नियंत्रण	19.81	21.33	22.35	23.36	19.25
नींदा नियंत्रण	20.60	21.17	19.50	19.42	17.24
योग	**271.17**	**276.39**	**233.96**	**219.69**	**208.10**

5.19 कल्चर वितरण : कृषि के विकास हेतु प्रदेश में कल्चर का उपयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2011-12 में 89.83 लाख कल्चर पैकेट लक्ष्य के विरूद्ध 63.58 लाख कल्चर पैकेट वितरित किये गये, वर्ष 2012-13 में 93.28 लाख कल्चर पैकेट लक्ष्य के विरूद्ध 71.24 लाख कल्चर पैकेट वितरित किये गये तथा वर्ष 2013-14 में 108.00 लाख कल्चर पैकेट के विरूद्ध मार्च, 2014 तक 72.42 लाख कल्चर पैकेट का वितरण किया गया एवं वर्ष 2014-15 में 110.00 लाख कल्चर पैकेट के विरूद्ध मार्च, 2015 तक 49.10 लाख कल्चर पैकेट वितरण किये जा चुके है। वर्ष 2015-16 में 115.00 लाख कल्चर पैकेट लक्ष्य के विरूद्ध 31 दिसम्बर, 2015 तक 17.97 लाख कल्चर पैकेट वितरित किये जा चुके हैं ।

5.20 बलराम ताल योजना : प्रदेश में वर्षा के अप्रवाहित जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर भू-जल संवर्धन एवं फसलों की सिंचाई सुविधा हेतु यह योजना मई, 2007 से प्रारंभ की गई है । इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 में 25 प्रतिशत अधिकतम राशि 50 हजार रूपये तक अनुदान देय था । फरवरी 2008 को आयोजित किसान महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी व्दारा की गई घोषणा के पालन में वर्ष 2008-09 से अनुदान की राशि 50 हजार रूपये में वृद्धि कर 50 प्रतिशत अधिकतम 80 हजार रूपये की गई तथा 2 जुलाई 2008 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न परियोजना समिति की बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार अनुदान राशि 50 प्रतिशत अधिकतम 80 हजार रूपये में वृद्धि करते हुये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों के लिए अनुदान राशि 75 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख रूपये कर दी गई है ।

योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 तक राशि रूपये 2893.00 लाख का प्रावधान एवं 3630 भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध 4423 बलरामताल निमिर्त किये गये एवं राशि रूपये 2680.61 लाख व्यय किये गये तथा वर्ष 2012-13 में राशि रूपये 3419.60 लाख का प्रावधान एवं 4275 भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध राशि रूपये 3412.83 लाख व्यय किया जाकर 4804 बलरामताल निमिर्त किये गये । वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 3485.48 लाख का प्रावधान एवं भौतिक लक्ष्य 4360 के विरूद्ध मार्च, 2014तक 4541 बलरामताल निमिर्त किये गये एवं राशि रूपये 3474.02 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2014-15 में राशि रूपये 4607.00 लाख का वित्तीय प्रावधान एवं भौतिक लक्ष्य 5760 के विरूद्ध मार्च 2015 तक 4615 बलराम ताल निमिर्त किये जाकर राशि रूपये 3237.55 लाख व्यय किया गया । वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 5000.00 लाख का वित्तीय प्रावधान एवं भौतिक लक्ष्य 5900 के विरूद्ध तृतीय त्रैमास तक जारी आवंटन राशि रूपये 3223.00 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 1845.46 लाख का व्यय किया गया है ।

5.21 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाः प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, भारत सरकार द्वारा रबी वर्ष 1999-2000 से क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता दी जाती है । राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की मुख्य उपलब्धियों को **बॉक्स 5.1** में दर्शाया है ।

बॉक्स 5.1

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य में खरीफ फसलों के लिए वर्ष 2012 में 0.74 लाख कृषकों को 75.08 करोडों रूपये एवं रबी फसलों के लिए वर्ष 2012-13 में 3.60 लाख कृषकों को 316.82 करोड रूपये तथा खरीफ फसलों के लिए वर्ष 2013 में 14.21 लाख कृषकों को 2187.43 करोडों रूपये एवं रवी फसलों के लिए वर्ष 2013-14 में 5.46 लाख कृषकों को 379.07 करोड रूपये का भुगतान किया गया । खरीफ फसलों के लिए वर्ष 2014 के लिए 4.25 लाख कृषकों को 515.72 करोड रूपये प्रकृतिक आपदाओं एवं रोगो के कारण अधिसूचित फसलों के नष्ट होने पर कृषकों को कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ।

विभागीय मद से एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंम्पनी को वर्ष 2013-14 में 122.61 करोड रूपये आवंटन के विरूद्ध 122.61 करोड रूपये वर्ष 2014-15 में 1003.69 करोड रूपये आवंटन के विरूद्ध 994.28 करोड रूपये तथा वर्ष 2015-16 दिसम्बर , 2015 तक आवंटन 398.76 करोड रूपये के विरूद्ध 250.66 करोड रूपये माह दिसम्बर 2015 का भुगतान कृषकों के दावो के भुगतान हेतु कंम्पनी को किया गया

योजनानुसार ए.आई.सी. द्वारा बैकों के माध्यम से पात्र कृषकों को भुगतान किया जाता है। योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2006 से मुखय फसलें धान सिंचित/ असिंचित, सोयाबीन, तुअर तथा खरीफ 2007 में मक्का एवं बाजरा की इकाई पटवारी हल्का स्तर है तथा ज्वार, कोदो कुटकी, तिल, मुंगफली, कपास की इकाई तहसील स्तर है। इसी तरह रबी 2006-07 से गेहूँ सिंचित/असिंचित, चना एवं राई सरसों की इकाई पटवारी हल्का एवं अलसी की इकाई तहसील स्तर है।

5.22 अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजनाः मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषको के कल्याण हेतु यह योजना वर्ष 2000-2001 से लागू की गई है । सूरजधारा योजना में दलहन एवं तिलहन तथा अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न फसलों के बीज उपलब्ध कराये जाते है ।

सूरजधारा योजनान्तर्गत : वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति के 65 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 59 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया वर्ष 2013-14 में मार्च 2014 तक अनुसूचित जाति के 77 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 69 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है । वर्ष 2014-15 में मार्च 2015 तक अनुसुचित जाति के 91 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 84 हजार कृषको को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2015-16 में 31 दिसम्बर 2015 तक अनुसुचित जाति के 118 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 111 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत : वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति के 63 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 79 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया एवं वर्ष 2013-14 में मार्च 2014 तक अनुसूचित जाति के 135 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 195 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है, वर्ष 2014-15 में मार्च 2015 तक अनुसूचित जाति के 91 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 98 हजार कृषको को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2015-16 में 31 दिसम्बर 2015 तक अनुसूचित जाति के 115 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 124 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है।

5.23 प्रमाणित बीजों का वितरणः राज्य में कृषि विकास हेतु बीज उत्पादन एवं वितरण में वृद्धि कर बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे है, विभिन्न योजनाओं तथा बीजग्राम योजना, सूरजधारा, अन्नपूर्णा योजना,एवं अन्य योजनान्तर्गत गुणवत्तायुक्त बीजों का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 में 34.07 लाख क्विंटल, प्रमाणित बीज वितरित किया गया। वर्ष 2013-14 में 38.68 लाख क्वि. बीज वितरण किया गया वर्ष 2014-15 में 32.75 लाख क्वि. प्रमाणित बीज वितरित किया गया। वर्ष 2015-16 हेतु खरीफ में 19.31 लाख क्वि. भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध 15.98 लाख क्वि. प्रमाणित बीज वितरित किया गया एवं

31 दिसम्बर 2015 तक रबी हेतु 16.65 लाख क्वि. प्रमाणित बीज वितरित किया गया। इस प्रकार 31 दिसम्बर 2015 तक कुल 32.63 क्वि. प्रमाणित बीज वितरित किया गया है।

5.24 जैविक खेती हेतु प्रोत्साहन योजनाः 12 वीं पंचवर्षीय योजना से जैविक नीति के अनुरूप जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु जैविक खेती प्रोत्साहन योजना (राज्य पोषित) प्रारंम्भ की गई है। जिसमें इस पंचवर्षीय योजना मे 70.00 करोड. का प्रावधान रखा गया है । वर्ष 2012-13 हेतु 500.00 लाख का प्रावधान व आबंटन के विरूद्ध मार्च 2013 तक राशि रू. 469.00 लाख का व्यय किया गया । वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 12 करोड़ का प्रावधान के विरूद्ध 11.64 लाख रू. व्यय किया गया तथा वर्ष 2014-15 में वित्तीय लक्ष्य राशि रू 14.25 करोड़ के विरूद्ध मार्च, 2015 तक राशि रू. 9.65 करोड़ व्यय किया गया। वर्ष 2015-16 हेतु वित्तीय लक्ष्य राशि रू. 24.00 करोड़ के विरूद्ध 31 दिसम्बर 2015 तक राशि रू. 9.60 करोड़ व्यय किया गया।

योजनान्तर्गत वर्मी कम्पोस्टपिट का निर्माण, फार्म फील्ड स्कूल, कृषक प्रशिक्षण कार्यशाला राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर भ्रमण आदि घटकों का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य में जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण हेतु जैविक प्रमाणीकरण संस्था का गठन किया गया। जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण हेतु पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत अनुदान की योजना भी लागू की गई है।

केन्द्रीय योजनायें

5.25 बीजग्राम योजना : कृषि के क्षेत्र में बीज की सर्वोच्च महत्ता को देखते हुये बीज ग्राम कार्यक्रम भारत शासन के शत-प्रतिशत सहयोग से राज्य शासन ने वर्ष 2005-06 से प्रारंभ की गई हे। इस योजना का उद्देश्य कृषकों को गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पादन हेतु प्रशिक्षण एवं बीज भण्डारण हेतु आधारभूत संरचना प्रदान करना हैं। योजनान्तर्गत सभी कृषको को 50 प्रतिशत अनुदान पर आधा एकड हेतु बीज तथा प्रशिक्षण एवं भंडारण कोठी पर अुनदान देने का प्रावधान हैं।

वर्ष 2012-13 में राशि रू0 4040.00 लाख के विरूद्ध राशि रू0 3777.28 लाख व्यय किये गये एवं 136103 क्विंटल बीज वितरित किया गया। वर्ष 2013-14 में वित्तीय प्रावधान राशि रू0 4445.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 3922.57 लाख रू. व्यय किये जाकर 767776 क्विंटल बीज वितरित किया गया । वर्ष 2014-15 में वित्तीय प्रावधान राशि रू. 5000.00 लाख के विरूद्ध प्राप्त रिलीज राशि रू. 1497.51 के विरूद्ध मार्च 2015 तक 928.12 लाख रू.

व्यय किये गये। तथा वर्ष 2015-16 में वित्तीय लक्ष्य राशि रू. 1347.25 लाख के विरूद्ध 31 दिसम्बर 2015 तक राशि रू. 1278.49 लाख व्यय किया जा सका है।

5.26 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः भारतीय अर्थव्यवस्था पर वर्ष 1991 की रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्षो में 6 से 8 प्रतिशत की गिरावट ऑकी गई है। कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 30 प्रतिशत था वह भी धीरे-धीरे गिर रहा है। इन सभी परिस्थितियों का अध्ययन करने के उपरान्त योजना आयोग ने 12वी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत 4 प्रतिशत घरेलू उत्पाद की वृद्धि उत्पाद दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है । राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद द्वारा 29 मई 2007 से देश में **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** लागू की गई है। योजना द्वारा 12 वी. पंचवर्षीय योजना में 4 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने की अनुशंसा की है इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा राज्यों को अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था की गई है । राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जिलों में कृषि के समग्र विकास हेतु संसाधनों के अनुरूप योजनाऍ तैयार की जा रही है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में क्रमश: 448.13, 276.25 एवं 511.78 करोड रूपये राशि प्राप्त हुई थी । जिसका शत़ प्रतिशत उपयोग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कर लिया गया है।

वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केन्द्र तथा राज्य की भागीदारी 60:40 के आधार पर क्रियान्वित की जानी है । अत: 97.98 करोड रूपये केन्द्र से तथा 65.32 करोड रूपये राज्य से प्राप्त हुये है । इस प्रकार कुल 163.30 रूपये में से दिसम्बर 2015 तक 107.91 करोड रूपये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत व्यय किये जा चुके है ।

5.27 नेशनल मिशन ऑन आयल सीड एवं आयल पॉमः यह योजना वर्ष 2014-15 से संचालित है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में तिलहनी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि करना है। वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के आधार उपलब्ध राशि रू. 6034.44 लाख के विरूद्ध 3417.18 लाख रूपये व्यय किये गये वर्ष 2015-16 में गतवर्ष की अवशेष राशि एवं भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के अनुसार राशि रू. 7834.64 लाख व्यय हेतु उपलब्ध है जिसके विरूद्ध मासांत दिसम्बर 2015 तक राशि रू. 2105.54 लाख व्यय किये गये।

5.28 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक बहुआयामी योजना है। धान गेहूं एवं दलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन उन क्षेत्रों में संचालित है। जहॉ इन फसलों की उत्पादकता कम है। योजना का उद्देश्य सतत् रूप से तकनीकि का विस्तार कर कृषि उपज में वृद्धि करना एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारना है। वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के आधार पर राशि रू.21456.58 लाख के विरूद्ध राशि रू. 16844.19 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2015-16 में गतवर्ष की अवशेष राशि एवं भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के अनुसार राशि रू. 31436.80 लाख व्यय हेतु उपलब्ध है जिसके विरूद्ध मासांत दिसम्बर 2015 तक राशि रू. 13282.93 लाख व्यय किये गये।

5.29 स्वाइल हैल्थ कार्डः इस योजना का उद्देश्य कृषकों को उनके खेतो की मिट्टी परीक्षण उपरांत संतुलित उर्वरक उपयोग हेतु मृदा स्वास्थ पत्रक उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत गतवर्ष 2014-15 की अवशेष राशि एवं वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के अनुसार राशि रू. 1298.61 लाख व्यय हेतु उपलब्ध है जिसके विरूद्ध मासांत दिसम्बर, 2015 तक राशि रू. 222.86 लाख व्यय किये गये।

कृषि यंत्रीकरण

प्रदेश में फार्म पावर की उपलब्धता वर्ष 2007-08 में 0.85 किलोवाट प्रति हेक्टर थी जो कृषि यंत्रीकरण के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से वर्ष 2014-15 में बढ़कर 1.73 कि.वा/हेक्टर हो गई है । 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक फार्म पॉवर 2.50 कि.वा/हैक्टर किये जाने का लक्ष्य है ।

फार्म पावर की उपलब्धता में ट्रेक्टर की संख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है । वर्ष 2014-15 में प्रदेश में कृषकों द्वारा 87143 ट्रेक्टर क्रय किये गये जिसके कारण ट्रेक्टर विक्रय में प्रदेश देश में दुसरे स्थान पर आ गया ।

5.30 रिज-फरो पद्धति को बढ़ावा : सोयाबीन फसल को अतिवर्षा एवं अल्प वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाने तथा उसकी उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी रिज-फरो पद्धति को प्रदेश में प्रोत्साहित किया गया फलस्वरूप खरीफ 2015 में लगभग 35 लाख हेक्टेयर रकबे में इस प्रद्धति के माध्यम से फसलों की बुबाई हुई । कृषकों को रिज-फरो अटैचमेंट 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये गये है ।

बाक्स 5.2

बीज की गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

प्रदेश के लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र में कृषकों द्वारा उनके स्वयं के बीज का इस्तेमाल बुवाई हेतु किया जाता है । इस बीज की गुणवत्ता ठीक न होने से अपेक्षित उत्पादकता प्राप्त नही होती है ।

किसानों के बीज की गुणवत्ता को ग्रेडिग एवं बीजोपचार के माध्यम से सुधारने की दृष्टि से प्रदेश के सभी 54.00 हजार ग्रामों में सामूहिक उपयोग के लिये स्पायरल सीड ग्रेडर एवं बीजोपचार ड्रम उपलब्ध कराये जाना है ।

वर्ष 2014-15 में 40.00 हजार ग्रामों में यंत्र उपलब्ध कराये गये है । वर्ष 2015-16 में अतिरिक्त 12 हजार ग्रामों में यह यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे है ।

5.31 गहरी जुताई : प्रदेश के कृषकों को खेतों की गहरी जुताई हेतु प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष 2015-16 में 53.00 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 2000 रूपये प्रति हेक्टेयर के अनुदान पर कार्यक्रम लिया जाकर गहरी जुताई की गई । योजना प्रारंभ से अभी तक 3.25 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गहरी जुताई का कार्य किया जा चुका है ।

5.32 निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रों तथा हाई-टेक हब की स्थापना : प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ये कृषक आधुनिक कृषि यंत्रों एवं तकनीकों का लाभ लेने से वंचित रह जाते है । इन कृषकों को लाभ दिलाने के दृष्टि से वर्ष 2014-15 में 444 केन्द्रों की स्थापना की गई है। वर्ष 2015-16 में अतिरिक्त 510 कस्टम हायरिंग केन्द्र निजी क्षेत्र में स्थापित करने का कार्यक्रम लिया गया है, साथ ही उच्च गुणवत्ता के कृषि यंत्रों के बडे हाई-टेक हब प्रारंभ करने का कार्यक्रम भी इस वर्ष लिया गया है । वर्ष 2015-16 में 52 हाई-टेक हब स्थापित किये जायेगे ।

5.33 मशीनीकृत गन्ना हार्वेस्टिंग को बढावा : प्रदेश में गन्ना फसल की कटाई में मजदूरों की समस्या के निराकरण तथा गन्ना फसल के प्रोत्साहन हेतु गन्ना हार्वेस्टिंग के मशीनीकरण को प्रोत्साहित किये जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में निजी क्षेत्र में रूपये 60.00 लाख तक के अनुदान के साथ 41 गन्ना हार्वेस्टर तथा सहयोगी मशीनों के केन्द्र स्थापित किये गये है ।

उद्यानिकी

5.34 उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से उद्यानिकी संचालनालय द्वारा मुख्य रूप से मसाले, साग-सब्जी, फल औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार आदि कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित राज्य पोषित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है ।

राज्य पोषित योजनाएं :

5.35 फल पौध रोपण योजना : फल पौध रोपण अनुदान योजनान्तर्गत प्रदेश की भूमि जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर कृषकों को फल पौध रोपण हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन में निर्धारित प्रति हेक्टेयर सहायता अनुसार अनुदान दिया जाता है । योजना अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 10299 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा 2015-16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 10551 हेक्टेयर क्षेत्र में फल पौध रोपण कराया गया ।

5.36 सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना : सब्जी क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना अंतर्गत उन्नत/संकर सब्जी फसल के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 12.50 हजार रूपये प्रति हेक्टर तथा सब्जी के कंदवाली फसल जैसे-आलू, अरबी के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 25.00 हजार रूपये अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है । योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2.00 हेक्टर तक का लाभ दिया जाना प्रावधानित है । वर्ष 2014-15 में 13003 हेक्टर में सब्जी क्षेत्र विस्तार किया गया है । वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक 13217 हेक्टर में सब्जी क्षेत्र विस्तार किया गया है ।

5.37 मसाला क्षेत्र विस्तार योजना : प्रदेश में मसाला क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना अंतर्गत सभी वर्ग के कृषकों के लिये उन्नत/संकर मसाला फसल के क्षेत्र विस्तार के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 12.50 हजार रूपये प्रति हेक्टर तथा कंदवाली फसल यथा हल्दी, अदरक, लहसुन के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 25.00 हजार रूपये अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है । योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2.00 हेक्टर तक का लाभ दिया जा सकता है । वर्ष 2014-15 में 12426 हजार हेक्टर में मसाला क्षेत्र विस्तार किया गया है । वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक 12280 हजार हेक्टर मसाला क्षेत्र का विस्तार किया गया है ।

5.38 औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार : योजना के तहत कृषकों के द्वारा क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल लगाने हेतु प्रति कृषक 0.25 से 2.00 हेक्टेयर तक निर्धारित मापदण्ड अनुसार अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2014-15 में 205.00 हेक्टेयर में औषधीय फसलों का क्षेत्र विस्तार किया गया तथा वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक 369.00 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार किया गया ।

5.39 प्रदर्शन/मिनिकिट की योजना : योजना के तहत जिले की मिटटी तथा जलवायु के अनुसार कृषक के खेतों पर 400 वर्ग मीटर या गठित समिति की अनुशंसा अनुसार निर्धारित फसल विशेष के लिए निर्धारित क्षेत्रफल में मिनिकिट प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं । प्रदर्शन मिनिकिट हेतु बीज/पौधे कृषकों को नि:शुल्क प्रदान किए जात हैं । वर्ष 2014-15 में 540004 प्रदर्शन/मिनिकिट आयोजित किये गये है । वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक 635530 प्रदर्शन/मिनिकिट आयोजित किये गये है ।

5.40 व्यवसायिक उदयानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना : व्यावसायिक उदयानिकी फसलें की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना में एकीकृत बागवानी मिशन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.पी.ए.एच.) के द्वारा निर्धारित डाईंग डिजाइन के अनुसार ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग एवं प्लास्टिक लो-टनल इत्यादिका निर्माण कराने पर कृषकों को निर्धारितमापदण्ड अनुसार अनुदान उपलब्ध काया जाता है । वर्ष 2014-15 में 1583 हेक्टेयर में निमार्णकरायागया तथा वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 4662 हेक्टेयर में निमार्ण किया गया है ।

5.41 उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना : उद्यानिकी फसलों की खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक इसका उपयोग नहीं कर पाते है, अतः ऐसे कृषक अथवा कृषक उत्पादक संघ जो आधुनिक यंत्रों का उपयोग उद्यानिकी फसलों में करना चाहते है, योजना में उन्हें ऐसे यंत्रों पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2014-15 में 585 उद्यानिकी यंत्रों के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया गया तथा वर्ष 2015-16 में दिसम्बर 2015 तक 435 उद्यानिकी यंत्रों के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया गया है ।

5.42 बाड़ी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम : राज्य शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजना के अन्तर्गत प्रति हितग्राही को 75 रूपये की सीमा तक उसकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर सब्जी बीजों के पैकेट वितरित किए जाते हैं । वर्ष 2014-15 में

939081 सब्जी बीज पैकेट तथा वर्ष 2015-16 के माह दिसम्बर, 2015 तक 1063480 सब्जी बीज पैकेट का वितरण किया गया है ।

5.43 कृषक प्रशिक्षण : कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु कृषकों को प्रदेश के अन्दर तथा प्रदेश के बाहर भ्रमण कराकर प्रशिक्षत किया जाता है । वर्ष 2014-15 में 20987 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक 12847 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है ।

5.44 प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार-प्रसार : जिला एवं ब्लॉक स्तर पर फल, फूल एवं सब्जी आदि की प्रदर्शनी एवं सेमीनार आयोजित कर कृषकों को नवीन तकनीकी एवं विकास के कार्यक्रम प्रदर्शित किये जाते हैं । वर्ष 2014-15 में 2686 प्रर्द्शनी/मेलों का आयोजन कर 32074 हजार कृषक लाभांवित हुये तथा वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक 1055 प्रर्द्शनी /मेलों का आयोजन कर 20150 कृषक लाभांवित हुये है ।

5.45 मौसम आधारित फसल बीमा : वर्ष 2013-14 से प्रदेश में मौसम आधारित उदयानिकी फसलों को प्राकृतिक आपदा एवं मौसम के विपरीत प्रभाव से फसलों की छति की क्षतिपूर्ति हेतु यह योजना लागू की गई है जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2014-15 में 156754 कृषकों को बीमा दावों का भुगतान बीमा कम्पनियों के द्वारा किया गया । वर्ष 2015-16 में लगभग 82965 कृषकों को खरीफ उदयानिकी फसलों के लिए बीमित किया जा चुका है । रबी उदयानिकी फसलों के लिए लगभग 168000 कृषकों को बीमित किये जाने का अनुमान है

5.46 मसाले : वर्ष 2013-14 में कुल मसालों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 5.54 लाख हेक्टेयर एवं 42.33 लाख मीटरिक टन रहा है । वर्ष 2014-15 में कुल मसालों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 5.71 लाख हेक्टेयर एवं 44.46 लाख मीटरिक टन रहा है । वर्ष 2015-16 कुल मसालों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमश; 5.71 लाख हेक्टेयर एवं 44.46 लाख मीटरिक टन रहा । प्रमुख मसालों के अन्तर्गत क्षेत्र एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.13 एवं 5.14** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.13
प्रमुख मसालों का क्षेत्राच्छादन

(हेक्टेयर में)

मसाले	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 A	2015-16 A अनुमानित
मिर्च	116479	140667	147700	150654	158187
अदरक	14399	25027	25528	26038	26559
लहसून	94945	96923	98861	103805	105881
धनिया	184527	188419	192187	197915	201873
कुल मसाले	**468704**	**539170**	**554204**	**571165**	**571165**

तालिका 5.14
प्रमुख मसालों का उत्पादन

(लाख मीटरिक टन में)

मसाले	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 A	2015-16 A अनुमानित
मिर्च	6.37	12.75	13.39	13.88	14.11
अदरक	2.66	3.52	3.59	3.66	3.74
लहसून	11.50	11.51	11.74	12.40	12.65
धनिया	4.89	5.36	5.47	6.04	6.12
कुल मसाले	**28.91**	**41.13**	**42.33**	**44.46**	**44.46**

5.47 साग-सब्जी : वर्ष 2013-14 में कुल साग सब्जी के क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 6.22 लाख हेक्टेयर एवं 128.41 लाख मीटरिक टन रहा । वर्ष 2014-15 में कुल साग सब्जी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 7.01 लाख हेक्टर एवं 153.90 लाख मीटरिक टन रहा । वर्ष 2015-16 में कुल साग-सब्जी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमश: 7.02 लाख हेक्टेयर एवं 153.90 लाख मीटरिक टन रहा । प्रमुख साग-सब्जी फसलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण क्रमशः **तालिका 5.15 व 5.16** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.15
प्रमुख साग, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

फसलें	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 A	2015-16 A अनुमानित
आलू	87975	108874	109963	136012	137372
शकरकन्द	2180	2507	2758	3089	3398
प्याज	89955	111725	117311	153969	161667
मटर	47302	53446	56118	57802	60692
टमाटर	55311	62589	65718	70225	73736
फूल गोभी	30434	24556	25047	26042	26563
कुल सब्जी	**504409**	**603674**	**621691**	**701509**	**701509**

तालिका 5.16
प्रमुख साग, सब्जी फसलों का उत्पादन

(लाख मीटरिक टन में)

सब्जी	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 A	2014-15 A अनुमानित
आलू	18.17	22.99	23.22	30.48	30.79
शकरकन्द	0.24	0.45	0.50	0.60	0.66
प्याज	21.77	26.91	28.26	41.35	43.42
मटर	4.52	5.34	5.61	6.07	6.37
टमाटर	13.50	18.45	19.37	21.77	22.86
फूल गोभी	5.77	6.90	7.04	7.50	7.65
कुल सब्जी	**100.91**	**124.53**	**128.41**	**153.90**	**153.90**

5.48 फल : वर्ष 2013-14 में कुल फलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 2.11 लाख हेक्टर एवं 57.81 लाख मीटरिक टन रहा । वर्ष 2014-15 में कुल फलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 2.27 लाख हेक्टर एवं 62.04 लाख मीटरिक टन रहा । वर्ष 2015-16 में कुल फलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 2.34 लाख हेक्टर एवं 63.74 लाख मीटरिक टन रहा । प्रमुख फलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन वर्षवार विवरण **तालिका 5.17 एवं 5.18** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.17
प्रमुख फलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन

(हेक्टेयर में)

फल	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 A	2014-15 A अनुमानित
केला	24783	25757	26272	27795	28351
आम	18332	25183	25435	26707	26974
मौसंबी/संतरा	45632	58046	61017	68848	72544
पपीता	10186	12536	13163	13821	14512
कुल फल	**163864**	**204648**	**210532**	**226834**	**234262**

तालिका 5.18
प्रमुख फलों का उत्पादन

(लाख मीटरिक टन में)

फल	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 A	2014-15 A अनुमानित
केला	13.79	17.01	17.35	18.36	18.49
आम	1.75	3.76	3.80	3.96	4.00
मौसंबी/संतरा	6.65	9.53	10.04	11.35	12.04
पपीता	2.74	4.13	4.34	4.55	4.78
कुल फल	**36.01**	**56.25**	**57.81**	**62.04**	**63.74**

5.49 केन्द्रीय योजनाएं :

5.49.1 एकीकृत बागवानी विकास मिशन : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2005-06 से राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारम्भ किया गया है । वर्ष 2014-15 से योजना का नाम परिवर्तित कर **एकीकृत बागवानी विकास मिशन** किया गया है । मिशन के अन्तर्गत 10 वीं पंचवर्षीय योजना में वर्तमान उद्यानिकी क्षेत्रफल की उत्पादकता में वृद्धि कर उत्पादन को दो गुना करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2009-10 से इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के चयनित 40 जिलों में मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है । भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाडा, जबलपुर, सागर, इंदौर, खरगौन, खंण्डवा, बुरहानपुर, धार, बड़वानी, झाबुआ, देवास, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम, डिण्डोरी, मंडला, रीवा, सतना, हरदा, राजगढ़, गुना, नीमच, ग्वालियर, छतरपुर, सीहोर, विदिशा, सीधी, अशोकनगर, अलीराजपुर, रायसेन, सिंगरौली, दमोह, टीकमगढ, पन्ना दतिया एवं आगर मालवा ।

5.49.2 : इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादन दोगुना करना है । योजना के अंतर्गत निजी तथा शासकीय प्रक्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की पौध रोपण सामग्री तैयार करना। ऑवला, संतरा अमरूद, सीताफल, आम, अनार एवं केले के नये बगीचे तैयार किये जाना है । इसके अलावा आम, अमरूद, संतरा आदि के पुरानेबगीचे का जीर्णोद्धार करना, मिर्च, धनियां एवं लहसुन मसाला फसलों एवं पुष्प फसलों का उत्पादन कार्यक्रम लेना, समन्वित कीट एवं पौषक तत्व प्रबंधन प्रणाली को लागू करना, जलसंवर्धन हेतु तालाबों का निर्माण यत्रीकरण, संरक्षित खेती एवं मानव संसाधन विकास तथा फसलोत्तर प्रंबधन आदि कार्यक्रम सम्मिलित है।

5.49.3 : वर्ष 2013-14 में मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों पर 3952.69 लाख रूपये वर्ष 2014-15 में 5673.00 लाख रूपये व्यय किए गए तथा वर्ष 2015-16 में दिसम्बर 2015 के अंत तक 3902.00 लाख रूपये व्यय किए गए ।

5.50 माईक्रो इरीगेशन योजना : माईक्रो इरीगेशन योजना अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 24084 हेक्टेयर में ड़िप/स्प्रिंकलर स्थापित किए गए वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक 17620 हेक्टेयर में ड़िप/स्प्रिंकलर किए गए हैं ।

5.51 राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन : प्रदेश में औषधीय पादप मिशन वर्ष 2008-09 से प्रारंभ किया गया है । यह मिशन भारत शासन के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के व्दारा जारी मूल दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संचालित किया जा रहा है । औषधीय फसलों की खेती हेतु कृषकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2014-15 में औषधीय पौध मिशन अंतर्गत 4534 हेक्टर औषधी फसलों का क्षेत्र विस्तार किया गया वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक 1854 हेक्टर औषधी फसलों का क्षेत्र विस्तार किया गया !

5.52 नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग : भारत सरकार, खाध प्रसंस्करण उघोग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 से राष्ट्रीय खाघ प्रसंस्करण मिशन का क्रियान्वयन राज्यों के माध्यम से आरंभ किया गया है । योजनांतर्गत मुख्यतः खाघ प्रसंस्करण उघोग के स्थापना, तकनीकी उन्नयन एवं क्षमता वृद्धि के लिये तकनीकी निर्माण एवं मशीनरी पर लागत कम 25 प्रतिशत अधिकतम राशि 50.00 लाख रूपए अनुदान का प्रावधान है । इसके अलावा मानव संसाधन विकास एवं अन्य घटकों के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान है । वर्ष 2014-15 में 27 उद्योग इकाइयों को 2.90 करोड अनुदान उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रचलन में है ।

5.53 राष्ट्रीय कृषि विकास : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत का प्रावधान है । योजना अंतर्गत हितग्राही मूलक योजनाओं में 35 से 50 प्रतिशत अनुदान एवं शासकीय क्षेत्र में 100 प्रतिशतसहायता का प्रावधान है वर्ष 2014-15 में योजना अंतग्रत विभिन्न घटकों में 3104.00 लाख की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई तथा वर्ष 2015-16 माह दिसम्बर 2015 तक 616.00 लाख रूपये की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई है ।

कृषि विपणन

कृषकों को बिचौलियों के शोषण से बचाने, समयावधि में उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं उनको विपणन की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने में मंडी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है । प्रदेश में वर्तमान में **मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड)** एक तीन स्तरीय संस्था जिसमें मुख्यालय, 7 आंचलिक कार्यालय भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा तथा 257 मंडियां एवं 287 उप मंडियां कार्यरत हैं । प्रदेश में कुल हाट बाजारों की संख्या 1321 है ।

5.54 मंडियों में अधिसूचित जिन्सों की कुल आवक : प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में वर्ष 2014-15 माह अप्रैल से मार्च की अवधि में 258.24 लाख टन आवक हुई थी जो गत वर्ष 2013-14 में हुई आवक में 249.95 लाख टन की तुलना में 3.32 प्रतिशत अधिक है ।

5.55 मंडियों की मण्डी फीस से आय : राज्य शासन द्वारा मंडियों की आय में वृद्धि हेतु किये जा रहे सुधारात्मक उपायों के फलस्वरूप मंडियों की आय में भी वृद्धि हो रही है । प्रदेश की मंडी समितियों की वर्ष 2014-15 (माह अप्रैल से मार्च) की अवधि में प्रदेश की मण्डियों को 999.22 करोड की आय हुई जो 2013-14 में हुई आय 1030.38 करोड की तुलना में 3.02 प्रतिशत कम है ।

5.56 किसान सड़क निधि तथा कृषि अनुसंधान एवं अधोसरंचना विकास निधि : वर्ष 2000-01 से वर्ष 2014-15 माह जनवरी, 2016 तक इस निधि अन्तर्गत 3584.38 करोड रूपये अर्जित किये गये है ।

मंडी बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण को राज्य की सडकों के विकास के लिए किसान सडक निधि से माह जनवरी, 2016 तक 2116.34 करोड रूपये हस्तांतरित किये गये, एवं अन्य विभागों को 13.44 करोड रूपये हस्तांतरित किये गये । मंडी

बोर्ड द्वारा सडक निधि से दिनांक 08.10.2010 में हुए संशोधन के फलस्वरूप माह जनवरी 2016 तक 852.18 करोड अचंलिक कार्यालयो को विमुक्त किये गये है ।

वर्ष 2000-01 से माह जनवरी 2016 तक इस निधि अन्तर्गत 435.13 करोड रूपये अर्जित किये गये है । जिसके विरूद्ध विभिन्न परियोजनाओं के लिए शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा उपरांत विभिन्न संस्थाओं को राशि रूपये 263.13 करोड अनुदान स्वरूप प्रदाय किये गये है तथा ब्याज मद से राशि रूपये 83.15 करोड व्यय की गई है ।

5.57 गौ के संरक्षण तथा संवर्धन निधि : गौ संरक्षण व संवर्धन हेतु राज्य शासन द्वारा कृषि अधौसंरचना निधि में संशोधन जुलाई 2004 को किया गया है इस योजना अंतर्गत माह जनवरी, 2016 तक कुल रूपये 184.70 करोड अर्जित किये गये । जिसमें मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को कुल रूपये 111.96 करोड रूपये प्रदेश के समस्त जिलों की गौशालाओं को अनुदान प्रदान करने हेतु विमुक्त किये गये ।

5.58 बोर्ड शुल्क : बोर्ड की आय का मुख्य स्त्रोत बोर्ड शुल्क अर्थात विपणन विकास निधि है कृषि विभाग के अधिसूचना अनुसार कृषि उपज मण्डी पर दिनांक 01.04.2000 से मण्डी फीस दर रू. दो प्रति सौ पर नियत है बोर्ड को शुल्क के रूप में वर्ष 2013-14 में मार्च 2014 तक रू. 131.74 करोड, वर्ष 2014-15 में राशि रू. 129.24 करोड तथा वर्ष 2015-16 में फरवरी 2016 तक राशि रू. 109.49 करोड प्राप्त हुए हैं ।

5.59 मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना : प्रदेश के कृषकों की सहायता के लिये यह योजना सितम्बर 2008 से लागू की गई है । जिसमें आंशिक अपंगता, स्थायी अपंगता मृत्यु एवं अंत्येष्टी अनुदान होने पर क्रमश: 7500, 25000 रूपये एवं 1,00,000 रूपये एवं 2000 रूपये की वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है ।

वर्ष 2013-14 में रूपये 366.28 लाख की सहायता रूपये 438.00 हितग्राहियों को 1 अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014 तक की अवधि में राशि रूपये 242.58 लाख हितग्राहियों की संख्या 307 सहायता एवं अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 की अवधि में राशि रूपये 299.40 लाख की सहायता 407 हितग्राहियों को कलेक्टर एवं उप संचालक /संयुक्त संचालक, मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालयों एवं मण्डी समितियों के माध्यम से वितरित की गई है ।

5.60 मंडी बोर्ड के द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं :

- **मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008** : प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के उत्थान के लिये योजना लागू की गई है । मध्यप्रदेश शासन द्वारा संकल्प 2010 में संकल्प क्रमांक 37 द्वारा

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत **"मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008"** शामिल किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत प्रसुति अवकाश सहायता (अधिकतम दो प्रसूति) 15 दिवस की अकुशल मजदूरी (पुरूष / महिला) 45 दिवस की अकुशल मजदूरी (महिला/ हम्माल), विवाह, छात्रवृत्ति/ मेधावी छात्रों को पुरस्कार, चिकित्सा सहायता हेतु 30,000 (हम्माल एवं तुलावटी हेतु) दुर्घटना में स्थायी अपंगता एवं मृत्यु की स्थिति, मंडी प्रांगण में कार्य करते समय हुई दुर्घटना बीमा राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

- **अन्त्येष्टि सहायता** :- इस योजना अंतर्गत रू. 2 हजार की सहायता राशि प्रदान की जाती है वर्ष 2014-15 में 3914 प्रकरणों में राशि रू. 107.69 लाख वर्ष 2015-16 से दिसम्बर 2015 तक की अवधि में प्रकरण संख्या 4142 राशि रू. 115.45 लाख की सहायता प्रदान की गई ।

- सामान्य मृत्यु होने पर रू. 30 हजार दुर्घटना मृत्यु तथा दुर्घटना में दो अंग नष्ट होने पर रू. 75 हजार, दुर्घटना में एक अंग नष्ट होने पर 37 हजार तथा नौ से बारहवी तक के दो बच्चों के परिवार को प्रतिमाह 100 रू. की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है ।

- **कृषि विपणन पुरस्कार योजना :-** इस योजना अंतर्गत मण्डी समितियों द्वारा डा लाटरी द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार बलराम जयंती एवं नर्मदा जयंती पर डाले जाते हैं । जिसमें बम्पर ड्रा के पुरस्कार में क संवर्ग की मण्डी में 35 अश्वशक्ति का टेक्टर एवं ख,ग,घ, प्रवर्ग की मण्डी समिति में रू. 50 हजार मूल्य में कृषि यंत्र दिये जाते हैं साथ ही इसके अतिरिक्त 1 हजार रू. के नगद पुरस्कार राशि देने का प्रावधान है ।

- **कृषकों को रियायती दर पर भोजन की योजना** : प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में कृषि उपज के विक्रय के लिए आये कृषकों को 5 रूपये भोजन थाली उपलब्ध कराने की योजना लागू की गयी है ।

- **इलेक्ट्रानिक एक्सचैंज के माध्यम से स्पॉट ट्रेडिंग** : मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति नियम 2009 में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के माध्यम से स्पॉट ट्रेडिंग के लिए विशेष प्रावधान किये गये ।

- **फल सब्जी विक्रय की वैकल्पिक सुविधा** : मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 6 में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (तृतीय संशोधन) अधिनियम 2011 से संशोधन किया जाकर फल सब्जी को मंडी प्रांगण के बाहर विक्रय करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है । मंडी प्रांगण के बाहर क्रय-विक्रय की गई फल सब्जी को विनियमन से मुक्त रखा गया है ।

- **मिटटी परिक्षण प्रयोगशाला** : मंडी बोर्ड द्वारा जिला स्तर की उन 26 कृषि उपज मंडी समितियों में स्थापित मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओ को कृषि विभाग को हस्तांतरित की जा रही है, साथ ही 07 चलित मिट्टी परिक्षण प्रयोगशालाओं को संभागीय आचंलिक कार्यालयों को आवंटित की जा चुकी है ।

- **इलेक्ट्रानिक तौल कांटे** : प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में 105 नग बडे (10 से 50 टन क्षमता) तथा 6181 नग छोटे (01 से 05 क्विटवंल क्षमता) इलेक्ट्रानिक तौल कांटे स्थापित है । इसके अतिरिक्त 111 मंडी /उपमंडीयों में बी.ओ.टी; आधार पर बडे तौल कांटे स्थापित है ।

- **मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पवारखेडा जिला होशंगाबाद** : जन निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कम्पोजिट लॉजिस्टिक हब पवारखेडा जिला होशंगाबाद में स्थापित किया जा रहा है । इस योजनान्तर्गत लगभग 115 एकड भूमि का आधिपत्य मंडी बोर्ड ने प्राप्त किया है । इसमें से 88 एकड भूमि जन निजी भागीदारी से रूपये 150.00 करोड राशि का निवेश लॉजिस्टिक हब विकसित करने के लिए दिया गया । निविदाकार द्वारा समयावधि में दिनांक 30.04.2015 को प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर दिनांक 30.05.2015 को माननीय वित्त मंत्री जी, भारत सरकार द्वारा लोकपर्ण किया गया है । वर्तमान में रेल्वे साईडिंग का कार्य पूर्ण किया जाकर लांजिस्टिक हब प्रारंभ किया जा चुका है । इस परियोजना के क्रियान्वयन से होशंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र के कृषि उद्योग लाभान्वित होगे ।

- **कलर साटेक्स एवं ग्रेडिंग प्लांट लगाने का उद्देश्य** : मशीन द्वारा कृषकों की उपज को क्लिनिंग, ग्रेडिंग एवं साटिंग करने से गुणवत्तानुसार फसल को अलग-अलग किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होना संभव हो रहा है ।

कृषि उपज मंडी समिति मंदसौर द्वारा अन्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पूर्ण आटोमेटिक कलर साटेंक्स, ग्रेडिंग, क्लीनिंग, "बुलहर यूनाईटेड किंगडम यू.एस.ए." से संयत्र को क्रय कर इसकी स्थापना में 277.95 लाख रूपये का व्यय किया गया है और इसका संचालन 10 वर्ष की लीज अनुबंध आधार (वार्षिक किराये रूपये 27.5 लाख) पर किया जा रहा है ।

भण्डारण सुविधा

5.61 प्रदेश में कृषकों की उपज को वैज्ञानिक भंडारण हेतु मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की वर्तमान में 281 शाखाओं पर 78.59 लाख मीटरिक टन औसत क्षमता में कार्यशील हैं । निगम का प्रमुख उद्देश्य कृषकों / जमाकर्ताओं को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिये स्कंध के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण करना एवं वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराना है। विगत दो वर्षो में मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की भौतिक/ वित्तीय स्थिति को **तालिका 5.19 एवं 5.20** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.19

भण्डारण शाखाओं की संख्या एवं कुल भण्डारण क्षमता

(क्षमता लाख मीटरिक टन)

वर्ष	शाखाओं की संख्या	स्वयं की क्षमता +केप क्षमता + पी.ई.जी	किराये की क्षमता +केप क्षमता	JV की क्षमता + पी.ई.जी	कुल क्षमता	उपयोगिता	उपयोगिता की प्रतिशत
2013-14	281	14.97	02.91	40.70	58.58	47.61	81
2014-15	285	18.18	02.75	50.84	71.77	54.73	76
2015-16 नवम्बर 2015 की स्थिति में	281	22.03	02.38	54.18	78.59	62.11	79

तालिका 5.20

भण्डारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ (कर पश्चात)
2013-14	18253.12	13637.51	2437.15
2014-15	24630.75	14715.67	3947.15
2015-16 माह नवम्बर, 2014 तक (प्रावधिक)	25089.92	17849.02	4779.72

- MPWLC द्वारा कृषको को वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा का लाभ पहुचाते हुए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सामान्य कृषकों हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु 40 प्रतिशत भंडारण शुल्क में रियायत 200 बोरों पर प्रदान की जाती है ।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 के माह मार्च, 2015 तक कृषक जमाकर्ताओं द्वारा उनके जमा स्कंध के समक्ष जारी वेयरहाउस रसीद की प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा लगभग रूपये 4737.41 लाख कि वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है । वित्तीय वर्ष 2015-16 के माह नवम्बर, 2015 तक कृषक जमाकर्त्ताओं द्वारा उनके जमा स्कंध के समक्ष जारी वेयरहाउस रसीद की प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा लगभग रूपये 3106.85 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपार्जन नीति के अन्तर्गत उपार्जित गेहूं के भंडारण हेतु मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया था। भण्डारण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए विगत वर्षो में उपार्जित गेहूं की भण्डारण व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा निम्नानुसार मात्रा का भंडारण किया गया :-

रबी विपणन वर्ष	उपार्जित मात्रा	निगम द्वारा भंडारित मात्रा
2014-15	71.96 लाख मे.टन	61.17 लाख मे.टन +2.78 लाख मे.टन सायलो बेग
2015-16	73.09 लाख मे;टन	62.14 लाख मे.टन +1.41 लाख मे.टन सायलो बेग +1.68 लाख मे.टन स्टील सायलो

- मध्यप्रदेश में इन्दौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, विदिशा, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद एवं सतना जिलों में कुल 9 स्थानों पर 4.50 लाख मीटिरिक टन क्षमता का स्टील सायलों प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश में प्रथम बार पीपीपी मॉडल पर स्थापित किये गये है। मार्च 2015 तक लगभग 2 लाख मीटिरिक टन भण्डारण क्षमता के प्राप्त स्टील सायलो में वर्ष 2015-16 के उपार्जित गेहूं का 1.68 लाख मीटिरिक टन में भण्डारण किया गया है ।

- रबी सीजन वर्ष 2015-16 में उपार्जित गेहूं को गोदाम में सुरक्षित भंडारण करने के लिए निजी क्षेत्र के गोदामों का ऑन लाईन पंजीयन विभिन्न निजी गोदाम संचालकों द्वारा कराया गया । निगम द्वारा संयुक्त भागीदारी योजनान्तर्गत राशि रूपये 30/-, 40/- एवं 55/- रूपये प्रति मीटिरिक टन प्रतिमाह के लिए शासन

द्वारा साढे चार माह की व्यवसाय गारंटी प्रथम भंडारण गोदाम की पूर्ण क्षमता के लिये प्रदान की गई है ।

पशुधन एवं डेयरी विकास

5.62 प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है । पशु पालन खेती का एक अभिन्न अंग है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति में इसका महत्वपूर्ण योगदान है । वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 3.63 करोड़ पशुधन तथा 119.05 लाख कुक्कुट एवं बतख् पक्षी है । पशुधन वृद्धि का वर्षवार विवरण **तालिका 5.21** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.21
पशुधन वृद्धि

पशु संगणना	पशुधन (करोड़ में)	कुक्कुट एवं बतख (लाख में)
वर्ष 2007 के अनुसार	4.07	73.84
वर्ष 2012 के अनुसार	3.63	119.05

विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से पशुओं को बचाने तथा उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिये प्रदेश में वर्ष 2015-16 के अंत तक 1061 पशु चिकित्सालय, 1537 पशु औषधालय, 38 चलपशु चिकित्सा इकाईयां, 27 विरूजालय, 10 मातामहामारी अनुगामी इकाई, 7 माता महामारी उन्मूलन सतर्कता इकाई, 7 सघन टीकाकरण इकाई, 2 माता महामारी रोग शमनदल, 19 माता महामारी जॉच चौकियां, एक पशु निरोध स्थल तथा एक राज्य स्तरीय एवं 22 जिला स्तरीय रोग अनुसंधान शालाएं कार्यरत हैं ।

वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में गौ एवं भैंसवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं (मादाओं) की संख्या 109.90 लाख है । राज्य में अधिकांश पशु अवर्णित नस्ल के हैं जिनकी दुग्धोत्पादन क्षमता अपेक्षाकृत कम है । विभागीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 2014-15 में 23.88 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा उक्त अवधि में 4.79 लाख वत्सोत्पादन हुए । इस प्रकार वर्ष 2014-15 में गत वर्ष की तुलना में 87 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान में तथा 11.14 प्रतिशत वत्सोत्पादन में वृद्धि परिलक्षित हुई है । वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर, तक 16.63 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा उक्त अवधि में 5.00 लाख वत्सोत्पादन हुए ।

प्रदेश में वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार 3.09 लाख भेड़े एवं 80.14 लाख बकरें/बकरियां हैं । वर्ष 20145-15 में 25.37 हजार भेड़े फलाई गई, जिसके फलस्वरूप 22.83 हजार मेमने उत्पन्न हुये। वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर, 2014 तक 19.45 हजार भेड़ें फलाई गईं जिसके फलस्वरूप 14.07 हजार मेमने प्रक्षेत्र एवं विस्तार केन्द्रों पर उत्पन्न हुए ।

प्रदेश में 8 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हैं । इन प्रक्षेत्रों पर **साहीवाल, हरियाणा, मालवी, निमाड़ी, जर्सी तथा मुर्रा** आदि उन्नत नस्ल के सॉड़ रखे जाते हैं ।

सुदूर ग्रामीण अंचलों में पशुपालकों के पशुओं को नैसर्गिक गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में 1070 उन्नत नस्ल के गौ-सांड प्रदाय किये गये हैं तथा वर्ष 2015-16 में माह नवम्बर तक 1172 गौ-सांड प्रदाय किये गये ।

प्रदेश में वर्ष 2013-14 में दुग्ध उत्पादन 9599 हजार मे. टन, अण्डा का उत्पादन 9671 लाख तथा मांस उत्पादन 43 हजार में टन रहा । इसी प्रकार प्रदेश में वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन 10779 हजार में. टन, अण्डा का उत्पादन 11776 लाख तथा मांस उत्पादन 59 हजार में. टन रहा ।

5.63 दुग्ध उत्पादन : प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का वर्षवार विवरण **चित्र 5.2** में दर्शाया गया है । वर्ष 2013-14 की अपेक्षा वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन में 12.29 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई ।

चित्र 5.2

दुग्ध उत्पादन

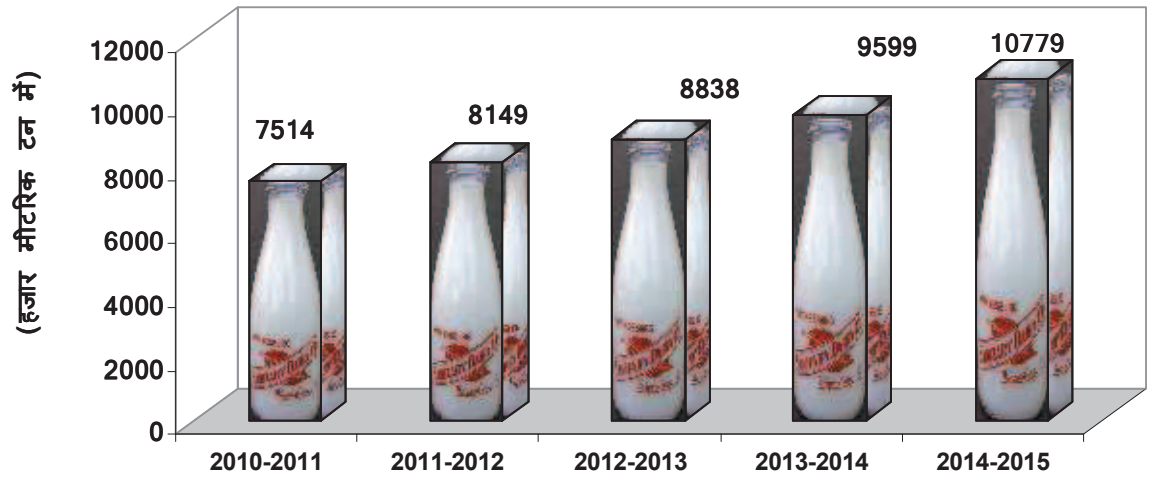

5.64 अंडों का उत्पादन : प्रदेश में वर्ष 2013-14 में अंडों का उत्पादन 9671 लाख रहा जबकि वर्ष 2014-15 में 11776 लाख रहा । वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक का अंडों का उत्पादन का वर्षवार विवरण **चित्र 5.3** में दर्शाया गया है ।

चित्र 5.3

अंडो का उत्पादन

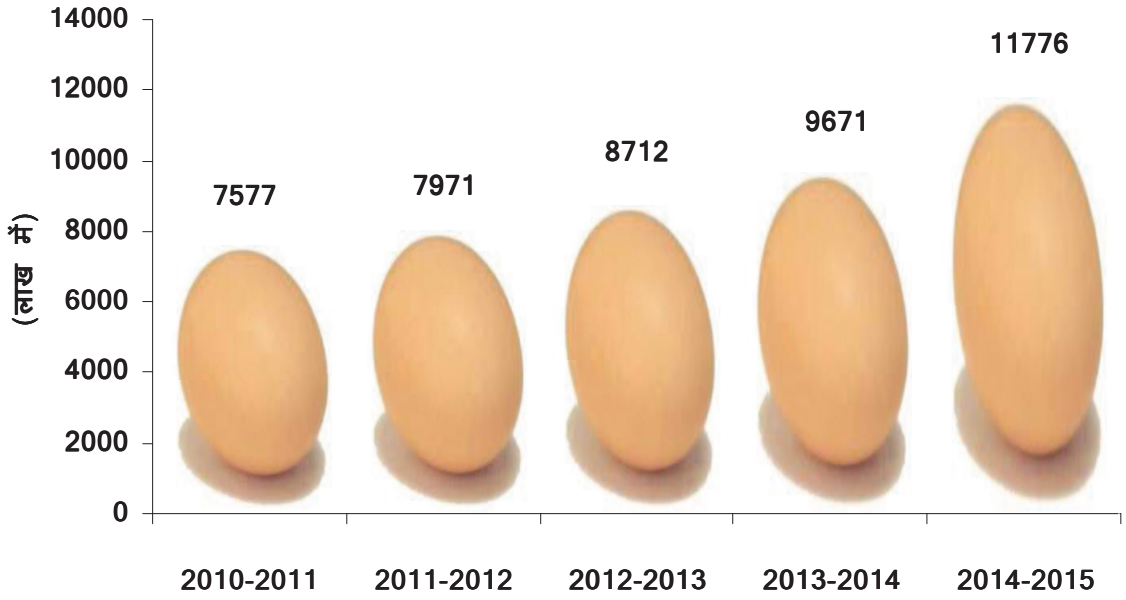

5.65 मांस का उत्पादन : प्रदेश में वर्ष 2013-14 में मांस का उत्पादन 48 हजार मे. टन रहा । वर्ष 2014-15 में बढकर 59 हजार में. टन हो गया । वर्ष 2010-11 वर्ष 2014-15 तक का मांस उत्पादन का वर्षवार विवरण **चित्र 5.4** दर्शाया गया है ।

चित्र 5.4

मांस का उत्पादन

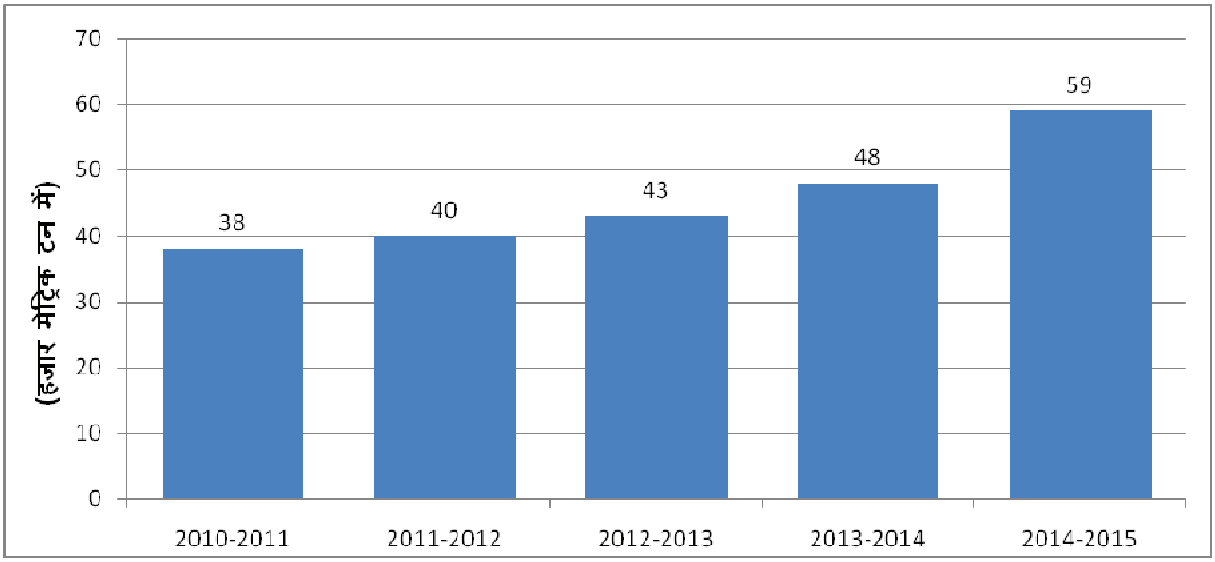

पशुधन एवं कुक्कुट विकास

5.66 मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवम्बर 1982 को हुई निगम का मुख्य उददेश्य पशु उत्पादन तथा कुक्कुट उत्पादों का उत्पादन संग्रहण पालन पोषण और विपणन करना और पशु तथा कुक्कुट का संरक्षण प्रबंध और विकास करना है । निगम के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का विवरण **तालिका 5.22** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.22
म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कट विकास निगम की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

विवरण	उपलब्धि							
	लक्ष्य 2014-15		उपलब्धि 2014-15		लक्ष्य 2015-16		उपलब्धि 2015-16 (दिसम्गर, 2015)	
	भौतिक	वितीय लाख रू.	भौतिक	वितीय लाख रू.	भौतिक	वितीय लाख रू.	भौतिक	वितीय लाख रू.
• उच्चवंशीय पशुधन का प्रदाय (बैलजोड़ी भी सम्मिलित)	18000	3600	5785	1743	18000	3600	1298	410
• नस्ल सुधार (गौ-वंश / भैस-वंश / बकरा / सूकर,)	12146	940	8050	716	15272	1074	10188	695
• पशु आहार का उत्पादन (गौ-भैंसवंश, बकरा एवं पक्षी)	2000 मे.टन	350	613 मे.टन	144	700 मे.टन	153	233 मे.टन	51
• तरल नत्रजन का विक्रय	7.50 लाख लीटर	275	7.96 लाख लीटर	306	8.00 लाख लीटर	332	6.62 लाख लीटर	298
• फ्रोजन सीमन डोजेज (स्टा) का उत्पादन	19.00 लाख स्ट्रा.	228	18.34 लाख स्ट्रा	293	24.00 लाखस्ट्रा	384	18.62 लाख स्ट्रा	298
• राष्ट्रीय गौ-भैंस वंशीय प्रजनन कार्यक्रम, (NPBB 2014-15) पशु प्रक्षेत्र रतोना, मिनोरा कीरतपुर, बुलमदर फार्म, भदभदा भोपाल	-	4300	मैत्री 500 प्रशिक्षण एवं उपकरण मुर्रा सांड 250 क्रग सांड 60 एवं फर्टीलिटी केन्प 100	2165	-	1982	@	1049

विवरण	उपलब्धि							
	लक्ष्य 2014-15		उपलब्धि 2014-15		लक्ष्य 2015-16		उपलब्धि 2015-16 (दिसम्गर, 2015)	
	भौतिक	वितीय लाख रू.	भौतिक	वितीय लाख रू.	भौतिक	वितीय लाख रू.	भौतिक	वितीय लाख रू.
• बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	मुर्रा 1400	560	मुर्रा 1400	560				
• रिस्क मैनेजमेंट एण्ड इंश्योरेंश (पशुधन बीमा योजना)	35000	360	11168	1124	99718	883	19665	190
• कीरतपुर में मुर्रा भैंस प्रजनन केन्द्र की स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-
• मुर्रा नर संगोपन (रतौना, कीरतपुर, मिनोरा, बुल मदर फार्म) भदभदा भोपाल	-	582	-	-	-	-	-	-
• भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला	-	-	146 भ्रूण संकलित एवं 93 का प्रत्यारोपण	473	-	235	134 भ्रूण संकलित, 90 प्रत्यारोपित 54 हिमकृत किए गए तथा 11 वत्सों का उत्पादन हुआ	235
• राज्य पशु प्रजनन केन्द्र	-	-	-	150	-	-	-	150
• टर्न ओव्हर	-	11195	-	7675	-	8642	-	3375

@ - मैत्री 500 प्रशिक्षण एवं उपकरण आदि का प्रदाय कृग सांड क्रय 60 रिप्लेस्मेंट कृग उपकरण अंतर्गत 500 नग किट का प्रदाय 1.5 लीठर तरल नत्रजन क्षमता के 400 नग पात्र 3 लीटर तरल नत्र जन क्षमता के 700 नग पात्र तथा 35 लीटर तरल नत्रजन क्षमता के नग पात्रों का प्रदाय ।

5.67 मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की प्रमुख उपलब्धियां :

- निगम के केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, भदभदा, भोपाल का सुदृढीकरण किया गया जिसके फलस्वरूप संस्था को वर्ष 2010 से निरन्तर में BIS का ISO Certificate प्राप्त ।
- केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय भोपाल में प्रजनन नीति के अनुसार देश/प्रदेश के 12 नस्लों का विशेषकर देशी गौ वंश **मालवी, निमाडी, केनकथा, गिर, साहीवाल, हरियाणा एवं थारपारकर** का फ्रोजन सीमन का उत्पादन किया जा रहा है ।

- क्षेत्रीय सीमन बैंक इन्दौर एवं रीवा को ISO certificate प्रदान किया गया है ।
- केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय द्वारा लगभग 24 लाख हिमीकृत सीमन डोजेज का उत्पादन किया जा रहा है ।

5.68 पशुपालकों को प्रशिक्षण :

- निगम के दो प्रक्षेत्र बुल मदर फार्म, भदभदा भोपाल एवं पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपु, होशंगाबाद में बकरी पालकों एवं मुर्गी पालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।
- दिनांक 29-01-2010 को निगम एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविदयालय, भोपाल के मध्य पशु पालन के क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों को प्रशिक्षण हेतु प्रोग्राम स्टडी सेंटर की स्थापना हेतु करारनामा हस्ताक्षरित किया गया ।
- वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कुल 1000 मैत्री (MAITRI) Multipurpose A.I Technician in Rural India बहुउदेश्यीय ग्रामीण कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है ।

निगम की प्रमुख योजनायें जो केन्द्र एवं राज्य शासन संचालित की जाती है निम्नानुसार है :

राष्ट्रीय गौ-भैस वंशीय पशु प्रजनन परियोजना (केन्द्र परिवर्तित योजना) बकरी नस्ल सुधार योजना, हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के पशुओं को प्रदाय नंदीशाला योजना, दुधारू पशु बीमा योजना निगम की अन्य नवीन योजनायें जिनमें भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना एवं तरल नत्रजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना एवं आर.के.व्ही. वाय योजना की सब स्कीम नेशनल मिशन फार प्रोटीन सप्लीमेंट के क्रियान्वयन की स्वीकृति इत्यादि है ।

आर.के.व्ही.वाय के अंतर्गत वर्ष 2013-14 बुल मदर फार्म भदभदा, भोपाल एवं इग्नू स्टडी सेन्टर आवासीय प्रशिक्षण व्यवस्था सुदृढ़िकरण में पशु पालकों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं अंतर्राज्यीय भ्रमण की कार्ययोजना है ।

- अवरनेस प्रोग्राम ऑन डेयरी फार्मिग,
- पोल्ट्री फार्मिग प्रशिक्षण कार्यक्रम
- अंतर्राज्यीय भ्रमण कार्यक्रम है ।

5.69 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर जिला होशंगाबाद : इसमें बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना, बकरी पालन प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास केन्द्र की स्थापना, मुर्रा भैंस के प्रजनन एवं विकास केन्द्र की स्थापना एवं यूरिया मोलेसिस ब्लाक प्लांट की स्थापना की गई है ।

सहकारी दुग्ध संघ की भागीदारी

5.70 दुग्ध संकलन एवं वितरण : मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत समन्वित डेयरी विकास की गतिविधियां सर्वप्रथम पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के 9 जिलों में वर्ष 1975 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से इन्टर नेशनल डेवलमेंट एजेंसी से प्राप्त वित्त पोषण से प्रारंभ की गई तथा मध्यप्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया गया ।

वर्ष 1980-81 में प्रदेश में आपरेशन फ्लड -II कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसके तहत 4 दुग्ध संघों यथा ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर एवं सागर के दुग्धांचलों के अन्तर्गत 29 और जिलों में डेयरी विकास की गतिविधियां प्रारंभ की गयी ।

वर्ष 1980 में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत राज्य स्तर पर संचालन करने के लिए मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित वर्तमान में **एम.पी. स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड** की स्थापना की गयी । दुग्ध संकलन एवं वितरण कार्य वर्तमान में त्रिस्तरीय संरचना ग्रामीण स्तरीय दुग्ध सरकारी समिति/ क्षेत्रीय दुग्ध संघ /राज्य स्तरीय फेडरेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका वहन कर रहा है । दुग्ध महासंघ की वर्षवार जानकारी का विवरण **तालिका 5.23** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.23
दुग्ध संकलन एवं संबद्ध गतिविधियां

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (नवम्बर तक)
• कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	4837	4987	5810	6300	6219
• कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	197374	204396	219059	237013	240517
• दुग्ध संकलन, किलो ग्राम प्रतिदिन	720317	798571	824955	1101610	931441
• स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर प्रतिदिन)	524276	586142	669691	712385	713043
• पशु आहार विक्रय (मैं.टन)	94977	100625	104835	115482	72381
• कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	205167	255654	288070	405698	316431
• दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (करोड़ रूपये में)	669.58	703.88	898.25	1243.66	637.54

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (नवम्बर तक)
• विक्रय प्राप्तियां (करोड़ रूपये में)	915.90	1061.07	1274.47	1606.84	1485.25
• लाभ/हानि ऋण अदायगी के पूर्व (रू.लाख में)	3250.07	1648.67	2645.10	2882.38	5494.91
• लाभ/हानि ऋण अदायगी के पश्चात (रू.लाख में)	2725.18	1350.22	2317.01	2266.77	5091.75

5.71 सघन डेयरी विकास परियोजना (Intensive Dairy Development Projects) : सघन डेयरी विकास परियोजना की जानकारी **तालिका 5.24 में वित्तीय प्रगति तथा भौतिक प्रगति की जानकारी तालिका 5.25, 5.26 एवं 5.27** में दर्शाई गई है ।

तालिका 5.24
सघन डेयरी विकास परियोजना

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	झाबुआ, छिन्दवाड़ा तथा बालाघाट	हरदा, बड़वानी, नीमच श्योपुर तथा सिवनी	देवास, धार, खंडवा बैतूल
परियोजना अवधि वर्ष	(2005-06 से 2007-08)	(2006-07 से 2012-13)	(2011-12 से 2013-14)
परियोजना लागत	649.47	1422.09	765.72
प्राप्त राशि	554.21	1422.09	693.82
भारत शासन से अपेक्षित राशि	95.26	-	71.90

तालिका 5.25
(अ) भौतिक प्रगति सघन डेयरी विकास झाबुआ, छिन्दवाड़ा तथा बालाघाट

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (नवम्बर तक)
कार्यरत दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	254	248	281	277	284
दुग्ध उत्पादकों की संख्या	11482	10999	11205	10637	12142
औसत दुग्ध संकलन (कि.ग्रा. प्रतिदिन)	22692	25883	29095	36626	29429
औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर/प्रतिदिन)	27493	34303	35573	36868	32286

तालिका 5.26
(ब) सघन डेयरी विकास हरदा, बड़वानी, नीमच, श्योपुर तथा सिवनी

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (नवम्बर तक)
कार्यरत दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	279	277	328	337	359
दुग्ध उत्पादकों की संख्या	12116	11192	11530	12604	13769
औसत दुग्ध संकलन (कि.ग्रा. प्रतिदिन)	40427	44455	43103	52275	48480
औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर/प्रतिदिन)	43,894	46,013	51036	58478	58023

तालिका 5.27
(स) सघन डेयरी विकास बैतूल, देवास, धार, खंडवा

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16 (नवम्बर तक)
कार्यरत दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	1009	1042	977
दुग्ध उत्पादकों की संख्या	38905	43706	42384
औसत दुग्ध संकलन(कि.ग्रा. प्रतिदिन)	173859	227177	201322
औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर/प्रतिदिन)	36181	39978	40744

5.72 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन परियोजना देपालपुर देवास : केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत प्रदेश में इन्दौर दुग्ध संघ के देवास जिले की देपालपुर तहसील में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु रूपय 321.45 लाख की लागत के परियोजना प्रस्ताव को भारत शासन की स्वीकृति 2012 को प्राप्त हुई है परियोजना अंतर्गत कुल स्वीकृत राशि के विरूद्ध 232.38 लाख की राशि केन्द्र शासन से प्राप्त हुई ।

इस परियोजना अंतर्गत कार्य क्षेत्र में 42 दुग्ध सहकारी समितियों के 3640 दुग्ध उत्पादक सदस्यों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम पर प्रशिक्षण प्रदाय किया गया । तथा 17 बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए । जिसके द्वारा 25,000 लीटर प्रतिदिन की शीतली करण क्षमता स्थापित की गई है ।

5.73 डेयरी विकास एवं विस्तार कार्यक्रम(आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना) : प्रदेश में 11 वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसाओं के तहत आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का क्रियान्वयन एम पी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन व इस से संबंद्ध 5 क्षेत्रीय दुग्ध संघ द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

- **उद्देश्य :** ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब किसानों एवं निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु सामान्य वर्ग की निर्धन महिलाओं को दो गाये अनुदान एवं ऋण पर प्रदाय करना ।
- **पात्रता :** 10 महिलाओं के समूह को इस योजना का लाभ दिया जायेगा । समूह के प्रत्येक महिला के परिवार की समस्त स्त्रोतों को मिलाकर रूपये 90 हजार प्रतिवर्ष से अधिक आय नही होना चाहिये । समूह के प्रत्येक महिला के परिवार के पास कम से कम एक एकड अधिकतम 10 एकड भूमि होना चाहिये ।
- **हितग्राही :** सभी वर्ग की महिला पशुपालक
- **पशुलागत :** देशी- अधिकतम रूपये 36750, क्रासब्रीड - अधिकतम रूपये 61450, भैंस - अधिकतम रूपये 70150,
- **अनुदान :** योजनान्तर्गत सामान्य तथा अन्य पिछडा वर्ग हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को 33.33 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
- **योजना अंतर्गत प्रगति :** योजना अंतर्गत प्रारंभ से 31 मार्च, 2015 तक 10000 महिला हितग्राहियों को 18964 दुधारू पशु उपलब्ध कराए गए है ।
  योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में कुल रूपये 350 लाख की राशि राज्य शासन द्वारा माह जून 2015 में उपलब्ध करायी गयी । इस राशि से 1815 दुधारू पशु क्रय हेतु अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है

5.74 बुन्देलखण्ड परियोजना : दुग्ध संघों व्दारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलें सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ तथा दतिया में डेयरी विकास एवं विस्तार गतिविधियों के लिये विशेष पैकेज के तहत 21.30 करोड़ रूपये के परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत कर राशि प्रदाय की गई तथा समस्त मापदंडों पर निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धियां अर्जित की गयी ।

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 561 दुग्ध सहकारी समितियां गठित की गई हैं । जिसमें 26205 से अधिक सदस्य हैं जिसमें 9878 से अधिक महिलाएं है । वर्ष 2015-16 में नवम्बर, 2015 तक 50252 किलोग्राम प्रतिदिन दूध संकलित किया जा रहा है। दूध के क्रय मूल्य के रूप में 161.29 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है ।

- बुंदेलखण्ड क्षेत्र में संकलित दूध के संसाधन हेतु सागर में रू. 5.00 करोड की लागत से 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी संयंत्र की स्थापना की गई है । इस डेयरी संयं: में दूध का संसाधन तथा पैकिंग कर लगभग 30,000 लीटर दूध बुंदेलखण्ड क्षेत्र में ही विक्रय किया जाता है ।
- भारत सरकार द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना के द्वितीय चरण हेतु राशि 29.33 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है, तथा प्रथम वर्ष की स्वीकृत राशि 8.30 करोड़ रूपये के विरूद्ध 9.51 करोड़ व्यय किए गए ।
- परियोजना क्षेत्र में दुग्ध विपणन गतिविधियों एवं सागर में पशु आहार सयंत्र स्थापना हेतु रूपये 17.45 करोड की स्वीकृति प्रदान की गई । संयत्र स्थापना से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण पशुपालकों को उचित मूल्य पर संतुलित पशुआहार प्राप्त हो सकेगा । राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायक कम्पनी आई.डी.एम.सी. द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है । ट़ायल रन प्रगति पर है । पशु आहार का उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ होना संभावित है ।

5.75 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भोपाल, इन्दौर, उज्जैन कार्यक्षेत्र में शीतकेन्दों का सुदृढीकरण तथा शीतकेन्द्रों को केन फ्री तथा पैकेजिंग हेतु कुल राशि रू. 1452.21 लाख में से वर्ष 2015-16 के लिए रू. 909.94 लाख तथा वर्ष 2016-17 के लिए 542.27 लाख राशि स्वीकृत है ।

5.76 राष्ट्रीय डेयरी योजना : राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2007-08 से वर्ष 2021-22 की अवधि हेतु राष्ट्रीय डेयरी योजना का सृजन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है ।

- दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार चारा एवं आहार का समुचित उपयोग 15 वर्षो में दुग्ध उत्पादन को दुगुना करना ।
- संगठित क्षेत्र में दूध के विक्रय योग अतिशेष दूध के अंश को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करना ताकि दूध उत्पादकों को बाजार उपलब्ध हो सके एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो ।
- वर्ष 2021-22 तक प्रदेश में संगठित क्षेत्र में औसत 25.00 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध संकलन करने का लक्ष्य है ।
- मध्यप्रदेश देश का पॉचवा राज्य है जिसका स्टेट डेयरी प्लॉट तैयार किया गया है ।

- योजना प्रमुख रूप से दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि करना तथा अधोसंरचना विकास पर केन्द्रित है।

स्वीकृत परियोजनाएं :

- **Ration Balancing Programme :** के अंतर्गत भोपाल दुग्ध संघ को रू. 385.67 लाख, इन्दौर दुग्ध संघ को रू. 201.35 लाख,उज्जैन दुग्ध संघ को 204.88 लाख, ग्वालियर तथा जबलपुर दुग्ध संघ को क्रमश: 114.03 लाख तथा 112.14 लाख स्वीकृत किए गए ।
- **Village Based Milk Procurement System :** के अंतर्गत भोपाल दुग्ध संघ को रू. 174.80 लाख, इन्दौर दुग्ध संघ को रू. 350.68 लाख, उज्जैन दुग्ध संघ को 146.12 लाख, स्वीकृत किए गए ।
- **Fodder Developnent Programme :** इस योजना के अंतर्गत इन्दौर दुग्ध संघ को 54.68 लाख की राशि स्वीकृत है ।
- **वर्ष 2017 तक निर्धारित लक्ष्य :**
- दुग्ध उत्पादन में वृध्दि हेतू प्रजनन, पशुआहार कार्यक्रम तथा अधोसंरचना विकास ।
- 3.00 लाख दुग्ध उत्पादक सदस्य ।
- 11.00 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन दुग्ध संकलन ।
- 7.00 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन दुग्ध विक्रय ।
- 60,000 कि.ग्रा. प्रतिदिन की दुग्ध चूर्ण क्षमता ।

5.77 मध्यप्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना : विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित मध्यप्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना अन्तर्गत दुग्ध संघों द्वारा 2250 लाख रूपए की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । रू. 250 लाख की लागत से भोपाल दुग्ध संघ अंतर्गत सीहोर तथा राजगढ में 10 ग्रामीण लघु शीत इकाइयों की स्थापना । रू. 2000 लाख रूपये की लागत से ग्वालियर दुग्ध संघ के अंतर्गत शिवपुरी में पशु आहार संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है वर्ष 2015-16 के चतुर्थ त्रैमास में पूर्ण होना अपेक्षित है ।

5.78 एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की वर्ष 2015-16 की प्रमुख उपलब्धियों : वर्ष 2015-16 के दौरान दिसम्बर 2015 तक 4055 में. टन घी जो गतवर्ष से 9 प्रतिशत अधिक है, 43 हजार लीटर मीठा दूध जो गतवर्ष से 26 प्रतिशत, 8 में. टन मीठा दही जो गतवर्ष से 14 प्रतिशत अधिक है, 150 में. टन सादा दही जो गतवर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है, 8 में. टन पेडा जो गतवर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है, 9 में. टन छेना खीर जो गतवर्ष से 60 प्रतिशत अधिक है, 3 में. टन मावा जो गतवर्ष से 12 प्रतिशत अधिक है, 15 में. टन पनीर जो गतवर्ष से 12 प्रतिशत अधिक है, का उत्पादनकिया गया ।

- वर्ष 2015-16 के दौरान दिसम्बर 2015 तक दुग्ध संघों का टर्न ओवर लगभग रू. 154 करोड है जो गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत अधिक है ।
- नए उत्पाद निमार्ण : मार्च 2015 में सांची ठंडाई का उत्पादन तथा विक्रय भी प्रारंभ किया गया । दिनांक 29 मई 2015 से उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा आम्रखंड का उत्पादन एवं विक्रय प्रारम्भ किया गया ।
- उज्जैन तथा भोपाल दुग्ध संघ द्वारा हरियाणा राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन को 600 में टन श्वेत मक्खन प्रदाय ।
- इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा भारतीय सेना को 409.99 में टन होल मिल्क पाउडर प्रदाय तथा 87.80 में टन घी प्रदाय । इसी प्रकार संघ द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस से 41.83 में टन होल मिल्क पाउडर तथा 17.11 में टन घी प्रदाय हेतु क्रय आदेश प्राप्त ।
- दुग्ध संघों द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान दिसम्बर 2015 तक 1.10 लाख कि.गा. प्रतिदिन दूध राष्ट्रीय मिल्क ग्रिड अंतर्गत मदर डेयरी नई दिल्ली, कोल्हापुर डेयरी इत्यादि को विक्रय ।
- भोपाल दुग्ध संघ को दिल्ली मिल्क स्कीम से लगभग 10,000 लीटर प्रतिदिनतथा ग्वालियर दुग्ध संघ को लगभग 5,000 लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रदायहेतु आदेश प्राप्त ।
- 15 जुलाई 2015 से प्रदेश के 85,933 प्राथमिक विदयालयों के 45.85 लाख विदयार्थियों तथा 92,230 आंगनवाडीयों के 47.88 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत सप्ताह में तीन दिन सुगंधित मीठा दूध प्रदाय हेतु दुग्ध संघों द्वारा सुगंधित मीठा दुग्ध चूर्ण प्रदाय किया जा रहा है ।
- दुग्ध समितियों द्वारा वर्ष 2015-16 में बोनस एवं लाभांश के रूप में दुग्ध उत्पादकों को रू. 4.51 करोड वितरित किए गए जो कि अबतक का सर्वाधिक बोनस है ।
- इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध सहकारी समितियों को भी रू. 1.35 करोड लाभांशके रूप में वितरित किए जाने का प्रस्ताव वार्षिक आम सभा में पारित किया गया ।

मत्स्य पालन से विकास

5.79 मत्स्य पालन की ग्रामीण स्वरोजगार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है । बढती आबादी, बेरोजगारी तथा पौष्टिक आहार की कमी को देखते हुये मत्स्य पालन व्यवसाय से जहॉ एक ओर रोजगार मिलता है वहीं दूसरी ओर कम लागत से स्थानीय रूप से प्रोटीन युक्त भोज्य प्रदार्थ मिलता है । यह मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करता है । इन संभावनाओं को देखते हुए राज्य में मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

वर्ष 2014-15 की स्थिति अनुसार राज्य में 4.03 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 3.94 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कुल उपलब्ध जलक्षेत्र का 97.76 प्रतिशत है ।

5.80 मत्स्यबीज उत्पादन : वर्ष 2014-15 में 9080 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य के विरूद्ध 10018 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ जो लक्ष्य का 110.34 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2015-16 में 10500 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2015 तक 9260.79 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्यबीज का उत्पादन हुआ, जो लक्ष्य का 88.20 प्रतिशत है ।

5.81 मत्स्योपादन : वर्ष 2014-15 में समस्त स्त्रोतों से 108000 टन मत्स्योपादन के लक्ष्य के विरूद्ध 109121.18 टन का मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 101.04 प्रतिशत रहा । वर्ष 2015-16 में समस्त स्त्रोतों से 122000 टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2015 तक 76943 टन मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 63.07 प्रतिशत है ।

5.82 मछुआ सहकारिता : प्रदेश में वर्ष 2014-15 में कुल 2108 मत्स्य सहकारी समितियां थीं जिनमें 79517 सदस्य थे, इन पंजीकृत मछुआ सहकारी समीतियों में 46 समीतियां महिलाओं की है, जिनकी सदस्य संख्या 1590 है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं वंशानुगत मछुआरों की मछुआ सहकारी समितियों की आर्थिक एवं सांमाजिक स्थिति सुधारने के लिए नवीन मछुआ नीति के अनुसार मछली पालन के लिए उन्हें दस वर्ष की लम्बी अवधि के लिए सिंचाई/ग्रामीण तालाब जलाशय पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर, 2016 तक 1129.21 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 34 जलाशय 31 मछुआ सहकारी समितियों में 1211 सदस्य है एवं 592.17 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 28 जलाशय 28 मछुआ समुहों में 370 सदस्यों को नवीन/पुर्न आवंटित किये गये है ।

5.83 मछुआ समितियो को अनुदान : मछुआ सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2014-15 में 93.17 लाख रूपये अनुदान के रूप में वितरित किये गये। वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 111.30 लाख लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2015 तक 50.78 लाख रूपये का अनुदान वितरित किया गया है ।

5.84 मछुआ प्रशिक्षण : मछुआरों को उन्नत तकनीकी ज्ञान प्रदाय करने हेतु विभाग व्दारा प्रशिक्षण दिया जाता है । वर्ष 2014-15 में 7229 मछुआरों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था माह मार्च, 2015 तक विभाग द्वारा 6976 को प्रशिक्षित किया गया था । वर्ष 2015-16 में 5942 मछुआरों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है माह दिसम्बर, 2015 तक 4689 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया है ।

5.85 मछुआरों का दुर्घटना बीमा : मछुआरों की दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है, जिसका 50 प्रतिशत व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है । मछुओं की मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमा दावें की राशि रूपये 2 लाख रूपये नामांकित व्यक्ति को भुगतान की जाती है । इस योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 से क्रियाशील सदस्य वंशानुगत मछुआरों के आश्रित परिवारों के सदस्यों का भी बीमा कराया जा रहा है । माह दिसम्बर 2015 से एक वर्ष के लिये 180988 मछुआरों का दुर्घटना बीमा किया गया है ।

5.86 मत्स्य कृषक विकास अभिकरण : केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के माध्यम से मत्स्य कृषकों को 10 वर्ष की लंबी अवधि के लिए ग्रामीण तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराए जाते हैं । वर्ष 2014-15 में 1186.90 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 559 तालाब 3272 हितग्राहियों को पट्टे पर आवंटित किये गये । वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक 701.40 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 352 तालाब 1731 सदस्यों को आवंटित किये जा चुके है ।

5.87 फिशरमेन केडिट कार्ड : वर्ष 2012-13 से किसान क्रेडिट कार्ड के समान मत्स्य कृषकों को भी फिशरमेन क्रेडिट कार्ड शुन्य प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु जारी किये जा रहे है । वर्ष 2014-15 में 12391 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड 617.86 लाख रूपये के जारी किये गये हैं । वर्ष 2015-16 में 10.00 हजार फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2015 तक 5576 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं ।

5.88 बचत सह राहत : मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त की अवधि में मछलियों का प्रजनन काल होने के कारण मत्स्याखेट कार्य प्रतिबन्धित होता है । इस प्रतिबन्धित काल में मछुआरों को अजीविका निर्वहन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के अशंदान से बचत-सह-राहत योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, इस योजना के अन्तर्गत माह सितम्बर से माह मई तक कुल 9

माह प्रति मछुआ 100 रूपये प्रतिमाह बैंक/पोस्ट आफिस में जमा कराई जाकर कुल जमा राशि के बराबर 50:50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में अंशराशि मछुआरों को माह जून, जुलाई, अगस्त में दी जाती है । वर्तमान में 900 रूपये मछुआ 900 रूपये राज्य शासन एवं 900 रूपये केन्द्र शासन कुल 2700 रूपये दो माह में मछुआरों को प्रदाय किया जाता है ।

वर्ष 2014-15 में 15797 हितग्राहियों के खाते में राशि 126.38 लाख रूपये जमा की गई है । वर्ष 2015-16 में मछुआरों को राशि 258.90 लाख रूपये की सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रावधान रखा गया है । केन्द्र शासन से केन्द्रांश राशि नही मिलने के कारण अभी तक बचत सह-राहत राशि का वितरण नही हो सका है ।

5.89 बैंकों व्दारा ऋण एवं अनुदान : वर्ष 2014-15 में मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के हितग्राहियों को मत्स्य पालन हेतु इन्पुटस, तालाब सुधार एवं नवीन तालाब निर्माण के लिये 621.76 लाख रूपये ऋण तथा 223.79 लाख रूपये अनुदान के रूप में वितरित किये गये । वर्ष 2015-16 में 1035 लाख रूपये का ऋण एवं 220.40 लाख रूपये अनुदान के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक 196.61 लाख रूपये का ऋण एवं 65.88 लाख रूपये का अनुदान वितरित किया गया ।

5.90 मछुआ आवास : मछुआरों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग में मछुआ आवास योजना लागू है । वर्ष 2015-16 में प्रदेश में मछुआ आवास हेतु राशि रूपये 202.75 लाख का प्रावधान रखा गया है । माह दिसम्बर, 2015 तक योजनान्तर्गत राशि रूपये 20.62 लाख व्यय किया गया है ।

5.91 रोजगार सृजन : वर्ष 2014-15 में 144 लाख मानव दिवसों के रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध 209.53 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया । वर्ष 2015-16 में 200 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2015 तक 160.80 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है ।

5.92 मत्स्य पालन प्रसार : मत्स्य सहकारी समितियों के समान मत्स्य पालको को भी विभाग द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2014-15 में मत्स्य पालकों को अनुदान हेतु राशि रूपये 112.48 लाख के प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 95.79 लाख का वितरण

किया गया है । वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 79.29 लाख के अनुदान प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक राशि रूपये 67.99. लाख का अनुदान वितरण किया गया है ।

वानिकी

5.93 वन संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक सम्पन्न राज्य है। राज्य की अर्थ व्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है । सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का अंश वर्ष 2013-14 में 1.67 प्रतिशत है । प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.72 प्रतिशत है । राज्य के कुल वनक्षेत्र का 65 प्रतिशत आरक्षित वन, 33 प्रतिशत संरक्षित वन एवं 2 प्रतिशत क्षेत्रफल अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आता है । प्रदेश के वनों में इमारती एवं जलाऊ लकड़ी, बांस एवं अन्य वनोत्पाद (मुख्य एवं गौण) वनोपज पाई जाती है । वनोत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.28** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.28
वनोत्पादन का विवरण

वर्ष	इमारती लकड़ी (लाख घनमीटर)	जलाऊ चट्टे (लाख नग)	बांस नोशनल टन (लाख में)
2011-12	2.43	2.04	0.75
2012-13	2.53	1.90	1.06
2013-14	2.35	1.73	0.79
2014-15	2.40	1.78	0.41
2015-16 माह नवम्बर, 2015 अनुसार	0.23	0.08	--

वनोत्पादन के अंतर्गत इमारती लकड़ी एवं जलाऊ चट्टे में गत वर्ष से क्रमश: 2.13 एवं 2.89 प्रतिशत की वृद्धि तथा बांस के उत्पादन में 48.10 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है । इमारती लकडी का उत्पादन गत वर्ष से 2.35 लाख घन मीटर से बढकर वर्ष 2014-15 में 2.40 लाख घन मीटर रहा है । इसी अवधि में जलाऊ चटटे का उत्पादन गत वर्ष के 1.73 लाख नग से बढकर 1.78 लाख नग तथा बांस का उत्पादन 0.79 लाख नोशनल टन से घटक़र 0.41 लाख नोशनल टन हो गया है ।

5.94 राजस्व प्राप्तियां : वर्ष 2014-15 में 1100.00 करोड़ रूपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था । जिसके विरूद्ध 1073.93 करोड़ रूपये का सकल राजस्व प्राप्त किया गया जो निर्धारित लक्ष्य का 97.63 प्रतिशत है। वर्ष 2015-16 में विभाग के लिए रूपये 1298.00

करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जिसके विरूद्ध माह अगस्त 2015 तक 555.57 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है ।

5.95 अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी : मध्यप्रदेश के वनो की उत्पादकता बढ़ाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इन्दौर, खण्डवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी एवं बैतूल में एक-एक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं ।

प्रत्येक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त के अंतर्गत उच्च तकनीकी रोपणियां स्थापित की गई है । वर्तमान में 161 अनुसंधान एवं विस्तार रोपणियां विभिन्न अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों में कार्यरत हैं जहां सभी प्रजातियों के मानक गुणवत्ता के पौधे तैयार किये जा रहे हैं । वर्षा ऋतु 2015 के अंतर्गत अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों की रोपणियों से 431.18 लाख पॉलीथीन के पौधे 32.79 लाख सागौन रूपसूट एवं 1.49 लाख बांस राईजोम विभाग /अन्य शासकीय विभाग / निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को निवर्तित किये गये। विभाग के बाहर पौधा निर्वतन से राशि रूपये 202.99 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ ।

विस्तार वानिकी योजना के अन्तर्गत विभिन्न वनमंडलों में जिला योजना अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्ताव के तहत नवीन एवं पुराने वृक्षारोपण के रखरखाव के साथ-साथ वानिकी प्रचार-प्रसार कार्य किया गया । क्षेत्रीय वनमंडलों के माध्यम से माह सितम्बर 2015 में 878.99 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 9.55 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है ।

प्रदेश में एक दिवसीय वृक्षारोपण के तहत दिनांक 31.7.2014 को विभिन्न वनमंडलों में वन भूमि, विघालय, महाविघालय, सामुदायिक स्थल, निजी भूमि लगभग 9272 स्थलों पर रोपित पौधों में से 1.43 करोड् पौधों के रोपण की गिनीज बुक आफ वल्ड रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव गिनीज कार्यालय को भेजा गया था । गिनीज विश्व रिकार्ड द्वारा घोषित कर उनकी अधिकृत वेबसाईट पर दर्ज कर अधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किया गया है ।

लोकवानिकी योजना अन्तर्गत 10 हेक्टर से कम क्षेत्र की 2877 योजनाऐं स्वीकृत की गई है । वनों के बाहर वनावरण के विस्तार हेतु 10 हेक्टर से कम क्षेत्र की प्रबंध योजनाओं हेतु सरलीकृत लोकवानिकी मार्गदर्शिका शासन व्दारा जारी की गई ।

प्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है । माह सितम्बर 2015 तक राशि रूपये 48.60 लाख का अनुदान भूमि स्वामीयों एवं वनदूतों को वितरित किया गया है ।

5.96 वन्यप्राणी संरक्षण : प्रदेश में वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास स्थलों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने हेतु 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 अभ्यारण्य है जिसमें 6 टाईगर रिजर्व 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल (एवं अन्य जलजीव) अभ्यारण्य हैं तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किये गये हैं । प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर है जिसमें से वन क्षेत्र 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर है । भारतीय वन्य जीव संस्थान देहारादून द्वारा 2014 की गणना अनुसार देश में बाघो की संख्या 2226 है । जिसमें मध्यप्रदेश में 308 बाघ है । इसी प्रकार देश में 10 हजार से 12 हजार तेंदुएं हैं । जिसमें मध्यप्रदेश में तेंदुए की अनुमानित संख्या 1871 है ।

5.97 लघु वनोपज का व्यापार : राष्ट्रीयकृत लधु वनोपज तेन्दूपत्ता राज्य में वर्ष 2004 से तेन्दूपत्ता की नई नीति का निर्धारण कर इसके तहत क्षेत्रीय निविदायें बुलाई जाकर पत्ते का अग्रिम निवर्तन किया जाता है । तेन्दूपत्ते का वर्षवार विवरण **तालिका 5.29** में दर्शाया गया है ।

तलिका 5.29

तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं निवर्तन

(मात्रा लाख मानक बोरो में)

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रूपये./मा.बो.)	कुल गोदामीकृत मात्रा	संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रूपये में)	अब तक विक्रय की गई मात्रा	विक्रय मूल्य (करोड़ रूपये में)
2012	750	26.06	195.45	26.06	634.13
2013	950	19.92	189.33	19.92	394.89
2014	950	16.99	161.41	16.99	310.12
2015	950	16.05	152.48	16.05	329.27.

सालबीज : वर्ष 2012 में सालबीज का संग्रहण 37742.00 क्विंटल किया गया, जिसके विक्रय से 211.98 लाख रूपये प्राप्त हुए । वर्ष 2013 में सालबीज का संग्रहण 186.00 क्विंटल किया गया, जिसके विक्रय की कार्यवाही की जा रही है । वर्ष 2014 में साल बीज का संग्रहण 3164.65 क्विटल किया गया जिसमें से 3048.00 क्विटल का निर्वर्तन किया जा चुका है । जिसके विक्रय से 35.81 लाख रूपये प्राप्त हुए शेष मात्रा 117.10 क्विटल के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है । वर्ष 2015 में सालबीज का संग्रहण 11655.00 क्लिटल किया गया जिसके विक्रय की कार्यवाही की जा रही है ।

कुल्लूगोंद : वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 2013-14 एवं 2014-15 में क्रमशः 87.44 क्विंटल, 69.84 क्विंटल 111.03 क्विंटल, 1.15 क्विंटल, 49.22 क्विंटल, एवं निरंक संग्रहण किया गया ।

5.98 तेन्दूपत्ता संग्राहकों के कल्याण हेतु योजना : सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना वर्ष 1991 से प्रारंभ हैं, इस योजना के अन्तर्गत मार्च 2015 तक 2.30 लाख दावों का निराकरण किया जाकर 94.30 करोड़ रूपये की राशि मृत तेन्दूपत्ता संग्राहकों के परिवारों को भुगतान की गई है । संविधान के 73 वें संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है । तद्नुसार लघु वनोपज व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है । इस योजनान्तर्गत प्रदेश के 32 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में विगत चार वर्षा के रूप में नगद भुगतान किया जा रहा है । संग्रहण वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012 एवं 2013 में क्रमश: रूपये 62.11 82.57, 98.22 एवं 224.03 एवं 91.70 करोड़ रूपये का वितरण किया गया ।

5.99 म.प्र. राज्य वन विकास निगम :

स्थापना तथा उददेश्य : म.प्र. राज्य वन विकास निगम कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 24 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय कृषि आयोग की अन्तरित रिपोर्ट (फारेस्ट्री मैन मैड फारेस्ट 1972) के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल की स्थापना की गई इसका उददेश्य वनों की उत्पादकता वृद्धि एवं गुणवत्ता सुधार हेतु-

- तेजी से बढने वाली प्रजातियों का रोपण।
- औधौगिक एवं व्यापारिक उददेश्य हेतु बहु उपयोगी प्रजातियों का रोपण करना।
- उपयुक्त क्षेत्रों में गहन प्रबंधन लागू कर वनों की उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना।

5.100 हस्तान्तरित वन क्षेत्र एवं वृक्षारोपण : वन विभाग से निगम हस्तान्तरण हेतु आदेशित वन क्षेत्र 4.25 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 1975 से निगम द्वारा चरणबद्ध रूप से व्यवसायिक वृक्षारोपण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2015 से व्यवसायिक वृक्षरोपण के नवम चरण के अन्तर्गत वर्षा आधारित सागौन वृक्षारोपण एवं हाई इनपुट सागौन वृक्षारोपण किया जा रहा है। माननीय ग्रीन ट्रीब्यूनल के आदेश के परिपालन में कुल क्षेत्र के तीन प्रतिशत क्षेत्र में सागौन रोपण के साथ गैर इमारती वनोपज प्रजाति (एन.टी.एफ.पी) का रोपण भी किया गया है। निगम द्वारा वर्ष 2015 तक 2,90,915 हेक्टेयर क्षेत्र में 4322.69

लाख पौधे रोपित किये गये हैं, इसके अतिरिक्त निगम द्वारा राज्य एवं केन्द्र शासन की योजनाओं के अन्तर्गत भी रोपण किया गया है। डिपॉजिट रोपण के अन्तर्गत खदानी एवं अन्य क्षेत्रों में वर्ष 2015 तक 274.39 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

5.101 सामाजिक दायित्व : नवीन कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों अनुसार निगम को शुद्ध लाभ की 2 प्रतिशत राशि निगमित सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत व्यय की जाना आवश्यक है। निगम द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के ग्रामीणों /वन वासियों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु इस राशि से सामुदायिक भवन निर्माण, पेयजल हेतु ट्यूबवेल खनन, मछली पालन, स्वास्थ्य शिविर, तालाब गहरीकरण/निर्माण तथा ग्रामीणों के निस्तार एवं पानी संग्रहण हेतु बोरी बंधान आदि कार्य किये गये हैं। इन कार्यों हेतु वर्ष 2014-15 में रू. 150 लाख के बजट प्रावधान के अन्तर्गत राशि रू. 83.04 लाख व्यय की गई एवं वर्ष 2015-16 में रू. 200.00 लाख एवं 2014-15 की शेष राशि के कार्य कराये जा रहे हैं।

निगम की निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियों के अन्तर्गत वानिकी कार्यों हेतु ग्रीनटेक फाउण्डेशन द्वारा चतुर्थ वार्षिक ग्रीनटेक सी.एस.आर पुरूस्कार 2014 स्वर्ण श्रेणी का प्रदाय किया गया है।

5.102 उत्पादन एवं राजस्व : निगम के वन क्षेत्रों में कार्यरत वन समितियों को प्राप्त वनोपज (क्रॉप-1) की आय से शुद्ध लाभ की 10 प्रतिशत राशि लाभांश के रूप में प्रदाय की जा रही है। निगम द्वारा रोपित पौधों से प्राप्त वनोपज (क्रॉप-2) से प्राप्त शुद्ध लाभ से वन समितियों का लाभांश वितरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। विगत 5 वर्षों में कॉप -1 एवं कॉप-2 के विक्रित वनोपज एवं प्राप्त राजस्व का विवरण **तालिका 5.30 एवं 5.31** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.30

कॉप-1 विक्रित वनोपज एवं प्राप्त राजस्व

क्रं.	वित्तीय वर्ष	राष्ट्रीय कृत वनोपज (लट्ठा एवं बल्ली)		अराष्ट्रीयकृत वनोपज (लट्ठा एवं बल्ली)		जलाऊ चट्टा (संखया)		प्राप्त राजस्व (लाख रू.में)
		नग	घ.मी.	नग	घ.मी.	जलाऊ	RHT	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	2009-10	622907	25625.602	151588	12667.637	62755	1098	9048.25
2	2010-11	522537	24059.087	146340	20687.366	102823	1378	10126.67
3	2011-12	998077	30425.438	214130	33262.950	108228	2549	12063.43
4	2012-13	1386643	35567.026	242387	25144.435	93205	960	13168.52
5	2013-14	1040275	31368.456	200815	21628.803	76908	1454	12821.07
योग		**4570439**	**147045.609**	**955260**	**113391.191**	**443919**	**7439**	**57227.94**

तालिका 5.31

कॉप-2 विक्रित वनोपज एवं प्राप्त राजस्व

क्रं.	वित्तीय वर्ष	राष्ट्रीय कृत वनोपज (लट्ठा एवं बल्ली)		अराष्ट्रीयकृत वनोपज (लट्ठा एवं बल्ली)		जलाऊ चट्टा (संखया)	बांस		प्राप्त राजस्व (लाख रू.में)
		नग	घ.मी.	नग	घ.मी.		व्यापा. (सं.)	औद्यो (सं.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2009-10	645878	5734.567	178160	5337.227	35609.50	734646	1739.152	3078.70
2	2010-11	851548	11112.876	353964	12904.701	81619.00	703228	2246.887	5883.27
3	2011-12	1186794	12258.898	365567	10790.527	65456.00	760214	3784.864	6085.44
4	2012-13	1468182	16283.991	501515	12762.948	57744.50	1046477	3028.503	8148.10
5	2013-14	1352157	16666.426	431037	12959.444	46399.25	844357	5304.654	8355.71
	योग	**5504559**	**62056.758**	**1830243**	**54754.847**	**286828.25**	**4088922**	**16104.06**	**31551.22**

6

उद्योग

विनिर्माण

कृषि प्रधान वर्षा आधारित अर्थ व्यवस्था को विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिये औद्योगिकीकरण आवश्यक है । इससे अर्थव्यवस्था का विविधीकरण होता है तथा वर्षा पर निर्भरता कम होती है । कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन की सुविधा उपलब्ध होती है तथा कृषि उत्पादन के लिये आदान प्राप्त होते हैं साथ ही कृषि पर रोजगार के लिये निर्भरता कम होती है ।

6.1 राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितियक क्षेत्र (उद्योग) का योगदान वर्ष 2004-05 के 27.15 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2013-14 में 25.90 प्रतिशत तथा वर्ष 2014-15 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 24.55 प्रतिशत आंका गया है । विनिर्माण-पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 (अग्रिम) के दौरान क्रमशः 0.69 एवं 3.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।

6.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना : वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 13932 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई जो वर्ष 2014-15 में स्थापित उद्योगों 19835 से 29.76 प्रतिशत कम है । वर्ष 2011-12 से 2015-16 (दिसम्बर) 2015 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित हुये जिसका विवरण **चित्र 6.1** में दर्शाया गया है ।

चित्र 6.1

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना

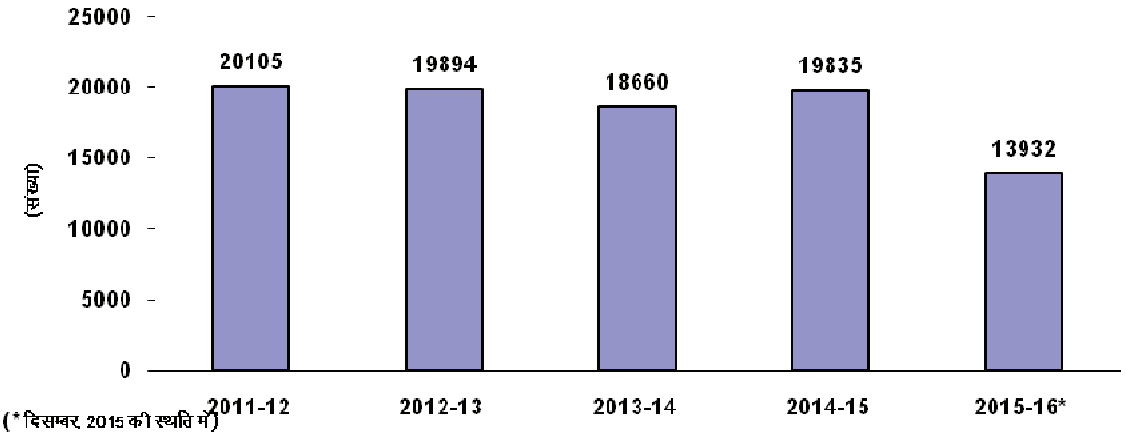

6.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों मे पूंजी निवेश : वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 84062 लाख रूपये का पूंजी निवेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में किया गया जो वर्ष 2014-15 में निवेशित 75004 से 12.08 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2011-12 से 2015-16 दिसम्बर 2015 तक किये गए पूंजी निवेश का विवरण **चित्र 6.2** में दर्शाया गया है ।

चित्र 6.2

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश लाख रूपये

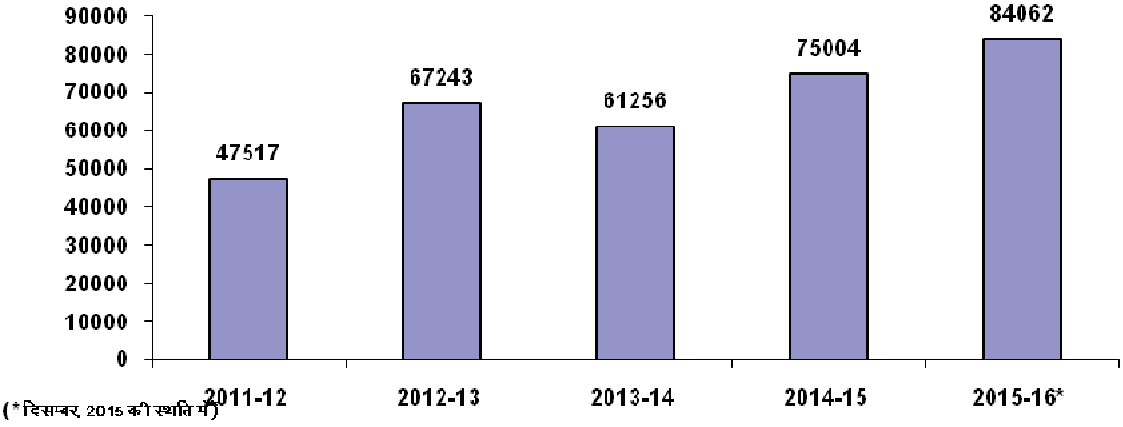

6.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार : वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में 37213 रोजगार निर्मित किये गये जो कि वर्ष

2014-15 में निर्मित रोजगार 51571 से 27.84 प्रतिशत कम है । वर्ष 2011-12 से 2015-16 दिसम्बर 2015 तक रोजगार निर्मित किये गये हैं जिसका विवरण **चित्र 6.3** में दर्शाया गया है ।

चित्र 6.3

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार

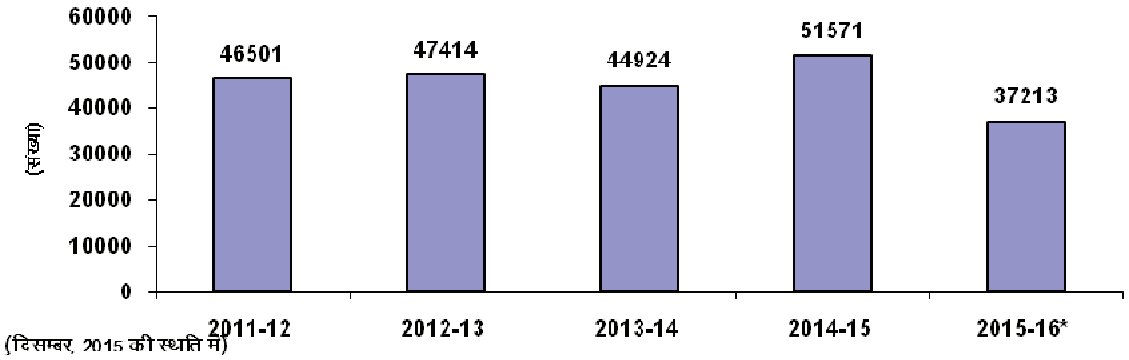

6.5 आई.ई.एम. (इण्डस्ट्रीयल एंटरप्रिन्योर मेमोरेण्डम) : वर्ष 1991 में केन्द्र शासन द्वारा घोषित औद्योगिक उदारीकरण नीति के फलस्वरूप अभिरक्षा हेतु राष्ट्रीय हितों के कतिपय उद्योगों को छोड़कर शेष वृहद एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिये उद्योगपतियों को केवल भारत सरकार के पास "इण्डस्ट्रीयल एंटरप्रिन्योर मेमोरेण्डम" दाखिल करने होते है । आई.ई.एम. योजना का वर्षवार विवरण **तालिका 6.1** में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.1

इण्डस्ट्रीयल एंटरप्रिन्योर मेमोरेण्डम

वर्ष	दाखिल संख्या	प्रस्तावित पूंजी निवेश (करोड़ रूपये)
2010	226	204286
2011	191	104527
2012	126	10563
2013	114	88715
2014	99	12283
2015 (नवम्बर 2015 तक)	104	13046

वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक की अवधि में आई.ई.एम. की संख्या 756 तथा प्रस्तावित पूंजी निवेश 420374 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2013 से 2015 माह दिसम्बर,

2015 तक की अवधि में बढ़कर क्रमशः 317 (संख्या) तथा 114044 (निवेश) करोड़ रूपये हो गया ।

6.6 वित्तीय सहायता : उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । वित्तीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित इकाईयों की जानकारी का वर्षवार विवरण **तालिका 6.2 एवं 6.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.2
वित्तीय सहायता अंतर्गत योजनावार प्रगति
(वर्ष 2014-15)

(राशि लाख रूपये में)

योजना का नाम	लाभान्वित इकाईयों की संख्या	सहायता राशि
उद्योग निवेश अनुदान योजना	378	5906.55
टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजना	1024	3482.59
उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना	118	26999.07
परियोजना सहायता योजना	129	190.07
पेट्रोकेमिकल उद्योगो के लिए कर्ज (उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना)	01	25000.00
टेक्सटाइल उद्रयोग के लिये विशेष ब्याज अनुदान	12	9000.00

तालिका 6.3
वित्तीय सहायता अंतर्गत योजनावार प्रगति
वर्ष 2015-16, दिसम्बर 2015 अंत तक

(राशि लाख रूपये में)

योजना का नाम	लाभान्वित इकाईयों की संख्या	सहायता राशि
उद्योग निवेश अनुदान योजना	265	6444.44
टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजना	649	3476.83
उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना	139	47697.47
परियोजना सहायता योजना	62	137.11
पेट्रोकेमिकल उद्योगो के लिए कर्ज (उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना)	01	23500.00
टेक्सटाइल उद्रयोग के लिये विशेष ब्याज अनुदान	12	19000.00

अधोसंरचना विकास

6.7 एम.एस.ई-सी.डी.पी. योजनान्तर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अंतिम स्वीकृति प्राप्त परियोजनाएं :-

- **क्लस्टर- गाम अमकुई जिला कटनी में फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना** :- कटनी जिले में स्थापित दाल मिलों को एक स्थान पर स्थापित करने के उददेश्य से ग्राम अमकुई में 60.00 हेक्टेयर भूमि पर नवीन औधौगिक क्षेत्र की स्थापना कर व्यवस्थित रूप से विस्तापित करने के उदेश्य से भारत सरकार के एम.एस.ई.-सी.डी.पी. योजना अंतर्गत नवीन औधोगिक क्षेत्र के अधोसंरचना विकास के लिए मध्यप्रदेश औधौगिक केन्द्र, विकास निगम, जबलपुर द्वारा प्रेषित परियोजना को दिनांक 27.06.2012 से भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई । परियोजना लागत राशि रू. 918.00 लाख में से केन्द्रांश राशि रू. 550.00 लाख राज्यांश राशि रू. 275.40 लाख ऋण राशि रू. 91.80 लाख है । परियोजना हेतु भारत सरकार से रू. 286.99 लाख एवं राज्यांश की राशि रू. 275.40 लाख मध्यप्रदेश औदयोगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर को विमुक्त की गई है । परियोजना में दिनांक 16.06.2015 तक राशि रू. 881.83 लाख का व्यय किया गया है । विकसित भूमि में 06 इकाईयां उत्पादनरत हैं।
- **क्लस्टर- औधोगिक क्षेत्र उमरिया-डुगरिया तहसील शहपुर जिला जबलपुर:-** औधोगिक उमरिया-डुगरिया जिला जबलपुर में 60.00 हेक्टर भूमि भारत सरकार की एम.एस.ई.-सी.डी.पी. योजनान्तर्गत विकसित की गई क्लस्टर विकास हेतु मध्यप्रदेश औधोगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर द्वारा राशि रू. 720.00 लाख की परियोजना को दिनांक 09.02.2014 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई परियोजना लागत राशि रू. 720.00 लाख में केन्द्रांश राशि रू. 432.00 लाख एकेव्हीएन, जबलपुर का अंश राशि रू. 288.00 लाख है । परियोजना हेतु भारत सरकार से 292.84 लाख मध्यप्रदेश औधौगिक केन्द्र विकास निगम जबलपुर को विमुक्त की गई । उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक30.07.2014 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया । परियोजना का कार्य दिनांक 3.05.2014 को पूर्ण हो चुका है विकसित भूमि में 08 इकाईयां उत्पादनरत हैं ।
- **क्लस्टर- औधौगिक क्षेत्र भुरकलखापा जिला सिवनी :-** सिवनी जिले में औधैागिक क्षेत्र भुरकलखापा में 60.780 हेक्टर भूमि पर एम.एस.ई.-सी.डी.पी. योजनांतर्गत क्लस्टर विकसित किया गया है । इस हेतु मध्य्रपदेश औधौगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर द्वारा राशि रू. 725.00 लाख की परियोजना पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.06.2012 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें केन्द्रांश राशि रू. 435.00 लाख एकेव्हीएन, जबलपुर का अंश राशि रू. 290.00 लाख रू. है । परियोजना हेतु भारत सरकार से 100.00 लाख मध्यप्रदेश औधौगिक केन्द्र विकास

निगम, जबलपुर को प्राप्त हुई है । प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30.07.2014 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया । परियोजना का कार्य दिनांक 25.06.2014 को पूर्ण हो चुका है । विकसित भूमि में 06 इकाईयां उत्पादनरत है ।

- **औधौगिक क्षेत्र नेमावर जिला देवास :-** औधोगिक क्षेत्र नेमावर जिला देवास में 40.00 हेक्टर भूमि पर नवीन औधोगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु एकेव्हीएन, उज्जैन द्वारा एम.एस.ई.-सी.डी.पी. योजनान्तर्गत प्रस्तुत राशि रू. 1463.57 लाख के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.01.2013 को स्वीकृति प्रदान की गई । परियोजना लागत राशि रू. 1463.57 लाख में केन्द्रांश राशि रू. 484.68 लाख एकेव्हीएन, उज्जैन का अंश राशि रू. 553.89 लाख एवं बैंक लोन राशि रू. 425.00 लाख है । परियोजना हेतु भारत सरकार से 144.46 लाख मध्यप्रदेश औधौगिक केन्द्र विकास निगम, उज्जैन को प्राप्त हुई है । परियोजना में दिनांक 15.06.2015 तक राशि रू. 1537.15 लाख का व्यय किया गया है ।

6.8 एम.एस.ई-सी.डी.पी. योजनान्तर्गत अधोसंरचना विकास हेतु सैदधांतिक स्वीकृति प्राप्त परियोजनाएं :-

- **औधौगिक क्षेत्र अप्रैरल क्लस्टर ग्राम बिजैपुर जिला इन्दौर:-** इन्दौर जिले में औधोगिक क्षेत्र ग्राम बिजैपुर में अप्रैरल क्लस्टर के विकास हेतु औधोगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2015 को सैदधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई । परियोजना लागत राशि रू. 1489.00 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें केन्द्रांश राशि रू. 600.00 लाख राज्यांश राशि रू 889.00 लाख है परियोजना भारत सरकार द्वारा कोई राशि प्राप्त नही हुई है । परियोजना में राशि रू. 800.00 लाख का व्यय किया जा चुका है।
- **औधौगिक क्षेत्र रेडीमेड गारमेंट पार्क गदईपुरा जिला ग्वालियर:-** ग्वालियर जिले में रेडीमेंड गारमेंट पार्के गदईपुरा में क्लस्टर के विकास हेतु औधोगिक अधोसंरचना विकास निगम,ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2015 को सैदधांतिक स्वीकृति की गई है । परियोजना लागत राशि रू. 1693.87 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है । जिसमें केन्द्रांश राशि रू. 456.00 लाख आई.आई.डी.सी. ग्वालियर का राशि रू. 1237.87 लाख है । परियोजना में भारत सरकार द्वारा कोई राशि प्राप्त नही हुई है।
- **औधौगिक क्षेत्र फूड क्लस्टर बडौदी जिला शिवपुरी :-** शिवपुरी जिले में फूड क्लस्टर के विकास हेतु औदयोगिक अधोसंरचना विकास निगम, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2015 को सैदवांतिक स्वीकृति प्रदान की गई । परियोजना लागत राशि रू. 1136.23 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें केन्द्रांश राशि रू. 487.00 लाख राज्यांश राशि रू. 649.23 लाख है ।

परियोजना में भारत सरकार द्वारा कोई राशि प्राप्त नही हुई है । राज्यांश की राशि रू. 649.23 लाख हेतु वित विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है ।

- **ग्राम करमदी जिला रतलाम में नमकीन एण्ड एलाईड क्लस्टर का विकास:-** रतलाम जिले में ग्राम करमदी में नमकीन एण्ड एलाईड क्लस्टर के विकास हेतु औधोगिक केन्द्र विकास निगम, उज्जैन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2015 को सैध्दांतिक स्वीकृति प्रदान की गई परियोजना लागत राशि रू 2274.00 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें केन्द्राशं राशि रू. 600.00 लाख राज्यांश राशिरू. 400.00 लाख एवं अन्य 1274.00 लाख है । परियोजना में भारत सरकारद्वारा कोई राशि प्राप्त नही हुई है । राज्यांश की राशि रू. 400.00 लाख हेतु वित्त विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है ।

6.9 एसाईड योजना : प्रदेश में निर्यातक उद्योगों से जुड़ी अधोसंरचना को विकसित तथा अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एसाईड योजनान्तर्गत राशि रू. 41484.41 लाख की 64 योजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है, 64 परियोजना में से 57 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। इन परियोजनाओं में दिनांक 31.12.2015 तक कुल 29399.03 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका है । शेष 07 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है ।

6.10 ऑटो टेस्टिंग ट्रेक : आटो टेस्टिंग ट्रेक की परियोजना विकसित करने का निश्चय भारत सरकार के वृहद उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय (वृहद् उद्योग विभाग) द्वारा किया गया है । इसके लिए नेशनल आटोमोटिव्हस टेस्टिंग एवं आर.एन.डी. इन्फ्रारट्रक्चर प्रोजेक्ट (नेट्रिप) की क्रियान्वयन संस्था NATRIP implementation society (NATIS) का गठन भारत सरकार, वृहद उदयोग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, वृहद उदयोग विभाग के पत्र क्रमांक 7/9/2005 एइआई-11 दिनांक 30.08.2005 से हुआ ।

उक्त परियोजना हेतु भूमि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई है। इस हेतु भू-अर्जन मुआवजा राशि रूपये 121.65 करोड़ एवं विशेष अनुग्रह राशि रूपये 61.18 करोड़ एवं न्यायालयीन प्रकरणों में राशि 214.35 करोड़ कुल राशि रू. 397.18 करोड़ कलेक्टर, धार को भू स्वामियों को प्रदान करने हेतु उपलब्ध करायी गई है । उक्त परियोजना हेतु 1405.432 हेक्टेयर निजी भूमि एवं 270.979 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आधिपत्य क्रियान्वयन संस्था नेट्रिप को प्रदान किया गया हैं ।

6.11 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास : प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों में अधोसंरचना विकसित करने हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में 37 विकास कार्यो हेतु प्लान/नॉनप्लान मद से राशि रू. 4037.52 लाख की वित्तीय स्वीकृति

विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं के पक्ष में माह दिसम्बर 2015 तक की स्थिति में प्रसारित की गई है ।

हाथकरघा उद्योग

6.12 हाथकरघा उद्योग परम्परागत एवं कलात्मक वस्त्रों के उत्पादन के साथ-साथ प्रदेश के बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराता है । वर्ष 2014-15 में राज्य के कुल 26000 स्थापित हाथकरघों में से लगभग 21000 हाथकरघे कार्यशील रहे है । कार्यशील करघों पर 225.00 लाख मीटर वस्त्रों का उत्पादन कर लगभग 35000 बुनकर/कारीगरों को रोजगार समर्थन उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 2015-16 में माह सितम्बर, 2015 तक कुल 28000 स्थापित हाथकरघों में से लगभग 21000 हाथकरघे कार्यशील रहे है । कार्यशील करघों पर लगभग 95 लाख मीटर वस्त्रों का उत्पादन कर 45000 बुनकरो/कारीगरों को रोजगार समर्थन दिया जा रहा है।

6.13 कुटीर उद्योग : प्रदेश में वर्ष 2014-15 नवीन मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में लगभग 658 शिल्पियों को रोजगार समर्थन उपलब्ध कराया गया । वर्ष 2015-16 में माह सितम्बर तक नवीन मुख्यमत्री स्व-रोजगार योजना में माह सितम्बर 2015 तक लगभग 320 उद्यमीयों को रोजगार समर्थन दिया जा रहा है ।

वर्ष 2014-15 में एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम / उदयमी/स्व-सहायता समूह/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग / युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण / प्रमोशन अभिलेखीकरण / कबीर बुनकर प्रोत्साहन योजना / हाथकरघा बुनकरों को वित्तीय पैकेज / वेलफेयर पैकेज / हाथकरघा उदयोग विकास योजना एवं मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के अतंर्गत कुल वार्षिक लक्ष्य 1117.15 लाख के विरूदध मार्च 2015 तक 1105.80 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई जिसके अतंर्गत कुल 22168 हितग्राही/बुनकर/क्लस्टर लाभाविंत हुए ।

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास

6.14 मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना म.प्र. लघु उद्योग निगम की सहायक कंपनी के रूप में वर्ष 1981 में हुई थी वर्तमान में निगम की अधिकृत पूंजी 2.00 करोड़ रूपये व प्रदत्त पूंजी 126.16 लाख रूपये है । वर्ष 1999 से राज्य शासन द्वारा निगम को हाथकरघा संबंधी कार्य सौपने के फलस्वरूप अब निगम का नाम **"मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं**

हाथकरघा विकास निगम" हो गया है । शासन के निर्देश के पालन में वर्ष 2013 से निगम का नाम **"संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम"** हो गया है ।

वर्ष 2013-14 तक संचालित अनेक योजनाओं को निम्नलिखित योजनाओं में समाहित कर दिया गया है -

6.14.1 एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम 6778 योजना का आच्छादन

कुटीर एवं ग्रामोदयोग विभाग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाना, वर्तमान क्लस्टरों को सुदृढ करना तथा नवीन क्लस्टरों को विकसित करना, क्लस्टरों में वित्तिय सार्मथ्य को बढानें हेतु डायग्नोस्टिक प्रति स्टडी हेतु रूपये 0.50 लाख की वित्तीय सहायता का प्रावधान है । नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट,डिजाईन, बाजार लिंकेज, सलाहकारों की सेवाये हेतु प्रति परियोजना रूपये 1.50 लाख वित्तीय सहायता का प्रावधान है । कमियों को चिन्हित करने हेतु अध्ययन, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, क्लस्टर में लघु एवं मध्यम उदयमियों अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु सेमीनार वर्कशाप, अध्ययन भ्रमण आदि हेतु प्रति परियोजना रूपये1.50 लाख वित्तीय सहायता का प्रावधान है । क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सडक, नाली, पेयजल, विदयुत प्रदाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधायें, अधोसंरचना, प्री-लूम, पोस्ट लूम सुविधाओं की स्थापना करना ।

शासकीय विभाग, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थायें, स्थानीय निकाय, निगम, बोर्ड, क्लस्टर क्लब एवं राज्य स्तरीय क्लस्टर डेवलपमेंट सेल क्रियान्वयन ऐजेंसी है । इस योजना में सौर उर्जा की व्यवस्था भी की जा रही है ।

6.14.2 ग्रामोदयोगों के ``प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण`` योजना हेतु नियम 2004 (संशोधित 2011)

प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोदयोग से संबंधित उत्पादों की लोकप्रियता बढाने तथा विकास कार्यो का अभिलेखीकरण जिसमें डिजाईन डिक्शनरी प्रकाशन, बोशर, प्रिटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग तथा बेस्ट प्रेक्टिसेस आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जावेगी । निगम, अशासकीय संस्थाये, शासकीय संस्थायें, हाथकरघा क्लस्टर क्लब एवं राज्य स्तरीय क्लस्टर डेवलपमेंट सेल आदि क्रियान्वयन ऐजेंसी है । यह योजना प्रोजेक्ट आधारित है ।

6.14.3 स्पेशल प्रोजेक्ट योजना हेतु अनुदान 6795

हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी क्षेत्र के विशेष उदेश्यों की पूर्ति के लिए राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप अंतगर्त निजी इकाईयों, कम्पनियों एवं व्यक्तिगत उदयमियो द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन।

राज्य राष्ट्रीय/राष्ट्रीय निगम, मण्डल, शासकीय संस्थायें एवं अंर्तराष्ट्रीय अशासकीय संस्थायें, निजी इकाईयां/कम्पनी/व्यक्तिगत उदयमी क्रियान्वयन एजेंसी हैं ।

यह सहायता प्रोजेक्ट आधारित है । प्रोजेक्ट सहायता, हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी से संबंधित विभिन्न मदों जैसे विपणन, स्वास्थ्य, रंगाई, डायवर्सिफिकेशन आफ प्रोडक्ट इत्यादि पर आधारित होगी । प्रोजेक्ट राशि का अधिकतम 70% राशि राज्य शासन द्वारा तथा कम से कम 30% राशि क्रियान्वयन संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। यह सहायता सक्षम वित्तिय समितियों (SFC) के विवेकाधीन होंगी । प्रस्ताव हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम में प्रस्तुत किए जा सकते हैं । स्वीकृति आवंटित बजट की सीमा में दी जायेगी ।

6.14.4 उद्यमियों/स्व-सहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग के लिये योजना 6792

हाथकरघा, हस्तशिल्प,रेशम तथा खादी से संबंधित इकाईयों में संबंध व्यक्तियों उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाऐ इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाईन विकास, उत्पाद परिवर्तन, विपणन एवं निर्यात से जुडी हुई गतिविधियों के उत्थान के लिए सहायता ।

सहकारी समितियां, इकाईयों, उद्यमी अथवा स्व-सहायता समूह, अशासकीय संगठन क्रियान्वयन एजेन्सी है। केवल वे ही संस्थाएं योजना में सहायता के पात्र होगे जिनका कार्यक्षेत्र में मध्यप्रदेश शामिल हो उनके उद्देश्य में ग्रामोद्योग सेक्टर में हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी उद्रयोग से संबंधित गतिविधियों को बढावा देने का उल्लेख हो ।

इस योजना में 6 माह के नवीन प्रशिक्षण के लिए 10 हितग्राहियों हेतु रूपये 0.78 लाख, 3 माह के उन्नत प्रशिक्षण के लिए रूपये 0.60 लाख, विशेषज्ञों की सेवा के लिए अधिकतम रूपये 1.00 लाख 2 प्रदर्शनियों के लिए रूपये 1.00 लाख का प्रावधान है । मेला प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए भी अधिकतम रूपये 1.50 लाख का अनुदान उपलब्ध है । प्रदेश के बाहर के मेलों में भागीदारी के लिए अधिकतम रूपये 30,000/- का प्रावधान भी है। निर्यात

प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भी वास्तविक खर्च का 75 प्रतिशत या रूपये 2.00 लाख, जो भी कम हो मिल सकता है । अधोसंरचना के लिए स्वयं की जमीन होने पर नई कर्मशाला निर्माण के लिए रूपये 5.00 लाख व पुराने भवन के मरम्मत के लिए रूपये 2.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। स्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा व शेष 25 प्रतिशत संबंधित इकाई को अशंदान देना होगा । उन्नत उपकरण क्रय के लिए औजार की कीमत के अनुसार, अधिकतम 12.000/- की सीमा में अनुदान स्वीकृत किया जाता है । कुल स्वीकृति का सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अनुदान है व अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 75 प्रतिशत अनुदान है । शेष अंश संबंधित शिल्पी/संस्था को मिलाना होगा ।

उद्यामी/स्व-सहायता समूह/अशासकीय संस्थाऐं अपने प्रस्ताव हस्तशिल्प एवं हाथकरधा विकास निगम की शाखाओं को प्रस्तुत कर सकती है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा छानबीन की प्रक्रिया के बाद अनुदान स्वीकृत किया जाता है । कुल स्वीकृति बजट पर निर्भर करेगी ।

6.14.5 अनुसंधान एवं विकास योजना क्र. 6897

शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएं, सहाकारी समितियां इकाई एवं स्व-सहायता समूह, क्लस्टर क्लब एव क्लस्टर डेवलपमेट सेल क्रियान्वयन एजेन्सी है ।

हाथकरधा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी से संबंधित इकाईयों को क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य संपादित करने हेतु अध्ययन एवं मूल्याकंन (इम्पेक्ट एसेसमेंट) हेतु नीतियों के क्रियान्वयन का व्यावसायिक तथा विशेषज्ञ संस्थाओं से अध्ययन/ विश्लेषण कार्य कराये जाने हेतु सहायता दी जा सकती है ।

6.14.6 सूचना प्रौद्योगिकी योजना

इस योजना में निगम द्वारा स्वयं के विकास केन्द्रों, हाथकरघा संचालनालय के जिला कार्यालयों के अतिरिक्त शिल्पियों / स्व-सहायता समूहो /बुनकर सहकारी समितियों के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था की जा रही है। शिल्पी/ स्व-सहायता / बुनकर सहकारी समितियों को कम्प्यूटर 33 प्रतिशत अनुदान पर दिये जा रहे है । अनुसूचित जाति व जनजाति के हितग्राहियों के लिए अनुदान 50 प्रतिशत है ।

6.14.7 शिल्पी कल्याण योजना

इस योजना में निगम द्वारा शिल्पियों के लिए स्वास्थ्य केम्प का आयोजन, अनुदान पर स्वास्थ्य बीमा, महिला शिल्पियों/ शिल्प-बुनकर परिवार की बेटियों के लिए नि:शुल्क प्रोफेशनल स्टडीज की व्यवस्था की जा रही है

6.15 विपणन सहायता : शिल्पियों व बुनकरों के लिये सबसे प्रमुख समस्या विपणन की होती है । शिल्पियों के उत्पाद बिक्री हेतु निगम द्वारा उन्हें विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाती है । विपणन सहायता देने के लिये निगम द्वारा 23 एम्पोरियम संचालित किये जा रहे है, जिनमें से 10 प्रदेश के बाहर स्थित है । इन एम्पोरियमों द्वारा डायरेक्ट मार्केट लिंकेज के लिए देश भर में प्रतिवर्ष प्रदर्शनियां लगाकर शिल्पों की बिक्री की जाती है । निगम ने वर्ष 2014-15 में एम्पोरियमों के माध्यम से 2962.28 करोड़ रूपये के शिल्प व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री की गई है । वर्ष 2015-16 में नवम्बर 2015 तक में एम्पोरियमों द्वारा 1353.40 लाख रूपये के शिल्प व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री की जा चुकी है । निगम द्वारा सीधे मार्केट लिंकेज के लिये देश भर में प्रदर्शनियां लगाई जाती है । वर्ष 2014-15 में इन प्रदर्शनियों में शिल्पियों व बुनकरों द्वारा 2147.24 करोड़ रूपये की बिक्री की गई । वर्ष 2015-16 में नवम्बर 2015 तक 36 प्रदर्शनियों में 648.10 लाख रूपये की बिक्री की गई ।

6.16 शासकीय प्रदाय : भण्डार क्रय नियमों की कण्डिका 14 अ के अंतर्गत यह निगम आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प का प्रदायकर्ता अभिकरण है । निगम द्वारा हाथकरघा क्लस्टर्स में भारत शासन की योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हाथकरघा विकास निगम के यार्न डिपों संचालित किये जा रहे है । आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प से प्राप्त आदेश व उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार निगम, बुनकर समितियों/संस्थाओं को यार्न बिक्री करता है । वर्ष 2014-15 में 162.82 लाख रूपये के वस्त्र शासकीय विभागों को प्रदाय किये गये एवं वर्ष 2015-16 में नवम्बर 2015 तक 24.71 लाख रूपये के वस्त्र शासकीय विभागों को प्रदाय किये जा चुके है ।

शिल्पियों की सहायता के लिये निगम द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों/ सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 29 विकास सह संग्रहण केन्द्र/सामान्य सुविधा केन्द्र/विपणन सह विस्तार केन्द्र स्थापित किये गये हैं । यह विकास केन्द्र 39 क्लस्टर्स में योजना का लाभ उपलब्ध करवाते है । विपणन के लिए निगम द्वारा 23 एम्पोरियम संचालित किये जा रहे है जिनमे से 10 प्रदेश के बाहर (मुम्बई, बंगलौर, चेन्नई, पुणे, कालीकट गोवा, अहमदाबाद, नोएडा, कोलकत्ता व जयपुर) में है । शिल्पियों को सीधे ग्राहको के संपर्क में लाकर विपणन सहायता देने के लिये मेला परिसर, ग्वालियर व गौहर

महल, भोपाल लाल बाग पैलेस इन्दौर में शहरी हाट संचालित है । शहरी हाट में शिल्पियों को रोटेशन से अपना माल सीधे ग्राहको को बिक्री करने का अवसर दिया जाता हैं ।

रेशम उद्योग

6.17 कृषि वानिकी पर आधारित रेशम उद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्राम में ही ग्रामीणों को रोजगार के लाभदायक साधन उपलब्ध कराना है ताकि वे अपना जीविकोपार्जन सुचारू रूप से चला सकें । रेशम उद्योग की योजनाएँ मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये क्रियान्वित की जा रही है । इस उद्योग को महिलायें रोजगार के रूप में व्यापक रूप से अपनाती हैं, इसलिये इस उद्योग में उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं । वर्तमान में लगभग 13 जिलों में रेशम उद्योग की गतिविधियॉ संचालित हैं ।

वर्ष 2014-15 में 12.79 लाख किलो मलबरी कोया तथा 1620.00 लाख नग टसर कोया का उत्पादन तथा 1500 कि.ग्रा.इरी शैल उत्पादन हेतु 65290 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध मार्च, 2015 तक 15.01 लाख किलो मलबरी कोया एवं 650.73 लाख नग टसर कोया का उत्पादन तथा 1505 कि.ग्रा.इरी शैल उत्पादन हुआ । इस अवधि में रेशम गतिविधियों के माध्यम से 56429 हितग्राही लाभान्वित हुये है । इसके अतिरिक्त 2014-15 में 1425 हेक्टर क्षेत्र में मलवरी पौधरोपण का लक्ष्य जिसमें 1388 हेक्टेयर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 36 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2015 तक 1434 हेक्टेयर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 44 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण किया जा चुका है ।

वर्ष 2015-16 में 14.88 लाख किलो मलबरी कोया तथा 1780.00 लाख नग टसर कोया का उत्पादन तथा 31238 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2015 तक लगभग 8.666 लाख किलो मलबरी कोया एवं 205.73 लाख नग टसर कोया का उत्पादन हुआ । इस अवधि में रेशम गतिविधियों के माध्यम से 20754 हितग्राही लाभान्वित हुये है । इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 में 3178 हेक्टेयर क्षेत्र में मलवरी पौधरोपण का लक्ष्य जिसमें 3157 हेक्टेयर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्दों पर 21 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबरी पोधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2015 तक 954 हेक्टेयर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 6.0 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबरी पोधरोपण किया जा चुका है ।

रेशम उद्योग के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के लक्ष्य एवं उपलब्धि को **तालिका 6.5** में दर्शाया गया है :-

तालिका 6.5

रेशम उत्पादन

विवरण	**वर्ष 2013-14 की उपलब्धि**	**वर्ष 2014-15 की उपलब्धि**	**गत वर्ष से प्रतिशत**	**वर्ष 2015-16 की उपलब्धि (माह दिसम्बर, 15 तक)**
मलबरी कोया उत्पादन (किलोग्राम में)	1094700	1501000	(+) 137	866600
टसर कोया उत्पादन (लाख नग में)	932.643	650.730	(-) 69	205.73

खादी तथा ग्रामोद्योग विकास

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योग का विकास कर ग्रामीण रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराना है ।

6.18 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना : इस योजना के अंतर्गत 20.00 हजार तक की आबादी वाले ग्रामों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्य विभिन्न ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण/मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाती है । योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में 905 इकाईयों में 2401.45 लाख रूपये मार्जिन मनी का वितरण कर 6104 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा वर्ष 2015-16 में माह नवम्बर, 2015 तक 110 इकाईयों में 309.34 लाख मार्जिन मनी का वितरण कर 699 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ।

6.19 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना : योजना का उद्देश्य विभिन्न जिलों में समाज के सभी वर्गो के लिए स्वयं का उद्योग (विनिर्माण/सेवा) अन्तर्गत स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है । योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी शुल्क का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम 20.00 हजार रूपए से अधिकतम 10.00 लाख रूपए सीमा तक होगी । योजना के अतंर्गत परियोजना लागत पर बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर)/ महिला/ अल्प संख्यक/ नि:शक्तजन हेतु

30 प्रतिशत, अधिकतम 2.00 लाख रूपये अनुदान राशि की पात्रता होगी तथा सामान्य वर्ग के लिये 15 प्रतिशत अधिकतम (राशि रुपये 1.00 लाख) अनुदान की पात्रता होगी ।

इसके अतिरिक्त परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम 25.00 हजार रूपये प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक देय होगा । योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है । वर्ष 2014-15 में 2365 इकाईयों में 1172.10 लाख रूपये अनुदान वितरण किया गया है। योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में 3000 इकाईयों में 1105.38 लाख रूपये का अनुदान वितरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्ध माह नवम्बर, 2015 तक 834 इकाईयों में 599.81 लाख रूपये अनुदान वितरण किया गया है।

6.20 खादी उत्पादन : मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में सूती खादी, पॉली वस्त्र, रेशमी खादी एवं ऊनी खादी के कुल 12 उत्पादन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं । वर्ष 2014-15 में विभिन्न प्रकार की खादी का 393.26 लाख रूपये का उत्पादन किया गया और 402 कत्तिन बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 2015-16 में माह नवम्बर, 2015 तक खादी का 340.52 लाख रूपये का उत्पादन किया गया और 410 कत्तिन बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ।

पर्यटन

6.21 पर्यटन नीति : प्रदेश के विकास में शासन के स्त्रोतों के साथ-साथ निजी क्षेत्रों की भागीदारी का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है । पर्यटन क्षेत्र में निजि क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा पर्यटन नीति 2010 (यथा संशोधित - 2014) को लागू की गई है । जिससे निजि क्षेत्र को निवेश के लिए अधिकाधिक आकर्षित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

पर्यटन विभाग को आवंटित भूमियों को नीलामी द्वारा जन-निजी भागीदारी के अंतर्गत भूमि आवंटन के लिए कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार निर्धारित प्रति हेक्टर की दर पर 50 प्रतिशत रियायत बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास भूमि गिरवी रखने एवं भूमि समर्पण की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु भूमि आवंटन नीति 2008 (यथा संशोधित 2014) लागू की गई है ।

6.22 राज्य शासन पर्यटन विकास के अंतर्गत पर्यटकों की संख्या में वृध्दि एवं प्रदेश को देश के प्रथम पर्यटक गन्तव्य स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए सतत प्रयत्नशील है एवं इस दिशा में पर्यटन स्थलों तक आवागमन सुविधा अधोसंरचना विकास एवं प्रचार-प्रसार को बढावा दिया जा रहा है । कनेक्टिविटी एवं त्वरित आवागमन को सुलभ बनाये जाने हेतु प्रदेश में आंतरिक वायु सेवा निजी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटकों को सुलभएयर कनेक्टिविटी के लिए निजी संचालक मेसर्स **वेन्चुरा एयरकनेक्ट** के माध्यम से प्रदेश में आंतरिक वायु सेवाएं संचालित की जा रही थी उक्त कंपनी से दिनांक 06.09.2014 को अनुबंध समाप्त हो चुका है।

6.23 पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष 2015-16 नई आवासीय इकाईयां-हाण्डिया एवं डोडी शुरू की गई । पर्यटन इकाईयों में 143 नवीन कक्षों की बढोत्तरी की गई । इस प्रकार निगम की इकाईयां में कुल 1105 कक्ष उपलब्ध है जिसमें टेण्ट एकामोडेशन सम्मिलित है तथा डोरमेटरी बेडस की संख्या 201 है वर्तमान में पर्यटन निगम की इकाईयों में 151 नवीन कक्षों का निर्माण प्रगतिपर है ।

6.24 मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा **मध्यप्रदेश टैवल मार्ट** का आयोजन भोपाल में माह अक्टूबर 2015 में किया गया, जिसमें देश तथा विदेशों से आये टैवल एजेंट एवं टैवल मीडिया के लोग सम्मिलित हुए । इस मार्ट में 20 देशों के वायर्स(यू.एस.ए., यू.के., आस्टेलिया, रूस, फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफीका, ईरान, पौलेण्ड, ग्रीस, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, ओमान, इटली एवं सिंगापुर) सम्मिलित हुए ।

6.25 प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केन्द्रों को मुख्य मार्गो से जोडने वाले मार्गो को चयनित किया जाकर इन्हे प्राथमिकता के आधार पर उच्च स्तरीय बनाए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है इसके अतिरिक्त अन्य पर्यटन महत्व के मार्गो का विकास किया गया है ।

वर्ष 2014-15 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को रू. 107.33 करोड पर्यटकों से आय के रूप में प्राप्त हुई है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर तक रू. 95.05 करोड की आय प्राप्त हुई है । इस दौरान वर्ष 2015 में माह अक्टूबर तक 6.63 करोड पर्यटक मध्यप्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हेतु आये । पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस टैक्सी डाईवर कुली होटेलियर्स इत्यादि को प्रशिक्षण दिया जा रहा है , इसके अतिरिक्त टूरिस्ट हेल्पलाईन सी.एम. हेल्पलाईन महिला हेल्पलाईन भी प्रचलन में है ।

6.26 ईको टूरिज्म एवं रोमांचक पर्यटन के अंतर्गत प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न जलाशयों एवं केन्द्रों पर जलक्रीडा एवं साहसिक खेलों की सुविधाएं पर्यटको को उपलब्ध कराई जा रही है,

इसके अंतर्गत भोपाल स्थित बोट क्लब पर पैरासेलिंग, पैडल बोट, स्पीड बोट, क्रूज, बोट का संचालन बरगी डेम (जबलपुर) एवं तवा नगर, होशंगाबाद में आधुनिक सुविधायुक्त स्पीड बोट एवं क्रूज बोट का संचालन किया जा रहा है ।

पर्यटकों की रूचि को दृष्टिगत रखते हुए तवा मढई तवा में एक और मिनी क्रूज लांच किया गया है इसके अतिरिक्त इंदिरा सागर में क्रूज तथा तवानगर में हाउसबोट का संचालन प्रारंभ की जाएगी तथा अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क, पिपलिया पाला, इन्दौर में नवीन बोट क्लब प्रारंभ कर संचालित किया जा रहा है जिसमें आधुनिक क्रूज का संचालन किया जा रहा है । आगामी वर्षो में विभाग की जल पर्यटन नीति के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जलाशयों में साहसिक एवं जल क्रीडा सुविधाएं विकसित की जाएंगी । साहसिक खेलों को बढावा देने के उदेश्य से प्रदश के जिलोंमें जिला टूरिज्म प्रमोशन काउन्सिल के माध्यम से साहसिक खेलों का आयोजन लगातार किया जा रहा है ।

6.27 भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय द्वारा एफ.सी.आई. खजुराहों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में जबलपुर और इन्दौर,रीवा में आतिथ्य प्रशिक्षण के संस्थान विभाग द्वारा चलाये जा रहें है । विगत वर्षो में निगम द्वारा 7950 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है एवं वर्ष 2018 तक 30000 लोगों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

6.28 प्रदेश के प्रमुख शहरों को वायु सेवा से जोडने के लिए निजि प्रचालको के माध्यम से वायु सेवा संचालित किए जाने के लिए प्रदेश को "**प्रदेश को वायु सेवा से जोडने के संबंध में नीति-2014"** जारी की गई है । इस हेतु राज्य शासन द्वारा हवाई सेवाओं के लिए अनुदान, प्रदेश स्थित शासन के स्वामित्व एवं नियंत्रण के हवाई अडडों पर एम्बुलेंस तथा फायर ब्रिगेड के वास्तविक व्यय तथा उडानों उपयोग में आने वाले ईंधन पर वेट की प्रतिपूर्ति तथा हवाई अडडों पर नि:शुल्क सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है ।

खनिज

6.29 राज्य की अर्थ व्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है । खनिज संसाधनो में प्रचूरता की दृष्टि से मध्यप्रदेश राष्ट्र के आठ प्रमुख खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है । वर्ष 2014-15 में (तेल एवं प्राकृतिक गैस को छोड़कर) प्रदेश में कोयला के सकल उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान है । राज्य में वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य 14363.20 करोड़ रूपये (अंनतिम) हुआ जो गतवर्ष में उत्पादित मुख्य खनिज के उत्पादन मूल्य 12935.81 करोड़ रूपये से 10.78 प्रतिशत अधिक है ।

बाक्स 6.1
खनिज उत्पादन

खनिज **संपदा की दृष्टि से प्रदेश राष्ट्र की आठ खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है, प्रदेश में प्रमुख रूप से 20 प्रकार के खनिजों का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है ।**

हीरा उत्पादन में प्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ-साथ पायरोफिलाइट, ताम्र अयस्क, मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में भी राष्ट्र को प्रथम स्थान प्राप्त है । इसके अतिरिक्त प्रदेश को राकफॉस्फेट, चूनापत्थर, डायस्पोर, क्ले (अर्दस) के उत्पादन में द्वितीय शैल, लेटाराइट, ओकर के उत्पादन में तृतीय स्थान प्राप्त है । कोयले, डोलोमाईट के उत्पादन में प्रदेश का स्थान राष्ट्रीय परिदृष्य में चौथा है ।

प्रदेश में विगत वर्षों में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में हुई वृद्धि / कमी का वर्षवार विवरण **तालिका 6.5** में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.5
प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

खनिज	2012-13 (स)	गतवर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	2013-14 (स)	गतवर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)	2014-15 (प्रावधिक)	गतवर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)
कोयला	759.48	(+) 5.99	755.90	(-) 0.47	852.08	(+) 12.72
बाक्साइट	10.17	(+) 64.83	7.76	(-) 23.7	8.08	(+) 4.12
ताम्र अयस्क	22.54	(+) 8.21	23.76	(+) 5.41	24.58	(+) 3.45
आयरन ओर	12.25	(+) 11.16	20.90	(+) 70.61	40.19	(+) 92.30
मैगनीज अयस्क	7.15	(+) 10.34	7.96	(+) 11.33	8.84	(+) 11.06
रॉक फास्फेट	2.48	(+) 1.64	1.31	(-) 52.82	0.78	(-) 40.46
हीरा (कैरेट)	31988	(+) 73.00	37517	(+) 17.29	35724	(-) 4.78
डोलोमाईट	6.56	(+) 42.61	5.96	(+) 9.15	5.43	(-) 8.89
फायरक्ले	0.71	(+) 5.97	0.74	(+) 4.23	0.23	(-) 68.92
चूना पत्थर	355.36	(+) 4.30	378.32	(+) 6.46	389.72	(+) 3.01
गैरू	0.55	(+) 1.85	0.69	(+) 25.45	0.70	(+) 1.45

प्रदेश में वर्ष 2014-15 में वर्ष 2013-14 की तुलना में महत्वपूर्ण खनिजों यथा कोयला, ताम्र अयस्क, आयरन ओर, मैगनीज अयस्क, चूना पत्थर एवं गेरू के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है जबकि रॉकफास्फेट, डोलोमाइट, फायरक्ले के उत्पादन में कमी देखी

गई । सर्वाधिक वृद्धि आयरन ओर एवं कोयले के उत्पादन में क्रमश 92.30 एवं 12.72 प्रतिशत की देखी गई, वहीं बाक्साइट, ताम्र अयस्क, मैगनीज अयस्क एवं चूना पत्थर, गैरू के उत्पादन में क्रमश: 4.12, 3.45, 11.6, 3.01, 1.45 प्रतिशत की परिलक्षित रही ।

वही अन्य मुख्य खनिजों यथा रॉक फास्फेट, डोलोमाइट एवं अग्निमृत्तिका के उत्पादन में वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में कमी परिलक्षित रही। हीरे का उत्पादन 2013-14 में 37517 कैरेट था जो गत् वर्ष 2014-15 में घटकर 35724 कैरेट हो गया।

बाक्स 6.2
खनिज नीति एवं खनिज प्रशासन

राष्ट्रीय खनिज नीति के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित खनिज नीति में खनिजों के दोहन एवं अन्वेषण में आधुनिकतम तकनीक का उपयोग कर खनिज उद्योगों में स्थानीय लोगों की भागीदारी एवं पर्यावरण संतुलन पर जोर दिया गया है । प्रदेश में उपलब्ध खनिज भंडारों के दोहन हेतु मध्यप्रदेश गौण खनिज 1996 के निराकरण पश्चात पटटे दिए जाते हैं, अथवा खदाने नीलामी पर आवंटित की गई हैं ।

गौण खनिज रियायतों की स्वीकृति के कार्य मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानानुसार सम्पादित किए जाते हैं, दिनांक 12.01.2015 से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 में संशोधन कर मुख्य खनिजों के क्षेत्रों को कम्पोजिट लाइसेंस व माईनिंग लीज नीलामी से आवंटित किए जाने का प्रावधान लगाया गया है, विभाग द्वारा कुछ खनिज ब्लाक नीलामी हेतु चयनित भी किए गए है।

भारत सरकार ने 31 मुख्य खनिजों को दिनांक 10.02.2015 से गौण खनिज धोषित किया है। इन 31 खनिजों की नीलामी आवंटित किए जाने हेतु प्रथक से नियम बनाऐ जाने व मध्य्रपदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधित कार्यप्रचलन में है । खनिजों के अवैध उत्खनन की रोकथाम का कार्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 धारा 21 तथा मध्यप्रदेश गौण खनिज 1996 के नियम 53 के अतिरिक्त म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (7) के अन्तर्गत किये जाने का प्रावधान है ।

वर्ष 2004 से खनिज विभाग द्वारा गौण खनिजों से प्राप्त होने वाली राजस्व राशि की सूचना पंचायत विभाग को उपलब्ध कराई जाती है । जिससे पंचायत विभाग द्वारा विभागीय बजट प्रावधान में सम्मिलित कर वित्त विभाग से स्वीकृति उपरांत पंचायत विभाग द्वारा उक्त राशि जिलों को आवंटित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में खनिज राजस्व से शीर्ष 0853/0035 के अंतर्गत खनिज राजस्व का संशोधित लक्ष्य 2500.00 करोड़ रूपये रखा गया था, जिसके विरूद्ध राजकोष में 2940.70 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्तियां हुई ।

6.30 खनिज अन्वेषण : वर्ष 2013-14 में खनिज अन्वेषण के अंतर्गत 12801 वर्ग किलोमीटर भाग में सर्वेक्षण/मानचित्रण, तथा 5139.65 मीटर वेधन किया गया था । वर्ष 2014-15 में 13922 वर्ग किलोमीटर भाग में सर्वेक्षण/मानचित्रण तथा 5630.81 मीटर वेधन कार्य किया गया ।

6.31 प्रदेश में स्थित खनिज भण्डार : राज्य में वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक चूनापत्थर, डोलोमाइट, लेटेराइट भण्डारों के आंकलन का कार्य किया गया है । विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध प्लेगस्टोन तथा कटिंग पालिशिंग हेतु विभिन्न जिलों की खनिज तालिका बनाने का कार्य पूर्ण किया गया। राज्य में आंकलित भण्डारों का वर्षवार विवरण **तालिका 6.6** में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.6

प्रदेश में स्थित खनिज भण्डार

(मिलियन टन)

वर्ष	क्र.	खनिज का नाम	जिला	भण्डारों का आकलन
2010-11	1	डोलोमाइट	छतरपुर	12.73
	2	चूना पत्थर	सतना	25.00
	3	लेटेराइट	नीमच/मंदसौर	35.00
2011-12	1	डोलोमाइट	छतरपुर	14.04
	2	चूना पत्थर	सतना	25.00
	3	लेटेराइट	नीमच/मंदसौर	20.10
2012-13	1	डोलोमाइट	छतरपुर	6.37
	2	चूना पत्थर	सतना	15.00
2013-14	1	डोलोमाइट	छतरपुर	6.37
	2	चूना पत्थर	सतना	15.00
2014-15	1	चूना पत्थर	सतना	15.00

6.32 प्रदेश के खनिज भण्डारों की जानकारी : राज्य में प्रमुख खनिजों की विभिन्न श्रेणियों के भण्डार आर्थिक दृष्टि से उपलब्ध हैं । खनिज भण्डारों का वर्ष 2011 की स्थिति का विवरण **तालिका 6.7** में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.7
प्रदेश के खनिज भण्डार

खनिज	2011	
	इकाई	कुल भण्डार
हीरा	हजार कैरेट	1045.31
पायरोफिलाइट	मिलियन टन	14.64
ताम्र अयस्क	मिलियन टन	198.32
डोलोमाइट	मिलियन टन	82.43
मेंगनीज अयस्क	मिलियन टन	34.99
कोयला	मिलियन टन	21063.03
चूना पत्थर	मिलियन टन	1651.82
रॉकफॉस्फेट	मिलियन टन	18.14
डायस्पोर	मिलियन टन	1.45

स्त्रोत- भारतीय खान ब्यूरो खनिज पुस्तक ।

7

अधोसंरचना

अधोसंरचना विकास प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों की उत्पादक गतिविधियों के विस्तार और विकास के लिये आवश्यक है । विगत पॉच वर्षो में प्रदेश के अधोसंरचना विकास कार्यों में तेजी आई है । प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षमता विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन द्रुतगति से चल रहा है । उद्योग एवं व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज मार्गों के उन्नयन कार्य में तेजी आई है । त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत वृहद सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्माण का कार्य प्रगति पर है । सस्ती हवाई सेवा से प्रदेश के चारों प्रमुख नगरों- इन्दौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर को देश की राजधानी से जोड़ा गया है ।

ऊर्जा

नब्बे के दशक से विद्युत की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सका, साथ ही पारेषण एवं वितरण अधोसंरचना के क्षेत्र में भी आवश्यकता की तुलना में काफी कम कार्य हुए, परिणाम स्वरूप विद्युत उपलब्धता और मांग में अंतर बढ़ता गया तथा विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में भी व्यापक गिरावट आई । धन की कमी के चलते पारेषण और वितरण अधोसंरचना विकास पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया गया । वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के कारण तत्कालीन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की आस्तियों, दायित्वो लेनदारी एवं देनदारी का उचित बटवारा न होने से भी प्रदेश में विद्युत क्षेत्र की कठिनाईयों में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ वित्तीय संकट में भी वृद्धि हुई । प्रदेश में विद्युत क्षेत्र को वित्तीय एवं विद्युत कमी के संकट से उबारने के लिए सुधार की प्रक्रिया वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई ।

7.1 संस्थागत सुधार : विद्युत क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन के लिये मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के वृहद्ध स्वरूप का पुनर्गठन किया गया तथा उत्पादन, पारेषण एवं विद्युत वितरण हेतु कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत विद्युत कम्पनियों का गठन जुलाई, 2002 में किया गया।

सभी विद्युत कंपनियां यथा म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, एवं म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, 1 जून 2005 से पूर्णतः स्वशासी हो गई है । विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत विद्युत के थोक व्यापार के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पावर ट्रेडिंग कंपनी गठित कर उसे माह जून 2006 से क्रियाशील किया गया । पावर ट्रेडिंग कंपनी का मूल कार्य तीनो वितरण कंपनियों के लिए विद्युत की व्यवस्था करना है। कंपनी का नाम 10 अप्रैल, 2012 को परिवर्तित कर एम.पी पावर मेनेजमेंट कंपनी

लिमिटेड किया गया एवं विद्युत वितरण के कार्यो को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए इसे तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कम्पनी का स्वरूप प्रदान किया गया । म.प्र. राज्य विद्युत मंडल का पावर मेनेजमेंट कंपनी में 26 अप्रैल, 2012, को विलय कर दिया गया है, तथा मंडल अब अस्तित्व में नहीं है । उर्जा विभाग के अधीन इन कम्पनियों की सरंचना **बॉक्स 7.1** में दर्शाया गया है ।

बॉक्स 7.1

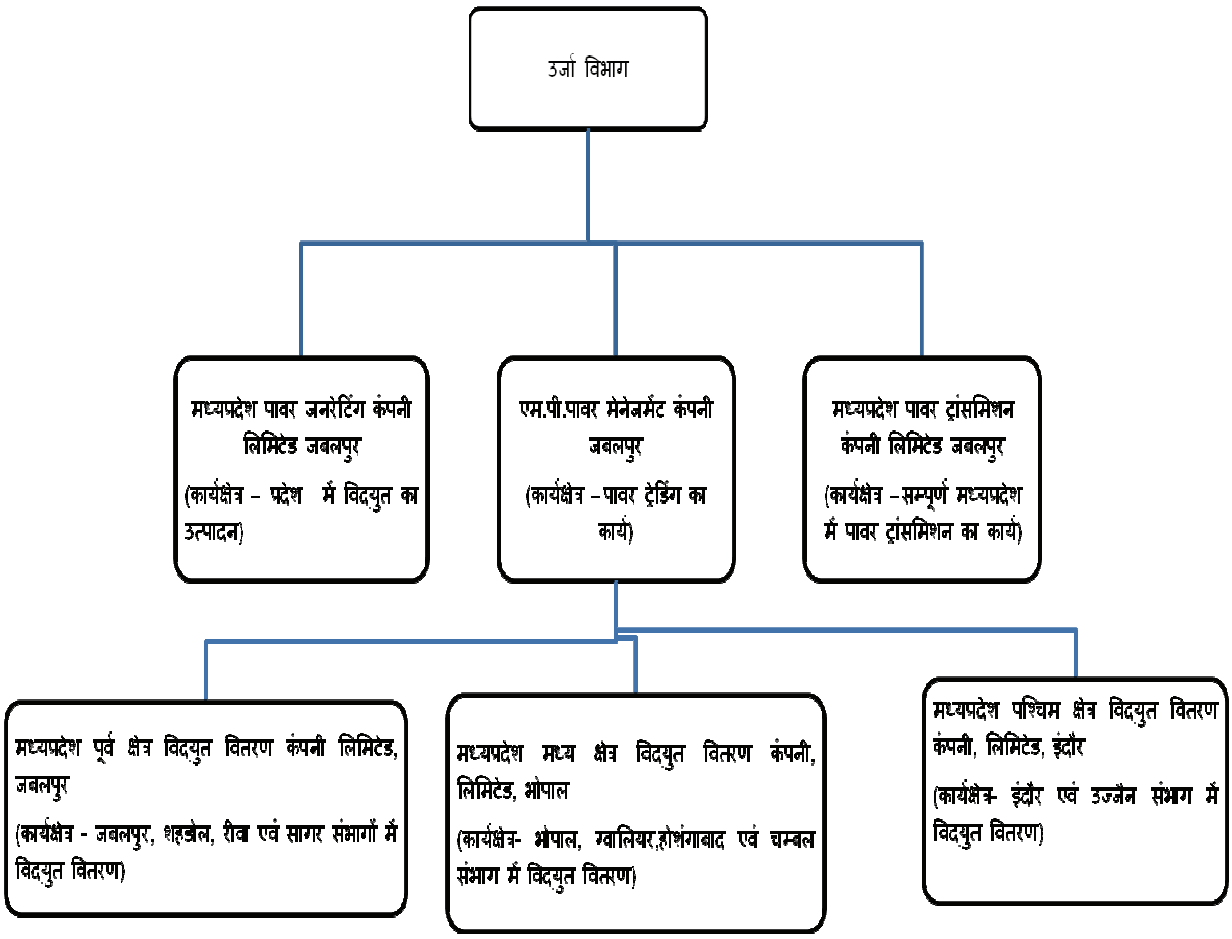

विद्युत कंपनियों तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण, विद्युत क्षेत्र में राज्य सरकार का कार्य नीति निर्धारण तक सीमित करने तथा विद्युत दरों के निर्धारण एवं नियमन कार्यो के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 1998 में स्थापना की गयी थी। विद्युत अधिनियम 2003 लागू होने के उपरान्त नियामक आयोग व्दारा इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत विद्युत कंपनियों व्दारा प्रेषित राजस्व आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये तथा जन सुनवाई के उपरांत विद्युत दरों के निर्धारण हेतु टैरिफ आदेश जारी किये जाते है । इन टैरिफ

आदेशों के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत दरों के युक्ति-युक्तकरण करने के प्रयास किये गये है ।

7.2 विद्युत उपलब्धता : दीर्घ कालीन विद्युत क्रय अनुबंधों के माध्यम से प्रदेश में विद्युत उपलब्धता में व्यापक वृद्धि हुई है । प्रदेश में सभी गैर-कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा हैं । माह 31 अक्टूबर 2015 की स्थिति में प्रदेश में उपलब्ध विद्युत क्षमता का विवरण **तालिका 7.1** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.1
उपलब्ध विद्युत क्षमता

(माह अक्टूबर 2015 की स्थिति में)

विद्युत उत्पादन	उपलब्ध क्षमता (मेगावाट)
1.म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी के (ताप विद्युत गृह)	4320
2.म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी के (जल विद्युत गृह)	917
3.संयुक्त उपक्रम जल परियोजना, (नर्मदा प्रोजेक्ट एवं अन्य जल विद्युत गृह)	2426
4.केन्द्रीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र एवं डी.वी.सी. से प्राप्त अंश	3873
5.निजी क्षेत्र के ताप विद्युत गृह से प्राप्त अंश	2986
6.पारम्परिक उर्जा स्त्रोत एवं अन्य	1376
कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता	**15898**

राज्य सरकार ने विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत एवं आगामी वर्ष हेतु एक समग्र योजना बनाई है जिस पर क्रियान्वयन प्रगति पर है । योजना का वर्षवार विवरण **तालिका 7.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.2
विद्युत उपलब्धता वृद्धि योजना

अक्टूबर 2015 की स्थिति में

वर्ष	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी की परियोजनाओं से	केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से	निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से	अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत से	कुल विद्युत उपलब्धता (मेगावाट)
2015-16	-	-	420	130	550
2016-17	-	206	-	-	206
2017-18	-	1119	-	300	1419
2018-19	1188	66	-	-	1254
कुल	**1188**	**1391**	**420**	**430**	**3429**

7.3 विद्युत प्रदाय : प्रदेश में विगत वर्षो से औद्योगिक क्षेत्र को 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । जून 2013 से सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । विद्युत प्रदाय का वर्षवार विवरण **तालिका 7.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.3

विद्युत प्रदाय

(मिलियन यूनिट)

वर्ष	म.प्र. विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा			संयुक्त उपक्रम जल परियोजना			केन्द्रीय इकाईयों एवं डी.वी.सी से	निजी क्षेत्र अपारंपरिक एवं अन्य	प्रदेश की प्रणाली में प्रदायित विद्युत (*)
	थर्मल	हाइडल	कुल	इन्दिरा सागर	सरदार सरोवर	औकारेश्वर			
2010-11	13449	1690	15139	2195	2002	993	17086	794	38956
2011-12	13669	3163	16833	3275	2424	1366	17512	2451	43330
2012-13	14814	3152	17966	2887	2057	1256	20943	3758	48028
2013-14	14180	3655	17835	4049	3250	1620	20575	6233	51104
2014-15	15231	2720	17951	2543	1621	1121	22104	12401	56196

(*) वितरण कंपनियों हेतु एक्स-बस (ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की आपूर्ति सम्मिलित छोडकर)

वर्ष 2013-14 में राज्य में कुल विद्युत प्रदाय 51104 मिलियन यूनिट है, जबकि वर्ष 2014-15 में विद्युत प्रदाय 56196 मिलियन यूनिट रहा है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 9.96 प्रतिशत अधिक रहा ।

7.4 विद्युत मांग : अक्टूबर 2015 में विद्युत उपलब्धता क्षमता 15898 मेगावाट हो चुकी है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्र एवं डी.वी.सी.से प्राप्त 3873 मेगावाट विद्युत क्षमता सम्मिलित हैं। रबी के मौसम (नवम्बर से मार्च) में कृषि क्षेत्र की विद्युत मांग लगभग 3500 मेगावाट की वृद्धि होती है। रबी के मौसम में न्यूनतम और अधिकतम आवश्यकता क्रमानुसार लगभग 6500 मेगावाट एवं 10000 मेगावाट रहती है, अतः रबी मौसम में विद्युत प्रदाय की सुचारू व्यवस्था के लिये विद्युत बैंकिग का उपयोग भी किया जाता है। वर्ष 2014-15 में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा दीर्धकालीन विद्युत क्रय अनुबंध के कारण विद्युत की उपलब्धता मांग के अनुरूप हो गयी हैं तथा प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में आत्म निर्भरता की स्थिति में आ गया है।

7.5 विद्युत विक्रय : वर्ष 2014-15 में वर्ष 2013-14 की तुलना में 13.54 प्रतिशत अधिक विद्युत विक्रय की गई । वर्ष 2011-12 से 2014-15 में विद्युत विक्रय की स्थिति **चित्र 7.1** में दर्शायी गई है ।

चित्र 7.1

विद्युत विक्रय

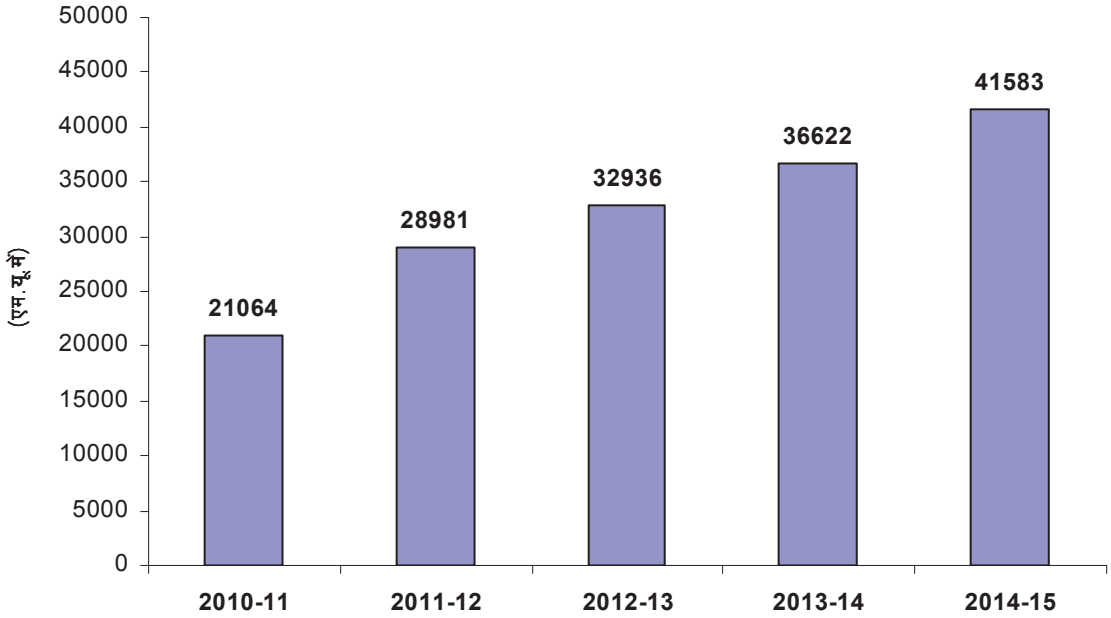

7.6 अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति : विगत वर्षों में विद्युत की उपलब्धता में निरन्तर सुधार होने से कृषि क्षेत्र हेतु विद्युत की उपलब्धता में भी निरंतर सुधार हुआ है । वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक विद्युत मांग आपूर्ति **चित्र 7.2** में दर्शायी गई है ।

चित्र 7.2

अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति

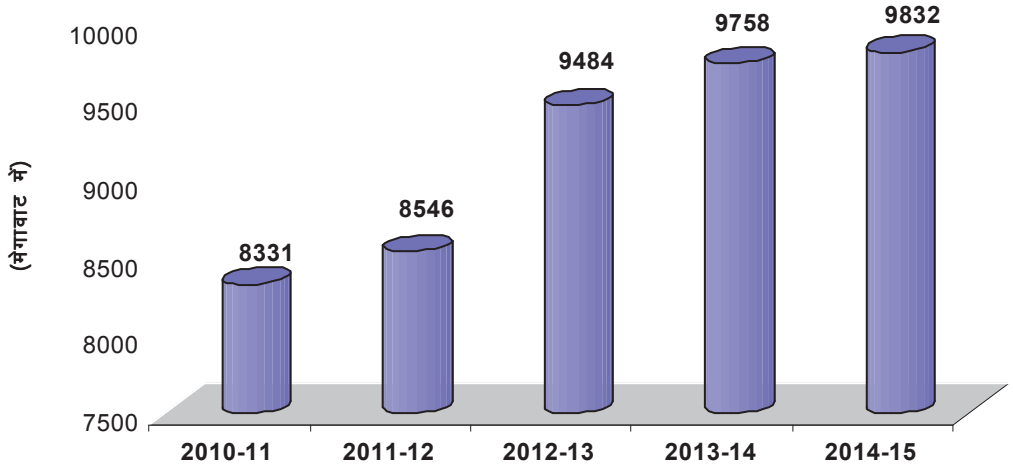

7.7 विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट : वर्ष 2010-11 से 2014-15 में मध्यप्रदेश की विद्युत वितरण प्रणाली में किये गये इनपुट का विवरण **चित्र 7.3** में दर्शाया गया है ।

चित्र 7.3
विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट

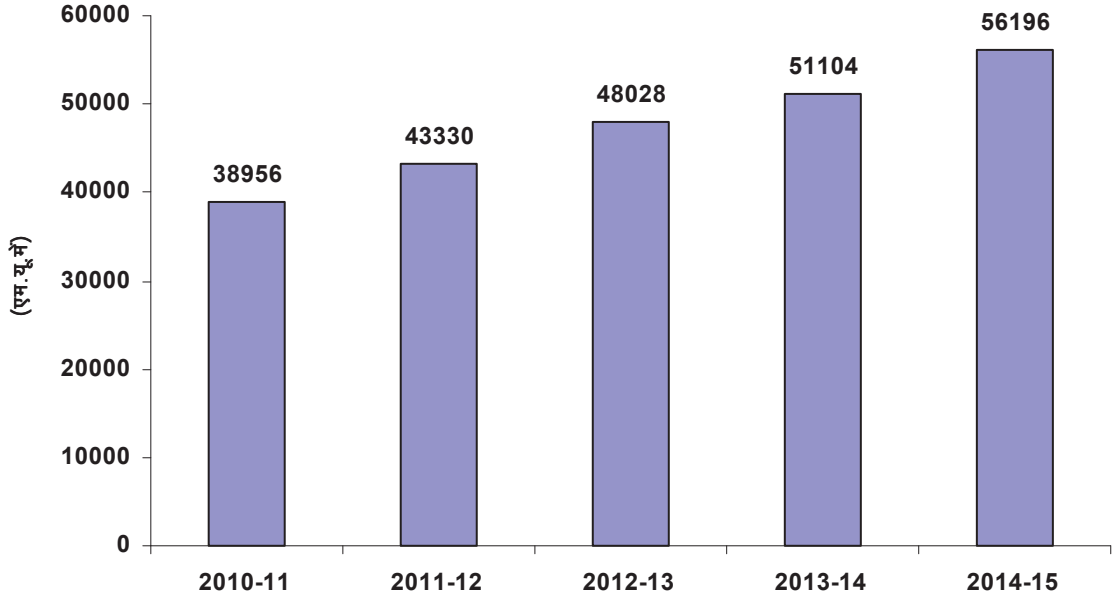

7.8 विद्युत पारेषण एवं वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण : प्रदेश में पारेषण एवं वितरण में संरचनात्मक सुधार एवं सुदृढ़ीकरण मध्यप्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है । इस हेतु राज्य शासन द्वारा धन की व्यवस्था भी की गई है तथा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से विद्युत कंपनियों को ऋण प्राप्त करने में सहायता कर रही है । विगत वर्षो में विभिन्न वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण तथा राज्य शासन के बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता के तहत् विभिन्न अधोसंरचना के कार्य विद्युत कंपनियों द्वारा निष्पादित किये जा रहें है । परिणाम स्वरूप पारेषण नेटवर्क की क्षमता वर्ष 2003-04 के 4805 मेगावाट से बढ़कर मार्च 2015 में 14081 मेगावाट हुई है । यह वृद्धि लगभग 197 प्रतिशत है । उपपारेषण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के विगत वर्षो में किया गया है वर्ष 2003-04 में उपभोक्ता की संख्या 64.42 लाख थी जो बढ़कर मार्च 2014-15 में 115.82 लाख हो गई है ।

7.9 विद्युत का उपयोग : वर्ष 2014-15 में विद्युत उपयोग के अन्र्तगत सर्वाधिक विद्युत उपभोग 38.7 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में किया गया है । इसी अवधि में औद्योगिक उत्पादन हेतु विद्युत उपभोग का प्रतिशत 28.5 रहा है । वर्ष 2010-11 से 2014-15 में विभिन्न क्षेत्रों मे विद्युत के श्रेणीवार उपयोग को **चित्र 7.4** में दर्शाया गया है ।

चित्र 7.4

विद्युत का उपयोग

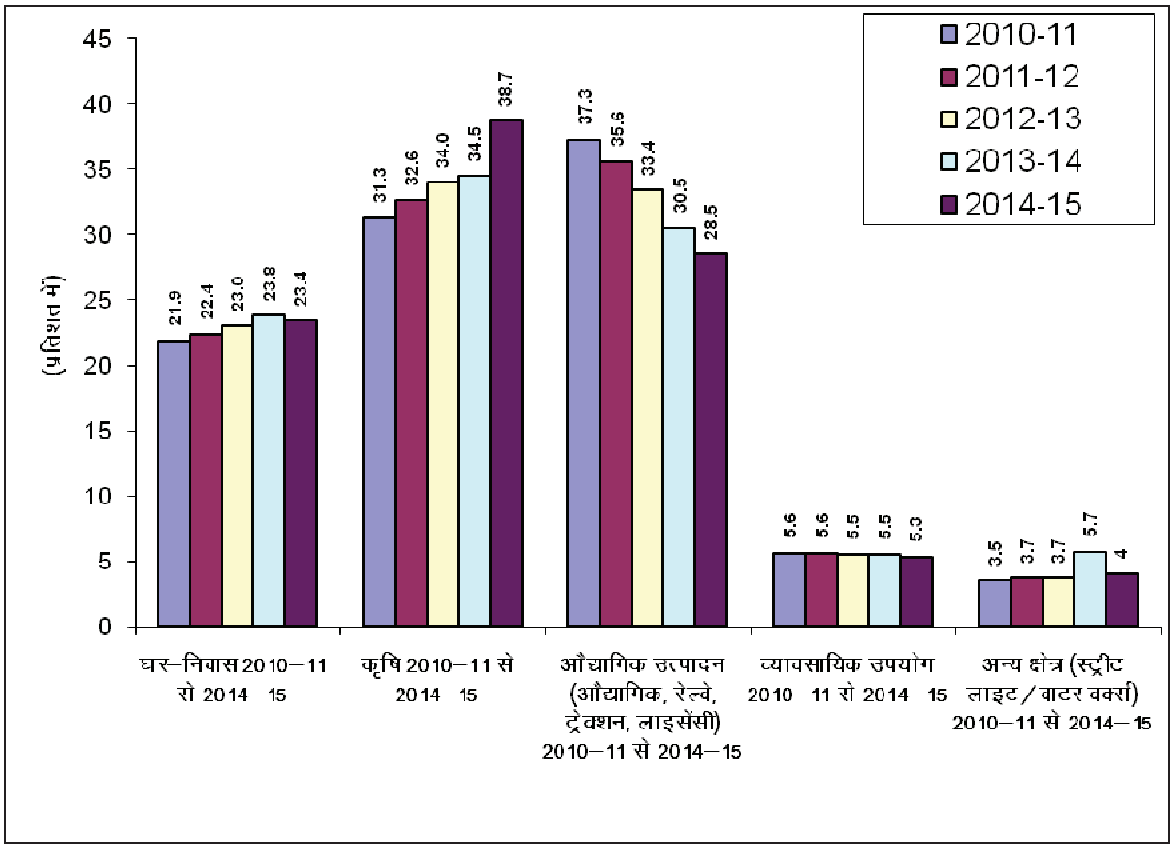

7.10 ग्रामीण विद्युतीकरण : प्रदेश में 31 मार्च 2015 की स्थिति में कुल 477 ग्राम अविदयुतिकृत थे जिसमें से 324 ग्रामों के विदयुतीकरण का कार्य परंपरागत रूप से लाईन विस्तार कर मार्च 2016 तक 153 ग्रामों के विदयुयतीकरण का कार्य गैर परंपरागत उर्जा स्त्रोतों के माध्यम से दिसम्बर 2016 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रदेश के सभी ग्राम विदयुतीकृत हो जायेगें । उक्त 477 अविदयुतिकृत ग्रामों में से 30 नवम्बर 2015 तक 124 ग्रामों के विदयुतीकरण का कार्य परंपरागत रूप से लाईन विस्तार कर तथा 10 ग्रामों के विदयुतीकरण का कार्य गैर परंपरागत उर्जा स्त्रोतों के माध्यम से पूर्ण किया जा चुका है ।

प्रदेश में विद्युतीकरण के लिये 10 वीं एवं 11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में निगम लिमिटेड से प्रदेश के सभी जिलों हेतु 2745 करोड़ रूपये लागत की कुल 52 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिनमें से 15 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष योजनाओं का कार्य प्रगति पर है । 12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 100 एवं इससे अधिक आवादी वाली बसाहटों को सम्मिलित करते हुए 51 जिलों की 50 योजनाएं आर.ई.सी.को प्रेषित की

गई है । जिनमें से 1402.22 करोड लागत की 34 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । इन सभी योजनाओं में सम्मिलित कार्य टर्न-की आधार पर कराये जाने हेत आवार्ड जारी कर दिए गए हैं, तथा कार्य प्रगित पर है। शेष 16 योजनाओं सहित कुल 50 योजनाओं की स्वीक्रती **``दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना``** के अंतर्गत दिनांक 30-07-2015 को ग्रामीण विदयुतीकरण निगम लिमिटेड से प्राप्त हुई है इन योजनाओं में सम्मिलित कार्य टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु बिड डाक्यूमेंट को अन्तिम रूप दिए जाने की कार्यवाही केन्द्र शासन द्वारा की जा रही है। तदोपरांत निविदा जारी कर इन योजनाओं में सम्मिलित कार्य टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु कार्यादेश जारी किए जाएगें।

7.11 इनर्जी आडिट : वाणिज्यिक हानियो मे कमी लाने के उद्देश्य से अधिक विद्युत हानि के क्षेत्रों की पहचान करने एवं अधिक हानियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए ई.एच.वी.,33 के.व्ही.एवं 11 के.व्ही. फीडर्स पर 100 प्रतिशत मीटरीकरण कर इनर्जी आडिट का कार्य किया जा रहा है । संभागीय स्तर तक निरन्तर इनर्जी आडिट का कार्य किया जा रहा है। डी.टी.आर. स्तर तक मीटरीकरण किया जा रहा है तथा तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को कम करने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं । वर्ष 2003-04 की तुलना में ए.टी.एण्ड.सी. हानियों में लगभग 26.53 प्रतिशत वाणिज्यिक हानियां कम की गई । वर्ष 2003-04 की तुलना में ट्रांसमीशन में हानियों को 6.12 प्रतिशत कम कर वर्ष 2014-15 में 2.82 प्रतिशत (प्रावधिक) तक लाया गया है ।

7.12 राजस्व प्रबंधन : प्रदेश में विद्युत के क्षेत्र में राजस्व प्रबंधन सुधार हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं फलस्वरूप राजस्व प्रबंधन में विगत वर्षो में वृद्धि हुई है । राजस्व प्रबंधन की लेनदारी वसूली का वर्षवार विवरण **तालिका 7.4** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.4

राजस्व प्रबंधन

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	विद्युत दर से प्राप्ति	सब्सिडी	योग	मासिक औसत	वृद्धि (प्रतिशत)
2009-10	6729	1434	8163	680	11.5
2010-11	8502	1467	9969	831	22.2
2011-12	10538	1718	12256	1021	22.9
2012-13	12843	2434	15277	1273	24.7
2013-14	13221	2250	15471	1289	8.25
2014-15	14844	4480	19324	1610	24.90

7.13 उपभोक्ता सर्विस के सुधार हेतु कदम : विद्युत कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण सेवा सुनिश्चित करने हेतु नियामक आयोग द्वारा विद्युत सप्लाई कोड भी लागू किया गया है । उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तीनों वितरण कंपनियों के अंतर्गत अलग-अलग उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किये गये हैं । विद्युत नियामक आयोग के अंतर्गत एक लोकपाल की नियुक्ति भी की गई ताकि उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की कार्यवाही से संतुष्ट नही होने की स्थिति में लोकपाल के समक्ष अपील कर सकें ।

उपभोक्ताओं हेतु कल्याणकारी योजनाएं

7.14 कृषि पंपों का स्थायी कनेक्शन : किसानों को स्थाई पंप कनेक्शन देने हेतु अनुदान योजना 1 अप्रैल, 2011 से लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषक (2 हेक्टर से कम भूमि धारक) को वर्तमान में 6500 रूपये प्रति हार्सपावर एवं अन्य कृषकों को 10400 रूपये प्रति हार्सपावर की दर से जमा करना होगा । प्रत्येक कृषक के लिए प्राक्कलन की सीमा 1.50 लाख रूपये निश्चित की गई है । अर्थात यदि किसी लघु एवं सीमांत कृषक द्वारा 3 हार्सपावर पंप के लिए आवेदन किया जाता है तो उसे 19500 रूपये तथा अन्य कृषक को 31200 रूपये जमा करना होगा तथा शेष राशि क्रमशः 1.31 लाख रूपये एवं 1.19 लाख रूपये शासन द्वारा वहन किया जावेगा । इस योजना में नवम्बर, 2015 तक किसानों को 95078 स्थाई पंप कनेक्शन दिये गये है ।

7.15 अटल ज्योति अभियान : राज्य शासन के संकल्प अनुसार ``**अटल ज्योति अभियान**`` अन्तर्गत दीर्धकालीन विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता एवं विकसित अधोसंरचना के आधार पर सम्पूर्ण प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण 10 घंटे नियमित विद्युत प्रदाय माह जून, 2013 से प्रारंभ किया गया है ।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

7.16 सोलर पॉवर पैक: वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 513 कि.वा. क्षमता के संयत्र स्थापित किये जा चुके है । वर्ष 2004-05 से दिसम्बर 2015 तक कुल 3718.6 कि.वा. क्षमता संयत्र स्थापित किए जा चुके है इनमें मुख्यत: पुलिस थाने, विदिशा संसदीय क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्र, अन्य स्वास्थ्य केन्द्र, जेल व अन्य शामिल है ।

7.17 डी.डी.जी. कार्यक्रम/ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम : ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 594 ग्रामों को सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट स्थापित कर

विद्युतीकरण किया गया । डी.डी.जी. कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 07 ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया गया है एवं 04 ग्रामों में स्थापना का कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2014-15 से दिसम्बर 2015 तक कुल 20 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है ।

7.18 सोलर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम: वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 240 नल स्ट्रीट लाईट स्थापित किये जा चुके है । वर्ष 2004-05 से दिसम्बर 2015 तक कुल 16641 नग स्ट्रीट लाईट एवं 13222 नग होम लाईट स्थापित किये जा चुके है ।

7.19 सोलर पम्प : वर्ष 2015-16 माह दिसम्बर 2015 तक कुल 1247 नग स्थापित किये जा चुके है । वर्ष 2004-05 से दिसम्बर 2015 तक कुल 2830 नग स्थापित किये गये है ।

7.20 विकास खण्ड स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप : अक्षय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्ष उत्पादों के प्रचार-प्रसार, विपणन एवं संयत्रों के रख-रखाव हेतु प्रदेश के सभी विकास खण्डों एवं जिलों में कुल 282 निजी अक्षय उर्जा शॉप चयनित की जा चुकी है ।

7.21 बायोमास: कृषि अवशिष्टों से बायोमास आधारित केप्टीव/थर्मल/इलेक्ट्रीकल/कोजनरेशन/कम्बस्चन तकनीकी पर आधारित संयत्र स्थापित किये जाते है । वर्ष 2004-05 से दिसम्बर 2015 तक कुल 45.336 मेगावाट क्षमता के संयत्र स्थापित किये गये है । जिसमें मुख्यत: बेकरी, इंडस्ट्रीज इत्यादि सम्मिलित है । वर्ष 2015-16 में राईस मिल्स क्षेत्र जिला बालाघाट, सिवनी एवं कटनी /मंडला इत्यादि में बायोमास गैसीफिकेशन आधारित कैप्टिव पावर जनरेशन प्लांट एवं बैंकरीज /अन्य इण्डस्ट्रीज में कैप्टिव थर्मल आधारित प्लांट स्थापित किये जाने के संदर्भ में प्रयास किये जा रहे है ।

7.22 एल.ई.डी.स्ट्रीट लाईट : नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 माह दिसम्बर 2015 तक कुल 1321 नग संयत्र स्थापित किये जा चुके है । वर्ष 2004-05 से दिसम्बर 2015 तक कुल 20332 नग संयत्र स्थापित है ।

7.23 सूर्यमित्र स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम : नवीन एवं नवकरणीय उर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान (NISE) द्वारा, आई.टी.आई. / डिप्लोमा उत्तीर्ण छोत्र-छात्राओं हेतु सौर उर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु, तकनीकी संस्थाओं में, 600 घंटे / 03 माह का 30-30 बैच में, नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है । प्रथम चरण में 25 आई.टी.आई. / पॉलीटेक्निक एवं उर्जा अध्ययन तथा शौध केन्द्र इंदौर (म.प्र.उर्जा

विकास निगम की शौध संस्था) के प्रस्ताव NISE को भेजे जा चुके जिनमें से स्वीकृत 06 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा चुका है ।

7.24 ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम : एम.एन.आर.ई./यू.एन.डी.पी. परियोजना "Scale up of Access to Clean Energy for Rural Productive Uses" के अन्तर्गत, अक्षय उर्जा को ग्रामीण आजीविका तक पॅहुच एवं उपयोग हेतु, एम.एन.आर.ई. द्वारा प्रदेश के 07 जिलो (सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन, बैतूल, बालाघाट, डिण्डोरी एवं रतलाम) का चयन कर, NGOs / Entreprenures / Govt Agencies इत्यादि से प्रस्ताव आमांत्रित किये गये थे जिनमें से 09 प्रस्तावों को Shortlist कर Project Feasibility Report तैयार कर एवं प्रेषित करने की कार्यवाही संबंधितों द्वारा की जा रही है ।

7.25 सेमीनार/ वर्कशॉप /प्रचार-प्रसार/प्रशिक्षण :

- निगम द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सेमीनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है ।
- अक्षय उर्जा की योजनाओं / गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से जिलो में होर्डिग पर निगम की योजनाओं डिस्प्ले, मोबाइल मीडिया बैन / प्रचार-रथ, नुक्कड नाटक कार्यक्रमों, वॉल पेटिंग, बस स्टॉप सेल्टर्स पर एवं रेल्वे स्टेशन के ग्लोशाइन बोर्डो पर निगम की योजनाओं के विज्ञापन का डिस्प्ले विभिन्न जिलों में किया गया है ।

नवीन एवं नवकरणीय उर्जा मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृति विलबं से प्राप्त होने अथवा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध कमी परिलक्षित है ।

परिवहन

प्रदेश में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की दृष्टि से यातायात मार्गों एवं परिवहन संसाधनों का विशेष महत्व है । आवागमन हेतु राज्य में सड़कों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है । राज्य में उपलब्ध खनिज, वनोपज, कृषि उपज उपभोक्ता वस्तुओं एवं जनसामान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिये रेल एवं सड़क मार्गों का उपयोग होता है । प्रदेश में रेल मार्गो की लम्बाई की अपर्याप्तता के फलस्वरूप सड़क यातायात पर निर्भरता अपेक्षाकृत अधिक है ।

7.26 राज्य की अर्थव्यवस्था में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी स्पष्ट करना समीचीन होगा । वर्ष 2012-13 (प्रा) एवं 2013-14 (त्व.) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर इस क्षेत्र की क्रमशः 3.39 एवं 3.28 प्रतिशत अंश की भागीदारी रही है । स्थिर भावों पर

(2004-05) राज्य घरेलू उत्पाद में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी का अंश वर्ष 2012-13 व 2013-14 (त्व.) में क्रमशः 3.02 एवं 2.96 रहा । मध्य प्रदेश राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012-13 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.16 प्रतिशत रहा जबकि स्थिर भावों (2004-05) पर 1.62 प्रतिशत अंश है । वर्ष 2013-14 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.07 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 1.63 प्रतिशत है । मध्य प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर संचार क्षेत्र का अंश 0.72 प्रतिशत एवं वर्ष 2013-14 (त्व.) के अनुसार 0.70 प्रतिशत है जबकि स्थिर भावों (2004-05) पर वर्ष 2012-13 में 2.63 प्रतिशत एवं वर्ष 2013-14 (त्व.) में 2.59 प्रतिशत अंश परिलक्षित है । राज्य सकल घरेलू उत्पाद में परिवहन का अंश का वर्षवार विवरण **तालिका 7.5** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.5
राज्य सकल घरेलू उत्पाद में परिवहन का अंश

अवधि	क्षेत्र					
	परिवहन (अन्य साधन)		रेल्वे		संचार	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004-05) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004-05) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004-05) भावों पर
2004-05	2.87	2.87	1.76	1.76	1.18	1.18
2005-06	3.05	2.95	1.58	1.68	1.16	1.33
2006-07	3.11	2.92	1.84	1.90	1.03	1.46
2007-08	3.19	3.03	1.72	1.79	0.97	1.63
2008-09	3.00	2.90	1.45	1.62	1.07	1.66
2009-10	3.00	2.86	1.40	1.47	1.08	2.62
2010-11	3.23	2.93	1.17	1.44	0.84	3.01
2011-12	3.40	3.05	1.06	1.36	0.77	2.79
2012-13 **(प्रा.)**	3.39	3.02	1.16	1.62	0.72	2.63
2013-14 **(त्व.)**	3.28	2.96	1.07	1.63	0.70	2.59

(प्रा.) - प्रावधिक अनुमान (त्व.) - त्वरित अनुमान

पंजीकृत वाहन

7.27 परिवहन विभाग एक गैर-योजनेत्तर विभाग है, जिसका प्रमुख कार्य केन्द्रीय/राज्यीय मोटरयान अधिनियमों/नियमों 1988 मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 में विहित व्यवस्थाओं के अनुरूप मोटरयानों का पंजीयन, उनका नियमन तथा शासन को शुल्क व कर के रूप में राजस्व संग्रहण उपलब्ध कराना है । वर्ष 2014-15 में परिवहन विभाग ने 1864 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया है जो विभाग को दिये गये लक्ष्य 2000 करोड़ रूपये से 136 करोड़ रूपये कम है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 1390 करोड़ रूपये राजस्व अर्जित किया गया है जो लक्ष्य से 910 करोड़ रूपये कम है ।

7.28 प्रदेश में पंजीकृत वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है । वर्ष 2013-14 में जहां राज्य में 9721 हजार पंजीकृत वाहन थे जो बढ़कर वर्ष 2014-15 में 11141 हजार हो गये । इस प्रकार एक वर्ष की अवधि में पंजीकृत वाहनों की संख्या में 14.60 प्रतिशत वृद्धि आंकी गई है । कुल पंजीकृत वाहनों में सर्वाधिक वृद्धि मोटर-सायकिल/स्कूटर, मोपेड आदि में देखी गई जो गत वर्ष से 15.17 प्रतिशत अधिक रहा । वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर तक 706 हजार वाहन पंजीकृत हुए है । राज्य में विभिन्न प्रकार के पंजीकृत वाहनों का वर्षवार विवरण **तालिका 7.6** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.6
पंजीकृत वाहनों की संख्या

(संख्या हजार में)

वर्ष	कार एवं जीप	टेक्सी केब/ थ्रीव्हीलर	यात्री वाहन	माल वाहन	मोटर-सायकिल/ स्कूटर, मोपेड आदि	अन्य ट्रेक्टर ट्राली सहित	कुल पंजीकृत वाहन
2010-11	416	101	123	196	5783	737	7356
2011-12	424	103	146	217	6411	769	8070
2012-13	493	132	163	242	6877	815	8722
2013-14	611	151	193	263	7668	872	9721
2014-15	696	226	162	244	8831	972	11141

7.29 विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकरण की दिशा में पहल करते हुये विभाग की **www.mptransport.org** के नाम से वेबसाईट तैयार की है, जिस पर आम जनता की सुविधा के लिए कई जानकारियां अपलोड की गई है । जैसे मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के संबंध में सामान्य जानकार मध्यप्रदेश परिवहन विभाग की कर/फीस संरचना, विभिन्न अपराध एवं उन पर लगाई जाने वाली शास्ति, आवेदन फार्म (डाउनलोड किये जा सकते है) प्रदेश की अधिकारियों की पारस्परिक यातायात करार एवं सांख्यिकी संबंधी जानकारियां । इसके साथ ही

कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से निम्न सेवाएं एवं सुविधाएं भी जन साधारण को उपलब्ध कराई गई है ।

7.30 परिवहन नीति 2010 : प्रदेश में बढते हुए वाहनों के पंजीयन की स्थिति को देखते हुए परिवहन नीति तैयार की गई है । जिसकी सहायता से वाहनों के नियंत्रण एवं नियमन किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा एवं अन्य जनोन्मुखी सेवाएं आम जनता को दी जा रही है ।

परिवहन नीति 2010 की कार्य योजना : जनहितकारी सार्वजनिक परिवहन योजना के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन बसों को प्रोत्साहन, माल वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण, प्रदेश के मार्गो का विकास एवं निर्माण तथा जानमाल की सुरक्षा बढ़ाने एवं दुर्घटनाएं कम करने के उपायों को सम्मिलित किया गया है । खुली परमिट व्यवस्था परमिट शर्तो का पालन कराया जाना सम्मिलित है । ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करना । बस स्टेण्ड प्रबंध एवं नियमन की उचित प्रशासनिक व्यवस्थायें की जाना । इलेक्ट्रॉनिक तौल काँटे पी.पी.पी. मॉडल पर चैकिंग हेतु लगाये जाने एवं एकीकृत एवं इलेक्ट्रॉनिक जॉच चौकियों का निर्माण कराया जाना ।

तैयार की गई कार्य योजना की प्रगति एवं अन्य लाभकारी योजनाओं की अद्यतन जानकारी :

- महिलाओं के कल्याण की दिशा में नि:शुल्क ड्रायविंग लाइसेंस बनाने की योजना 28.12.2015 से प्रारंभ की गई है । महिलाओं/विकलांगों एवं नि: शक्तजनों के लिये वाहनों में सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है ।
- चालक / परिचालकों के कल्याण हेतु चालक परिचालक कल्याण बोर्ड 2015 का गठन किया गया है जिसके तहत व्यावसायिक वाहनों के चालकों/परिचालकों का समग्र में पंजीयन कराया जाएगा । चालक /परिचालकों के कल्याण एंव उनके परिवार के सदस्यों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोडा जावेगा ।
- वाहन स्वामियों की सुविधा हेतु करों (ज्गमे) का युक्तियुक्तकरण किया गया है जिसके तहत निजी वाहन स्वामियों को जीवनकाल कर के भुगतान की सुविधा प्रदाय की गई है ।
- स्कूल बसों को कर में छूट दी गई है । मात्र 1/- रूपये प्रतिसीट प्रतिमाह के मान से रियायती दर से कर निर्धारित किया गया है । जिससे शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी अपेक्षाकृत कम व्यय में वाहन सुविधा प्राप्त कर सके । स्कूलबसों का किराया निर्धारण किये जाने से संबंधित समस्याओं हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किराया निर्धारण समिति का गठन किया गया है ।

- बीओटी मॉडल के आधार पर 24 परिवहन जॉच चौकियों को कम्प्यूटराईज्ड करने की योजना है जिसमें अधिकांश चौकियों का आधुनिकीकरण कर दिया है ।
- ग्रामीण जनता के परिवहन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ किया गया है जिसके तहत ग्रामीण जनता को रियायती दरों पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सके । ग्रामीण परिवहन सेवा अन्तर्गत अनुज्ञाधारी से न्यूनतम दर 60/- प्रति तिमाही प्रति सीट के मान से मोटरयान कर लिया जा रहा है । सभी ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालयों से जोडने की शुरूआत की है ।
- इन्दौर, भोपाल, उज्जैन, छिंदवाडा एवं जबलपुर में नॉन स्टॉप सेवा प्रारंभ की गई है ।
- वाहनों के प्रदूषण की जॉच हेतु **" प्रदूषण जॉच केन्द्रों "** को खोलने की प्रकिया की प्रकियाका सरलीकरण किया गया है ।
- वाहन दुर्घटनाओं को कम करने के लिये व्यावसायिक वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण अनिवार्य किया गया है । ट्रेक्टर / ट्रॉलियों में वाहनों के रिफलैक्टर लगाए जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है जिसक तहत अभियान चलाकर 3 लाख से अधिक वाहनों में रिफलैक्टिंग टेप लगाये गये है ।
- बस स्टेण्डों के उन्ययन के लिये **मध्यप्रदेश इनटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी** का गठन किया गया है ।
- लोक सेवा गारन्टी योजना के तहत परिवहन विभाग की 11 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है ।
- इन्दौर एवं ग्वालियर शहर में वाहनों के नम्बर आवंटन की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए वाहन पंजीयन डीलरों के माध्यम से प्रारंभ किया गया है । वाहनें मोटरयान अधिनियम 1980 में प्रावधानित निर्धारित समय में वाहनों के मार्ग पर चलने की दृष्टि से डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम ग्वालियर एवं इन्दौर में प्रारंभ किया जा चुका है । इस प्रणाली के सकारात्मक परिणाओं को देखते हुए शेष जिलों में भी लागे किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है ।
- शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई जिसके तहत 301 वाहन चालकों के चालान बनाए जाकर उनके लाइसेंस निलंबित किये गए ।
- वास्तविक कृषकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले ट्रेक्टर अनुयान, हार्वेस्टर एवं कम्बाईन यानों को 3 वर्ष तक राज्य में पंजीयन कराए जाने पर उन्हें 6 प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत मोटरयान कर लिये जाने की योजना प्रारंभ की गई है ।
- केन्द्र शासन द्वारा पांढुरर्ना जिला छिंदवाडा में ड्रायविंग ट्रेनिंग स्कूल फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया है । चालकों को उपयुक्त एवं बेहतर प्रशिक्षण देने की दृष्टि से भोपाल, जबलपुर एवं सागर में ड्रायविंग ट्रेनिंग स्कूल के निर्माण का प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा जा रहा है ।

लोक निर्माण विभाग की सड़क

राज्य में रेल परिवहन के साथ-साथ सड़क परिवहन, माल तथा यात्री परिवहन के प्रमुख संसाधन है प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की विभिन्न श्रेंणी के मार्गो की लम्बाई का वर्षवार विवरण **तालिका 7.7** में दिया गया है ।

तालिका 7.7

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	प्रान्तीय राजमार्ग	मुख्य जिला मार्ग	अन्य जिला / ग्रामीण मार्ग	कुल योग(कि.मी.)
2011-12	4709	10501	19574	23639	58423
2012-13 (जनवरी 13)	4709	10501	19574	23639	58423
2013-14 (जनवरी 14)	4709	10501	19574	24089	58873
2014-15 (जनवरी 15)	4771	10934	19429	26482	61616

7.31 राष्ट्रीय राजमार्ग : मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाले 20 राष्ट्रीय राजमार्गो की लंबाई 4771 किलोमीटर है । जिसमें सर्वाधिक लंबाई 717 किलोमीटर आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग की है, वाराणसी- कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 511 किलोमीटर है यह दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो प्रदेश से गुजरता है । राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य को देश के मुम्बई, आगरा, वाराणसी, कन्याकुमारी, जयपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, अहमदाबाद, रेनुकूट, ऊधमपुर, कोटा, बांदा, अजमेर, कानपुर, आदि महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ते हैं ।

7.32 उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम कॉरीडोर का निर्माण : उक्त योजना के तहत राष्ट्रीय राज्य मार्ग में पूर्व-पश्चिम कारीडोर के अन्तर्गत लगभग 511 किलोमीटर एवं उत्तर-दक्षिण कारीडोर के अन्तर्गत 111 किलोमीटर (कुल 622 किलोमीटर) का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली को हस्तांतरित किया जा चुका है । विशेष योजना के अन्तर्गत 300 किलोमीटर लम्बाई में निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है ।

7.33 प्रान्तीय राजमार्ग : प्रान्तीय राज्य मार्गो की लम्बाई वर्ष 2014-15 माह जनवरी, 2015 तक 10934 किलोमीटर रही है ।

7.34 मुख्य जिला मार्ग : राज्य में वर्ष 2014-15 के जनवरी, 2015 तक कुल 19429 किलोमीटर है । जिनका उन्नयन केन्द्रीय सड़क निधि एवं राज्य शासन की राशि से किया जा रहा है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रदेश के सभी गांव समृद्ध और आत्म निर्भर बनें इस उद्देश्य से "स्मार्ट गांव-स्मार्ट पंचायत की अवधारणा को लागू कर ग्रामीण अंचलों के समग्र विकास की नई रणनीति लागू की जा रही है । स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित होकर हजारों गांव तरक्की के नये रास्ते पर आगे बढे इसलिये गांवो के अधोसंरचना विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक और वैयक्तिक विकास की दिशा में सुनियोजित प्रयास हो रहे है ।

प्रदेश के गांव समृद्ध स्वच्छ और सशक्त बन सकें, इसलिये विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिये गांवो की तस्वीर बदलने और सामाजिक तथा आर्थिक विकास के सुनियोजित प्रयास हो रहे है। गांव में पक्की सडकें, पीने के पानी का इंतजाम और बैंक सुविधाओं से लोगों के जीवन में नया बदलाव आया है । बडी तादाद में ग्राम में पंचायतों आंगनवाडियों और स्कूलों के भवन बन रहे है ।

प्रदेश के गांव इंटरनेट के जरिये दुनिया से जुड सकें इसलिये पंचायत भवनों में आधुनिक ई-पंचायत कक्ष बनाये जा रहे है । यहां कम्प्यूटर, प्रिंटर और टेलीविजन सुविधा भी मुहैया कराई गई है। ग्राम पंचायतों को सशक्त और अधिकार संपन्न बनाने के लिये पंचायत प्रतिनिधियों को गांव के विकास के व्यापक अधिकार दिये गये है ।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार एवं विकास हेतु दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत सामान्य विकासखण्ड क्षेत्र में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी विकासखण्ड क्षेत्र में 250 या इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने तथा अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जाता है ।

बाक्स 7.2
मार्गो का चयन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले का एक मास्टर प्लान, कोर नेटवर्क तथा आबादी के घटते क्रम में प्राथमिकता सूची तैयार की गई है । उसी के अनुसार प्रत्येक वार्षिक योजना में लेने हेतु सड़कों का चयन किया जाता है । भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संपर्कविहीन ग्रामों को जोड़ने हेतु केवल नये मार्गो का निर्माण किया जाता है, साथ ही भारत सरकार द्वारा दिशानिर्देशों में किये गये परिवर्तनानुसार पूर्व में निर्मित BT/WBM एवं ग्रेवल रोड जो खराब स्थिति में हैं का सुधार एवं उन्नयन का कार्य भी किया जाता हैं । वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर नये दिशा निर्देशों के अनुसार CNCPL (Comprehensive New Connectivity Prirority List), or CUPL (Comprehensive Upgradation Priority List) तैयार किये जाते है एवं इन्हीं के आधार पर मार्गो का प्राथमिकता सूची के अनुसार चयन किया जाता है ।

उपलब्धियां :

6 योजनान्तर्गत इस वर्ष माह नवम्बर 2015 तक वार्षिक लक्ष्य 5000 कि.मी. सडक निर्माण के विरूद्ध 3044 कि.मी.सडक निर्माण कराया जाकर रूपये 1400 करोड व्यय किये गये, वही सडक संधारण के कार्यो में वार्षिक लक्ष्य 4000 कि.मी. के विरूद्ध 2500 कि.मी. सडक निर्माण कार्य कराया जाकर रूपये 520 करोड व्यय किये गये ।

7 स्टेट कनेक्टीविटी के अन्तर्गत निर्मित 104 ग्रेवल मार्गो के 350 कि.मी. सडक के लिये रूपये 87.29 करोड रूपये की स्वीकृति जारी की गई जिसमें से 64 कि.मी. लम्बाई के 52 मार्ग पूर्ण हो चुके है शेष कार्य प्रगति पर है ।चयनित 283 राजस्व ग्रामों के 230 मार्गो को जोडे जाने के लिये 662 कि.मी. लम्बाई हेतु रूपये 391.45 करोड की राशि स्वीकृत कर वर्तमान में 123 ग्राम में निर्माण कार्य प्रगतिरत है । शेष 107 ग्रामों में निविदा आमंत्रित कर स्वीकृतिकी कार्यवाही प्रगति पर है।

8 साथ ही वित्तीय वर्ष 2015-16 में मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2015 तक स्वीकृत मार्गो में डामर के साथ वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुए लगभग 500 कि.मी. लम्बाई में डामरीकृत सडकों का निर्माण कर लगभब 250 टन प्लास्टिक का उपयोग किया गया ।

9 प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत प्रारंभ से नवम्बर 2015 तक कुल 62630 किमी. लम्बाई की 14117 सडकों तथ 75 बडें पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए रूपये16096 करोड का व्यय किये गये तथा शेष स्वीकृत मार्गो का निर्माण कार्य एवं निविदा कार्यवाही प्रगति पर है ।

7.35 मुख्य मंत्री ग्राम सडक योजना : सामान्य क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी के समस्त राजस्व ग्रामों को सिंगल कनेक्टिविटी द्वारा पुल-पुलियों सहित बारहमासी सडक सम्पर्क (ग्रेवल सडक उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा, बीआजीएफ और राज्य मद के अभिसरण से मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना का शुभारंभ वर्ष 2010-11 में किया गया है । प्रदेश में समस्त सम्पर्क विहीन ग्रामों को तीन चरणों में योजनान्तर्गत शामिल करने का प्रावधान है ।

- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत 9109 ग्रामों को जोडने हेतु 7575 सडकें जिनकी लम्बाई 19386 किमी. एवं लागत साये 3634 करोड है जोडा जाना प्रस्तावित है। प्रगति कार्य प्रारंभ होने के उपरांत वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर योजना अन्तर्गत वर्तमान में पात्र पाए गए 6913 ग्रामों को 6489 सडकें लम्बाई 14,931 किमी. के निर्माण कार्य सम्पन्न कराए जा रहे है ।

- योजनान्तर्गत नवम्बर 2015 तक 6160 सडके लम्बाई 13.540 कि.मी. 22.974 पुल-पुलियों सहित पूर्ण की जाकर आवागमन सुगम कर दिया गया है जिससे 6500 ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोडकर लगभग 18.00.000 ग्रामवासियों को लाभन्वित किया जा चुका है । 329 सडकें लम्बाई 1391 कि.मी. प्रगतिरत है, जिन्हें जून 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। योजनान्तर्गत अधतन व्यय रूपये 2291 करोड है ।

- विश्व बैंक परियोजना के तहत सी.एम.जी.एस.वाय के तहत प्रथम द्वीतीय तृतीय वर्ष में क्रमश: 3000 कि.मी. 4500 कि.मी. एवं 5500 कि.मी. सडकों का डामरीकरण किया जायेगा ।

7.36 सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सडक योजना : मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित इस योजना से 14541 कि.मी. लम्बाई के 20774 सडकों के स्वीकृति के विरूद्ध 9581.78 कि.मी. लम्बाई के 13499 सडको के कार्य प्रगतिरत है । योजनान्तर्गत 314 सडकों का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

7.37 ग्रामीण आंतरिक मार्ग निर्माण (सी.सी.रोड) : पंच-परमेश्वर योजना से ग्रामों के आंतरिक सडक (सीमेंट कांक्रीट मार्ग) का निर्माण किया गया है । प्रदेश के ग्रामों में अब तक 12244 कि.मी. सी.सी.रोड (नाली सहित) का निर्माण कराया गया है ।

सिंचाई

7.38 कुल सिंचाई क्षमता : राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है जिसमें सिंचाई का विशेष महत्व है । राज्य की प्रमुख नदियों में वार्षिक औसतन 81500 मिलियन घन मीटर (75 प्रतिशत निर्भरता) है । जिसमें से लगभग 56800 मिलियन घनमीटर प्रदेश को आवंटित है । जो कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 69.7 प्रतिशत है ।

7.39 सिंचित क्षेत्र एवं सिंचाई के स्त्रोत : वर्ष 2013-14 शुद्ध सिंचित क्षेत्र 9454.6 हजार हेक्टर था जो बढ़कर 2014-15 में 9584.0 हजार हेक्टर हो गया । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 1.36 प्रतिशत की वृद्धि रही । वर्ष 2014-15 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत 66.81 कुएं एवं नलकूप से है, उसके पश्चात नहरों/तालाबों से सिंचाई का प्रतिशत 20.02 तथा अन्य स्त्रोतों से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 13.16 रहा । विभिन्न स्त्रोतों से सिंचित क्षेत्र का वर्षवार विवरण **तालिका 7.8** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.8

सिंचाई के स्त्रोत द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल

(हजार हेक्टर में)

वर्ष	शासकीय नहरें	गैर शासकीय नहरें	तालाब	नलकूप/कुऐं	अन्य	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	कुल बोया गया क्षेत्र	शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
2010-11	1221.3	-	189.0	4966.1	1044.8	7139.8	15223	22149	46.90
2011-12	1368.3	-	227.4	5475.7	1149.1	7880.1	15017	21755	52.47
2012-13	1440.38	0.1	226.8	5727.0	1156.0	8550.2	15455	23233	55.32
2013-14	1625.0	-	264.5	6217.6	1347.5	9454.6	15525	24150	60.9
2014-15	1646.3	-	273.1	6403.0	1261.6	9584.0	15454	23913	62.0

7.40 शासकीय साधनों से निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग : राज्य में शासकीय साधनों से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने के निरन्तर सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2014-15 के अंत तक लगभग 2609.00 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है ।

राज्य में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग का वर्षवार विवरण **तालिका 7.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.9

सिंचाई क्षमता एवं उपयोग

(हजार हेक्टर में)

वर्ष	**वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता का उपयोग**	**लघु सिंचाई क्षमता का उपयोग**	**कुल योग सिंचाई क्षमता का उपयोग**
2010-11	792.76	183.49	976.25
2011-12	1219.00	416.00	1635.00
2012-13	1559.00	620.00	2179.00
2013-14	1747.20	799.20	2546.40
2014-15	1824.40	784.60	2609.00

टीप: शुद्ध सिंचित क्षेत्र में विभागीय स्त्रोतों से रबी एवं खरीफ के संयुक्त आंकडे दिये गये है ।

राज्य में शासकीय साधनों से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने सतत प्रयास किये जा रहे है । जल संसाधन विभाग द्वारा वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2014-15 के अंत तक 33.15 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है । जिसमें से लगभग 26.09 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है । जो कुल सिंचाई क्षमता का 78.70 प्रतिशत है ।

7.41 फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र : समस्त फसलों का सिंचित क्षेत्र वर्ष 2013-14 में 9919 हजार हेक्टेयर एवं वर्ष 2014-15 में 10300 हजार हेक्टेयर रहा । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में समस्त फसलों के सिंचित क्षेत्रफल में 3.84 प्रतिशत की वृद्धि रही । इस अवधि में धान, गेंहू, गन्ना, कपास, मसाले, फल एवं सब्जियां एवं अन्य के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र में क्रमशः 26.39, 5.25, 18.63, 2.46, 12.5, 3.33, एवं 24.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा समस्त दलहन एंव समस्त तिलहन के सिंचित क्षेत्र में क्रमश: 7.01 एवं 8.18 प्रतिशत की कमी आंकी गई है । प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र का वर्षवार विवरण **तालिका 7.10** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.10
प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

वर्ष	धान	गेहू	समस्त दलहन	समस्त तिलहन	गन्ना	कपास	मसाले	फल एवं सब्जियां	अन्य	कुल योग
2010-11	322	4038	1641	362	77	290	292	272	127	7421
2011-12	367	4685	1671	345	90	307	321	299	143	8228
2012-13	466	5086	1805	414	87	318	315	315	160	8966
2013-14	557	5638	2054	428	102	325	328	330	157	9919
2014-15	704	5934	1910	393	121	333	369	341	195	10300

कमाण्ड क्षेत्र (आयाकट)

7.42 कमाण्ड क्षेत्र (आयाकट) विकास कार्यक्रम एवं सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी :

राज्य में बेहतर भूमि, जल प्रबंधन तथा वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सैच्य क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर, कृषि उत्पादन में वृध्दि करने के उदेश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य शासन के संकल्प दिनांक 09 सितम्बर 1974 के अनुसार प्रदेश में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है ।

प्रारम्भ में इसका नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग तथा कृषि विभाग के पास रहा । इन कार्यक्रम को और अधिक गति प्रदान करने के उदेश्य से राज्य शासन द्वारा 23 सितम्बर 1980 को स्वतंत्र रूप से आयकर विभाग का, कृषि उत्पादन आयुक्त के अंतर्गत गठन किया गया ।इसके उपरांत सात अन्य प्राधिकरण बारना, बरगी (रानी अवंती बाई लोधी सागर), वैनगंगा, ग्वालियर, बाण सागर, हसदेव, महानदी, का गठन किया गया एवं समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य स्तरीय आयाकट प्रकोष्ठ का गठन किया गया ।

मंत्री परिषद के निर्णय दिनांक 2 दिसम्बर 1999 के पालन में राज्य शासन द्वारा दिनांक जनवरी 2002 द्वारा आयाकट विभाग को समाप्त कर इसका संविलियन जल संसाधन विभाग में किया गया विभाग के आदेश दिनांक 16-12-2003 द्वारा आयाकट विकास प्राधिकरणों को प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रखा गया है ।

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 28-08-2007 के माध्यम से कमाण्ड क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय आयाकट प्रकोष्ठ भोपाल को पुनर्विनियोजित कर कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय जल संसाधन विकास भोपाल बनाया गया ।

विभाग द्वारा 12 अक्टूबर 2012 में संचालक कमाण्ड क्षेत्र विकास का पद पुनर्विनियोजित कर आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास का पद सृजित किया गया। जिसके (प्रमुख अभियंता स्तर) अधीन आठ कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ भोपाल, ग्वालियर, सिवनी, जबलपुर, रीवा, सागर, इन्दौर, एवं दतिया कार्यरत हैं ।

मध्यप्रदेश राज्य सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र विकास के उद्देश्य से कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम क्रियान्वयन किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 8 कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ कार्यरत हैं, जिसमें 21 परियोजनाये क्रमशः कोलार, कुंवर चैन सागर, रेहटी, सगड, बघरू, संजय सागर बाह, थावंर, पेंच, बिलगांव, महुअर,सिंध परियोजना, सिंहपुर, महान, कछाल, हरसी, बैनगंगा, बाघ, रानी अवंतीबाई लोधी सागर, राजघाट नहर परियोजना, बरियारपुर एवं बाणसागर परियोजनायें शामिल हैं । इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 1004898 हेक्टर क्षेत्र के विरूद्ध मार्च, 2015 तक 373894 हेक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल निर्माण कार्य किया गया है । प्रदेश में कमांड क्षेत्र विकास की गतिविधियों हेतु सिंचाई परियोजनाओं में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उददेश्य से वर्ष 2011 में 2062 जल उपभोक्ता संस्थाओं का निर्वाचन किया गया है । वर्तमान में कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 379 जल उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा भागीदारी सुनिश्चित की गई है । भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में वर्ष 2015-16 में रू0 43.96 करोड केन्द्राश राशि प्राप्त हुई है ।

कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के लिए वित्तिय वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित वित्तीय लक्ष्य 20000.00 लाख रूपये एवं वित्तीय उपलब्धियां दिसम्बर 2015 तक 11912.68 लाख रूपये हुई ।

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन

7.43 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम प्रदेश में वर्ष 2009-10 से एकीक्रत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के तहत जलग्रहण विकास कार्य कार्यान्वित किये जा रहे हैं ।

यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 90% केन्द्राश तथा राज्य सरकार द्वारा 10% राज्यांश निर्धारित है ।

- वित्त वर्ष 2015-16 से भारत सरकार द्वारा नवीन घोषित **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** के तहत एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम को समाहित कर इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटरशेड विकास नाम दिया गया है तथा भारत सरकार का अंशदान 60% तथा राज्य सरकार का अंशदान 40% कर दिया गया है । अधतन स्थिति में प्रदेश में कुल राशि 3395.34 करोड लागत से 28.29 लाख हेक्टेयर उपचार हेतु 498 परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही है ।
- योजना का उदेश्य जल संरक्षण एवं जल संवर्द्धन कार्यकलापों का कार्यान्वयन कर वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र में सिंचाई स्त्रोत निर्मित करना है । साथ-साथ ग्रामीण आबादी को आजीविका के लिए उनके क्षेत्रों में ही आजिविका के लिए तैयार करना है, ताकि ग्रामीण आबादी की कृषि पर निर्भरता कम की जा सके ।
- परियोजना कार्यान्वयन में वर्ष 2009-10 से दिसम्बर 2015 तक कुल व्यय 892.61 करोड रूपये हो चुके हैं । वर्ष 2015-16 में केन्द्रांश व राज्यांश मिलाकर कुल रूपये 294.44 करोड आवंटित हुए है, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक रूपये 144.89 करोड व्यय किये जा चुके हैं।भारत सरकार के निर्देशानुसार भुगतान हेतु पीएफएमएस (PFMS) प्रणाली दिसम्बर 2015 से लागू की गई है ।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्र्तगत वर्ष 2015-16 में कुल उपलब्ध राशि 463.36 करोड के विरूद्ध 141.81 करोड रूपये व्यय किये गये । आगामी तीन वर्षीय कार्ययोजना के तहत 30.000 प्रस्तावित जलसंग्रहण संरचनाओं के माध्यम से 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में विस्तार एवं 25 हजार हेक्टेयर पडत भूमि का उपजाउ भूमि में विकास का लक्ष्य रखा गया है । इससे परियोजना क्षेत्र में उत्पादकता में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि संभावित है । योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले का जिला सिंचाई प्लान (डी.आई.पी.) कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय से तैयार किया जा रहा है ।

8

सामाजिक क्षेत्र

शिक्षा

पिछले एक दशक में राज्य में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की साक्षरता दर 70.6 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 74.04 से कम है । उपरोक्त साक्षरता दर के उपरांत भी लगभग 40 प्रतिशत महिलायें निरक्षर है । राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रारंभिक शिक्षा

8.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 : प्रदेश में 01 अप्रैल, 2010 से यह योजना प्रभावशाली है । इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में मार्च, 2011 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 जारी किये गये हैं। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप समस्त अपेक्षित कार्यवाहियां राज्य शासन ने पूर्ण की है ।

प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिये बनाया गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का क्रियान्वयन सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है । सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2015-16 के लिये स्वीकृत 4606.34 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत हुई है । राज्य शिक्षा केन्द्र से संबंधित योजनाओं की वर्ष 2014-15 की वित्तीय उपलब्धि (दिसम्बर 2015 की स्थिति में) का विवरण **तालिका 8.1** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.1

राज्य शिक्षा केन्द्र की योजनाऐं

(करोड़ रूपये में)

घटक	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
सर्व शिक्षा अभियान	4484.48	1708.32
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	121.85	51.15
योग	**4606.34**	**1759..46**

8.2 सर्व शिक्षा अभियान : प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है । अभियान का मुख्य

उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है । प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के अन्तर्गत बिन्दुओं को **बाक्स 8.1** में दर्शाया गया है ।

बाक्स 8.1

प्राथमिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण

- **प्रत्येक बसाहट के निर्धारित पडोस की सीमा के भीतर अर्थात एक किलोमीटर की परिधि में न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा तथा तीन किलोमीटर की परिधि में 5 वीं पास के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर, माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना ।**
- **6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को शाला में दर्ज कराना ।**
- **शालाओं में दर्ज बच्चों की नियमितता सुनिश्चित करना ।**
- **सभी बच्चों की शालाओं में निरंतरता ।**
- **शाला त्यागी दर कम करना ।**
- **सभी बच्चे आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें ।**
- **शिक्षा के गुणात्मक स्तर में वृद्धि पर विशेष बल देना ।**
- **बालक-बालिकाओं के बीच भेदभाव तथा सामाजिक असमानताओं को प्रारंभिक की शिक्षा के स्तर से दूर करना।**
- **सभी बच्चे आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें।**

8.3 शालायें : राज्य में शासकीय प्राथमिक शालायें 83890 एवं शासकीय माध्यमिक शालायें 30341 हैं ।

8.4 नामांकन : राज्य में वर्ष 2013-14 में प्राथमिक शालाओं में कुल नामांकन 95.03 लाख था । जो कि वर्ष 2014-15 में घटकर 86.62 हो गया । माध्यमिक शालाओं में कुल नामांकन वर्ष 2013-14 में 49.92 लाख था जो वर्ष 2014-15 में घटकर 48.14 लाख हो गया । प्रदेश की शासकीय तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में कुल नामांकन की स्थिति **तालिका 8.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.2

प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में नामांकन

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2013-14			वर्ष 2014-15		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	49.66	45.37	95.03	45.56	41.07	86.62
माध्यमिक (कक्षा 6 से 8)	25.22	24.07	49.92	24.65	23.49	48.14
प्रारम्भिक (कक्षा 1 से 8)	**74.88**	**70.07**	**144.95**	**70.20**	**64.56**	**134.76**

प्रदेश में बालिका शिक्षा की ओर किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के शुद्ध नामांकन अनुपात लगभग समान हो गया है । अनुसूचित जाति के बच्चों का शुद्ध नामांकन अनुपात भी अन्य वर्गो के शुद्ध नामांकन अनुपात के लगभग समान हो चुका है । अनुसूचित जनजाति के बच्चों का शुद्ध नामांकन अनुपात अन्य वर्गो की तुलना में कम है, इस दिशा में अधिक प्रयासों की आवश्यकता है । शुद्ध नामांकन अनुपात का विवरण **तालिका 8.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.3

प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात 2014-2015

वर्ग	प्राथमिक स्तर			माध्यमिक स्तर		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
अनुसूचित जाति	99.36	99.33	99.35	99.36	99.48	99.45
अनुसूचित जनजाति	98.44	98.62	98.53	98.44	99.46	99.48
अन्य	99.40	99.44	99.42	99.40	99.33	99.32
योग	**99.14**	**99.20**	**99.17**	**99.14**	**99.39**	**99.38**

8.5 शाला त्याग दर : विभिन्न कारणों से छात्र/छात्रायें अपनी शिक्षा बीच में छोड़कर शाला त्याग देते हैं, गत वर्ष से प्रदेश में राज्य शासन के अथक प्रयासों से शाला छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है । राज्य में वर्ष 2013-14 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की शाला त्यागी दर 5.9 प्रतिशत एवं छात्राओं की शाला त्यागी दर 6.4 प्रतिशत है । जबकि वर्ष 2014-15 में कक्षा 1 से 5 तक कक्षा की शाला त्यागी दर छात्रों की 9.0 प्रतिशत एवं छात्राओं की 9.2 प्रतिशत थी । राज्य में वर्ष 2013-14 में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की शाला त्यागी दर 5.2 प्रतिशत एवं छात्राओं की शाला त्यागी दर 6.0 प्रतिशत है । जबकि वर्ष 2014-15 में 6 से 8 तक कक्षा की शाला त्यागी दर छात्रों की 9.0 प्रतिशत एवं छात्राओं की 12.6 प्रतिशत थी । विभिन्न स्तर की शालाओं में शाला त्यागी दर **तालिका 8.4** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.4

शाला त्याग दर

स्तर	2013-2014			2014-2015		
	छात्र	छात्राऐं	योग	छात्र	छात्राऐं	योग
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	5.9	6.4	6.2	9.0	9.2	9.1
माध्यमिक (कक्षा 6 से 8)	5.2	6.0	5.6	9.0	12.6	10.8

8.6 निःशुल्क पाठ्य पुस्तके एवं गणवेश वितरण : शासकीय विद्यालयों पंजीकृत मदरसो एवं संस्कृत शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक शासकीय विद्यालयों, पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शालाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई । समस्त बच्चों को दो जोड़ी गणवेश हेतु 400 रूपये के मान से अकाउंट पेयी चैक के माध्यम से वितरण किया गया ।

8.7 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की छोटी-छोटी बसाहटो की बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूर्ण करने के लिये 207 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है । इनमें प्रतिवर्ष लगभग 28800 हजार बलिकाएं लाभान्वित हो गई । इसके अलावा 324 बालिका छात्रावास स्थापित किये गये जिनमें प्रतिवर्ष 23 हजार बालिकाएं लाभान्वित हो रही है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के बेघर अनाथ बच्चों के 15 नए 100 सीटर आवासीय छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं । इनमें प्रतिवर्ष शहरी क्षेत्रों के लगभग 1500 बेघर, अनाथ एवं शाला से बाहर बच्चे लाभान्वित हो रहे है ।

8.8 निःशुल्क सायकिल वितरण : प्रदेश में कक्षा पांचवीं पास करके छठवीं में दूसरे ग्राम में अध्ययन हेतु जाने वाली बालक/बालिकाओं को निःशुल्क सायकिल हेतु 2300 रूपये प्रति सायकिल का प्रावधान है । वर्ष 2014-15 में 3.06 लाख से अधिक बालक एवं बालिकाओं को सायकिल वितरित की गई है, जिनमें से 37 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति के बच्चों को लाभाविन्त हुए ।

8.9 सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति वितरण : शासकीय शालाओं की कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है ।

8.10 विकलांग बच्चों के लिये विशेष प्रयास : विकलांग बच्चों के लिये 58 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं । बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदाय किये जा रहे हैं । निःशक्त बच्चों के लिये कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकें ब्रेल लिपि में भी विकसित की गई है ।

8.11 स्कूल चले हम : प्रतिवर्ष बच्चों को स्कूल तक लाने के लिये हम **"स्कूल चले हम"** अभियान संचालित है । **"स्कूल चले हम अभियान"** चार चरणों में संचालित किया जा राह है। प्रथम चरण में ग्राम शिक्षा पंजी को अद्यतन करना, द्वीतिय चरण में नामांकन अभियान चलाया गया, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में शिक्षा की गुणात्वता पर केन्द्रीत है । इस वर्ष स्कूल चले हम अभियान को जन आदोलन के रूप में संचालित किया जा रहा है तथा यह वर्ष गुणवत्ता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है । इस हेतु मोटिवेटर (प्रेरक) की व्यवस्था की गई है । जो 1 लाख से अधिक मोटिवेटर (प्रेरक) पंजीकृत हुए है । अभियान का उद्देश्य 6 से 14

वर्ष के बच्चों की पहचान कर उन्हें उनकी आयु के अनुरूप कक्षा के शालाओं में दर्ज कराने के साथ-साथ उनकी नियमित उपस्थिति एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा भी सुनिश्चित करना है । सर्वेक्षण के दौरान ही चिन्हिंत किये गये शाला से बाहर बच्चे जो अपनी आयु के अनुरूप कक्षा की दक्षतायें नही रखते, उनके लिए आवासीय/ गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था है ।

अभियान को व्यापक जन आंदोलन बनाने के उददेश्य से जन प्रतिनिधियों, अशासकीय संस्थाओं, शिक्षाविदो को जोडा गया है, ताकि यह अभियान अपने उद्देश्यों को सार्थक कर सके ।

8.12 गुणवत्ता सुधार योजना : राज्य के प्रत्येक जिलों द्वारा आवश्यकताओं और भौतिक परिस्थितियों को देखते हुए जिले के अकादमी गुणवत्ता सुधार योजना कार्यक्रम चलाया गया है । 3099 संकुलो में संयुक्त स्तर पर 4 प्राथमिक एवं 4 मिडिल शालाओं को उन्नत शाला के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम चलाया गया है ।

8.13 विशेष प्रयास :

- वेब पर शिक्षा विभाग का एजूकेशनल पोर्टल **http://www.education portal.mp.gov.in** प्रारंभ कर जन सामान्य हेतु सुलभ किया गया तथा स्कूल शिक्षा विभाग से जुडे मुद्दों तथा शालाओं, शिक्षकों,बच्चों के नामांकन, शाला से बाहर बच्चों एवं उनके फॉलोअप, गणवेश एवं साइकिल वितरण, निर्माण कार्य, बच्चो की उपलब्धि स्तर की जानकारी हेतु एक ऑन लाईन पोर्टल तैयार किया गया है ।
- विद्यालयों के विकास के लिऐ विद्यालय उपहार योजना लागू की गई है । योजना का उद्देश्य विद्यालयों को वस्तुरूप सहायता उपलब्ध कराना था विद्यालयों को अद्योसंरचनात्मक एवं अकादमिक विकास करना है । पोर्टस पर विद्यालय अपनी शाला की प्रमुख आवश्यकताओं को चिन्हिंत कर प्राथमिकता के क्रम में सूचीबद्ध करेगें । कोई भी व्यक्ति समूह कंपनी, ट्रस्ट या दानदाता अपनी इच्छा अनुसार विद्यालयों को शुद्ध पेय जल व्यवस्था, पखें, सौर उर्जा उपकरण, शिक्षण सहायक सामग्री, कम्प्युटर, प्रयोगशालाओं के उपकरण, फर्नीचर, खेल सामग्री, ब्राउंड्री, फेंसिक आदि वस्तुरूप उपहार दे सके ।
- राज्य द्वारा प्रदेश की समस्त शालाओं (प्राथमिक,मिडिल, हाई, हायर सेकेन्डरी) की जी.आई.एस. मैपिंग की जा रही है । प्रदेश के 51 जिलों में 1.21 लाख शालाओं की मैपिंग का कार्य पूर्ण ।

- **नॉलेज हब पोर्टल :** शिक्षकों तथा छात्रो के लिए नॉलेज शेयरिंग नेटवर्क प्रारम्भ किया जा रहा है । नॉलेज हब पोर्टल के उददेश्य- शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए ज्ञान स्त्रोत उपलब्ध कराना, विचार-विमर्श (विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए उनके उत्तर) अन्य उपयोगी साइट्स की लिंक ।

माध्यमिक शिक्षा

8.14 कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से हाई स्कूलों एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की संख्या तथा शालाओं के उन्नयन की तरफ राज्य शासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है । 30 सितम्बर, 2014 की स्थिति में राज्य में 6825 हाई स्कूल एवं 7670 हायर सेकेण्ड्री स्कूल संचालित हैं । हाई स्कूलों में 25.69 लाख तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में 12.74 लाख छात्र-छात्राये अध्ययनरत हैं । 38.43 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है । वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 क्रमश: 100-50 माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में व 300 एवं 100 हाईस्कूल का हायरसेकेन्डरी शाला में उन्नयन किया गया है । प्रदेश में 30 सितंबर 2014 की स्थिति पर नामांकन एवं शिक्षकों की जानकारी निम्नानुसार है :

तालिका 8.5

प्रदेश में हाई/हायरसेकेण्डरी शालाओं की संख्या पर (वर्ष 2014-15)

(30 सितम्बर 2014 की स्थिति)

स्तर	कुल शालाओं में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शालाएं	प्रदेश में संचालित कुल शालाएं
हाईस्कूल	2916	6825
हायरसेकेण्डरी स्कूल	2752	7670
योग	5668	14495

तालिका 8.6

प्रदेश में हाई/हायरसेकेण्डरी शालाओं में कुल नामाकंन लाख में (वर्ष 2014-15)

(30 सितम्बर 2014 की स्थिति पर)

स्तर	वर्ष 2014-15			छात्राओं का प्रतिशत
	छात्र	छात्राएं	योग	
हाईस्कूल (कक्षा 9 से 10)	13.73	11.96	25.69	46.55 प्रतिशत
हायरसेकेण्डरी स्कूल (कक्षा 11 से 12)	7.08	5.66	12.74	44.42 प्रतिशत
योग (कक्षा 9 से 12)	20.81	17.62	38.43	45.84 प्रतिशत

तालिका 8.7

प्रदेश में हाई/हायरसेकेण्डरी शालाओं में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं का नामाकंन लाख में (वर्ष 2014-15)

(30 सितम्बर 2014 की स्थिति पर)

स्तर	वर्ष 2014-15			छात्राओं का प्रतिशत
	छात्र	छात्राएं	योग	
हाईस्कूल (कक्षा 9 से 10)	2.56	2.08	4.65	44.73 प्रतिशत
हायरसेकेण्डरी स्कूल (कक्षा 11 से 12)	1.10	0.80	1.91	41.88 प्रतिशत
योग (कक्षा 9 से 12)	3.66	2.88	6.56	43.90 प्रतिशत

तालिका 8.8

कुल नामाकंन में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं का नामाकंन (वर्ष 201415) संख्या लाख में

(30 सितम्बर 2014 की स्थिति पर)

स्तर	वर्ष 2014-15			छात्राओं का प्रतिशत
	छात्र	छात्राएं	योग	
हाईस्कूल (कक्षा 9 से 10)	2.35	2.32	4.67	49.67 प्रतिशत
हायरसेकेण्डरी स्कूल (कक्षा 11 से 12)	0.88	0.79	1.67	47.30 प्रतिशत
योग (कक्षा 9 से 12)	3.23	3.11	6.34	49.05 प्रतिशत

तालिका 8.9

प्रदेश में हाई/हायरसेकेण्डरी शालाओं में शिक्षकों की संख्या (वर्ष 201415)

(30 सितम्बर 2014 की स्थिति पर)

स्तर	वर्ष 2014-15			महिलाओं का प्रतिशत
	पुरूष	महिला	योग	
हाईस्कूल (कक्षा 9 से 10)	29503	16077	45580	35.27 प्रतिशत
हायरसेकेण्डरी स्कूल (कक्षा 11 से 12)	6570	2959	9529	31.05 प्रतिशत
योग (कक्षा 9 से 12)	36073	19036	55109	34.54 प्रतिशत

8.15 शाला त्यागी दर वर्ष 2013-14 : विभिन्न कारणों से छात्र/छात्रायें अपनी शिक्षा बीच में छोड़कर शाला त्याग देते हैं । विगत वर्षो से प्रदेश में राज्य शासन के अथक प्रयासों से लगभग 3700 माध्यमिक शाला / हाईस्कूल का उन्नयन किया गया है । जिससे की छात्र-छात्राओं को अपने ही गांव में हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध हो सकी इस कारण से शाला छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई है ।

तालिका 8.10

शाला त्यागी दर

स्तर	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	छात्र	छात्राऐं	योग	छात्र	छात्राऐं	योग	छात्र	छात्राऐं	योग
कक्षा 9 से 10	14.30%	18.4%	16.20%	12.1%	25.3%	18.4%	26.2%	23.7%	25.0%

तालिका 8.11

सकल नामांकन दर Gross Enrolment Ratio वर्ष 2014-15

स्तर	सकल नामांकन दर Gross Enrolment Ratio वर्ष 2014-15			जेण्डर गेप (GG)	जेण्डर पैरटी इंडेक्स (GPI)
	छात्र	छात्रा	कुल		
कक्षा 9 से 12	64.9%	62.1%	63.6%	2.8%	0.90 %

8.16 उत्कृष्ट विद्यालय : शासकीय स्कूलों में माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों एवं विकास खंड के मुख्यालयों पर एक शासकीय उ.मा.वि. को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है । वर्तमान में 41 जिला मुख्यालयों एवं 194 विकास खंड मुख्यालयों पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं । वर्तमान में 47.90 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2014-15 में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 10 एवं 12 वीं का परीक्षा परिणाम लगभग 91.7 प्रतिशत एवं 96.8 प्रतिशत रहा है ।

8.17 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण : शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति/जनजाति एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र/छात्राओं को तथा सभी वर्गों की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना संचालित हैं । वर्ष 2011-12 में 5000.00 लाख रूपये व्यय कर 20.83 लाख

छात्र/छात्राओं को लाभांवित किया गया है । वर्ष 2012-13 में 5500.00 लाख रूपये व्यय कर 21.73 लाख छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2014-15 में 72.00 करोड का प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान के विरूद्ध लगभग 24 लाख छात्र-छात्राओं को लाभांवित किया गया । वर्ष 2015-16 हेतु 80.00 करोड का प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान के विरूद्ध लगभग 25 लाख छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है ।

8.18 सायकिल वितरण : राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बालक/ बालिकाओं को जिनके ग्राम में शासकीय स्कूल नही है, तथा वे कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने दूसरे गांव/शहर में अध्ययन के लिये जाने हेतु उन्हें निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना अन्तर्गत 2400 रूपये का रेखाकिंत चैक प्रदाय किया जाता है । वर्ष 2014-15 में 150.00 करोड़ रूपये प्रावधान के विरूद्ध 4.92 लाख छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया । इस योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन हितग्राही छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में राशि रूपये 2400/- अंतरित की जा रही है । 4.30 लाख छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है ।

8.19 छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना : स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति योजना प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत निम्न छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

- सुदामा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ।
- स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना ।
- सुदामा शिष्यवृत्ति योजना ।
- डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना ।
- पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति ।
- मृत/अंपग/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति ।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण सत्र 2012-13 से **"बेटी बचाओं अभियान"** अन्तर्गत इकलौती बेटी को **"शिक्षा विकास छात्रवृत्ति"** योजना प्रारंभ की गई है । इस योजनान्तर्गत ऐसी समस्त प्रतिभावान बालिकायें जो अपनी माता-पिता की इकलौती संन्तान है एवं म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त एवं मंडल का पाठयक्रम संचालित करने वाले समस्त अशासकीय हायरसेकेण्डरी विद्यालय में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्तिकी पात्र होगी ।यह छात्रवृत्ति उन्ही मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जायेगी जिनका मासिक शिक्षण शुल्क रूपये 1500/- से कम होगा । वर्ष 2013-14 से उक्त योजनायें समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित है । समेकित छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है ।

वर्ष 2014-15 में लगभग 84.00 लाख विद्यार्थियों को ऑनलाईन छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है ।

8.20 सुपर 100 योजना : शासकीय स्कूल में कक्षा 10 में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को व्यावसायिक संस्थाओं, आई.आई.टी./मेडिकल कालेज/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रशिक्षण हेतु भोपाल में शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. एवं इन्दौर के शासकीय मल्हाराश्रम उ.मा.वि. में सुपर 100 योजना संचालित है । वर्ष 2015-16 में 3.00 करोड़ रूपये प्रावधान के विरूद्ध 481 विद्यार्थी को लाभांवित किया गया है ।

8.21 विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना (I.E.D.S.S.) : यह योजना 1 अप्रैल, 2009 से लागू है । यह योजना एम.एच.आर.डी. भारत शासन से प्राप्त केन्द्रीय अनुदान से संचालित योजना है इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक सामान्य विद्यालयो में अध्ययन करने वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को रूपये 3000/- के मान से सुविधा भत्ता प्रदाय करती है । राज्य शासन भी रूपये 600/- प्रति बच्चों के मान से टॉपअप मनी प्रदाय करता है । वर्ष 2015-16 में उक्त दर से 12062 बच्चे लाभान्वित होने जा रहे है ।

8.22 प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना : प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत इस वर्ष 2015 में 10072 छात्र-छात्राओं को लेपटॉप क्रय करने हेतु राशि रूपये 25,000/- प्रत्येक को प्रदान किये गये । इसमें कुल राशि रूपये 25 करोड 18 लाख मात्र का व्यय हुआ है ।

उच्च शिक्षा

मध्यप्रदेश के विकास में उच्च शिक्षा की अहम भूमिका है । उच्च शिक्षा विभाग ज्ञान और कौशल का ही विकास नही करता बल्कि शिक्षित व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में भी मार्ग प्रशस्त कर समाज में स्तर को ऊपर उठाने एवं राष्ट्रनिर्माण में उनकी भागीदारी के अवसर प्रदान करता है । उच्च शिक्षा विभाग को प्रासंगिक बनाये रखने के लिये उसमें समसामयिक चुनौतियों और परिवर्तनों में सामंजस्य स्थापित करने की पहल इस विभाग की कार्य योजना का महत्वपूर्ण पहलू है । मध्यप्रदेश देश के उन प्रमुख राज्यों में से एक है, जहां राज्य शासन उच्च शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी सम्पूर्ण निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ निभा रहा है ।

8.23 शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में एवं विद्यार्थियों की संख्या : वर्ष 2014-15 में प्रदेश मे 432 शासकीय महाविद्यालय, 789 अनुदान अप्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, 75 अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय संचालित है । जिसमें शासकीय महाविद्यालय में छात्र

की संख्या 1,97,662, छात्राये की संख्या 2,51,784 कुल अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 4,49,446 है ।

- उच्च शिक्षा द्वारा ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचल तक महाविद्यालय की स्थापना हेतु वर्ष 2014-15 में 5 नवीन महाविद्यालय तथा पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालयो में 04 नवीन संकाय / विषय भी प्रारंभ किये गये ।

- उच्च शिक्षा में वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय सकल पंजीयन अनुपात का लक्ष्य 25 प्रतिशत रखा गया है । मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है । वर्ष 2014-15 में 20.04 प्रतिशत सकल पंजीयन अनुपात बढकर वर्ष 2015-16 में 21 प्रतिशत (अनुमानित) हो गया है ।

8.24 गांव की बेटी योजना : उच्च शिक्षा के सत्त विकास एवं छात्राओं में उच्च शिक्षा के प्रति रूझान के लिये ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिये गांव की बेटी योजना लागू की गई है, जिसमें 'गांव की बेटी' योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्लोबल बजट राशि रूपये 2375.00 लाख का प्रावधान एवं 'प्रतिभा किरण' योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्लोबल बजट राशि रूपये 20.00 लाख राशि का प्रावधान है । गांव की बेटी योजना अन्तर्गत वर्ष 2015-16 दिसम्बर 2015 तक 36787 छात्राऐं लाभान्वित हुई तथा प्रतिभा किरण में 3488 छात्राएं लाभान्वित हुई ।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पुस्तकें एवं स्टेशनरी प्रदाय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में ग्लोबल बजट में राशि रूपये 21.00 करोड का प्रावधान है ।

8.25 छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा योजनान्तर्गत : वित्तीय वर्ष 2015-16 में तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास में ग्लोबल बजट रूपये 590.00 लाख का प्रावधान है । आवागमन योजना अन्तर्गत वर्ष 2015-16 दिसम्बर 2015 तक 42053 छात्राएं लाभान्वित हुई ।

8.26 प्रयोगशाला उन्नयन योजना : इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में रूपये 350.00 लाख का प्रावधान था जिसमें 350.00 लाख रूपये व्यय हुआ है तथा इस योजना का लाभ 26 महाविद्यालयों को हुआ है । ई-लायब्रेरी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 200.00 लाख का प्रावधान था । जिसमें 200.00 लाख का व्यय हुआ है तथा इस योजना का लाभ 22 महाविद्यालयों को हुआ है ।

8.27 भवन निर्माण योजना : इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासकीय महाविद्यालयों के निर्माण तथा अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु रूपये 2950.00 लाख के प्राप्त बजट आवंटन को लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.)को राशि रूपये 1636.00 लाख लोक निर्माण विभाग को रूपये 500.00 लाख एवं म.प्र.गृह निर्माण अधोसंरचना विकास को राशि रूपये 614.00+50.00 लाख एवं राजधानी परियोजना प्रशासन को राशि रूपये 150.00 लाख उपलब्ध कराई गयी है ।

8.28 अनुसूचित जाति/जनजाति के पी-एचडी. अध्ययनरत विद्यार्थियों सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 मे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए रूपये 300.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु रूपये 40.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।

8.29 विक्रमादित्य योजना : इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में द्वीतीय, तृतीय एवं चथुर्त त्रैमास में ग्लोबल बजट 75.80 लाख का प्रावधान है । इस योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में दिसम्बर 2015 तक 36787 छात्र लाभन्वित हुए ।

उच्च शिक्षा विभाग की विषिष्ट उपलब्धियां :

- लक्ष्मन सिंह गौड पुरस्कार योजना में संशोधन कर पुरस्कारों की संख्या में 30 से वृध्दि करते हुए 248 की गई है । जिसमें 8 प्राचार्यों , 40 शिक्षकों एवं 200 विध्दयार्थियों को पुरस्कार दिए जाने की कार्ययोजना है ।
- डा. सर हरीसिंह के नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले को 1.00 लाख रू. का पुरस्कार दिए जाने के संबंध में प्रावधान/नियम दिनांक 12 अक्टूबर 2015 में प्रकाशित किया गया है ।
- महाविदयालयों का नेक से मूल्यांकन हेतु प्रोत्साहन योजना के तहत-नेक मूल्यांकित ए ग्रेड महाविदयालय को 15 लाख, बी ग्रेड महाविदयालय को 10 लाख एवं सी ग्रेड महाविदयालय को 5 लाख रू. की प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जावेगी । इस वर्ष 38 महाविदयालय नेक द्वारा मूल्यांकित हुए हैं । 04 शासकीय महाविदयालयों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है ।
- 264 महाविदयालयों को एवं सभी विश्वविदयालयों में वाई फाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।
- 100 महाविदयालय में वर्चुअल कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित कर स्नातक स्तर पर 350 व्याख्यान आयोजित (व्याख्यान यू टयूब पर उपलब्ध है) पी.जी.कक्षाओं में भी व्याख्यान प्रारंभ किये गये हैं ।
- कौशल विकास कार्यक्रम-केम्पस से 2015-16 तक 576 तक प्लेसमेंट हुए ।

- राज्य स्तरीय व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ-प्रदेश में विदयार्थियों के व्यक्तित्व विकास के महत्व को समझते हुए भोपाल में प्रकोष्ठ का गठन किया गया है । जिसके तहत 51 जिले एवं संभाग स्तर पर प्रभारी समन्वयक नियुक्त किये जा चुके हैं, अभी तक 1 लाख से अधिक विदयार्थी लाभांवित किए गए हैं । अशासकीय महाविदयालयों में प्रकोष्ठ प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं ।
- विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली राशि से निमार्ण एवं अन्य अधोसंरचना विकास-मंत्री परिषद से अनुमोदन प्राप्त अन्य प्रकियायें जारी हैं ।
- राष्टीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजनांतर्गत प्रथम चरण के प्रस्ताव की राशि रू.289.00 करोड पर भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ। महाविदयालय एवं विश्वविदयालय की अधोसंरचना निमार्ण कार्य हेतु प्रथम किश्त राशि रू. 7.8 करोड प्राप्त हुए ।

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा मानव संसाधन को अधिक दक्ष एवं कौशल युक्त बनाती है। प्रदेश में स्थापित तकनीकी संस्थाओं में विभिन्न स्तरों के पाठयक्रमों के लिये संस्थाओं की संख्या एवं वार्षिक प्रवेश क्षमता का वर्षवार विवरण **तालिका 8.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.12
तकनीकी शिक्षण संस्थाएं

(संख्या में)

तकनीकी संस्था	2014-15		2015-16 माह अक्टूबर 2015 की स्थिति		गत वर्ष की तुलना में कमी/वृद्धि	
	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता	संस्थाओं में प्रतिशत	प्रवेश क्षमता में प्रतिशत
इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर	217	99262	203	87212	(-) 6.45	(-)12.14
एम.सी.ए.	62	4140	56	3700	(-) 9.68	(-) 10.63
एम.बी.ए.	199	21582	175	20850	(-) 12.06	(-) 3.39
बी. फार्मा/डी फार्मा	100	7360	74/23	5262/1380	(-) 3	(-) 9.76
डिप्लोमा (इंजी.) पाठ्यक्रम	141	25694	145	27176	(+)2.84	(+)5.77

वर्ष 2015-16 माह नवम्बर, 2015 तक प्रदेश में कुल 676 तकनीकी शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं, जिनमें प्रवेश क्षमता की संख्या 145580 लाख है ।

8.30 तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम : शासन व्दारा वित्त पोषित एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं हेतु केन्द्र शासन व्दारा 75 प्रतिशत एवं राज्य शासन व्दारा 25 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप से दी जायेगी तथा निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं हेतु केन्द्र शासन व्दारा 60 प्रतिशत एवं राज्य शासन व्दारा 20 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी तथा 20 प्रतिशत राशि संस्था व्दारा वहन की जायेगी । परियोजना संस्थाओं का विवरण **तालिका 8.13** में दर्शाया गया है ।

- **मुख्य उपलब्धियां :-** इंजीनियरिंग पाठयक्रमों में जे.ई.ई परीक्षा के माध्यम से तथा इस वर्ष पॉलीटेक्निक कॉलेजों की सीटो में 1482 की वृध्दि की गई है ।

- **अधोसंरचना का निर्माण :-** 03 नवीन पॉलीटेक्निक महाविदयालय रायसेन, शाजापुर, श्योपुर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 18 नवीन पॉलीटेक्निक महाविधालयों में भवन निर्माणाधीन है ।

- **शिक्षकों की भर्ती :-** पॉलिटेक्निक के व्याख्याताओं की भर्ती नेट 2015 (माह जनवरी /फरवरी) नेट परीक्षा दिसम्बर 2014 के परिणाम के आधार पर ।

तालिका 8.13

शासन द्वारा अनुदान प्राप्त परियोजना संस्थाओं का विवरण

(करोड़ रूपये में)

संस्था का नाम	उपघटक	परियोजना राशि	संस्थाओं को जारी की गई राशि	माह दिसम्बर 2014 तक व्यय की गई राशि
आर.जी.पी.व्ही, {भोपाल}	1.2	12.50	2.00	0.62
एस.जी.एस.आई.टी.एस. {इन्दौर}	1.2	12.50	6.00	3.62
एम.आई.टी.एस. {ग्वालियर}	1.1	10.00	8.55	5.85
एस.एटी.आई इंजी.महावि.{विदिशा}	1.1	10.00	8.55	5.56
एस.आई.आर.टी. {भोपाल}	1.1	04.00	3.20	2.23
योग		**49.00**	**28.30**	**17.88**

- वाई-फाई केम्पस– 04 इंजीनियरिंग एवं 10 पोलिटेक्निक कालेज में वाई-फाई की स्थापना का कार्य पूर्ण । शेष सभी 53 पोलिटेक्निक कालेज में वाई-फाई की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर ।
- ऑनलाईन लर्निंग के लिये संस्थाओं में हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टीविटि हेतु 10 Mbps की लीजलाईन- 04 इंजीनियरिंग एवं 04 पोलिटेक्निक कॉलेज में 10 Mbps की

लीजलाईन का कार्य पूर्ण । 15 और पोलिटेक्निक कॉलेजों में 10 Mbps की लीजलाईन बिछाने का कार्य प्रगति पर ।

- स्मार्ट क्लासरूम एजुकेशन प्रोग्राम का कार्यान्वयन–04 इंजीनियरिंग एवं पोलिटेक्निक कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूप तैयार एवं कक्षायें प्रारंभ । 06 और पोलिटेक्निक कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूप का कार्य प्रगति पर ।
- ई-लाईब्रेरी की स्थापना– 02 इंजीनियरिंग /जबलपुर/रीवा एवं 05 पोलिटेक्निक कॉलेज एस.व्ही. भोपाल महिला पोलिटेक्निक भोपाल सागर सीहोर एवं बुरहानपुर में ई-लाईब्रेरी की स्थापना का कार्य पूर्ण ।

8.31 विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना : अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली पोस्ट मैंटिक छात्रव़त्ति की स्वीकृति संबंधित विभाग व्दारा पात्रतानुसार दी जाती है । राज्य के पोलीटेक्निक/ इंजीनियिरंग/व्यासायिक पाठयक्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैटिक छात्रवृत्ति संबंधी आवेदन पत्र संस्थाओं व्दारा ऑनलाईन संबंधित विभाग के जिला संयोजक की ओर प्रेषित किये जाते है, जहॉ से छात्रवृत्ति की स्वीकृति उपरान्त विद्यार्थियों को राशि का भुगतान नोडल सेन्टर व्दारा चैक के माध्यम से उनके खाते में होता है ।

8.32 टयूशन फी-वेवर स्कीम : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली व्दारा अधिसूचित टयूशन फी-वेवर योजना सत्र 2009-10 लागू की गई है । यह योजना स्वैच्छिक है। ए.आई,सी,टी,ई, की अनुमति के आधार पर ही संस्थाओं को फीस-वेवर स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाता है । समाज की महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर तब के विद्यार्थियों के लिये तकनीकी पाठयक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने वाले ऐसे छात्र-छात्राओं के लिये टयूशन फीस वेवर योजना लागू की गई है, जिनके अभिभावन/माता-पिता की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से रूपये 4.50 लाख से अधिक न हो । शिक्षण शुल्क में छूट की सुविधा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों तक सीमित है । जिसके एवज में संस्था को प्रवेश क्षमता 10 प्रतिशत स्थान अतिरिक्त रूप से या वास्तविक लाभांवित विद्यार्थियों की संख्या तक जो भी कम हो उपलब्ध होगें । वर्ष 2014-15 में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 2541 है ।

8.33 महाविदयालयों नि:शक्तजनों को तकनीकी शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिये 03 पोलीटेक्निक में संचालित योजना - भारत सरकार की सहायता से प्रदेश के तीन पोलीटेक्निक महाविद्यालय यथा स.व पोलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल, कलानिकेतन पोलीटेनिक्नक जबलपुर एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविदायालयय, ग्वालियर में नि:शक्तजनों (विकलांग) को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्यालय में जोड्ने की केन्द्र प्रवर्तित परियोजना है । यह योजना वर्ष 2001-2002 से प्रारम्भ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत

छात्रवृत्ति रूपये 250/'- प्रतिमाह दी जाती है । अन्य वित्तीय सविधाऐं यथा नि:शुल्क भोजन, पुस्तकें एवं स्टेशनरी भत्ता भी दिया जाता है ।

8.34 राज्य के चार पोलिटेक्निक महाविद्यालयों क्रमश : कलानिकेतन पोलिटेक्निक जबलपुर, डॉ. बी.आर.अम्बेडकर पोलिटेक्निक ग्वालियर, पोलिटेक्निक खण्डवा, एवं वल्लभ भाई पोलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा NVEQF के अन्तर्गत कम्युनिटी कॉलेज प्रारम्भ करने के लिए अनुमति प्राप्त की गई।

स्वास्थ्य

8.35 म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि योजना : यह योजना प्रदेश में 2 सितम्बर, 1997 से लागू है । मध्य प्रदेश के ऐसे परिवार जो इस राज्य के मूल निवासी है तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है परिवार का कोई सदस्य योजनान्तर्गत 20 चिन्हित गंभीर जीवन घातक बीमारी से पीडित होने पर रोगी को राज्य बीमारी सहायता निधि अन्तर्गत एक बार सहायता दिये जाने के पश्चात दूसरी बार पुन चिन्हित बीमारियों में उपचार/ सर्जरी की आवश्यकता होती है तो इस हेतु 2.00 लाख रूपये की सकल सीमा में रहते हुए (दोनों चिन्हित गंभीर बीमारियों के प्रकरणों को मिलाके) सहायता प्रदान की जाती है । ऐसे सभी प्रकरण जिला स्तर से जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किये जाते है । योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में माह मार्च 2014 तक 6925 हितग्राहियों को लाभांवित कर 65.18 करोड रू.व्यय किये गये वर्ष 2014-15 में माह मार्च 2015 तक लगभग 4888 हितग्राहियों को लाभांवित कर 47.35 करोड रू.व्यय किये गये एवं वर्ष 2015-16 में जून 2015 तक 2050 हितग्राहियों को लाभांवित कर 21.45 करोड रू. व्यय किये गये इस योजना के प्रारंभ से वर्ष2015 माह जून तक लगभग 43.96 हजार हितग्राही लाभांवित कर 405.52 करोड रू. व्यय किये जा चुके हैं ।

8.36 मुख्यमंत्री बाल हद्य उपचार योजना : यह योजना जुलाई 2011 से प्रारंभ की गयी है । इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 0-15 वर्ष के बच्चों तथा ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे पंजीबद्ध नही है और अपना इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है, वे भी इस योजना के पात्र है । इसमें हद्य रोग से पीडित बच्चों को हद्य का उपचार/आपरेशन किया जाता है । योजनान्तर्गत अधिकतम 1.00 लाख रूपये तक की स्वीकृति का प्रावधान है । वर्ष 2013-14 में 1215 हितग्राहियों को लाभान्वित कर 10.53 करोड़ रूपये व्यय किये गये । वर्ष 2014-15 में माह अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक लगभग 597 हितग्राहियों को लाभांवित कर 5.19 करोड रू. व्यय किये गये एवं वर्ष 2015-16 में माह मार्च 2015 तक लगभग 203 हितग्राहियों को लाभांवित कर 1.77 करोड रू.

व्यय किये गये । इस योजना के प्रारंभ से वर्ष 2015 माह जून तक लगभग 4847 हितग्राही लाभांवित कर 41.94 करोड रू. व्यय किये गये हैं ।

8.37 मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना : योजनांतग्र्त 07 वर्ष तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के श्रवणबाधितार्थ से ग्रसित बच्चों का इलाज किया जाता है इस योजना में अधिकतम 6.50 लाख रू. तक की स्वीकृतिका प्रावधान है ।लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस योजना को दिनांक 01-10-2014 से संचालित की गई है संचालित दिनांक से जून 2015 तक हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ।

8.38 राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम : वर्ष 2014-15 में 5.00 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 5.05 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन किये गये । आई.ओ.एल. 99.1 प्रतिशत है । स्कूल स्क्रीनिंग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 29.49 लाख स्कूली बच्चों के नेत्र परीक्षण किये गये है, जिनमें से 94.70 हजार बच्चों में दृष्टिदोष पाया गया एवं 80.50 हजार स्कूली बच्चों को नि:शुल्क चश्मा प्रदाय किये गये हैं । वर्ष 2015-16 में वार्षिक लक्ष्य 5.00 लाख निर्धारित है । माह सितम्बर 2015 तक लक्ष्य 1.65 लाख के विरूद्ध 1.65 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन किये गये । आई.ओ.एल. 99 प्रतिशत है । स्कूल स्क्रीनिंग के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में माह सितम्बर 2015 तक 10.75 लाख स्कूली बच्चों के नेत्र परीक्षण किये गये है, जिनमें से 33014 बच्चों में दृष्टिदोष पाया गया एवं 8077 स्कूली बच्चों को नि:शुल्क चश्मा प्रदाय किये गये है । शासकीय चिकित्सालयों की नेत्र चिकित्सा इकाईयों को उन्नयन किया जा रहा है । प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचल तक अंधत्व निवारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में विजन सेंटरो की स्थापना की जा रही है ।

8.39 सरदार वल्लभ भाई पटेल नि:शुल्क औषधि वितरण योजना : सरदार वल्लभ भाई पटेल नि:शुल्क औषधि वितरण योजना राज्य की समस्त चिकित्सा संस्थाओं मे प्रत्येक वर्ग के रोगियों को न्यूनतम आवश्यक दवाओं की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्धेश्य से वर्तमान दवा आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु यह योजना वर्ष 2012-13 में माह, नवम्बर 2012 से 1.60 हजार स्वास्थ्य केन्द्रों, 49.00 हजार ग्राम आरोग्य केन्द्रो में प्रारम्भ की गई है । चिकित्सालय के ओ.पी.डी. समय तथा भर्ती रोगियों को इस केन्द्र से सर्वाधिक उपयोग में आने वाली जेनेरिक औषधियां उपलब्ध है । योजना के प्रारम्भ होने से औषधियों की उपलब्धता बढ़ी है, जिसके कारण बाह्य एवं अन्तः रोगियों की संख्या मे वृद्धि हुई है जो शासकीय चिकित्सालयों के प्रति लोगो में विश्वास बढ़ने का घोतक है एवं औषधियों हेतु पर्याप्त बजट भी उपलब्ध है । योजना के परिणाम स्वरूप उपचार में होने वाला आऊट ऑफ पॉकेट व्यय कम हुआ है ।

8.40 नि:शुल्क पैथालॉजी की जांच सुविधा : वर्तमान मे शासकीय चिकित्सालयों में विभिन्न स्तर पर कई प्रकार की जांच सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध नही है एवं उपलब्ध जांचे स:शुल्क उपलब्ध करायी जाती है । इस संबंध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय चिकित्सालयों में न्यूनतम आवश्यक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये । माह, फरवरी 2012 से आरम्भ हुई इस नि:शुल्क पैथालॉजी जांचो की सुविधा जिला अस्पतालों से लेकर उप स्वास्थ्य केन्द्रो तक उपलब्ध है । यह जांच सुविधाएं प्रदेश के समस्त नागरिकों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध है । योजना के अंतर्गत विभिन्न स्तर के चिकित्सा संस्थाओं में अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाने वाली नि:शुल्क पैथालॉजी जांच सुविधाएं को तय सूची के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है । इस सूची के मान से उप स्वास्थ्य केन्द्रो पर 5, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 16, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 28, सिविल अस्पतालों में 32 तथा जिला चिकित्सालय में 48 प्रकार की जांचे नि:शुल्क प्रदाय की जा रही है । इन दोनों योजनाओ को स्वास्थ्य गारन्टी योजना में सम्मिलित किया गया है ।

8.41 मातृ स्वास्थ्य : स्वास्थ्य विभाग के अथक प्रयास से प्रदेश की मातृ मृत्यु दर 277 (AHS 2011-12) से कम होकर 221 प्रति लाख जीवित जन्म (AHS 2012-13) हो गई है । ममता अभियान अनुसार मातृ मृत्यु दर को 100 तक लाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं ।

मातृ शिशु मृत्यु दर एवं सकल प्रजनन दर कम करना शासन की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है इस हेतु मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न योजनाएं एवं गतिविधियां संचालित की जा रही है इसके अंतर्गत मानव संसाधन अधोसंरचना, औषधी, जांचें, भोजन एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की गई है । जिसकी उपलब्धियां निम्नानुसार हैं ।

- मातृ मृत्यु दर 277 (AHS 2011-12) से कम होकर 221 (SRS 2011-13)
- संस्थागत प्रसव में उल्लेखनीय वृध्दि 82.6 प्रतिशत (AHS 2012-13)
- लक्षित 1596 डिलेवरी पाईंट के विरूध्द 1261 डिलेवरी पाईंट को क्रियाशील किया गया 470 डिलेवरी पाईंट में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ।
- जननी सुरक्षा योजनांतर्गत ई-टांसफर के माध्यम से अप्रैल 2015 से माह अक्टूबर 2015 तक 4.83 लाख महिलाओं को योजना का लाभ प्रदान किया गया ।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में प्रसव कराने वाली 5.40 लाख महिलाओं को नि:शुल्क सामान्य एवं सीजेरियम प्रसव, भोजन एवं प्रयोगशाला जांच सुविधायें प्रदान की गई । 23502 महिलाओं को ब्लड टांसप्यूजन उपलब्ध कराया गया ।

- 51 जिला चिकित्सालयों में से 46 जिला चिकित्सालयों में ब्लड बैंक एवं 5 जिला चिकित्सालयों तथा 103 संस्थाओं में ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था की गई ।
- इन सर्विस प्रशिक्षण हेतु भोपाल एवं ग्वालियर में 2 स्किल लैब एवं फ्री-सर्विस प्रशिक्षण हेतु जबलपुर एवं उज्जैन में नरसिंह महाविदयालयों में स्किल लैब क्रियाशील की गई ।
- 20 ए.एन.एम.एवं जी.एन.एम. स्कूल में मिनी स्किल लैब एवं कम्प्यूटर लैब स्थापित की गई ।
- प्रदेश में स्टाफ नर्स की पूर्ति हेतु 10 ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों को उन्नत कर जी.एन.एम. स्कूल किया गया है ।
- 5 शासकीय चिकित्सा महाविदयालयों में से 3 महाविदयालयों में आब्स्टेटिक आई.सी.यू. क्रियाशील है एवं ग्वालियर तथा रीवा में कार्य प्रगति पर है ।
- लक्षित 24 जिलों में एम.सी.एच. विन्ग के विरूध्द 16 जिला चिकित्सालयों में एम.सी.एच. विन्ग का कार्य पूर्ण तथा उपकरण व सामग्री उपलब्ध करा दी गई है ।
- प्रदेश को 1500 नवीन उप स्वास्थय केन्द्रों की स्वीकृति के अनुक्रम में मानव संसाधन, उपकरण सामग्री एवं अधोसंरचना का कार्य किया जायेगा ।
- 51 जिला चिकित्सालयों के मेटर्निटी विन्ग को 4.52 करोड रू. की राशि स्वीकृत से माडल के रूप में उपकरण, फर्नीचर के माध्यम से सुदृढिकृत किया जायेगा तथा मेडीकल कॉलेज के प्रसूति विभाग का सुदृढिकरण किया जाना है ।

8.42 जननी एक्सप्रेस योजना : गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु तथा बीमार बच्चों को उपचार हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से जननी एक्सप्रेस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी विकासखंडों में लगभग 55 प्रतिशत संस्थागत प्रसव हितग्राहियों को पिकअप तथा लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं को डिस्चार्ज उपरांत ड्रापबैक 893 वाहनों द्वारा किया गया है । इन वाहनों को गर्भवती महिलाओं तक पहुचाने हेतु प्रदेश के सभी 50 जिलों में जिला स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना की जा चुकी है । वर्ष 2015-16 में कुल 517053 हितग्राहियों को (गर्भवती महिलाओं) को योजनान्तर्गत परिवहन (Pick up and Drop Back) सुविधा उपलब्ध कराई गयी । इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 में कुल 34269 बीमार बच्चों को परिवहन सुविधा (Pick up and Drop Back) जननी एक्सप्रेस वाहनो के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है ।

8.43 जननी सुरक्षा योजनाः योजना का उद्धेश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है जिससे सुरक्षित मातृत्व एवं सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सके । राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत हितग्राही तथा प्रेरक को संस्थागत प्रसव कराने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को

संस्थागत प्रसव कराने पर 1400 रूपये शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । इसके अतिरिक्त प्रेरक को ग्रामीण क्षेत्र में 600 रूपये एवं शहरी क्षेत्र में 400 रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है । वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये प्रदेश हेतु योजनान्तर्गत राशि रूपये 184.93 करोड का बजट स्वीकृत किया गया है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह अक्टूबर, 2015 तक प्रदेश में कुल 4.83 लाख गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ प्रदाय किया जा चुका है ।

8.44 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम : भारत सरकार द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 प्रारंभ की गयी है जिसका का मुख्य उद्देश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं (जन्म से 30 दिवस तक) के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराना है ।

प्रदेश में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम दिनांक 01 जुलाई 2011 से प्रारंभ किया गया है। पात्र हितग्राही - गर्भवती महिलाएँ, नवजात शिशु

- **गर्भवती महिलाओं हेतु नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाऐं :** नि:शुल्क प्रसव, नि:शुल्क सिजेरियन ऑपरेशन, नि:शुल्क दवाऐं एवं सामग्री, नि:शुल्क जांच (समस्त), नि:शुल्क भोजन(सामान्य प्रसव होने पर 3 दिन एवं जटिल प्रसव हेतु 7 दिन तक), नि:शुल्क रक्त व्यवस्था, नि:शुल्क परिवहन व्यवस्था, निवास से स्वास्थ्य संस्था तक आने के लिए, आवश्यकता नुसार उच्च स्वास्थ्य संस्था में रेफरल, डिस्चार्ज होने के पश्चात् स्वास्थ्य संस्था से निवास तक छोड़ने के लिए, सभी प्रकार के उपभोक्ता शुल्क (रोगी कल्याण समिति सहित) से छूट ।

- **बीमार नवजात शिशु हेतु नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाऐं :** नि:शुल्क दवाऐं एवं सामग्री नि:शुल्क जांच (समस्त), नि:शुल्क रक्त व्यवस्था, नि:शुल्क परिवहन व्यवस्था, निवास से स्वास्थ्य संस्था तक आने के लिए, आवश्यकता नुसार उच्च स्वास्थ्य संस्था में रेफरल, डिस्चार्ज होने के पश्चात् स्वास्थ्य संस्था से निवास तक छोड़ने के लिए, सभी प्रकार के उपभोक्ता शुल्क (रोगी कल्याण समिति सहित) से छूट ।

8.45 शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमः मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर 62 से घटकर 54 (AHS 2012-13) हो गई है । राष्टीय स्वास्थ्य मिशन के शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को 25 तक लाने हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है ।

8.46 नवजात शिशु सघन चिकित्सा इकाईयों की स्थापना (SNCU) : शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु आवश्यक है कि नवजात शिशु मृत्यु दर, जो कि शिशु मृत्यु दर का दो तिहाई है, में कमी लाई जाए । इस हेतु विभाग द्वारा सभी जिला चिकित्सालयों में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना की गई है । पदस्थ सभी चिकित्साधिकारी एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ को नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा रहा है । वर्ष 2015-16 के दौरान माह अक्टूबर 2015 तक कुल 57622 बच्चे एस.एन.सी.यू. में भर्ती किए गए । 49462 बच्चों को उपचार उपरांत डिस्चार्ज किया गया । एवं 3.95 हजार बच्चों को आवश्यकता अनुसार उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्था में रेफर किया गया ।

8.47 बाल शक्ति योजना : प्रदेश मे जन्म से पांच वर्ष के बच्चों में कुपोषण की दर लगभग 60 प्रतिशत है, जो अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं 0-5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण कुपोषण है । बच्चों में कुपोषण दर को कम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल शक्ति योजना संचालित की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में पोषण पुर्नवास केन्द्र (NRC) (10/20 बेडेड) की स्थापना कर गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण-पुनर्वास एवं उपचार करने का प्रावधान है । प्रदेश में 316 पोषण पुनर्वास केन्द्र क्रियाशील है । वर्ष 2015-16 में माह अक्टूबर 2015 तक 43494 बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कर उपचार प्रदान किया गया ।

8.48 आशा (ASHA - Accredited Social Health Activist) कार्यक्रम : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आशा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त जिलों में आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाता है । चयनित आशाओं को निर्धारित मॉड्यूल्स के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है । प्रदेश में लगभग 57778 सक्रिय आशा कार्य कर रही है । आशाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यो को और बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु सहयोगी तंत्र विकसित किया गया है । इस सहयोगी तंत्र में 3690 आशा सहयोगी, 260 ब्लाक कम्युनिटी मोबिलाईजर एवं 37 जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर कार्य कर रहे है । आशा कार्यकर्त्ताओं को कार्य आधरित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है । आशा कार्यकर्ता 25 से 45 वर्ष की विवाहित/विधवा महिला हो सकती है जो कि न्यूनतम 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो । वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आशा कार्यकर्ताओं को कुल राशि 64,98,14,603 रूपये का भुगतान विभिन्न प्रोत्साहन राशि के रूप में किया गया है

8.49 दीनदयाल चलित अस्पताल : प्रदेश के 28 जिलो के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य विकासखण्डों के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में नि: शुल्क प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2006 से दीनदयाल चलित अस्पताल संचालित है । वर्तमान में प्रदेश में कुल 80

दीनदयाल चलित अस्पताल संचालित है । चलित अस्पताल द्वारा निर्धारित दूरस्थ ग्रामों में जाकर रोगियो का परीक्षण नि:शुल्क उपचार गर्भवती महिलाओं की जांच, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों में बच्चों का टीकाकरण, परिवार कल्याण से संबंधित परामर्श तथा स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएं दी जाती है । वित्तीय 2014-15 के दौरान कुल 20,51,626 तथा वर्ष 2015-16 में माह अक्टूबर, 2015 तक कुल 9,64,893 हितग्राहियों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई है ।

8.50 शहरी आशा : प्रदेश में शहरी आशाओं का चयन एवं प्रशिक्षण किया जा रहा है शहरी आशा का चयन मलिन बस्तियों में कार्य करने के लिये किया जा रहा है । प्रत्येक मलिन बस्ति की प्रति 1000 से 2000 जनसंख्या पर एक शहरी आशा का चयन किया जा रहा है । शहरी आशा मलिन बस्ति की निवासी होगी । अपने कार्य क्षेत्र में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, टीकाकरण, प्रसव पूर्व एवं पश्चात जांच, गृह आधारित नवजात शिशु भेंट, टीकाकरण तथा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य गतिविधियों को सम्पादित करेगी । शहरी आशा को ग्रामीण आशा की तरह ही कार्य आधारित मानदेय प्रदान किया जायेगा । प्रदेश में जिला स्तर पर 4200 शहरी आशाओं का चयन किया जाना है । वर्तमान में 3800 का चयन किया जाकर 3300 आशाओंका प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है । प्रशिक्षित आशाओं का कार्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, समस्त राष्टीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की पहुंच शहरी गरीब बस्तियों में रहने वालों तक बढाना है ।

8.51 संजीवनी 108 : नेशनल एम्बुलेंस सर्विस अंतर्गत राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन हेतु संजीवनी 108 एम्बुलेंस वाहन संचालित किए जा रहे हैं । ये वाहन आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त होते हैं । मध्यप्रदेश में यह सेवा GVKEMRI द्वारा संचालित की जा रही है । वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 604 एम्बुलेंस संचालित की जा रही है वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 951823 तथा वर्ष 2015-16 में माह अक्टूबर, 2015 तक कुल 479597 मरीजों को इस सेवा के द्वारा लाभाविंत किया गया है ।

8.52 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम : प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु महत्वकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है । इसके अंतर्गत प्रत्येक शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त स्कूल में मोबाइल टीम द्वारा छात्रों का परीक्षण किया जाता है । मोबाइल हेल्थ टीम में 4 सदस्य होते हैं - 2 आयुष चिकित्सक, 1 एएनएम एवं 1 फार्मासिस्ट । कार्यक्रम अंतर्गत 4D आधारित चिन्हित बीमारियों का परीक्षण एवं उपचार प्रदान किया जता है तथा आवश्यकता अनुसार उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्था को रेफर किया जाता है । प्रदेश में यह कार्यक्रम माह अक्टूबर 2013 से प्रारंभ किया गया है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह अक्टूबर 2015 तक 72.84 लाख बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है तथा 3.63 लाख बच्चों को आवश्यक उपचार प्रदाय किया गया ।

8.53 नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (NIPI) कार्यक्रम : एनीमिया विशेषकर आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया एक गंभीर जन समस्या है । इसके निवारण एवं रोकथाम हेतु जीवन-चक्र आधारित रणनीति अपनायें जाने की महती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा नवीन कार्यक्रम **National Iron+Initiative (NIPI)** का शुभारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत 6 से 60, बच्चे 5 से 10 आयु के बच्चे, 10 से 19 वर्ष के किशोरवय बालक-बालिकायें, गर्भवती एवं धात्री मातायें एवं 20 से 45 वर्षीय प्रजनन कालीक महिलाओं को सम्मिलित किया जाता है ।

पेयजल व्यवस्था

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश की समस्त ग्रामीण बसाहटों में शुद्ध पेयजल प्रदाय हेतु योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं । जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन भारत शासन के राष्ट्रीय ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जा रहा हैं जिनके लिये वित्तीय व्यवस्था योजनाओं के वित्तीय ढॉचे के अनुसार केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा की जाती है।

विभाग द्वारा मुख्य रूप से सभी ग्रामीण बसाहटों में जलप्रदाय की योजनाएं जो अधिकांश भू-जल पर आधारित है (छोटी बसाहटों हेतु पम्प एवं बड़े ग्रामों हेतु नलजल प्रदाय योजनाएं) कियान्वित की जा रही है । ग्रामीण शालाओं एवं आंगनवाडियों में भी विभाग द्वारा जलप्रदाय व्यवस्था के कार्य किये जा रहे हैं ।

प्रदेश के कुछ जिलों में भूगर्भीय जल के गुणवत्ता संबंधी समस्याऐं भी है जिसमें फलोराईड आधिक्य की समस्या प्रमुख है तथा इसके अतिरिक्त लौह आधिक्य, खारे पानी एवं कुछ क्षेत्रों में एक से अधिक प्रदूषक की भी समस्या है । विभाग द्वारा इन गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में भी वैकल्पिक स्त्रोतों से पेयजल की व्यवस्था के कार्य किये जा रहे है। संचालन एवं संधारण कार्य के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदेश के लगभग 5.29 लाख हैडपंपों का संधारण किया जा रहा है। विभाग द्वारा क्रियान्वित 15058 ग्रामीण नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है।

8.54 ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था : ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शासन द्वारा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय का मापदण्ड निर्धारित किया गया है जिसके आधार पर योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम के अंतर्गत माह दिसम्बर 2015 तक 7531 बसाहटों में हैडपम्प योजनाओं द्वारा पेयजल व्यवस्था की गई है।

8.55 ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था : सर्वशिक्षा अभियान को छोडकर शेष ग्रामीण शालाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था करने का कार्य किया जा रहा है एवं अधिकाश शालाओं में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है । वर्ष 2015-16 में शेष 2000 ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक कुल 2009 ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

8.56 आगंनवाडियों में पेयजल व्यवस्था : प्रदेश के सभी आंगनवाडियों में पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाए उपलब्ध कराए जाने के लिए इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में प्रदेश के विभिन्न जिलो की 4000 आंगनवाडियों में पेयजल व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित है जिसके अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में कुल 2491 आंगनवाडियों में पेयजल व्यवस्था के कार्य किये गए है।

8.57 नल जल योजनाओं का क्रियान्वयन : वर्ष 2015-16 की वार्षिक योजना में 2000 ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित है जिसके विरूध माह दिसम्बर, 2015 तक 1171 बसाहटें नलजल योजनाओं के माध्यम से पूर्ण की गई है ।

8.58 प्रदेश में पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों में जलप्रदाय व्यवस्था : प्रदेश की गुणवत्ता प्रभावित 537 बसाहटों में से वर्ष 2015-16 में दिसम्बर 2015 तक कुल 201 बसाहटों में पेयजल प्रदाय व्यवस्था के कार्य विभाग द्वारा पूर्ण किए गए एवं शेष बसाहटों की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

8.59 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम : भारत शासन के इस कार्यक्रम के अंतर्गत फील्ड टैस्ट किट के माध्यम से, पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण देकर सभी पेयजल स्त्रोतों का प्रारंभिक गुणवत्ता परीक्षण पंचायत स्तर पर ही किया जाता है । वर्ष 2005-06 से संचालित इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैदानी कार्यकर्ताओं को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिया गया है इन प्रशिक्षणार्थियों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है । प्रदेश में उपखण्ड स्तर पर 104 प्रयोग शालाओं की स्थापना की जा चुकी है एवं विभिन्न प्रयोग शालाओं एवं फील्ड टेस्टिंग किट द्वारा 384281 पेयजल नमूनों का परीक्षण भी किया गया है । कार्यक्रम का क्रियान्वयन निरंतरित है ।

8.60 बुंदेलखण्ड क्षेत्र की दीर्घकालीन योजना : विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड के 6 जिलों के लिए 1287 नलजल योजनाओं के कार्य स्वीकृत किये गये है, इनमें नलकूप एवं कुओं पर आधारित पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं । जिसकी अनुमानित लागत 103.45 करोड़ रूपये है। अभी

तक 1198 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है । इन कार्यों पर अब तक कुल 99.67 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके है ।

8.61 भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम : वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रायः सभी योजनाएं भूगर्भीय जल स्त्रोतों पर आधारित हैं किंतु भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूगर्भीय जल की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है, विशेष रूप से ग्रीष्मकाल में अनेकों क्षेत्रों में नलकूपों में जल स्तर नीचे जाने से पानी की कमी हो रही हैं । इस स्थिति से निपटने के लिए पेयजल योजना स्त्रोतों के पुनर्भरण संबंधी कार्य भी विभाग द्वारा किये जा रहे हैं । इसी प्रकार, कठिनाई वाले क्षेत्रों में, जहां भूगर्भीय जल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, उन क्षेत्रों में कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है । वर्ष 2015-16 में 2600 के लक्ष्य के विरूध दिसम्बर 2015 तक 1648 विभिन्न संरचनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है ।

नगरीय क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था

8.62 गतिवर्धित नगरीय जलप्रदाय कार्यक्रम : 20 हजार से कम जनसंख्या वाले 254 नगरों में से राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा 155 नगरों का चयन इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था जिनमें से 147 नगरों की योजनाओं का अनुमोदन हुआ । इस कार्यक्रम में योजना की 50 प्रतिशत राशि केन्द्र से तथा 45 प्रतिशत राशि राज्य शासन से अनुदान के रूप में शेष 5 प्रतिशत राशि नगरीय निकाय द्वारा अंशदान के रूप में प्रदान की जाती रही है । राज्य शासन द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्राप्त योजनाओं में से सभी 147 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई इनमें से 128 योजनाओं के कार्य माह मार्च, 12 तक पूर्ण किये गये हैं व 19 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं जिनमें से 7 योजनाओं का क्रियान्वयन विभाग द्वारा एवं 12 योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित नगरीय निकायों द्वारा किया जा रहा है ।

8.63 राज्य का सामान्य नगरीय जलप्रदाय कार्यक्रम : सामान्य नगरीय जलप्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत 4 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। भोपाल नगर हेतु नर्मदा नदी स्रोत पर आधारित महत्वपूर्ण योजना भी सम्मिलित है । प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की जल प्रदाय व्यवस्था का संचालन-संधारण संबंधित नगरीय निकायों द्वारा किया जाता है । सीधी एवं झाबुआ की योजनायें संबंधित निकायों द्वारा संचालन संधारण के लिये हस्तांतरित नहीं की गई हैं एवं इनका संचालन संधारण अभी भी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ही किया जा रहा है ।

8.64 भोपाल नगर के लिये नर्मदा जलप्रदाय परियोजना का क्रियान्वयन : भोपाल नगर हेतु नर्मदा नदी पर आधारित पेयजल आवर्धन योजना हेतु 240 करोड़ रूपये (मूल्य वृद्धि अतिरिक्त) की प्रशासकीय स्वीकृति फरवरी 2005 में दी गई थी । योजना के अन्तर्गत शाहगंज के निकट हिरनी गॉव के पास से भोपाल नगर तक लगभग 68.50 किलोमीटर लम्बी 1100 से 1400 मिलीमीटर व्यास के पाईप लाइन के माध्यम से जल पहुंचाया जाना है । वर्ष 2012-13 माह दिसम्बर, 2012 से 136 एम.एल.डी. जलप्रदाय किया जा रहा है । परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत अधिकांश कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।

श्रम

वर्ष 2014-15 में औद्योगिक अशांति के कारण 11 विवाद उत्पन्न हुए एवं 18790 मानव दिवसों की हानि हुई। एवं 2015-16 (अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 तक) 10 विवाद उत्पन्न हुए तथा 10586 मानव दिवसों की हानि हुई।

8.65 ग्रामीण श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी : कृषि श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित वेतन माह, सितम्बर 1989 से प्रभावशील किया गया था। कृषि नियोजन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किये जाने तथा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने के फलस्वरूप 1 अक्टूबर, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक 5596.00 रूपये प्रतिमाह अथवा 187.00 रूपये प्रतिदिन न्यूनतम वेतन कृषि श्रमिकों को देय है।

8.66 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास : बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु प्रदेश में एक केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रचलित है, जिसके तहत पुर्नवास अनुदान के रूप में रूपये 20.000/- का भुगतान किया जाता है, इसमें रूपये 1000/- तात्कालिक सहायता सम्मिलित है । रूपये 20.000/- की राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा (10,000-10,000) बराबर अनुपात में वहन की जाती है । यह एक निरंतरित योजना है । योजनान्तर्गत कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नही है । जिला प्रशासन द्वारा बंधक श्रमिकों की पहचान नियमानुसार विमुक्त करने के साथ ही श्रमिकों की संख्या अनुसार बजट आवंटन हेतु प्रस्ताव जिला कलेक्टर से इस कार्यालय को प्राप्त होते है, तदनुसार राशि आवंटन की कार्यवाही की जाती है । प्रारंभ में पूर्ण अनुदान राज्यांश से दिया जाता है। जिसके पश्चात भारत सरकार से 50% अंशदान प्राप्त कर पूर्ति की जाती है ।

8.67 बाल श्रम : प्रदेश के 17 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित है। बाल श्रम पुनर्वास हेतु परियोजनांतर्गत वर्तमान में संचालित विशेष विद्यालयों में 17724 हजार कार्यरत कामकाजी बच्चों को दाखिला दिलाया गया । इसके पूर्व 20405 हजार बच्चों को विशेष विद्यालयों से मुख्य धारा के विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया है ।

8.68 कल्याण मण्डल : निर्माण कार्यो में लगे असंगठित श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य में गठित मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के माध्यम से वर्ष 2015-16 में सितम्बर 2015 तक कुल 21718 निर्माण श्रमिकों का हितग्राही के रूप में पंजीयन किया गया । मध्यप्रदेश राज्य में इस तरह अब तक कुल 24,44,121 पंजीकृत निर्माण श्रमिक है । मण्डल को उपकर के रूप में वर्ष 2015-16 में माह सितम्बर 2015 तक रूपये 112 करोड 61 लाख की राशि विभाग के प्रयासों से प्राप्त हुई है । इस तरह मध्यप्रदेश राज्य में अब तक कुल 1551.66 करोड उपकर संग्रहित किया गया है । मंडल द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में वर्ष 2015-16 में माह सितम्बर 2015 तक कुल 273050 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में रूपये 46 करोड 63 लाख के हितलाभ वितरित किये गये है । इस तरह मध्यप्रदेश राज्य में अब तक कुल 27,31,685 हितग्राहियों को 481.52 करोड के हितलाभ वितरित किये गये है ।

रोजगार

8.69 बेरोजगारी की स्थिति : राज्य में बेरोजगारी एवं रोजगार की स्थिति का आंकलन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है । यद्यपि रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराना ऐच्छिक है, परन्तु अन्य किसी स्त्रोत के अभाव में रोजगार कार्यालयों में उपलब्ध आंकडों से ही राज्य में बेरोजगारी की स्थिति का सांकेतिक ज्ञान हो पाता है ।

8.70 पंजीयन : मध्यप्रदेश राज्य में स्थित रोजगार कार्यालयों में वर्ष 2014 में 3.92 लाख व्यक्तियों का पंजीयन किया गया था। वर्ष 2015 की अवधि में लगभग 4.23 लाख व्यक्तियों का पंजीयन किया गया । रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगारों की संख्या वर्ष 2014 के अंत में 20.04 लाख थी, जो घटकर वर्ष 2015 के अन्त में 15.60 लाख हो गई जो गत वर्ष से 22 प्रतिशत कम है ।

8.71 शिक्षित बेरोजगार : राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या वर्ष 2014 के अंत में 16.72 लाख थी जो वर्ष 2015 में (दिसम्बर 2015 तक) के अंत में 13.77 लाख रह गई है जो गत वर्ष से 17.64 प्रतिशत की कमी दर्शाती है । वर्ष 2014 के अंत में जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगारों में शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत 83.43 था जो वर्ष 2015 में (दिसम्बर 2015 तक) के अंत में बढकर 88.26 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2015 में (दिसम्बर 2015 तक) जीवित पंजी पर दर्ज कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 13.77 लाख रही ।

8.72 सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार : वर्ष 2012-13 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 8.46 लाख व्यक्ति कार्यरत थे, जिसमें 1.20 लाख महिलायें थी इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2013-14 (दिसम्बर 2013 की स्थिति) में गत वर्ष से सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या में 0.25 प्रतिशत की कमी हुई । वर्ष 2013-14 की अवधि में लगे व्यक्तियों की संख्या बढकर 8.64 लाख हो गई तथा महिलाओं की संख्या घटकर 1.19 लाख ही है ।

8.73 रोजगार की स्थिति और रोजगार के प्रयास : प्रदेश में स्थित 48 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 2015 में (दिसम्बर 2015 तक) 334 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । इनमें से 07 महिलाएं, 30 अनुसूचित जाति एवं 04 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है, जबकि पूर्व वर्ष 2014 में रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये गये कुल 1300 व्यक्तियों में से 87 महिलाये, 67 अनुसूचित जाति एवं 71 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति थे ।

प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

8.74 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन : प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन की गणनानुसार 31 मार्च, 2015 के अंत तक राज्य में कुल 7,68,863 कर्मचारी कार्यरत रहे । कुल शासकीय कर्मचारियों में वर्ष 2014 की अपेक्षा वर्ष 2015 में 1.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई । कुल कर्मचारियों में शासकीय विभागों में नियमित कर्मचारी 4,57,522 राज्यीय सार्वजनिक उपक्रम एवं अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं में 59,587 नगरीय स्थानीय निकायों में 75,134 ग्रामीण स्थानीय निकायों में 1,68,182 विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 1,746 एवं विश्वविद्यालय में 6,792 कर्मचारी कार्यरत रहे ।

8.75 कारखानों की संख्या एवं नियोजन : राज्य में कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या 5378 है जिसमें कुल नियोजन क्षमता 853534 है वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक नए पंजीकृत कारखानों की संख्या 371 है जिसमें नियोजन क्षमता 16693 है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न रोजगार मूलक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक अधोसंरचना का निर्माण करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के लिये अनेक योजनाओं का संचालन करता है ।

8.76 इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाय) : ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं व्दारा किया जा रहा है ।

योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में 97109 आवास के लक्ष्य विरूद्ध 35523 आवासों की उपलब्धि हुई है । वर्ष 2014-15 112513 चयनित हितग्राही के आवासों के विरूद्ध 46387 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा शेष प्रगतिरत है ।

8.77 मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना : वर्ष 2014-15 में स्वीकृत आवास योजना के तहत आवास 6037 में से 1104 आवासों में व्दितीय किश्त प्रदाय की गई है, सभी आवास प्रगतिरत है ।

8.78 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन : मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन वर्ष 2011-12 से लगातार प्रगतिरत है । यह राज्य सरकार की-एक अभिनव आवास योजना है । यह मिशन 11 राष्ट्रीयकृत बैकों, 03 क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों एवं 06 जिला सहकारी बैंकों की सहभागिता से चलाया जा रहा हैा इस मिशन में अभी तक लगभग 5,61,106 ग्रामीण परिवारों को आवास निर्माण हेतु लगभग राशि रूपये 5059.56 करोड का बैंक ऋण एवं शासकीय अनुदान स्वीकृत एवं वितरितकिया गया है ।इस मिशन की नीति/दिशा निर्देश की कण्डिका 1.5 में पात्रता की शतों में हितग्राही की सभी स्त्रोतो से अधिकतम आय रूपये 1.25 लाख निर्धारित थी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 22 जून 2013 को छिंदवाडा जिले के प्रवास के दौरान घोषणा की गई कि "रूपये दो लाख वार्षिक आय के ग्रामीण परिवारों को मुख्यमंत्री आवास मिशन का लाभ दिया जावेगा ।" माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर इस मिशन की नीति/दिशा निर्देश की कण्डिका 1.5 में दिनांक 29/09/2013 से हितग्राही की सभी स्त्रोतो से अधिकतम वार्षिक आय रूपये दो लाख पुनरीक्षित की गई ।

अब शासन ने इस मिशन में हितग्राहियों की सुगमता एवं ऋण राशि के त्वरित भुगतान हेतु बैंक ऋण तीन किश्तों के स्थान पर दो किश्तों में प्रदान करने का निर्णय लिया है ।

- योजनान्तर्गत 15 जनवरी 2016 तक कुल वार्षिक लक्ष्य 1,50,000 के विरूद्ध 103767 हितग्राहियों को बैंको द्वारा स्वीकृत एवं ऋण वितरित कराया जाकर, बैंकों द्वारा हितग्राहियों को 1037.670 स्वीकृत ऋण एवं अनुदान राशि जारी किये गये ।

8.79 महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : यह योजना फरवरी, 2006 से प्रारंभ की गई है । योजनान्तर्गत ग्रामीण परिवारों के सदस्यों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में रोजगार

की मांग करने पर अधिकतम 100 दिवस का रोजगार एक परिवार को उपलब्ध कराना है । योजना प्रदेश में तीन चरण में लागू की गई है । प्रथम चरण में 18 जिले, द्वितीय चरण में 13 जिले एवं तृतीय चरण में 17 जिलों में योजना प्रारंभ की गई । वित्तीय वर्ष 2010-11 से तृतीय चरण में 2 जिले अलीराजपुर एवं सिंगरौली को शामिल करते हुए समस्त 51 जिलों में योजना चल रही है ।

बाक्स 8.2

योजना के मुख्य बिन्दु

- **योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार है, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिवस का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है ।**
- **योजनांतर्गत पंजीकृत परिवार का वयस्क सदस्य अकुशल मानव श्रम हेतु आवेदन करने का पात्र होगा ।**
- **जॉब कार्ड प्राप्त होने पर रोजगार हेतु आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जा सकता है ।**
- **योजनांतर्गत टास्क रेट 'जितना काम उतना दाम' के आधार पर भुगतान किया जाता है । 1 अप्रैल 2015 से न्यूनतम मजदूरी दर 159.00 निर्धारित की गई है ।**
- **रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अथवा रोजगार की मांग दिनांक से 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है अन्यथा आवेदक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा। बेरोजगारी भत्ते पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार को करना होगा ।**
- **बेरोजगारी भत्ते की राशि वित्तीय वर्ष में प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर की एक चौथाई होगी तथा शेष अवधि के लिये आधी होगी ।**
- **अधिनियम की धारा 13 (1) के अनुसार योजना के क्रियान्वयन एवं नियोजन हेतु ग्राम/जनपद/जिला पंचायतें प्रमुख संस्थाऐं होंगी। योजनांतर्गत लागत के आधार पर न्यूनतम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किये जावेंगे ।**
- **योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित रहेगी। संरचना की सुरक्षा एवं गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों को सुनिश्चित करते हुये मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीनों (Labour's Displacing Machine) का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा ।**
- **कार्यस्थल पर तात्कालिक उपचार (First Aid) सुविधा, पेयजल, छांव हेतु शेड, झूला घर इत्यादि, उपलब्ध कराये जावेंगे ।**
- **योजनांतर्गत कार्यरत व्यक्ति की मृत्यु होने पर अथवा कार्य करते समय दुर्घटना से स्थायी अपंगता होने की स्थिति में उसे क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा राशि अधिकतम 25.00 हजार रूपये तक बतौर हर्जाना के रूप में स्वीकृत किया जायेगा तथा यह राशि स्थिति के अनुसार विधिक उत्तराधिकारी को अथवा अपंग व्यक्ति को दी जावेगी ।**

8.80 मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन : मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 2012-13 से ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं के स्व-सहायता समूह बनाये जाकर उनका संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लिये गये निर्णय अनुरूप **"स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना"** के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से **"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन"** का क्रियान्वयन प्रदेश में वर्ष 2012-13 से किया जा रहा है। प्रदेश के 10 जिलों में चयनित

सघन जिलों में 62 विकासखण्ड एवं 149 विकासखण्डों के लिये गैर-सघन रूप से मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है । इसी प्रकार प्रदेश के 19 जिलों के 102 विकासखण्डों में सघन रूप से मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है । मिशन के क्रियान्वयन में समुदाय के स्त्रोत व्यक्तियों की भूमिका सुनिश्चित करने हुए, पंचायत राज संस्थाओं का सहयोग लिये जाने का प्रावधान किया गया है ।

- वर्ष 2015-16 में अब तक 174040 परिवारों को 14522 स्व-सहायता समूहों से जोडा गया है । बी.पी.एल. से लखपति योजना के तहत 103370 परिवार वर्ष में रूपये 1 लाख की आय अर्जित कर रहे है। इस वित्तीय वर्ष में 55569 ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं 293 रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए ।
- वर्ष 2015-16 में माह नवम्बर तक **"मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना"** में भौतिक लक्ष्य 1800 एवं 5000 के विरूद्ध क्रमश : 2174 एवं 1848 प्रकरण स्वीकृत कराए गए ।

8.81 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) : मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) 2019 तक सभी 122 लाख घरों में स्वच्छ शौचालय का निर्माण प्रश्चात सभी 22825 ग्राम पंचायत एवं 52000 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त करना । इसके साथ-साथ निरंतर स्वच्छता हेतु सभी ग्रामों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना । स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के अन्तर्गत प्रदेश के सभी ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त कराने का उद्येश्य है । इस वित्तीय वर्ष में जिलों द्वारा कुल 539 ग्राम पंचायतों को सत्यापन पश्चात खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है ।

नरसिंहपुर जिले का चॉवरपाठा ब्लॉक, सीहोर जिले का बुदनी ब्लॉक, इन्दौर जिले के देपालपुर एवं सॉवेर ब्लॉक, पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त हो चुके है ।

समुदाय को जागृत कर उनके अभियान में भागीदारी के लिये 10 हजार प्रशिक्षित स्थानीय ग्रामवासियों का प्रेरक एवं स्वच्छता दूत के रूप में उपयोग किया जा रहा है । अभी तक 7000 स्वच्छतादूत 2000 प्रेरक एवं 1000 प्रशासनिक अमले को समुदाय आधारित स्वच्छता गतिविधियों के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया है । मिशन लीडर कलेक्टर को भी नेतृत्व करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है ।

कार्यो के सघन रूप से अनुश्रवण हेतु ग्राम से लेकर राज्य स्तर तक सशक्त मॉनीटरिंग एवं बाहय निकाय द्वारा प्रगति का सत्यापन किया जाता है । हितग्राहियों को

सरलता से शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि आवंटित करने हेतु कम्प्युटर आधारित आर.टी.जी.एस/ एफ.टी.ओ प्रणाली के उपयोग द्वारा शासकीय धन का सीधे संबंधित के खाते में प्रेषण किया जा रहा है । ग्रामों को स्वच्छ बनाने हेतु इस वर्ष प्रदेश की कुी 1000 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का प्रावधान किया गया है । मिशन के उददेश्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु खेल कला, संस्कृति,साहित्य उद्योग आदि क्षेत्रों के ख्यात व्यक्तियों को "ब्रॉड एम्बेसडर" के रूप में उपयोग किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों, धार्मिक उपदेशकों, स्वयं सहायता समूह, स्कूली बच्चों तथा प्रशिक्षित किन्नरों का समुदाय अभिप्रेरण में व्यापक उपयोग किया जा रहा है । प्रदेश के सांसदों एवं विधायकों द्वारा गॉवो को गोद लेकर उन्हें खुले में शौच से मुक्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे है। राज्यके नवाचार प्रयासों भाई नं. -1 एवं रद्ददी से समृद्धी को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली ।

- मध्यप्रदेश में दिसम्बर 2015 तक 49.65 लाख घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है । जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में 7.33 लाख घरों में शौचालय उपलब्ध कराये गये है । शेष 72.68 लाख घरों में वर्ष 2019 तक स्वच्छ शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । इस उददेश्य की प्राप्ति हेतु प्रतिवर्ष 18-20 लाख घरों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है । इस वित्तीय वर्ष में निर्मित शौचालायों की प्रोत्साहन राशि के रूप में 743.81 करोड रूपये व्यय किये गये है ।

8.82 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम : वित्तीय वर्ष 2014-15 में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत माह अक्टूबर 2014 तक 76.08 लाख विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया ।
कार्यक्रम के उद्देश्य लक्षित शालाएं तथा भोजन के अवयव निम्नानुसार है :

कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा का लोकव्यापीकरण, अध्ययनरत् विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि तथा उन्हें पोषण आहार उपलब्ध कराना है । कार्यक्रम का क्रियान्वयन शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं, मदरसे, बाल श्रम की शालाओं एवं ए.आई.ई./ईजीएस सेन्टर (सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित आवासीय तथा गैर आवासीय ब्रिज कोर्स) में किया जाता है । गेहूं प्रचलन क्षेत्र में रोटी-दाल-सब्जी तथा चावल प्रचलन क्षेत्र में चावल-दाल-सब्जी प्रदाय की जाती है । प्राथमिक शाला में 450 कैलोरी ऊर्जा तथा 15 ग्राम प्रोटीन एवं माध्यमिक शाला में 700 कैलोरी ऊर्जा तथा 20 ग्राम प्रोटीन ।

वर्ष 2015-16 के लक्ष्य एवं वास्तविक प्रगति :

- लक्षित विद्यार्थी तथा भोजन ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की औसत उपस्थित वित्तीय वर्ष 2015-16 में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक

शालाओं में लक्ष्य 4584835 विद्यार्थियों के विरूद्ध 4167304 विद्यार्थियों एवं माध्यमिक शालाओं में लक्ष्य 2601468 विद्यार्थियों के विरूद्ध 2459908 विद्यार्थियों की उपलब्धि रही ।

- रसोईये में भौतिक लक्ष्य 2.53 लाख के विरूद्ध भौतिक उपलब्धि 2.41 लाख रही ।
- भोजन पकाने की लागत राशि में वित्तीय लक्ष्य 1604.31 लाख के विरूद्ध वित्तीय 727.11 लाख है ।
- खाद्यान्न में वित्तीय लक्ष्य 9625.66 लाख के विरूद्ध वित्तीय उपलब्धि 4202.33 लाख है । जिसमें भौतिक लक्ष्य 1.33 लाख मि.टन के विरूद्ध भौतिक उपलब्धि 1.33 लाख टन रही ।
- खादयान्न परिवहन में वित्तीय लक्ष्य 1530.69 लाख के विरूद्ध वित्तीय उपलब्धि 565.78 लाख रही ।
- एमएमई (मॉनीटरिंग मैनेजमेंट एण्ड ईवेल्यूशन) की राशि में वर्ष 2015-16 में जिला स्तर पर एमएमई मद में वित्तीय लक्ष्य 1604.31 लाख रूपये के विरूद्ध वित्तीय उपलब्धि 727.19 लाख रही ।
- समस्त जिलों में मिल्क पाउडर वाला दूध सप्ताह में तीन दिवस प्रदाय किया गया है ।
- प्रदूषण मुक्त वातावरण एवं स्वच्छ किचिन हेतु 25000 कुकिंग गैस कनेक्शन हेतु जिलों को राशि जारी की गई ।

8.83 पंचायत सेक्टर : प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय अनुशासन स्थापित करने के उद्देश्य से एक पंचायत- एक खाता व्यवस्था स्थापित की जाकर इस खाते से समस्त भुगतान बैकों द्वारा खाते से खाते में राशि हस्तांतरण के लिए नियत प्रक्रियाओं जैसे आर.टी.जी.एस / एन.ई.एफ.टी / आई.एफ.टी से किया जा रहा है ।उक्त व्यवस्था से पंचायत राज व्यवस्था में सरपंच के आहरण अधिकार सृदृढ और सुरक्षित हुए है ।

प्रदेश में पंचायतों की लेखा व्यवस्था का डिजीटल रूप में परिवर्तित किया गया है । ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने वाले समस्त वित्तीय लेनदेन विभाग के पोर्टल पंचायत दर्पण पर दर्ज किये जा रहे है । इससे ग्राम पंचायतों के वित्तीय अभिलेख भी समय पर तैयार होगे । जिससे 14 वें वित्त आयोग द्वारा निष्पादन अनुदान के लिए नियत शर्तो को पूरा करना आसान होगा । प्रदेश की ग्राम पंचायतों को स्मार्ट रूप से विकसित करने के उद्देश्य से समस्त ग्राम पंचायतों की विकास योजना तैयार की जा रही है। इस विकास योजना को **"स्मार्ट ग्राम -स्मार्ट पंचायत"** नाम दिया गया है । विकास योजना में ग्राम पंचायत के

सर्वांगीण विकास को लक्षित किया जाकर विविध योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों को समावेशन करने का प्रयास किया जा रहा है।

पंचायत राज संचालनालय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 का बजट प्रावधान

(राशि रूपये करोड में)

वित्तीय वर्ष	आयोजना	आयोजनेत्तर	कुल
2015-16	1953.17	3082.53	5035.70
2016-17	1271.86	3434.20	4706.06

- **पंचायत भवन निर्माण योजना :** स्टाम्प शुल्क मद, परफारमेंस ग्रान्ट एवं पंचायत भवन निर्माण मद का मनरेगा से अभिसरण किया जाकर अब तक स्वीकृत 3650 पंचायत भवन के विरूद्ध 2140 पंचायत भवनों का कार्य पूर्ण किया गया है, शेष पंचायत भवनों के कार्य प्रगतिरत है । भवनविहिन /जीर्ण-शीर्ण ग्राम पंचायतों में नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 2437.50 लाख का प्रावधान है । साथ ही स्टाम्प शुल्क मद से भी राशि रूपये 100.00 करोड का प्रावधान नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु किया गया है ।
- **स्टेडियम निर्माण :** अब तक प्रदेश के 207 ग्रामों में 80.00 लाख की लागत से स्वीकृत स्टेडियम निर्माण के 110 कार्यो के विरूद्ध 102 कार्यो की निविदा स्वीकृत की जाकर 47 कार्य प्रारंभ कराए गये ।
- **मुख्यमंत्री ग्रामीण हॉट बाजार** : योजनान्तर्गत अब तक 280.78 करोड लागत के 1231 स्वीकृत कार्यो में से 64 कार्य पूर्ण एवं 1067 कार्य प्रगतिरत है, 100 कार्य निरस्त कर दिये गये है ।
- **बी.आर.जी.एफ.योजना** : योजनान्तर्गत अब तक स्वीकृत 113721 कार्य के विरूद्ध 103347 कार्य पूर्ण किये गये, शेष 10374 कार्य प्रगतिरत है । यह योजना भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है । प्रगतिरत कार्यो हेतु राशि उपलब्ध है ।
- **14 वॉ वित्त आयोग :** इसके अन्तर्गत 2015-2020 के लिये ग्राम पंचायतों को 2011 की जनसंख्या के आधार पर 90 प्रतिशत जनसंख्या के अनुपात में एवं 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के अनुपात में अनुदान राशि दो रूपों में यथा मूल अनुदान तथा परफार्मेन्स ग्राण्ट प्रदान किया जाकर पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2015-16 की प्रथम अंशिका राशि रूपये 731 करोड रूपये ग्राम पंचायतों को जारी कर दी गयी है ।
- **राज्य वित्त आयोग :** वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत कुल 1190.01 करोड रूपये की राशि का प्रावधान है । 14 वें वित्त आयोग द्वारा राज्य के संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु सलाह के फलस्वरूप राज्य वित्त आयोग की राशि में

से प्रति जिला पंचायत 2 करोड रूपये तथा प्रति जनपद पंचायत को 1 करोड रूपये प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है ।

- **पुरस्कार योजना :** निर्विरोध निर्वाचित हुए सरपंच तथा पंचों पुरस्कृत करने की योजना शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत निम्नानुसार पुरस्कार राशि रखी गयी है :
  - ऐसी ग्राम पंचायतें जिसके सरपंच निर्विरोध हुए है - रूपये 1,00,000/-
  - ऐसी ग्राम पंचायतें जिसे सरपंच एवं सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए है - रूपये 5,00,000/-
  - ऐसी ग्राम पंचायतें जिसके सरपंच एवं सभी पंच महिला है - रूपये 1,00,000/-
- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए योजना क्रमांक 8391 त्रिस्तरीय पुरस्कार में राशि 1956.00 लाख जारी किया गया है ।

शहरी क्षेत्र में रोजगार

शहरी क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से शासन द्वारा विभिन्न रोजगार मूलक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें दिनांक 01/12/1997 "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में संचालित की जा रही थी, किन्तु भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर 2013 से **स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)** के स्थान पर **राष्टीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)** लागू की गई है । राष्टीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम को **बाक्स 8.3** में दर्शाया गया है ।

बाक्स 8.3

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

National Urban Livelihoods Mission - NULM

- **स्वरोजगार कार्यक्रम**

(Self Employment Programme - SEP)

- **कौशल प्रशिक्षण एंव प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार**

(Employment Through Skills Training & Placement – EST&P)

8.84 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM): राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) भारत सरकार के सहयोग से जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमश: 75 एवं 25 प्रतिशत है प्रदेश के 55 नगरीय निकायों में क्रियान्वित की जा रही है, योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को स्वरोजगार

उपलब्ध कराकर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना है । इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से स्व-रोजगार कार्यक्रम, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं ।

भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 2011 की जनसंख्या के आधार पर एक लाख के ऊपर जनसंख्या वाले शहर तथा समस्त जिला मुख्यालय जो एक लाख से कम जनसंख्या के भी हैं, उनको भी इस योजना में सम्मिलित किया जाना है । तदानुसार वर्तमान में यह योजना 55 नगरीय निकायों में अक्टूबर 2013 से लागू की गई है

क्रं.	**जनसंख्या**	**शहरों की संख्या**
1	10 लाख से उपर	04
2	5 लाख से 10 लाख	01
3	3 लाख से 5 लाख	01
4	1 लाख से 3 लाख	27
5	जिला मुख्यालय शहर 1 लाख से नीचे	22
		55

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है :-

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की उपलब्धि
वर्ष 2013-14 माह मार्च 2014 तक

(रु० लाख में)

क्रं;	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि		रिमार्क
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	
1	2	3	4	5	6	7
1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	2250.00	9000	2512.85	11624	लाभान्वित हितग्राही
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्टेप-अप)	6102.00	101700	3044.94	59109 2194	प्रशिक्षित प्रशिक्षणरत
					81056	

तालिका 8.14
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)
वर्ष 2014-15 माह मार्च 2015 तक

(रु० लाख में)

क्रं;	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि		रिमार्क
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	
1	2	3	4	5	6	7
1	स्वरोजगार कार्यक्रम (Self Employment Programme-SEP)	1091.48	10000	161.52	2999	लाभान्वित हितग्राही
2	कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार (Employment Through Skills Training & Placement-EST&P	905.10	40000	73.25	26735 1469	प्रशिक्षित प्रशिक्षणरत
					28204	

तालिका 8.15
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)
वर्ष 2015-माह दिसम्बर 2015 तक

(रु० लाख में)

क्रं;	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि		रिमार्क
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	
1	2	3	4	5	6	7
1	स्वरोजगार कार्यक्रम (Self Employment Programme-SEP)	420.00	12000	3991.33	6551	लाभान्वित हितग्राही
2	कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार (Employment Through Skills Training & Placement-EST&P	905.10	40000	1135.19	27799 25970	प्रशिक्षित प्रशिक्षणरत
					53769	

8.85 साइकिल रिक्शा एवं हाथठेला चालक कल्याण योजना : मुख्य मंत्री हाथठेला एवं रिक्शा चालक कल्याण योजना 31 मार्च 2009 से लागू की गयी है । इस योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को बैक के माध्यम से वित्तीय सहायता देकर उन्हें **"साइकिल रिक्शा मालिक"** एवं **"हाथठेला मालिक"** बनाया जायें यह इसका मुख्य उद्देश्य है । इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा सहायता यथा प्रसुति सहायता, छात्रवृत्ति सहायता, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, बीमा सहायता, एवं मृत्यु पर अनुग्रह सहायता देने का प्रावधान है । साइकिल रिक्शा की कीमत 10.00 हजार रूपये एवं हाथठेला की कीमत 6.00 हजार रूपये रखी गई है । जिसमें 25 प्रतिशत SJSRY योजना में अनुदान तथा राज्य शासन द्वारा 2.50 हजार रूपये अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है ।

प्रदेश में 14.66 हजार साइकिल रिक्शा चालक एवं 73.79 हजार हाथठेला चालक को पहचान पत्र प्रदान किये गये है । योजनान्तर्गत मार्च, 2014 तक 5.82 हजार साइकिल रिक्शा चालक एवं 36.47 हजार हाथठेला चालकों को बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई ।

प्रदेश में सितम्बर, 2014 से साइकिल रिक्शा एवं हाथठेला कल्याण योजना तथा पथ पर विक्रय करने वालों की कल्याण योजना को समाप्त की जाकर **"मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण"** योजना लागू की गई है । इस योजना में इकाई लागत अधिकतम 20 हजार है जिसमें शासन द्वारा 50 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता अधिकतम रूपये 10 हजार प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2015-16 में बैंक भेजे गए प्रकरण 17.00 हजार जिसमें 8.59 हजार स्वीकृत हुए तथा 6.86 हजार प्रकरण वितरित किए गए ।

8.86 शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना : यह योजना 2009 से प्रारम्भ की गई है । इस योजना अन्तर्गत दूसरों के घरों में दैनिक काम करने वाली कामकाजी महिलाओं को उनके कार्य में सुधार के लिए 50 दिवस का कौशल विकास प्रशिक्षण देने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा सहायता यथा-प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति सहायता, विवास सहायता, चिकित्सा सहायता, बीमा सहायता, मृत्यु पर अनुग्रह सहायता देने का प्रावधान है । प्रदेश में आई.टी.आई एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है । प्रशिक्षण के दौरान 2000 रूपये परिश्रामिक भी दिया जा रहा है । योजना प्रारंभ से मार्च 2015 तक 57.52 हजार महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

8.87 शहरी फेरीवालों की कल्याण योजना : पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और विक्रय का विनियम अधिनियम 2011 के परिपेक्ष्य में राज्य सरकारद्वारा प्रदेश में शहरी फेरीवालों के कल्याण के लिए वर्ष 2012 में **"मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिये कल्याण योजना 2012"** लागू की गई है । योजना प्रारंभ से दिसम्बर 2014 तक 86.13 हजार हितग्राहियों को **पहचान पत्र** प्रदान किये गये है ।
नगरीय निकायों में 1.88 हजार ग्रीन जोन 911 यलो जोन 1.02 हजार रेड जोन 1.67 हजार मोबाईल जोन चिन्हित किये गये है ।

प्रदेश की 355 नगरीय निकायों में नगर विक्रय समिति का गठन किया गया है । माह सितम्बर, 2014 से शहरी फेरीवालों के लिए मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना लागू की गई है । जिसके अन्तर्गत हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु अधिकतम इकाई लागत 20.00 हजार एवं अधिकतम 50 हजार प्रतिशत मार्जिन मनी का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2013-14 में 5.0 हजार भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध 7.45 हजार तथा वर्ष 2014-15 में दिसम्बर, 2014 तक 3.76 हजार व्यक्तियों को ऋण एवं अनुदान की राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराकर लाभांवित किया गया है ।

हाकर्स कार्नर निर्माण एवं अधोसंरचना विकास कार्य के लिए वर्ष 2013-14 में 2.00 करोड रूपये एवं 2014-15 में 2.00 करोड की राशि नगरीय निकायों को आवंटित की गई है ।

8.88 केश शिल्पी कल्याण योजना : यह योजना प्रदेश में वर्ष 2013 में प्रारम्भ की गई है । इस योजना में हितग्राहियों को पंजीयन किया जाकर पहचान पत्र प्रदान किये गये है । स्वरोजगार स्थापित किये जाने हेतु **स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत रुपये** 2 लाख तक बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा सहायता यथा प्रसुति सहायता, छात्रवृत्ति सहायता, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, बीमा सहायता एवं मृत्यु पर अनुग्रह सहायता देने का प्रावधान है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 1000 हितग्राहियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ।

प्रदेश में सितम्बर, 2014 से केश शिल्पी कल्याण योजना समाप्त की जाकर **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना** लागू की गई है । इस योजना में इकाई लागत 20 हजार से 10.00 लाख तक है । सामान्य वर्ग हेतु मार्जिन मनी सहायता 15 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख तथा बी.पी.एल/एल.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./महिला नि:शक्तजन को 30 प्रतिशत अधिकतम 2.00 लाख मार्जिन मनी सहायता दी जायेगी । इस योजना में सभी वर्ग के हितग्राहियों को 5

प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्ष तक, अधिकतम रूपये 25 हजार प्रतिवर्ष तथा गारण्टी फीस बैंस की प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षो तक दी जायेगी ।

वर्ष 2015-16 माह जनवरी, 2016 तक कुल सर्वेक्षित पात्र 21.71 हजार स्वरोजगार हेतु बैंक भेजे गये कुल प्रकरण 32.00 हजार जिसमें 9.48 हजार प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 6.81 हजार प्रकरण वितरित किये गये ।

महिला एवं बाल विकास

प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण, उन्नति एवं सर्वागीण विकास हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजनायें संचालित की जा रही है । बच्चों के शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं कुपोषण से मुक्त कराने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं तथा 73 शहरी बाल विकास परियोजनाएं सहित प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं । इन 453 बाल विकास परियोजनाओं मे कुल 80.16 हजार आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है । इसके अतिरिक्त 12.07 हजार मिनी ऑगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं ।

8.89 पोषण आहार की व्यवस्था : मध्यप्रदेश में संचालित 453 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 80.16 हजार आंगनवाडी केन्द्र एवं 12070 मिनी आंगनवाडी केन्द्रों के द्वारा लगभग 80.00 लाख हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार से लाभान्वित किया जा रहा है । आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि से 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निम्नानुसार पूरक आहार दिए जाने का प्रावधान है ।

हितग्राही	01-08-2013 से पुनरीक्षित दर	उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा	उपलब्ध कराई जाने वाली कैलोरी की मात्रा
06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे	रू-6.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	12-15ग्राम	500
अतिकम वजन के बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	रू. 9.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	20-25 ग्राम	800
गर्भवती/धात्री माता	रू. 7.00 प्रति हितग्राही प्रतिदिन	18-20 ग्राम	600

- **06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे/गर्भवती धात्री माताओं :** वर्तमान में प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में नवीन व्यवस्था के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों गर्भवती/धात्री माताओं को एम.पी.एग्रो के माध्यम से सप्ताह के 5 दिन निम्नानुसार निर्धारित मात्रा में अलग-अलग दिवसों में दिया जा रहा है ।

क्रं.	खादयान का नाम	हितग्राही	प्रतिदिन की मात्रा	प्रोटीन ग्राम	कैलारी
1	2	3	4	5	6
1	गेहूँ सोया बर्फी (प्रिमिक्स)	गर्भवती/धात्री मातायें	150 ग्राम	18.47	631.80
2	आटा बेसन लडडू (प्रिमिक्स)	गर्भवती/धात्री मातायें	150 ग्राम	18.14	626.93
3	हलुआ (प्रिमिक्स)	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	12.28	503.04
4	बाल आहार (प्रिमिक्स)	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	14.61	500.11
5	खिचडी	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम	20.44	500.75
		गर्भवती/धात्री मातायें	150 ग्राम	24.53	600.90

- **03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चे :** ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चे को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन पृथक पृथक निम्न मीनू अनूसार पूरक पोषण आहार देने के रूप में दिए जाने के प्रावधान हैं ।

दिन	**सुबह का नाश्ता**	**दोपहर का भोजन**	**प्रोटीन**	**ग्राम**
	रैसिपी	रैसिपी	12-15	500
सोमवार	पौष्टिक खिचडी	रोटी सब्जी तुअर दाल		
मंगलवार	थुली,(मीठी-नमकीन)	खीर-पुडी-मूंगबडी-आलू टमाटर सब्जी		
बुधवार	मीठी लाप्सी	रोटी-चने की दाल-मिक्स सब्जी		
गुरूवार	मीठी लाप्सी	चावल-पुलाव-पकोडे वाली कढी		
शुक्रवार	थुली,(मीठी-नमकीन)	रोटी-मूंगदाल-हरे या सूखे मटर की सब्जी		
शनिवार	पौष्टिक खिचडी	पराठा-सीजनेबल हरी सब्जी-मिक्स दाल		

शहरी क्षेत्र की बाल विकास परियोजना में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्थानीय स्वसहायता समूहों, के माध्यम से सांझा चूल्हा कार्यक्रम के मेनू के अनुरूप ही पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान रखा गया है ।

- **06 माह से 06 वर्ष तक के अतिकम वजन के बच्चों हेतु तीसरा मील:** 06 माह से 06 वर्ष तक के आंगनवाडी केन्द्र में दर्ज अति कम वजन के बच्चों को थर्ड मील के रूप में सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दोपहर के भोजन के मीनू अनुसार तथा मंगलवार गुरूवार एवं शनिवार को नाश्ता के मेनू अनुसार दिये जाने का प्रावधान है ।

- **03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को दूध का प्रदाय:** आंगनवाडी केन्द्रों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से प्रदेश के समस्त आंगनवाडी केन्द्रों/उप आंगनवाडी केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को मीठा सुगन्धित स्किम्ड फलेवर्ड मिल्क 15 जुलाई 2015 से सप्ताह के 03 दिवस (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार) को प्रदाय किया जा रहा है । प्रत्येक बच्चे को 10 ग्राम मिल्क पावडरसे निर्धारित विधि अनुसार 100 एम.एल.दूध तैयार कर दिया जा रहा है ।

8.90 सबला योजना (किशोरी बालिका) : भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार राज्य सरकार द्वारा चयनित 15 जिलों में सबला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । 11 से 14 वर्ष तक की शाला त्यागी एवं 14 से 18 वर्ष तक की सभी किशोरी बालिकाओं को सप्ताह के 6 दिन टेक होम राशन के रूप में निम्नानुसार पूरक पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान दिया गया है ।

क्रं;	खादयान का नाम	हितग्राही	प्रतिदिन की मात्रा	प्रोटीन ग्राम	कैलोरी
1	गेहूं सोया बर्फी प्रिमिक्स	किशोरी बालिकाएं	150 ग्राम	18.47	631.80
2	खिचडी	किशोरी बालिकाएं	150 ग्राम	24.53	600.90

पूरक पोषण आहार अंतर्गत बजट प्रावधान :

- आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि से 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार द्वारा महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ।

- वित्तीय वर्ष 2015-16 में पोषण आहार अंतर्गत राशि रू. 1231.09 करोड का प्रावधान रखा गया है तथा सबला योजनान्तर्गत राशि रू.154.99 करोड का पृथक से प्रावधान किया गया है ।

8.91 अटल बिहारी बाजपेयी बाल आयोग्य एवं पोषण मिशन : बच्चो के कुपोषण की गंभीर चुनौती का सामना मिशन मोड में किये जाने हेतु **"अटल बिहारी बाजपेयी बाल आयोग्य एवं पोषण मिशन"** का प्रारंभ प्रदेश में किया गया हैं । बाल स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित इस मिशन के माध्यम से प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार एवं कुपोषण के निदान की दिशा में प्रयास किये जायेगें ।

मिशन के माध्यम से कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं के संदर्भ में आई.सी.डी.एस.तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की Gap Filling माध्यम से सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जावेगा । मिशन के माध्यम से वर्ष 2015 तक 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्युदर 94.2 प्रति हजार से घटाकर 60 प्रति हजार तक लाने, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम वजन के बच्चों की वर्तमान दर 60 प्रतिशत को घटाकर 40 प्रतिशत तथा वर्ष 2020 तक इसे 20 प्रतिशत तक लाने एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण एस.ए.एम की दर को 12.6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तक लाने तथा वर्ष 2020 तक इसको नगण्य करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2015-16 हेतु मिशन के अंतर्गत 34.40 करोड़ रूपये प्रावधान किया गया ।

महिला सशक्तिकरण

8.92 लाड़ली लक्ष्मी योजना : बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में वर्ष 2007 से लागू की गई है । इस योजनान्तर्गत बालिका के जन्म के समय से लेकर उसकी 18 वर्ष आयु होने तक यह योजना लागू होती है । इस योजनान्तर्गत अब तब 21.00 लाख से अधिक बालिकाओं को इसका लाभ दिया जा चुका है। वर्ष 2015-16 में इस योजना अंतर्गत राशि रू. 13.98 करोड रू. का प्रावधान किया गया जिसमें जनवरी 2016 तक 1168 करोड रू. व्यय किये गये । लाडली योजना को स्कॉच प्लेटिनियम आवार्ड 2014 से सम्मानित किया गया है । लाड़ली लक्ष्मी योजनों को **बाक्स 8.4** में दर्शाया गया है ।

बाक्स 8.4
लाड़ली लक्ष्मी योजना

बालिका को मिलने वाले लाभ :- योजनान्तर्गत बालिका के जन्म से **5** वर्ष तक **30.00** हजार रूपये मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी निधि में जमा किये जायेगें। भुगतान

- बालिका के कक्षा **6** वीं में प्रवेश लेने पर **2000** रूपये का भुगतान किया जावेगा
- कक्षा **9** वीं में प्रवेश लेने पर **4000** रूपये का भुगतान किया जावेगा ।
- कक्षा **11**वीं में प्रवेश लेने पर **6000** रूपये एक मुश्त भुगतान किया जावेगा ।
- **12** वीं कक्षा में प्रवेश लेने के पश्चात **6000** रूपये का भुगतान बालिका को किया जावेगा।
- बालिका की आयु **21** वर्ष होने पर **1.00** लाख रूपये की राशि प्रदान की जाती है। किन्तु शर्त यह है कि बालिका का विवाह **18** वर्ष के पूर्व न हुआ हो।
- उपरोक्त राशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा ।

8.93 बेटी बचाओ और बेटी पढाओ अभियान : घटते लिंगानुपात के कारण माह जनवरी 2015 से **"बेटी बचाओं और बेटी पढाओ अभियान"** प्रारम्भ किया गया है । जिसका मुख्य उद्धेश्य जनसमुदाय में बेटियों के प्रति मानसिकता में सुधारात्मक परिवर्तन लाना है । प्रदेश के चार जिले क्रमश: ग्वालियर, दतिया, मुरैना एवं भिण्ड में संचालित की जा रही है । जिलों में बेटी के महत्व को दर्शाने वाले व जन जागरूकता बढ़ाने वाले **"बेटी बचाओ रथ"** भी निकाले गये । जिलों में स्कूली बच्चों की रैली का आयोजन, स्थानीय विशेष उपलब्धियों वाली बालिकाओं/महिलाओं का सम्मान, बेटी के जन्म पर वृक्षारोपण, नाटक का प्रदर्शन, विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन एवं बेटी पूजन इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ।

8.94 शौर्या दल योजना : म.प्र. महिलाओं/बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा, अपराध, उत्पीड़न, यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये शौर्या दल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्ण कर महिला हिंशा मुक्त ग्राम बनाने की दिशा में वन स्टाफ क्राईसेस केन्द्र रूप में कार्य करेगें । शौर्य दल को मार्च 2015 टाइम्स आफ इण्डिया (एडओकेसी एवं ईम्पॉमेंट) आवार्ड प्राप्त हुआ है राज्य में कुल 20204 शौर्य दलों का गठन किया गया है ।

8.95 लाडो अभियान : समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुरीतियों से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण बाधित हुआ है । इससे बालक एवं बालिकाओं का उनके कई अधिकारों से वंचन हो जाता है । मिलेनियम डेबलपमंट गोल (गरीबी उन्मूलन,

प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, बच्चों के जीवन की सुरक्षा, महिला के स्वास्थ्य में सुधार) को प्राप्त करने के लिए बाल विवाह को शून्य करना आवश्यक है । लाडो अभियान के अंतर्गत 81724 बाल विवाह सम्पन्न होने के पूर्व परामर्श समझाइस से रोके गये, 3601 बाल विवाह स्थल पर रोके गये व 170 प्रकरण थाने में दर्ज कराये गये। **प्रधानमंत्री जी द्वारा लाडो अभियान को वर्ष 2014 का प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कर्षता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ।**

8.96 मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना : किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को यदि पारिवारिक सहायता नही मिलती है, तो जीवन यापन करने के सभी रास्ते बंद हो जाते है एवं ऐसी कठिन परिस्थितियों में परिवार एवं समाज में पुर्नस्थापित होने हेतु विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है । यदि किसी भी पीड़ित महिला की आत्म-निर्भता को बढ़ावा देने के लिये कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ दिया जाये तो वह स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकती है । इस उद्धेश्य से मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण कल्याण योजना लागू की गई है । वर्ष 2014-15 में 577 एवं वर्ष 2015-16 में जनवरी 2016 तक कुल 706 हितग्राहियोंको विभिन्न प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया । इस योजना को **"वर्ष 2015 में स्कॉच गोल्ड आवार्ड से सम्मानित किया गया है"**

8.97 राज्य महिला संसाधन केन्द्र : राज्य महिला संसाधन केन्द्र का लक्ष्य उन प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना है जो महिलाओं को प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों पर केंद्रित है और महिलाओं के सर्वांगीण विकास, जेंडर समानता और जेंडर न्याय को बढ़ावा देती है, विभिन्न भागीदारों के बीच आपसी तालमेल उत्पन्न करती है और सामाजिक बदलाव के लिए सकारात्मक माहौल बनाती है ।

राज्य महिला संसाधन केन्द्र के उद्धेश्य

- महिलाओं के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं को उपलब्ध करवाना, नियमित आधार पर इनकी निगरानी, समीक्षा करना ।
- महिलाओं के लिए संस्थागत संरचनाओं द्वारा योजनाओं का सुदृढ़ बनाना ।
- नीति और कार्यक्रम सुधार के लिए साक्ष्य जुटाने के लिए अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन, योजनाओं की समीक्षा, कार्यक्रम और विधान, जेंडर लेखा परीक्षा और परिणाम आंकलन करना और प्रयासों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना ।
- बालिकाओं और महिलाओं को कौशल और उद्यम विकास, माइको क्रेडिट, पेशेवर प्रशिक्षण और स्व-सहायता समूह विकास द्वारा आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना ।

- उपयुक्त और स्थानिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज संस्थान, समुदाय प्रतिनिधियों और समूहों तथा मीडिया और संचार माध्यमों द्वारा जेंडर शिक्षा , व्यवहार और सामाजिक परिवर्तनशीलता की ओर जागृत करना ।
- वन स्टॉप क्राईसिस सेन्टर, पूर्ण शक्ति योजना, काउसिलिंग सेन्टर संबंधी कार्य ।

8.98 उषा किरण : महिलाओं एवं बच्चों (18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका) के लिये **"घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 नियम 2006"** के तहत राज्य सरकार द्वारा उषा किरण योजना संचालित की जा रही है । यह अधिनियम महिला एवं बच्चो को घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण एवं सहायता का अधिकार देता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, मौखिक और भावनात्मक, आर्थिक हिंसा इत्यादि सम्मिलित है । इस योजना में कानून के प्रावधान के अनुसार सेवाएं प्रदान की जाती हैं । जिसके तहत् पीड़ित को अस्थायी आश्रय, कानूनी सहायता, चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, 24 हेल्प लाईन, आर्थिक सहायता, विपणन व्यवस्था, समृद्धि, पुर्नवास, आवश्यक प्रशिक्षण के लिये 453 संरक्षण अधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी) नियुक्त किये हैं । प्रदेश में 48 सेवा प्रदाता-पुलिस परार्मश केन्द्रों को जिला स्तर पर पंजीकृत किया गया है एवं 2 जिलों सिंगरौली एवं अलीराजपुर को नजदीकी के जिलों से जोड़ा गया है । 4 शासकीय नारी निकेतनों (उज्जैन, सतना, भोपाल, ग्वालियर) 2 अल्पकालीन आवास गृह (रीवा, जबलपुर) तथा अशासकीय संस्थाओं को सेवा प्रदाता-आश्रय गृह के लिये पंजीकृत किया जा चुका है। वर्ष 2014-15 मे 4.50 करोड़ रूपये के आवंटन का प्रावधान है । वर्ष 2015-16 में 300.00 लाख के आवंटन के प्रावधान है ।

विभागीय शासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाऐं

8.99 नारी निकेतन : विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित, कुंवारी माताओं एवं समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय देने के उद्देश्य से नारी निकेतन स्थापित है। इन नारी निकेतनों में महिलाओं और उनके 7 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है और महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है । इस तरह की महिलाओं के द्वारा आश्रय विहीनता संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। संस्थाओं के संचालन एवं देखरेख के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति गठित होती है । प्रत्येक नारी निकेतन की क्षमता 50 महिलाओं की है । प्रदेश में यह नारी निकेतन सतना, उज्जैन, भोपाल एवं ग्वालियर में संचालित है ।

8.100 राजकीय अनुरक्षण गृह, ग्वालियर : अनाथालयों में पालन पोषण की गई अनाथ तथा कुष्ठ रोगियों की 13 वर्ष से अधिक आयु की स्वस्थ बालिकाओं को संरक्षण देकर उनके पालन-

पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास की व्यवस्था के लिये राजकीय अनुरक्षण गृह का संचालन किया जाता है । प्रदेश में 13 वर्ष से अधिक आयु की किशोर बालिकाओं के लिए यह एक मात्र अनुरक्षण गृह है । इस संस्था में रहने वाले अंतःवासियों की क्षमता 50 बालिकाओं की है ।

8.101 अल्पकालीन आवास गृह : विभिन्न मामलों में न्यायालय द्वारा भेजी गई महिलाओं को अल्पकालीन आवास गृहों में रखा जाता है और उनके आवास, भोजन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है जिससे वे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें । प्रत्येक केन्द्र की क्षमता 50 महिलाओं की है । प्रदेश में ये केन्द्र रीवा, जबलपुर में संचालित है ।

8.102 महिला वसति गृह : अपने गृह नगर से बाहर व्यवसाय या नौकरी करने वाली महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिला वसति गृह स्थापित किये गये हैं । वसति गृह में कामकाजी महिलाओं के अलावा स्थान रिक्त रहने की स्थिति में कॉलेज या अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं को भी स्थान दिया जा सकता है । ये गृह इन्दौर एवं जबलपुर में संचालित है । वर्तमान में 38 महिलायें निवासरत हैं ।

8.103 बालवाड़ी सह-संस्कार केन्द्र : गरीब व मध्यम वर्ग की महिलाओं के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देने और उनके सर्वांगीण विकास के लिये बालवाड़ी सह-संस्कार केन्द्र संचालित हैं । इन केन्द्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे लाभान्वित होते हैं । प्रदेश में 6 केन्द्र मंडला, बालाघाट, बुरहानपुर, ग्वालियर, मनगवॉ (रीवा), बैरसिया (भोपाल) में संचालित है । एक बालवाड़ी में 25 से 30 बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं ।

8.104 शासकीय झूलाघर : निम्न एवं मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 8 घंटे के लिये झूलाघर में रखा जाता है । जहां उन्हे खेल के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है । प्रदेश में 8 झूलाघर ग्वालियर, सागर, उज्जैन, सतना, होशंगाबाद, भोपाल, खण्डवा एवं जबलपुर में संचालित है । प्रत्येक झूलाघर में 25 बच्चों की क्षमता निर्धारित है ।

8.105 शासकीय सिलाई केन्द्र : गरीब, बेसहारा, निम्न मध्यमवर्गी परिवार की महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर आत्म-निर्भर बनाने के लिये प्रदेश में 19 शासकीय सिलाई केन्द्र संचालित हैं । ये केन्द्र बैतूल, धार, खरगौन, श्योपुर, रतलाम, भोपाल, मण्डला, सीहोर, होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, दतिया, शहडोल, सीधी, रीवा (दो), पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं सतना में संचालित हैं । इन केन्द्रों में कक्षा 5 वीं पास महिला प्रवेश ले सकती है । वर्तमान में 380 महिलायें लाभांवित हो रही है ।

8.106 वैश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु जाबाली योजना : मध्य प्रदेश में कुछ जातियों में वैश्यावृत्ति व्यवसाय की कुप्रथा प्रचलित है । वर्ष 1992-93 से जाबाली योजना लागू की गई है । इस योजना के तहत् बेड़िया, बाछड़ा एवं सांसी जाति के उत्थान हेतु कार्य किये जा रहे हैं । उक्त योजना में बालक/बालिकाओं के लिऐ शिष्यवृत्ति क्रमशः 500/525 प्रति रूपये बालक/ बालिका निर्धारित की गई है । वर्ष 2013-14 के लिये 249.19 लाख रूपये प्रावधान के विरूद्ध 101.68 लाख रूपये व्यय कर 700 बच्चे एवं 628 महिलाओं को लाभान्वित किया । वर्ष 2014-15 के लिये 480.00 लाख रूपये प्रावधान के विरूद्ध जनवरी 2015 तक 92.00 लाख रूपये व्यय कर 540 बच्चे एवं 475 महिलाओं को लाभान्वित किया गया । इस योजनान्तर्गत एक यूनिट आश्रम शाला में 50 बालक/बालिकाओं की क्षमता निर्धारत है । जिससे 500 हितग्राही लाभांवित हो रहे है । योजनान्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा दिलाकर एवं आत्मनिर्भर बनाकर 773 विवाह कराये जाकर पुर्नवास हेतु प्रयास किया गया है । वर्ष 2015-16 में राशि रू. 500.00 लाख का प्रावधान किया गया माह दिसम्बर 2015 तक 81.72 लाख रू. व्यय किये गये योजना की पुर्नसंरचना अंतर्गत आश्रम शालाओं को समेकित बाल योजना अंतर्गत बाल ग्रह के रूप में संचालित होगी ।

8.107 मध्य प्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को अनुदान : राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड तथा उनकी परियोजनाओं के स्थापना, व्यय हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है । वर्ष 2013-14 में 72.00 लाख रूपये व्यय किये गये । वित्तीय वर्ष 2015-16 में 100.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया है । माह दिसम्बर 2015 तक 14.70 लाख रू. का व्यय किया गया है ।

8.108 समेकित बाल संरक्षण योजना : कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुर्नवास हेतु विभिन्न विभागों के तहत् संचालित बाल संरक्षण योजनाओं को केन्द्रीय रूप में सम्मलित कर प्रारंभ की गई है । यह योजना बच्चों के बाल अधिकार, संरक्षण एवं सर्वोत्तम बाल हित के दिशा निर्देशक सिद्धान्तों पर आधारित है । इस योजना के तहत किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 का क्रियान्वयन भी मुख्य घटक है ।

समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रबंधन व्यवस्था राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण एवं दत्तक ग्रहण समन्वय अभिकरण जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं विशेष किशोर पुलिस एकक (एस.जे.पी.यू) ब्लाक स्तर पर ब्लाक बाल संरक्षण समिति ग्राम स्तर पर ग्राम बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जाता है।

महिलाएँ एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना में 18 वर्ष से कम आयु के देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद (निराश्रित, अभ्यार्पित, बेसहारा) बच्चों के समग्र कल्याण हेतु संस्थागत एवं गैर संस्थागत योजना पूर्व से संचालित है ।

8.109 संस्थागत सेवाएँ

- **शिशुगृह** : 6 वर्ष तक के देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद (निराश्रित, अभ्यार्पित, बेसहारा) बच्चों को संरक्षण, भरण-पोषण, शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान कर परिवारिक पुर्नवास हेतु शिशुगृह संचालित हैं । वर्तमान में प्रदेश में 38 शिशुगृह संचालित है ।
- **बालगृह/आश्रयगृह/खुले आश्रय गृह** : 6 से 18 वर्ष तक के देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद (निराश्रित, अभ्यार्पित, बेसहारा, निर्धन) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों हेतु बालगृह/आश्रय गृह/खुले आश्रय गृह संचालित है। वर्तमान में प्रदेश में 74 शासकीय एवं अशासकीय गृह संचालित है ।
- **सम्प्रेक्षण गृह** : विधि विरूद्ध कार्यो में लिप्त बच्चों को संरक्षण, भरण-पोषण, शिक्षण-प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक पुनर्वास हेतु सम्प्रेक्षण गृह स्थापित है । वर्तमान में प्रदेश में 20 सम्प्रेक्षण गृह संचालित है ।
- **पश्चात्वर्ती गृह** : बाल गृह में निवासरत ऐसे बच्चें जिनका 18 वर्ष तक की आयु तक किसी कारणवश पुनर्वास नही हो पाया है ऐसे बच्चों को उक्त गृह में रखा जाकर व्यवसायिक एवं पारिवारिक पुर्नवास करवाया जाता है । वर्तमान में प्रदेश में 2 पश्चात्वर्ती गृह संचालित है ।
- **विशेष गृह** : उक्त गृह में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विधि विरूद्ध पाये गये बच्चों को 3 वर्ष के लिये सुधार हेतु रखा जाता है । वर्तमान में प्रदेश में 3 विशेष गृह संचालित है ।

8.110 गैर संस्थागत सेवाएँ

- **दत्तक ग्रहण (Adoption)** : निराश्रित, बेसहारा, अभ्यार्पित (परित्यक्त) बच्चे जिनका पालन पोषण शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित शिशु गृह एवं बाल गृह में किया जा रहा हैं । इन बच्चों को परिवार में ही देखरेख तथा संरक्षण उपलब्ध कराने के लिये दत्तक ग्रहण एक सर्वोत्तम विकल्प है । संस्थाओं को शासन द्वारा विशेष दत्तक ग्रहण ऐजेन्सी के रूप में मान्यता प्रदाय की जाती है। जहां से उपरोक्त बच्चों को नियमानुसार वैधानिक रूप से दत्तक के लिये दिया जा सकता है ।
- **पालन-पोषण देखभाल (Foster Care)** : 18 वर्ष के बच्चे जिनको परिवार ने छोड़ दिया या बेसहारा है या निराश्रित है या किन्ही कारणों से इन बच्चों को दत्तक में नही दिया

जा सकता है को पालन-पोषण देखभाल के अन्तर्गत इन बच्चों का पालन-पोषण कर रहे रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति या अन्य संस्था को प्रति बच्चे के मान से प्रतिमाह 750 रूपये की राशि उसके वयस्क होने तक या उसके परिवार में लौटने तक या पारिवारिक स्थिति में सुधार होने तक सहायता प्रदाय किये जाने का प्रावधान है ।

- **प्रवर्तकता (Sponcer Ship) :** यह योजना किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना पर आधारित है। इस योजना का उद्धेश्य ऐसे बच्चे जिनके परिवार है, परन्तु निर्धनता की वजह से उनके परिवारों द्वारा उन्हें संस्था में रखा गया है, को संस्थाओं से मुक्त करके परिवारों में पहुंचाना है, ताकि वे अपने परिवार के साथ रह सके । इस संबंध में बच्चों का उचित भरण-पोषण, चिकित्सा, शिक्षा एवं अन्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु परिवार को प्रवर्तकता योजना का लाभ दिया जाता है । योजनान्तर्गत अधिकतम 1000 रूपये प्रतिमाह प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चों को) आर्थिक सहायता 3 वर्ष या 18 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक दिये जाने का प्रावधान है ।
- **अनुवर्ती देखभाल :** परिवार या अन्य सहायता विहिन बच्चे जो संस्थाओं में 18 वर्ष तक निवासरत है, को समय के अनुकूल तैयार करना तथा उन्हें संस्था आधारित जीवन से दूर हटाने के लिये प्रोत्साहित करना है । 6 से 8 युवाओं के समूह को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अधिकतम 2000 रूपये की सहायता 3 वर्ष तक दी जाती है। भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, देखभाल, आश्रय, शिक्षण एवं प्रशिक्षण आदि बुनियादी आवश्यकताओं के लिए यह राशि प्रदाय की जाती हैं ।

मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम

महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करने, उन्हें आत्म निर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के उद्धेश्य से 1988 को मध्यप्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना **"निर्व्यापारिक निगम"** के अन्तर्गत की गई थी । तत्पश्चात् निगम के सुदृढ़ीकरण के लिये मार्च, 2001 को निगम के बॉयलाज में संशोधन कराया गया व निगम का नाम मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम रखते हुए सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है । निगम की अधिकृत अंशपूंजी 15.00 करोड़ रूपये है ।

8.111 तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम : महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त एवं आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से आयफैड (अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, परियोजना) रोम की सहायता से प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है । योजनान्तर्गत स्व सहायता समूहों का गठन कर उनके सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है । परियोजना की कुल लागत 161.62 करोड़ रूपये है । वर्तमान में प्रदेश के 6 जिले यथा- बालाघाट, मण्डला, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर एवं डिण्डौरी इस परियोजना में शामिल है । इन जिलों में 12.46 हजार स्वसहायता समूहों का गठन कर 1.68 लाख महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है । इस परियोजना की अवधि 8 वर्ष है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु **बाक्स 8.5** में दर्शाया गया है ।

बाक्स 8.5

तेजस्विनी कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु

- **मजबूत और निरन्तरता वाले महिला स्व-सहायता समूहों का गठन व विकास।**
- **इन संस्थाओं को सूक्ष्म वित्त सुविधाओं से जोड़ना।**
- **इन समूहों के लिये नये और बेहतर आजीविका के अवसर सृजित करना तथा उन्हें इनका उपयोग करने के लिये सशक्त करना।**
- **इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्षम बनाना, महिलाओं की कड़ी मजदूरी में कमी लाना तथा पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी के लिये सशक्त करना।**

तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत दिसम्बर 2015 तक जिलों में कुल 14195 स्वसहायता समूहों का गठन किया जा चुका है । जिसमें 1.84 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है। इन समूहों की कुल बचत 25.60 करोड रू. एवं इंटरलोनिंग 44.95 करोड रू. है कार्यक्रम के अंतर्गत डिंडारी जिले के मेहदवानी ब्लाक में गठित तेजस्वनी नारी चेतना महिला संघ द्वारा 41 ग्रामों की 7500 महिलाओं के साथ किये गये कोदो कुटकी संबंधी **नवाचार को वर्ष 2014 में प्रतिष्ठित सीताराम राव लाइवलिहूड एशिया आवार्ड से सम्मानित किया गया है ।**

8.112 हाट बाजार संचालन योजना : प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दृष्टि से निगम द्वारा जिला स्तर पर 50.00 हजार रूपये हाट लगाये जाने के लिए दिये जाते है। वर्ष 2012-13 में 16 जिलों में हाट बाजार का आयोजन कर 8.00 लाख रूपये व्यय किये गये । वर्ष 2013-14 में 16 जिलों में हाट बाजार का आयोजन कर 6.00 लाख रूपये व्यय किये गये ।

8.113 वर्ष 14 से 35 तक की किशोरी बालिकाओं तथा युवतियों के स्वावलंबन के लिये प्रशिक्षण : उक्त योजना का उद्देश्य 14 से 35 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं तथा महिलाओं में उद्यमिता जागरूकता के प्रति जागरूकता पैदा करना, स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी देकर दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिये युवतियों एवं महिलाओं को तैयार करना है। व्यवसायिक ट्रेडो में 20-20 प्रशिक्षणार्थियों का बैच बनाकर महिला आई.टी.आई. के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण द्वारा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के नाम से नवीन योजना प्रारंभ की गई है।

8.114 स्टेप योजना : महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु कृषि, पशुपालन, डेरी, मछली पालन, हाथकरघा, हस्तशिल्प, खादी, ग्रामोद्योग, तथा रेशम आदि व्यवसायों में महिलाओं को प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। न्यूनतम 200 एवं अधिकतम 10.00 हजार महिला हितग्राहियों को परियोजना प्रस्ताव हेतु प्रति महिला 16.00 हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2013-14 में भारत सरकार द्वारा कुल 2.20 हजार महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु दो संस्थाओं के कुल राशि रूपये 352.19 लाख के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये ।

अनुसूचित जातियों का विकास

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6 प्रतिशत है अनुपात में राज्य की कुल आयोजना का 15.00 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इन वर्गो के कल्याण के लिये निर्धारित किया जाता है।

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत एवं वितरण करने के साथ-साथ 1390 प्री मैट्रिक छात्रावास/ आश्रमों का संचालन भी किया जा रहा है, जिससे 65759 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश मे संचालित 181 पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में 9775 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है।

अनुसूचित जाति/जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रभावी नियन्त्रण हेतु लागू अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन के लिए भी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। प्रत्येक जिले में एक विशेष थाना स्थापित किया गया है। प्रदेश के 43 जिलों में विशेष

न्यायालयों की स्थापना की गई है तथा शेष जिलो में जिला न्यायालयों को अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज प्रकरणों को सुनवाई हेतु अधिसूचित किया गया है। 10 ऐसे जिले जहॉ उत्पीड़न के अधिक मामले दर्ज हुये है वहॉ प्रभावी रूप से पीड़ित का पक्ष प्रस्तुत करने तथा सशक्त बहस के लिये 10 उप संचालक लोक अभियोजक के पद स्वीकृत कर पदस्थापना कराई गई है।

अनुसूचित जाति विकास विभाग प्रदेश के प्रमुख विभागो में से एक है इस विभाग को अनुसूचित जाति के विकास एवं हित संरक्षण का दायित्व सौपा गया है। इस दायित्व के निर्वहन हेतु विभाग शैक्षणिक विकास की योजनाओं के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की योजनाऐ संचालित कर रहा है। अनुसूचित जाति उप योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त होने वाली राशि के अनुश्रवण के लिये विभाग को, नोडल विभाग का दायित्व सौपा गया है। शैक्षणिक संस्थाओं का वितरण **तालिका 8.16** में दशार्या गया है।

तालिका 8.16

अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थाएं

क्र.	संस्था का नाम	बालक		कन्या		योग	
		संख्या	सीट	संख्या	सीट	संख्या	सीट
1	प्री मैट्रिक छात्रावास (अ.जा.) (उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों सहित)	813	37364	697	31710	1460	69074
2	संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालय हेतु 20 प्री मै. छात्रावास	10	1093	10	1092	20	2185
3	प्रावीण्य उन्नयन योजना हेतु संचालित 8 प्री.मै. छात्रावास	4	200	4	200	8	400
4	आश्रम शाला	30	1475	135	7153	165	8628
5	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	107	5750	74	4025	181	9775
	योग	**964**	**45882**	**870**	**44180**	**1834**	**90062**

8.115 राज्य छात्रवृत्ति - राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विदयार्थियों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छात्रवृत्ति भी देने का प्रावधान है। यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक

बालक एवं बालिकाओं को निम्नानुसार दरों पर प्रदान की जाती है। जिसका विवरण तालिका 8.16 में दशार्या गया है।

अनुसूचित जाति राज्य छात्रवृति की वार्षिक दरें (राशि रूपये में)

कक्षा	बालक	बालिका
1 से 5 तक	-	150/- (10 माह के लिये)
6 से 8 तक	200/- (10 माह के लिये)	600/- (10 माह के लिये)
9 से 10 तक	600/- (10 माह के लिये)	1200/- (10 माह के लिये)

8.116 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण : प्रदेश की ऐसी अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती, ग्राम मजरे, टोले (जहां मुखय ग्राम में तो विद्युत लाइन है किन्तु अनुसूचित जाति के मजरे टोलों में विद्युत लाइन नहीं पहुॅची है) में विद्युत लाइन विस्तार करने संबधी योजना संचालित की जा रही है।

8.117 अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रम भवनों क निर्माणः शैक्षणिक विकास हेतु अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रम की सुविधा उपलब्ध कराई गई । इस हेतु सर्व सुविधा युक्त शासकीय भवनों का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में कुल 1713 छात्रावास एवं आश्रम संचालित है। जिनमें से वर्तमान स्थिति में 332 संस्थाऐं भवन विहीन है।

वर्ष 2014-15 में इस मद में राद्रि रूपये 3000.00 लाख का बजट प्रावधान से 70 अनुसूचित जाति छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई जिसके विरूद्ध 70 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावासों के निर्माण हेतु तथा अपूर्ण निर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु रूपये 2570.23 लाख का व्यय किया गया।

8.118 अनुसूचित जाति बस्तियों का विकासः प्रदेश की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचनात्मक विकास हेतु वर्ष 2014-15 में नवीन अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम-2014 की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना नियमों में अनुसूचित जाति बस्ती से तात्पर्य ऐसे ग्रामों/वार्डों/मोहल्लों/ मजरे/टोले/पारे से है, जिनकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तथा जहां न्यूनतम 20 परिवार अनुसूचित जाति के निवास करते हों में सी.सी. रोड, नाली निर्माण, मंगल भवन, हेण्ड पम्प खन्न, पहुॅच मार्ग पर रपटा/पुलिया निर्माण आदि निर्माण कार्य कराये जाने का प्रावधान है।

इसी योजना के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों हेतु 86 अनुसूचित जाति बाहुल्य विकास खण्ड मुखयालयों पर (प्रत्येक में एक) "डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन" के निर्माण हेतु इकाई लागत सीमा रूपये 41.80 लाख निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

8.119 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वर्ष 2015-16 में किए गए उल्लेखनीय कार्य:-

- अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 50 सीट क्षमता वाले 62 प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास एवं 29 प्री मैट्रिक बालक छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं जिनमें 4550 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा का लाभ मिलेगा
- पूर्व संचालित छात्रावासों में 1000 नई सीट वृद्धि की गई है।
- 43 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास ;प्रत्येक 50 सीट क्षमता स्वीकृत किये गये
- सागर और उज्जैन संभाग मुख्यालयों में एक बालक और एक बालिका (प्रत्येक 50 सीट क्षमता का) कुल 4 प्रावीण्य उन्नयन योजना अंतर्गत नये छात्रावास भवन स्वीकृत किये गये हैं।
- आय.ए.एस. और आई.पी.एस. जैसी प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी हेतु 91 विद्यार्थियों को दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग दिलाई जा रही है।
- परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में सीट संख्या 525 से बढाकर 1050 की गई।

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 153.16 लाख है, जो राज्य की कुल आबादी का 21.10 प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में **बैगा, भारिया** एवं **सहारिया,** जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के रूप में मान्यता दी गई है । इन जनजातियों के विकास हेतु प्रदेश में 03 प्राधिकरण तथा 11 अभिकरण कार्यरत हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 26 वृहद् परियोजनायें, 5 मध्यम परियोजनायें, 30 माडा पॉकेट्स एवं 6 लघु अंचल कार्यरत हैं। प्रदेश में 89 अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड हैं।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षणिक योजनाये प्रमुख है। विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शालाओं के संचालन के साथ-साथ शैक्षणिक प्रोत्साहन देने वाली अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।

अनुसूचित जनजाति परिवारों के आर्थिक उत्थान और आर्थिक सहायता के लिये कतिपय योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इन वर्गो के उत्थान में स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसी अशासकीय संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। जो इन वर्गो के विकास के लिये विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती है। इस प्रकार जनजाति वर्ग के सर्वागींण विकास हेतु विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है । वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में संचालित प्रमुख विभागीय योजनाओं का संचालन निम्नानसुार है ।

8.120 शैक्षणिक संस्थाऐं : प्रदेश के आदिवासी विकास खण्डों में विभाग द्वारा प्राथमिक से उच्चतर माध्मिक स्तर तक की शालायें संचालित की जा रही हैं । शिक्षा में सुधार लाने के लिए इन शालाओं के अतिरिक्त विशिष्ट आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है वर्ष 2014-15 का विवरण **तालिका 8.17** में दर्शाया गया है

तालिका 8.17
आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित
शैक्षणिक संस्थान

संस्था का प्रकार	संख्या
प्राथमिक शाला	12643
माध्यमिक शालाएं	4369
हाई स्कूल	799
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	752
आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	08
कन्या शिक्षा परिसर	62
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	29
न्यून साक्षरता वाले कन्या शिक्षा परिसर	13
विशेष पिछड़ी जनजाति आवासी विद्यालय	03
क्रीड़ा परिसर	23
प्री-मैट्रिक छात्रावास	1348
पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास	130
आश्रम शालाएं	1046
आदीवासी पुर्नध्यर्यन प्रशिक्षण केन्द्र	01

8.121 शालायें : आदिवासियों के विकास के लिए संचालित योजनाओं में शिक्षा की योजनाओं को सर्व्वोच प्राथमिकता दी गई है । शैक्षणिक उत्थान के लिए आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 89 विकास खण्डों में प्राथमिक स्तर से उच्चत्तर माध्यमिक शालाओ का संचालन किया जा

रहा है । वर्ष 2014-15 में 40 हाईस्कूलों का उच्चत्तर माध्यमिक विदयालय में उन्नयन 20 अतिरिक्त संकाय तथा 40 कन्या शिक्षा परिसर स्वीकृत किए गए हैं ।

वर्ष 2015-16 में 26 माध्यमिक शालाओ का हाईस्कूल में उन्नयन 48 हाई स्कूलोंका उच्चत्तर माध्यमिक विदयालय में उन्नयन 21 अतिरिक्त संकाय एवं 20 कन्या शिक्षा परिसर स्वीकृत किए गए हैं । वर्ष 2015-16 में प्राथमिक शालाओं में राशि रू. 60431.57 लाख प्रावधान के विरूध्द माह दिसम्बर तक राशि रू.27761.56 लाख व्यय किए गए हैं । वर्ष 2015-16 में माध्यमिक शालाओं मे राशि रू.29511.52 लाख प्रावधान के विरूध्द माह दिसम्बर तक राशि रू. 15471.78 लाख व्यय किए गए हैं ।

वर्ष 2015-16 में राशि रू. 12177.20 लाख प्रावधान के विरूध्द माह दिसम्बर तक राशि रू. 7394.52 लाख व्यय किए गए हैं । वर्ष 2015-16 में उच्चत्तर माध्यमिक विदयालय में राशि रू. 23228.76 लाख प्रावधान के विरूध्द माह दिसम्बर तक राशि रू. 14209.16 लाख व्यय किए गए । वर्ष 2016-17 में 20 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूलों में उन्नयन 40 हाई स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक विदयालय में उन्नयन 20 अतिरिक्त संकाय एवं 20 कन्या शिक्षा परिसर खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

बाक्स 8.6

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिये कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण कर कक्षा 6 वी में प्रवेशित छात्राओं को रूपये 500/-, कक्षा 8 वी से 9 में प्रवेशित छात्राओं को रूपये 1000 तथा कक्षा 10 वी उत्तीर्ण कर कक्षा 11 वी में प्रवेशित छात्राओं को 3000/- रूपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है ।

योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में कक्षा 6 वीं में 1.83 लाख, कक्षा 9 वीं में 92.85 हजार तथा कक्षा 11वी में 28.33 हजार, छात्राओं तथा वर्ष 2013-14 में 6 वी में 1.87, कक्षा 9वी में 1.01 लाख तथा कक्षा 11वी में 35.62 हजार तथा वर्ष 2014-15 में 11वी में 31.57 हजार छात्राओं को लाभान्वित किया गया है ।

8.122 राज्य छात्रवृत्ति : राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक की समस्त बालिकाओं को तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को एवं कक्षा 6 से 10 तक के बालक एवं बालिकाओं को 10 माह हेतु निम्नानुसार दर से वितरित की जा रही है, जिसका विवरण **तालिका 8.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.18
अनुसूचित जनजाति राज्य छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें

(राशि रूपये में)

कक्षा	बालक/वार्षिक	बालिका/वार्षिक
1 से 5 तक	150 (केवल विशेष पिछड़ी जनजाति बालकों के लिये)	150
6 से 8 तक	200	500
9 से 10 तक	600	1300

वर्ष 2014-15 का प्रावधान रूप्ये 5764.10 लाख की राशि शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है । एवं 14.50 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है । **राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10** वर्ष 2014-15 का प्रावधान राशि रूपये 12889.16 लाख की राशि शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है एवं 15.00 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2014-15 मे कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिये 30.00 करोड़ राशि लोक शिक्षण विभाग को हस्तांरित की गई है । वर्ष 2014-15 में कक्षा 11वीं एवं 12वं के लिये 3.00 लाख करोड़ राशि लोक शिक्षण विभाग को हस्तांरित की गई है । वर्ष 2015-16 में प्रावधान राशि रूपये 22100.93 लाख शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है । माह दिसम्बर 2015 तक कक्षा 3 से 5 तक 9.57 लाख विद्यार्थियों को 153.55 लाख की राशि का वितरण किया गया , कक्षा 6 से 8 तक 9.99 लाख विद्यार्थियों को 3457.40 लाख की राशि का वितरण किया गया एवं कक्षा 9 से 10 तक 93.33 हजार विद्यार्थियों को 890.94 लाख की राशि का वितरण किया गया ।

8.123 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य योजना मद अन्तर्गत) : ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से 3.00 लाख रूपये तक हो ऐसे अभिभावकों के बच्चों को राज्य शासन के के स्त्रोत से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2013-14 राशि 9257.80 लाख रूपये के विरूद्ध राशि 6929.48 लाख रूपये व्यय की गई । वर्ष 2014-15 में इस योजना अंतर्गत राशि रू. 10000.00 लाख प्रावधान के विरूध्द राशि रू. 3810.75 लाख व्यय किए गए हैं । वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर 2015 तक प्रावधान राशि रू. 13062.89 लाख के विरूध्द कक्षा 11वीं, 12 वी,के 124273 विदयार्थियों को राशि रू. 3451.00 लाख का वितरण किया गया है एवं महाविदयालयीन कक्षा के 10912 विदयार्थियों को राशि रू. 176.00 लाख का वितरण किया गया है । निर्वाह भत्ता/पंजीकरण/टयूशन/फीस/खेल/यूनियन/लाईब्रेरी/पत्रिका/चिकित्सा जांच का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जायेगा ।

8.124 विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति : अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के भविष्य निर्माण हेतु उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 10 छात्र-छात्राओ को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 में 50 विद्यार्थियों को लाभांवित कर 11.00 लाख का प्रावधान है तथा 16 विदयार्थियों का चयन किया गया हे । वर्ष 2015-16 में राशि रू. 110.00 लाख प्रावधान के विरूध्द माह दिसम्बर 2015 तक राशि रू. 19.85 लाख व्यय किये गये हैं एवं 29 विदयार्थियों का चयन किया गया ।

8.125 क्रीडा परिसर :

अध्ययन के साथ साथ आदिवासी बच्चों को खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिये विभाग द्वारा प्रदेश में प्रत्येक क्रीड़ा परिसर 100 सीटर कुल 22 विभागीय क्रीड़ा परिसर संचालित हैं। इनमें से 17 बालकों के लिए तथा 05 बालिकाओं के लिए हैं। ये परिसर पूर्णतः आवासीय हैं। प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित छात्रों को रूपये 100/- प्रति दिवस शिष्यवृत्ति स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष में एक बार स्पोर्टस किट के लिए 3000/- रूपये स्वीकृत किए गए हैं। इन क्रीड़ा परिसरों का ध्येय प्रतिभावान खिलाड़ी छात्र/छात्राओं की खोज करना एवं उन्हें नियमित प्रशिक्षण देकर विभिन्न खेल विधाओं में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल कराकर उनकी प्रतिभा का विकास करना है।

क्रमांक	जिला	बालक क्रीड़ा परिसर	कन्या क्रीड़ा परिसर
1	धार	सरदारपुर	डही
2	अलीराजपुर	अलीराजपुर	
3	खरगोन	खरगोन	
4	इन्दौर	इन्दौर	
5	खंडवा	खालवा	
6	बड़वानी	बड़वानी	निवाली
7	रतलाम	बाजना	
8	बैतूल	शाहपुर	बैतूल
9	छिन्दवाड़ा	तामिया	
10	सिवनी	कुरई	
11	बालाघाट	बैहर	
12	डिंडोरी		शहपुरा
13	मंडला	कालपी	
14	अनूपपुर	अमरकंटक	अमरकंटक
15	सीधी	चुरहट	
16	शहडोल	शहडोल	
17	श्योपुर	श्योपुर	

आदिवासी विकास विभाग की संस्थाओं में क्रीड़ा गतिविधियों का विस्तार तथा प्रशिक्षण किया जाकर विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सम्मिलित कराया जाता है। आदिवासी विद्यार्थियों की वर्षवार उपलब्धियां निम्नानुसार है :

वर्ष	राष्ट्रीय पदक			राज्य स्तरीय पदक		
	स्वर्ण	रजत	कांस्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य
2011-12	12	09	04	156	127	105
2012-13	07	06	04	189	165	107
2013-14	14	10	04	187	129	126
2014-15	13	11	03	185	126	120

राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर प्रतिभागियों को निम्नानुसार राशि से सम्मानित किया जाता हैः-

	राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तर
प्रथम स्थान	21000/-	7000/-
द्वितीय स्थान	15000/-	5000/-
तृतीय स्थान	11000/-	3000/-
सहभागिता	4000/-	--

वर्ष 2014-15 में 2200 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता कराकर पुरस्कृत कराने का लक्ष्य रखा गया है एवं राशि रू. 1500.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध 1233.99 लाख की राशि व्यय की जाकर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किये है । वर्ष 2015-16 में एक नवीन कन्या क्रीड़ा परिसर झाबुआ में खोला गया है । वर्ष 2015-16 में क्रीड़ा परिसरों में प्रवेशित 2300 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है ।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 1564.60 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि 963.85 लाख व्यय किये गये एवं विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिता में 2300 खिलाड़ियों द्वारा भागीदारी की गई ।

8.126 अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना : अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/बस्ती/वार्ड में मूलभूत

सुविधायें उपलब्ध कराना यथा-समुचित पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, अंतरिक क्षेत्रों में पक्की सड़कें, नली निर्माण, मुख्य सड़क से अनुसूचित जनजाति बस्ती/ग्राम तक सड़क, पुलिया, रपटा निर्माण, सामुदायिक भवनों का निर्माण (सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोह आदि) के लिये जिलों को राशि उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2014-15 में इस योजना अंतर्गत राशि रू. 5513.00 लाख के प्रावधान विरूध्द राशि रू. 4091.14 लाख व्यय किये गये वर्ष 2015-16 में राशि रू. 6651.15 लाख प्रावधान के विरूध्द माह दिसम्बर 2015 तक राशि रू. 2777.12 लाख व्यय किये गये ।

8.127 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय :

प्रदेश के 18 जिलों झाबुआ, धार, बड़वानी, रतलाम, बैतूल, सिवनी, मण्डला, डिण्डौरी, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, सीधी, उमरिया, अलीराजपुर, खण्डवा, शहडोल, बालाघाट, जबलपुर एवं होशंगाबाद में 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत हुये है जो आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ होंगें । झाबुआ एवं छिन्दवाड़ा, अलीराजपुर एवं सतना जिले में दो-दो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 वीं तक 7086 विद्यार्थी है, जिसमें 3637 बालक एवं 3449 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। वर्ष 2005-06 से इन विद्यालयों में सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इन संस्थाओं में विद्यार्थियों को ऐकेडेमिक शिक्षा के साथ-साथ कम्प्यूटर शिक्षा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण, राष्ट्रीय महाविद्यालयों में जेईई एवं ऑल इंडिया पी.एम.टी. में प्रवेश हेतु कोचिंग सुविधा, भोजन, गणवेश, पुस्तकें, स्टेशनरी, लायब्रेरी तथा सुसज्जित आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 2010-11 में 08 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयः- 1.सोण्डवा, जिला अलीराजपुर 2. मोरडुण्डिया, जिला झाबुआ 3. रोद्रानी, जिला खण्डवा 4. सोहागपुर, जिला शहडोल 5. उकवा, जिला बालाघाट 6. सिंगारदीप, जिला छिन्दवाड़ा 7. नरईनाला, जिला जबलपुर 8. केसला, जिला होद्गांगाबाद में प्रारम्भ किये गये हैं। सत्र 2014-15 में चयन क्षेत्र आजाद नगर अलीरातपुर , सैंघवा बड़वानी, धार, मैहर सतना, एवं बुढ़नी जिला सीहोर प्रारंभ किये गये है ।सत्र 2015-16 से विभागीय उपलब्ध भवनों में कक्षा 6 वीं एवं 8वीं संचालित है। वर्ष 2015-16 में 04 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मंडला,चित्रकूट सतना खरगोन एवं सिंगरोली में स्वीकृत किये गये है । जो आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ हो सकेंगे । इन विद्यालयों के भवनों का निर्माण भी परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण से कराया जा रहा है। 04 विद्यालय पूर्ण हो गये है जिनमें विद्यालय स्थांतरित होकर संचालित है शेष 04 भवन निर्माणाधीन है। वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 3008.88 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि रूपये 1560.60 लाख व्यय किये गये ।

8.128 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :

- कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण कर कक्षा 6वीं में प्रवेशित छात्राओं को रू. 500/- } वर्ष 2014-15 से राज्य
- कक्षा 8 वी उत्तीर्ण कर कक्षा 9 वी में प्रवेशित छात्राओं को रू.1000/- छात्रवृत्ति में समाहित कक्षा 10 वी उत्तीर्ण कक्षा 11वीं में प्रवेशित बालिकाओं को रूपये 3000/- प्रोत्साहन राशि

राज्य शासन के आदेश क्रमांक/एफ-12-09/2014/25-2/840 दि. 27.6.14 द्वारा कन्या साक्षरता प्रोत्साहन शिक्षा 6वीं एवं 9वीं को राज्य छात्रवृत्ति में समाहित कर 6वीं से 8वीं तक 50 रू. मासिक एवं 9वीं से 10वीं तक 130 रू. मासिक छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है। कक्षा 11वीं हेतु प्रोत्साहन राशि शिक्षा विभाग के माध्यम से वितरित की जा रही है। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक लाभान्वित बालिकाओं का विवरण निम्नानुसार हैः-

वर्ष	कक्षा 6वीं	कक्षा 9वीं	कक्षा 11वीं
2011.12	177510	74560	25431
2012.13	182697	92854	28327
2013.14	187064	100665	35619
2014-15	-	-	31567

वर्ष 2015-16 में कक्षा 9वीं एवं 11वीं में राशि रूपये 1475.03 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि 964.95 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2015-16 में 33000 बालिकाओं के लक्ष्य के विरूद्ध 32165 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2016-17 में 35000 कन्याओं का लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

8.129 अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु सायकिल रखरखाव योजना :-

इस योजनांतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 वी की जिन आदिवासी बालिकाओं को सायकिल प्रदाय की गई है। उन्हें कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर सायकिल रख रखाव भत्ता रूपये 1000/- प्रति बालिका को देय होगा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में योजना अंतर्गत 22000 बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा जाकर रख रखाव अनुदान राशि रूपये 350.00 लाख के प्रावधान के राशि रूपये 124.22 लाख व्यय किये जाकर 12422 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015-

16 में राशि रूपये 271.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि 63.06 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2015-16 में 22000 बालिकाओं के लक्ष्य के विरूद्ध 6306 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2016-17 में 20000 कन्याओं का लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

8.130 शंकर शाह पुरस्कार योजना :

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों को निम्नानुसार राशि से पुरस्कृत किया जाता है। कक्षा 10 वीं में प्राप्त प्रावीण्यता को कक्षा 12 वीं में निरन्तर रखने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि रू. 11,000/- दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 से निम्न दरें प्रभीवशाली होगीः-

कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
10 वीं	51000	31000	21000
12 वीं	51000	31000	21000

वर्ष 2014-15 में 6 बालकों को पुरस्कृत किया गया है । वर्ष 2015-16 में 6 बालकों को पुरस्कृत करने का लक्ष्य रखा गया है ।

8.131 रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना :-

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपने संवर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभावान आदिवासी छात्राओं को क्रमशः निम्नानुसार राशि से पुरस्कृत किया जाता है। कक्षा 10 वीं में प्राप्त प्रावीण्यता को कक्षा 12 वीं में निरन्तर रखने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि रू. 11,000/- दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 से निम्न दरें प्रभीवशाली होगीः-

कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
10 वीं	51000	31000	21000
12 वीं	51000	31000	21000

वर्ष 2014-15 में 6 बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया है । वर्ष 2015-16 में 6 बालिकाओं को पुरस्कृत करने का लक्ष्य रखा गया है । माह जनवरी 2016 में पुरस्कृत किया जावेगा ।

8.132 सर्वश्रेष्ठ छात्रावास/आश्रम एवं हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल को पुरस्कार :-

आदिवासी बाहुल्य जिलो में संचालित संस्थाओं में जिले में सर्वश्रेष्ठ परीक्षाफल देने वाले तीन हाई स्कूल/तीन हायर सेकेण्डरी एवं सर्वश्रेष्ठ तीन छात्रावास/ आश्रमों को पुरस्कार स्वरूप प्रथम पुरस्कार 25000/-द्वितीय पुरस्कार रूपये 15000/- एवं तृतीय पुरस्कार रूपये 10000/- प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।

वर्ष 2014-15 में आदिवासी बाहुल्य 20 जिलों में 01, छात्रावास, 01 आश्रम, 01 हाईस्कूल, 01 हायर सेकेण्डरी स्कूल को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

वर्ष 2015-16 में आदिवासी बाहुल्य 20 जिलों में 01, छात्रावास, 01 आश्रम, 01 हाईस्कूल, 01 हायर सेकेण्डरी स्कूल को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत करने का लक्ष्य रखा गया है । माह जनवरी 2016 में पुरस्कृत किया जावेगा ।

8.133 विद्यार्थी कल्याण :-अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आकस्मिक विपत्ति में, विशेष रोग से पीड़ित होने पर इलाज हेतु, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु एवं विशेष अभिरूचि को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नानुसार सहायता दी जाती है।

1.	विशिष्ट आयोजनों में सम्मिलित होने हेतु पोषाक, परिधान, साज-सज्जा हेतु	-	1000/-
2.	विद्यार्थियों को सामूहिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।	-	3000/-
3.	निःशक्त छात्र/छात्राओं को ट्रायसाईकल हेतु	-	3000/-
4.	असामयिक विपत्ति	-	25000/-
5.	विशेष रोग, केंसर, टी.बी. हृदय रोग आदि	-	5000/-
6.	मृत्यु पर (दुर्भाग्य पूर्ण रूप से घटना होने पर)	-	25000/-

विद्यार्थी कल्याण सहायता नियम 2006 में अ- छात्रावास/आश्रमों में निवासरत रहते हुए मृत्यु होने पर विभागाध्यक्ष को रू. 25000/- स्वीकृति के पूर्ण अधिकार के स्थान पर कलेक्टर को पूर्ण अधिकार शासन के आदेश क्रमांक एफ-12-19/2006/25/पार्ट नस्ती दिनांक 18.7.11 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। वर्ष 2014-15 में 7500 विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने का

लक्ष्य रखा गया है एवं एवं राशि रू. 135.05 लाख का प्रावधान के विरूद्ध 80.76 लाख की राशि व्यय की गई है । लगभग 7350 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 150.71 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि 47.69 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2015-16 में 7700 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 6500 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है ।

8.134 प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कार :

- म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में अनुसूचित जनजाति के 100-100 छात्र-छात्राएँ जिन्होंने प्रदेश में अपने संवर्ग में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हैं, प्रत्येक को रू. 1000/- की पुरस्कार राशि दी जाती है।
- वर्ष 2014-15 में 200 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया है ।
- वर्ष 2015-16 में 200 विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने का लक्ष्य रखा गया है ।

माह जनवरी 2016 में पुरस्कृत किया जावेगा ।

8.135 विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों को गणवेश में प्रदायः प्रदेश के 15 जिलों निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा,सहरिया एवं भारिया के शैक्षणिक विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति वर्ष गणवेश, स्वेटर, जुते मोजे, बैग दिये जाने की योजना स्वीकृत है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक गणवेश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा दिये जाते हैं अतः स्वेटर, जुते मोजे के लिये 600/- प्रति विद्यार्थी एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गणवेश, स्वेटर, जुते मोजे, बैग के लिये 1100/- रूपये बैंक खाते में प्रदाय की जाती है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक लाभांवित पी.टी.जी. विद्यार्थियों का विवरण निम्नानुसार हैः-

वर्ष	व्यय राशि	लाभांवित पी.टी.जी. विद्यार्थी
2011-12	1327.36	232870
2012-13	1410.84	241327
2013-14	1673.32	243000
2014-15	1362.14	245000

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 1126.19 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि 761.64 लाख व्यय किये गये एवं 2.40 लाख विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 2.00 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

8.136 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण : विभाग द्वारा संचालित 704 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता के लिये पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तकों की व्यवस्था तथा जीवित संचालन एवं प्रयोगशालाओं में आवश्यक प्रायोगिक सामग्री की व्यवस्था तथा जीवित संचालन के लिये आवश्यक बजट प्रावधान विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय का कालखण्ड शालावधि के 2 घण्टे उपरांत तक रखा जाकर अध्ययन की सुविधा एवं लायब्रेरी कार्ड बनवाकर नियमित पुस्तकें आदान-प्रदान की जिला स्तर से मॉनीटरिंग कराई जा रही है। प्रयोगशाला में भी सी.बी.एस.ई. के मापदण्ड अनुरूप आवश्यक प्रायोजित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर प्रत्येक विषय के प्रभारी द्वारा कराये गये दैनिक प्रयोगों की सुनिश्चितता प्राचार्यों से कराई जा रही है। जिससे अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं इंजीनियरिंग/मेडिकल में सफलता प्राप्त कर सके।

8.137 विज्ञान एवं सामूहिक विषयों में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन योजना : कक्षा 10वीं उत्तीर्ण जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय में प्रवेश लेने पर 2000/- रूपये प्रोत्साहन राशि तथा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके बी.एस.सी. भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान में प्रवेश लेने पर 3000/- रूपये प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान रखा गया है वर्षवार उपलब्धि निम्नानुसार हैः-

वर्ष	कक्षा 11वीं में लाभांवित संख्या	वितरित राशि	बी.एस.सी. में लाभांवित संख्या	वितरित राशि
2013-14	14825	296.50	10000	300.00
2014-15	16126	322.52	8558	256.74
2015-16	25000 विद्यार्थियों को 500.00 लाख का लक्ष्य रखा गया है।			

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 460.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि रूपये 304.93 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2015-16 में 25000 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध राशि रूपये 16500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है

8.138 पोस्टमैट्रिक छात्रावासों में आगमन भत्ता : योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश के प्रथम वर्ष में 1500 रूपये, द्वितीय वर्ष में 250/- रूपये एवं तृतीय वर्ष में 250/- रूपये आगमन भत्ते की राशि रू. 2000/- विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है ।

वर्ष 2014-15 में 6048 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 5528 विद्यार्थियों को आगमन भत्त प्रदान किया गया है एवं राशि रूपये 48.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 39.95

लाख व्यय की गई । वर्ष 2015-16 में उक्त योजनांतर्गत कोई उपलब्धि नही है, क्योंकि वर्ष 2015-16 से पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में सामग्री पूर्ति मद आवंटन जारी किये जाने के कारण पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में सामग्री क्रय की जा रही है ।

8.139 आवास भत्ता सहायता योजना/ छात्रगृह योजना : मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के ज्ञाप क्र. एफ-12-06/2013/ 25-2/2039 दिनांक 11.9.2013 द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को निवास ग्राम से अन्य स्थान पर अध्यापन निरंतर रखने में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण बाधा उत्पन्न न हो इस उद्देश्य से निवास ग्राम से अन्य ग्राम/शहर के महाविद्यालय में पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिये आवास सहायता योजना स्वीकृत की गई।

योजना अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के आदिवासी बालक/बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन स्तर से शिक्षा निरंतर रखने के लिए भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन नगरों में रू. 2000/- प्रति विद्यार्थी तथा जिला मुखयालय पर प्रति विद्यार्थी रू. 1250/- एवं तहसील/विकासखण्ड मुखयालय पर रू. 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से आवास सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

वर्ष 2015-16 में आवास सहायता योजना अंतर्गत राशि रूपये 4123.87 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि 3110.43 लाख व्यय किये गये । एवं 30411 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 28338 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये गये ।

8.140 सैनिक स्कूल/प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति : सैनिक स्कूल रीवा तथा प्रदेश में स्थित डेली कालेज इंदौर, सिंधिया पब्लिक स्कूल, ग्वालियर, दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल एवं इन्दौर जैसे विशिष्ट पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रवेश की योजना है। प्रवेशित छात्रों के समस्त शुल्कों का वहन विभाग करता है । सैनिक स्कूल में प्रवेश छात्रवृत्ति - म.प्र. के अनुसूचित जनजाति बालकों के छात्रवृत्ति के लिये म.प्र. सरकार की पृथक छात्रवृत्ति योजना है ।

सैनिक स्कूल रीवा में अनुसूचित जनजाति के लिये 7.5 प्रतिशत सीट आरक्षित है । सैनिक स्कूल रीवा बालकों के लिये पूर्ण रूप से अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय है । यह विद्यालय छात्रों को पब्लिक स्कूल शिक्षा प्राप्त करने तथा उनको सेंट्रल बोर्ड आफ सेकण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित आल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एन.डी.ए. प्रवेश परीक्षा हेतु शैक्षिणक, मनोवैज्ञानिक व

शारीरिक रूप में प्रशिक्षित करता है ।

सैनिक स्कूल रीवा में प्रवेश के लिए विभाग द्वारा म.प्र. के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे छात्र जो सैनिक स्कूल रीवा में प्रवेश प्राप्त करते हैं का सम्पूर्ण व्यय वहन करने की योजना संचालित की जा रही है । योजना के अंतर्गत प्रवेश के निम्नलिखित मापदण्ड हैं:-

1. छात्र म.प्र. की अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो ।
2. छात्र कक्षा 1 से 12वीं में अध्ययनरत हो ।

किसी भी अभिभावक के दो से अधिक बच्चों को योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक सैनिक स्कूल रीवा में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः-

वर्ष	व्यय	अध्ययनरत विद्यार्थी
2010-11	19.53	26
2011-12	20.26	27
2012-13	23.30	31
2013-14	25.00	33
2014-15	29.20	38

वर्ष 2014-15 में राशि रूपये 241.36 लाख के प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 237.34 लाख की राशि व्यय की जाकर 140 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 117 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 291.68 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि रूपये 197.44 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2015-16 में 130 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 117 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

8.141 बोर्ड परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति : माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा शुल्क की राशि विभाग द्वारा मंडल को भुगतान की जाती हैं । वर्ष 2014-15 में योजनांतर्गत राशि रूपये 130.00 लाख का योजना प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 130.00 लाख व्यय किये गये है । वर्ष

2015-16 में राशि रूपये 140.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि रूपये 140.00 लाख व्यय किये गये ।

8.142 साक्षरता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार : प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्राथमिक शाला में प्रवेश योग्य बालक/बालिकाओं को शत प्रतिशत प्रवेश करवाने तथा शाला त्याग की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करने वाली 89 आदिवासी विकासखण्डों की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को पुरस्कार स्वरूप रूपये 25000/- के मान से राशि प्रदान की जाती हैं । वर्ष 2014-15 में भी 89 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने हेतु चयन किया गया है । वर्ष 2014-15 में योजनान्तर्गत राशि रू. 22.25 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रूपये 12.60 लाख व्यय की गई है। वर्ष 2015-16 में 89 ग्राम पंचायतों को लाभन्वित करने का लक्ष्य रखा गया है । माह जनवरी 2016 में समानित किया जावेगा ।

8.143 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना : राज्य शासन ने संघ लोक सेवा आयोग तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया हैं। यह योजना वर्ष 2003-04 से स्वीकृत की गई हैं। इस योजना अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तथा म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरो पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निम्नानुसार सहायता राशि दी जाती है :-

अ. संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए -

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 40000.00
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 60000.00
- साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर रू. 50000.00

ब. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए -

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 20000.00
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 30000.00
- साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर रू. 25000.00

शासन आदेश क्रमांक एफ-10/54/2003/25-2/44 दिनांक 10.1.2013 पात्रता हेतु वार्षिक आय 1.20 लाख से वृद्धि कर 5.00 लाख की गई।

वर्ष 2014-15 में 200 प्रतिभागियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है एवं राशि रू. 50.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रूपये 39.35 लाख की राशि व्यय की जाकर 372 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया । वर्ष 2015-16 में 180.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि रूपये 158.90 लाख व्यय की जाकर 1053 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

पिछड़ा कल्याण

8.144 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग स्नातक एवं स्नात्कोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की पात्रता उन विद्यार्थियों को है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 75.00 हजार से कम हो । गत वर्ष 2014-15 में 4 लाख विद्यार्थियों को 450.00 करोड़ रूपये व्यय किया गया । वर्ष 2015-16 में 600.00 करोड का प्रावधान रखा गया है । एवं 4.20 लाख विदयार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है । दिसम्बर 2015 तक योजनांतर्गत कुल राशि रू 21885.73 लाख व्यय की गई है ।

8.145 राज्य स्तरीय सेवाओं के लिये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र : पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की पूर्व तैयारी हेतु भोपाल में संचालित राज्य स्तरीय परीक्षा केन्द्र में परीक्षा पूर्व नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके लिये प्रशिक्षणार्थियों को 350 रूपये प्रति माह की दर से शिष्यवृत्ति भी प्रदान की जाती है। इसके साथ-साथ 100 छात्रों एवं 50 छात्राओं को प्रशिक्षण के साथ छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। वर्ष 2014-15 में 58.24 लाख रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2015-16 के लिये 97.31 लाख रूपये व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक रूपये 42.82 लाख रूपये व्यय किये गये है ।

8.146 मध्यप्रदेश पिछडा वर्ग के व्यवसायिक प्रतिभा पुरस्कार योजना : पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों को पी.ई.टी./पी.पी.टी./एम.सी.ए. की परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करने वालों को पुरस्कार राशि प्रदान की जावेगी । वित्तीय वर्ष 2014-15 में 6 विद्यार्थियों पर 3.25 लाख रूपये व्यय किये गये । वर्ष 2015-16 में 9 विद्यार्थियों पर 5.25 लाख रूपये व्यय प्रावधान किया गया है ।

8.147 राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन : योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफलता प्राप्त करने पर

प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि का विवरण **तालिका 8.19** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.19
प्रोत्साहन राशि

विवरण	स्वीकृत की जाने वाली राशि रूपये में	
	संघ लोक सेवा आयोग	राज्य लोक सेवा आयोग
प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	25000	15000
मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	50000	25000
साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	25000	10000
योग	**100000**	**50000**

वर्ष 2014-15 में 298 अभ्यार्थियों को लाभांवित किया गया जाकर राशि 53.85 लाख रूपये व्यय किये गये । वर्ष 2015-16 के लिये राशि 60.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध दिसम्बर, 2015 तक राशि 54.35 लाख रूपये व्यय किये गये, जिससे 335 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है ।

8.148 पिछडा वर्ग विद्यार्थि मेधावी छात्रवृत्ति : यह योजना वर्ष 2010 से लागू है । योजनान्तर्गत 10 वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को रूपये 5 हजार 12 वी के छात्र/छात्राओं को 10 हजार का पुरस्कार प्रमाण पत्र 15 अगस्त, 26 जनवरी को जिला स्तरीय समारोह में दिया जाता है । वर्ष 2014-15 में योजना के लिए 14.10 लाख रूपये व्यय कर 200 छात्राओं को पुरस्कार दिये गये । वर्ष 2015-16 में 16 लाख का प्रावधान 204 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है ।

8.149 विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति : चयनित पिछडा वर्ग के विदयार्थियों को विदेशों में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नात्तकोत्तर स्तर के पाठयक्रमों/शोध उपाधि एवं शोध (पी;एच;डी.) उपाधि उपरांत कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उददेश्य से विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007 से प्रारंभ की गई है ।

योजना में प्रतिवर्ष 5 अभ्यार्थियों के चयन का प्रावधान था अब इस योजना में 5 विदयार्थियों के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रतिवर्ष 10 विदयार्थियों को लाभांवित किया गया जा रहा है । गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 15 विद्यार्थियो को राशि रू. 250.22 लाख की राशि स्वीकृत की गई है । वित्तीय वर्ष 2015-16 मे राशि रू. 300.00 लाख का

प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध 17 विद्यार्थियो पर राशि रूपये 266.61 लाख व्यय की गई है ।

8.150 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना : प्रदेश में पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को स्वराजगार के रूप में कृषि उद्योग व्यवसाय में स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है वर्ष 2014-15 में योजना अन्तर्गत कुल राशि रूपये 1500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध 1060 हितग्राहीयों को अनुदान राशि स्वीकृत कर प्रदान की गई है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल राशि रू. 1830.00 लाख व्यय की गई है । जिसके विरूद्ध 1200 हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु राशि रूपये 1800.00 लाख व्यय की गई है ।

8.151 पिछडे वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गांरटी योजना) : यह योजना वर्ष 2009-10 से लागू की गई है इस योजना के अन्तर्गत पिछडे वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विषय की आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास हेतु नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । वर्ष 2014-15 में योजनान्तर्गत रूपये 1500.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत हुआ था तथा पिछडे वर्ग के कुल 8000 अभ्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में राशि 1500.00 लाख का प्रावधान किया गया है । जिसके विरूद्ध 10000 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तथा दिसम्बर 2015 तक राशि रूपये 1010.00 लाख रूपये व्यय किये गये है ।

8.152 राम जी महाजन स्मृति पुरस्कार : पिछडे वर्ग उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ठ कार्य करने वाले पिछडे वर्ग के 16 समाजसेवियों को सम्मानित किया जाता है जिसमें 8 महिला एवं 8 पुरूष सम्मिलित होते है प्रत्येक समाजसेवी को रूपये एक लाख नगद एवं प्रशस्ती से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है । गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 16 समाजसेवियों का ज्यूरी द्वारा चयन कर वर्ष 2015-16 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में 16 (8 पुरूष एवं 8 महिला) समाजसेवियों को पुरस्कृत करने का लक्ष्य रखा गया है ।

8.153 छात्रगृह योजना : विभागीय छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों जो पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश पात्रता रखते हो के लिए छात्रगृह योजना संचालित की जा रही है । योजना के तहत 5 या अधिक के समूह में किराए के भवन में विद्यार्थियों के रहने पर भवन किराया एवं बिजली पानी इत्यादि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है । विभाग द्वारा तहसील, जिला एवं संभाग स्तर के छात्रगृहों हेतु सर्व

सुविधायुक्त किराए के भवन का मासिक किराया क्रमांक रूपये 3000/- 4000/- एवं रूपये 5000/- निर्धारित किया गया है । गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 127.17 लाख की राशि व्यय की गई है । उक्त योजना अन्तर्गत 180 छात्रगृह संचालित किये गये है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 100.00 लाख का प्रावधान किया गया है । जिसके विरूद्ध 250 छात्रगृह संचालित करने का लक्ष्य रखा जाकर दिसम्बर, 2015 तक राशि रूपये 56.58 लाख व्यय की गई है ।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

8.154 बालक छात्रावास निर्माण : माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा एवं विधानसभा संकल्प 2010 के बिन्दु क्रमांक 42 के पालन में सभी जिला मुख्यालयों पर 100 सीटर बालक पोस्टमैट्रिक छात्रावासों के भवनों की स्थापना की जानी है । केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्रदेश के जिलों में 100 सीटर बालक पोस्टमैट्रिक छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना था जिसमें से 44 जिलों मे छात्रावास भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है, तथा शेष 6 जिलों में छात्रावास भवन निर्माणधीन है ।

समस्त जिलों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है । गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में रूपये 335.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्ध राशि रूपये 385.00 लाख जारी की गई है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 1253.95 लाख का प्रावधान रखा गया है जिसके विरूद्ध राशि रूपये 269.20 लाख की राशि लोक निर्माण विभाग को कार्य हेतु हस्तांतरित की गई है ।

8.155 जिला स्तरीय कन्या छात्रावास निर्माण : प्रदेश के पिछड़े वर्ग की अध्ययनरत कन्याओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में 50 सीटर पोस्टमैटिक जिला स्तरीय कन्या छात्रावास स्वीकृत है । प्रदेश के 47 जिलों में छात्रावास भवन पूर्ण हो चुके हैं, शेष 03 जिलों में भवनों का निमार्ण कार्य पूर्णता की ओर है ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में संभागीय मुख्यालय इन्दौर में 500 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास एवं शाजापुर जिला मुख्यालय पर 50 सीटर पोस्टमैट्रीक कन्या छात्रावास भवन निमार्ण की स्वीकृति जारी की गई है ।

8.156 अल्पसंख्यक कल्याण योजना :

- **मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना :**

  अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में संलग्न सामाजिक संस्थाएं एवं व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ठ सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवाओं और योगदान प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को तीन मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा पुरस्कार देने की योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ्म की है जिसमें (1) शहीद असफाक उल्लाह खॉ पुरस्कार (2) शहीद हमीद खां पुरस्कार (3) मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पुरस्कार । प्रत्येक पुरस्कार रूपये 1 लाख का है । गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 3 समाज सेवियों का ज्यूरी द्वारा चयन कर वर्ष 2015-16 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 3 (2 पुरूष एवं 1 महिला) समाजसेवियों को पुरस्कृत करने का लक्ष्य रखा गया है ।

- **अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गारंटी योजना)** - अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण योजना वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ की गई है । गतवर्ष 2014-15 में राशि रूपये 300.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध रूपये 300 लाख की राशि व्यय की जाकर 2000 अभ्यार्थियो को प्रशिक्षण दिया गया । वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 300.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध 2000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं राशि 202.00 लाख व्यय किये गये है ।

- **भोपाल में हज हाउस का निर्माण** - भोपाल में सर्वसुविधा युक्त प्रदेश के प्रथम हज हाउस का निर्माण पूर्णता की ओर है । जिसमें गतवर्ष 2014-15 में राशि रूपये 200.00 लाख व्यय किये गये । इस वर्ष ही हज यात्रा नवनिर्मित हज हाउस से होगी । वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 111.25 लाख व्यय किये गये ।

- **अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले की विकास कार्य योजना :** अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले भोपाल के लिए 11 वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में स्वीकृत 04 छात्रावास भवनों में से 03 छात्रावास भवन पूर्ण हो चुके है तथा 01 छात्रावास भवन पूर्णता की ओर है । गतवर्ष 2014-15 में राशि रूपये 94.39 लाख व्यय किये गये । 12 वीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत 1400 लाख की योजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है । योजना अन्तर्गत निर्माणकार्य प्रारम्भ हो चुके है ।

8.157 मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति : भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी) के निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरिट कम मीन्स योजना वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ की गई है इस योजना मे अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक हैं तथा स्वयं/माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है ।

गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1391 विद्यार्थियों को रूपये 4.15 करोड रूपये के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गये एवं राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में जमा किया गया है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा 1524 नवीन विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया जा रहा है ।

8.158 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007-08 से प्रारंभ की गई है इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी) के प्रतिभावान के विद्यार्थियों को जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक हैं स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विगत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 11509 विद्यार्थियों को रूपये7.79 करोड की राशि के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गये है एवं राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया गया है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा 12697 नवीन विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया जा रहा है ।

8.159 प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति : भारत सरकार की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन) वर्ग के निर्धन परिवारों के कक्षा पहली से 10 वीं तक अध्ययनरत प्रति परिवार के अधिकतम दो बच्चों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्रता उन छात्र-छात्राओं को है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये से अधिक न हो । वर्ष 2014-15 में 1.04 लाख विद्यार्थियों हेतु राशि 21.20 लाख रूपये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई । वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा 76139 नवीन विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित

किया गया है । वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया जा रहा है ।

सामाजिक न्याय

8.160 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : अन्तर्गत म.प्र. के 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध, 18 वर्ष से 39 वर्ष की आयु की विधवा, 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु की परित्यक्ता, 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के नि:शक्त व्यक्ति जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत या अधिक है । जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है को उन्हें इस योजना के तहत 150 रूपये प्रति माह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है । पेंशन की पात्रता केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए ही है । वर्ष 2015-16 में आवंटन 31556.23 लाख रूपये दिसम्बर, 2015 तक 14538.62 लाख रूपये व्यय कर 8,34,749 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ।

8.161 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना प्रदेश में 01.04.2009 से प्रारंभ की जाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के नि:शक्तजनों को भारत सरकार के मद से राशि रूपये 300/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है । वर्ष 2015-16 में आवंटन 6108.00 लाख रूपये दिसम्बर, 2015 तक 4012.03 लाख रूपये व्यय कर 1,01,927 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ।

8.162 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है । योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । योजनान्तर्गत 60 से 64 तक 200/- प्रतिमाह 65 से 79 वर्ष 275 रूपये तथा 80 वर्ष से उपर 500/- रूपये प्रतिमाह बीपीएल व्यक्तियों को जिनके पास अपनी जीविकापार्जन के लिए पर्याप्त साधन न हो, को पेंशन देने का प्रावधान है ।

वर्ष 2015-16 में आवंटन 45903.00 लाख रूपये दिसम्बर, 2015 तक 3,6413,21 लाख रूपये व्यय कर 13,29,749 लाख रूपये हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ।

8.163 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना : प्रदेश में 01.04.2009 से प्रारंभ की गई है । योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाओं को भारत सरकार के मद से राशि रूपये 300/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है ।

वर्ष 2015-16 में आवंटन 13144.68 लाख रूपये दिसम्बर, 2015 तक 1,84,22.27 लाख रूपये व्यय कर 8,73,568 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ।

8.164 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना : प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाउ सदस्य स्त्री पुरूष जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 59 वर्ष से कम है, कि मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त सहायता प्रदान करना है। यह केन्द्रीय योजना है, योजना के क्रियान्वयन हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है । योजना को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की है । इस योजना के अन्तर्गत परिवार के कमाउ सदस्य की प्राकतिक अथवा अप्राकतिक रूप से मृत्यु होने पर रूपये 20,000/- की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है ।

वर्ष 2015-16 में आवंटन 7450.00 लाख रूपये दिसम्बर, 2015 तक 5496.98 लाख रूपये व्यय कर 27.485 हजार हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ।

8.165 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब,जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु **"मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना"** 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है । योजनान्तर्गत प्रति कन्या के मान से कन्या की गृहस्थी सामग्री हेतु रूपये 5000 की कीमत का सामान कन्या के दाम्पत्य जीवन के खुशहाली के लिये 5 वर्ष तक के लिये सावधि जमा राशि रूपये 10,000/- कन्या के विवाह के एक दिन उपरांत रूपये 7000/- कन्या के खाते में जमा तथा सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के खर्चो की प्रतिपूर्ति हेतु निकायों को राशि रूपये 3000/- कुल राशि रूपये 25,000/- दी जाती है ।

वर्ष 2015-16 में आवंटन 12902.20 लाख रूपये दिसम्बर, 2015 तक 9420.72 लाख रूपये व्यय कर 39.86 हजार हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ।

8.166 मुख्यमंत्री निकाह योजना : मध्य प्रदेश शासन व्दारा गरीब जरूरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या/विधवा /परित्यक्तता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है । मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2012 से प्रभावशील की गई है ।

वर्ष 2015-16 में आवंटन 500.00 लाख रूपये दिसम्बर, 2015 तक 234.29 लाख रूपये व्यय कर 1432 हजार हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ।

योजनान्तर्गत प्रति कन्या के मान से कन्या की गृहस्थी सामग्री हेतु रूपये 5000 हजार रूपये की कीमत का सामान, कन्या के दाम्पत्य जीवन के खुशहाली के लिये 5 वर्ष तक के लिये सावधि जमा राशि रूपये 10,000/- हजार रूपये, कन्या के विवाह के एक दिन उपरांत रूपये 7000/- कन्या के खाते में जमा तथा सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के खर्चो की प्रतिपूर्ति हेतु निकायों को राशि रूपये 3000/- कुल राशि रूपये 25,000/- दी जाती है ।

8.167 मुख्यमंत्री मजूदर सुरक्षा योजना : योजनान्तर्गत ऐसे समस्त भूमिहीन खेतीहर मजदूर जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम खेती की भूमि न हो तथा जो जीविकोपार्जन हेतु कृषि, उद्यानिकी, वनरोपण तथा वन समूह में नियोजित होकर कार्य करते हों तथा म.प्र. के निवासी हों को प्रसूति सहायता, मेधावी छात्रवृत्ति एवं दुर्घटनामें मृत्यु होने पर अंत्येष्टि इत्यादि की सहायता कर सुविधा प्रदान की जाती है । प्रसूति सहायता लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा सीधे हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जाती है ।

8.168 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना : ऐसे दम्पति जिसमें पति/पत्नि में से किसी भी एक आयु 60 वर्ष या इससे अधिक आयु हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याऐं है जीवित पुत्र नही है तथा हितग्राही आयकर दाता न हो को 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ की गयी है ।

वर्ष 2015-16 में आवंटन 1000.00 लाख रूपये दिसम्बर, 2015 तक 1300.15 लाख रूपये व्यय कर 27.351 हजार हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ।

8.169 समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन : राज्य शासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं और उनके अवययों की भिन्नता को दूर करते हुए सरलीकृत व्यवस्था और पारदर्शिता बनाए रखते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालित है ।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वेब पोर्टल तैयार किया गया है । जिसका URL: htto: // Samagra.mp.gov.in / है । समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत समस्त परिवारों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है । वर्तमान में 1.89 करोड परिवार एवं 7.41 लाख सदस्यों का डॉटा बेस तैयार किया गया है । डॉटा अपडेशन की कार्यवाही सतत जारी है । विभिन्न पेंशन योजनाऐ छात्रवृत्ति योजनाएं, विवाह योजनाएं तथा खाद्य सुरक्षा का लाभ पोर्टल के माध्यम से हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जा रहा है ।

समग्र पोर्टल पर परिवारों की जानकारी को दर्ज कर परिवारों को 8 अंकों की एवं परिवार के सदस्य को 9 अंकों की युनिक समग्र आई.डी. प्रदान की गयी है । समग्र पोर्टल पर उपलब्ध नागारिकों के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों का सत्यापन कर लाभ प्रदान किया जा रहा है ।

- **समेकित छात्रवृत्ति (स्कूल शिक्षा विभाग)** : 1.65 करोड स्कूली छात्र-छात्राओं की प्रायवेट एवं सरकारी स्कूल के साथ मैपिंग/88.22 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति स्वीकृति ।
- **खाद्य सुरक्षा अधिनियम** : 2013 (खाद्य नागरिक अपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) 1.17 करोड परिवार व 5.29 करोड सदस्यों को चिन्हिंत कर खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है । राशि हेतु ई-पात्रता पर्ची समग्र पोर्टल से जनरेट की जा रही है । जन्म एवं मृत्यु के पंजीयन के आधार पर ई-पात्रता पर्ची स्वत: अपडेट ।

- **पेंशन योजनाएं (सामाजिक न्याय एवं नि: शक्त कल्याण विभाग)**
  32 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों का सत्यापन पूर्ण/ पेंशन का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से सीधे हितग्राही के बचत खाते में किया जा रहा है । हितग्राहीयो की सूची पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है ।

8.170 <u>नि:शक्त कल्याण</u> : बहुविकलांक एवं मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता । मध्यप्रदेश के सभी 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांक एवं मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्त व्यक्ति को रूपये 500/- (रूपये पांच सौ) प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है । योजना मे आय सीमा का कोई बंधन नही है । यह योजना दिनांक 18.06.2009 से प्रारंभ की गई है । वर्ष 2015-16 में इस योजना के तहत दिसम्बर,2015 तक 52,485 हजार मानसिक बहुविकलांग हितग्राही लाभान्वित हुए ।

8.171 बहुविकलांक एवं मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता : प्रदेश के 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित नि: शक्त व्यक्ति को 500 रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है । वर्ष 2015-16 में इस योजना के तहत दिसम्बर 2015 तक 52,485 हितग्राही लाभान्वित हुए । इस योजना में आय सीमा का कोई बंधन नही है ।

8.172 नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना : इस योजना के अन्तर्गत दम्पति में कोई एक के नि: शक्त होने पर रूपये 50.00 हजार एवं दम्पति में दोनों नि: शक्त होने पर रूपये 1.00 लाख तक मुश्त प्रोत्साहन राशि एवं प्रशांसा पत्र देने का प्रावधान है । पात्रता हेतु दम्पति आयकरदाता नही होना चाहिए । नि: शक्त व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के

अन्तर्गत सामूहिक विवाह करता है तो रूपये 2500 हजार की अतिरिक्त सहायता /सामग्री दिये जाने का प्रावधान है ।

नगरीय विकास

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकायों के प्रशासकीय कार्यों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की विशिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन भी करता है।

8.173 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन : भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा माह दिसम्बर, 2005 से देश के बड़े शहरों में संयुक्त रूप से लागू उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चार शहरों यथा इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं उज्जैन (हेरीटेज शहरों की श्रेणी में) का चयन किया गया है ।

वर्ष 2013-14 मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से अभी तक विभिन्न शहरों की शहरी अधोसंरचना एवं सुशासन तथा शहरी गरीबों के लिये बुनियादी सुविधाओं के तहत मलिन बस्तियों में सीवरेज निर्माण, रिहेविलीटेशन विकास, अधोसंरचना विकास के कार्यो हेतु 3362.39 करोड़ रूपये की लागत की कुल 52 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है । नगरवार स्वीकृत परियोजनायें एवं उनकी लागत का विवरण **तालिका 8.20** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.20
नगरवार स्वीकृत परियोजनायें

(करोड़ रूपये)

क्रियान्वयन ऐजेन्सी	स्वीकृत परियोजनायें (संख्या)	स्वीकृत लागत	निविदा लागत	व्यय राशि	पूर्ण परियोजनायें (संख्या)
भोपाल	8	1129.17	1212.55	741.55	4
इन्दौर	11	874.91	1125.24	663.84	6
जबलपुर	5	520.37	672.23	353.36	1
उज्जैन	4	164.35	165.19	58.91	1
कुल योग	**28**	**2688.80**	**3175.21**	**1817.66**	**12**

जेल

8.174 मध्यप्रदेश राज्य में कुल 11 केन्द्रीय जेलें, 39 जिला जेलें, 72 उप जेलें एवं 01 खुली जेल कुल 123 जेलें संचालित है । इन जेलों की कुल अधिकृत बंदी आवास क्षमता 27267 बंदियों को रखे जाने की है, जिसके विरूद्ध दिनांक 30.11.2015 की स्थिति में 38477 बंदी विरूद्ध है ।

जेल विभाग की वर्ष 2014-15 की प्रमुख उपलब्धियां :

- **जिला जेलों का केन्द्रीय जेलों में क्रमोन्नयन :** प्रशासनिक दृष्टि से जिला जेल बडवानी, होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर को केन्द्रीय जेलों में क्रमोन्नत किया गया ।
- **जिला मुख्यालय स्थित उप जेलों का जिला जेलों में क्रमोन्नयन :** प्रशासनिक दृष्टि से जिला मुख्यालय की 06 उप जेलों क्रमश: गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, भिण्ड एवं पन्ना को जिला जेलों में क्रमोन्नत किया गया ।
- **स्किल डेवलपमेंट :** प्रदेश की आदिवासी बहुल की दो जिला जेल बैतूल एवं धार में आई.टी.आई. प्रारंभ की गई, जिसमें कारपेन्ट्री, वायरमेन एवं ट्रेक्टर मैकेनिक ट्रेड में 96 बंदियों को प्रशिक्षित किया गया । कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000 बंदियों को टेलरिंग, कारपेंट्री, बुनाई, कुक प्रिंटिग, खिलौने, स्टील बर्तन निर्माण, ट्रेक्टर मैकेनिक, वायरमैन ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया ।
- **बंदियों को दूरभाष की सुविधा :** 11 केन्द्रीय जेलों, 27 जिला जेलों के अतिरिक्त जिला मुख्यालय की 15 उप जेलों में निरूद्ध दण्डित एवं 90 दिवस से अधिक परिरूद्ध विचाराधीन बंदियों हेतु दूरभाष पर सप्ताह में दो बार इनकमिंग कॉल की सुविधा प्रदान की गई ।
- **दण्डित बंदियों के पैरोल में वृद्धि :** प्रदेश की जेलों में निरूद्ध दण्डित बंदियों को 21 दिवस के पैरोल के स्थान पर वर्ष में तीन बार 14 दिवस +2 दिवस योग 42 दिवस +6 दिवस (आने जाने के लिए) वर्ष में कुल 48 दिवस के पैरोल की सुविधा के आदेश जारी किये गये ।
- **सर्वशिक्षा अभियान /शिक्षा :** सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में 10467 बंदियों को शिक्षित किया गया ।

  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा बंदियों को निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई । वर्ष 2014 में 1971 बंदियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत किया गया ।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) के विभिन्न पाठ्यक्रमों में मध्यप्रदेश की 21 जेलों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्र के रूप में स्थापित कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1010 बंदियों को पंजीकृत किया गया ।

- **खुली जेल कॉलोनी** : बंदियों में अनुशासन तथा उनमें जवाबदार नागरिक की भावना विकसित करने के लिए होशंगाबाद में खुली जेल कॉलोनी का निर्माण कर कुल 25 बंदियों को अपने परिवार के साथ रहने की व्यवस्था की गई है । वर्ष 2014-15 में सतना में 25 बंदियों को उनके परिवार सहित रहने के लिए खुली जेल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ।
- **सुरक्षा अमले में वृद्धि** : मध्यप्रदेश की जेलों के लिए वर्ष 2014 में 650 सुरक्षा प्रहरियों के पद स्वीकृत किए गए, तथा रिक्त 350 पदों के चयन की कार्यवाही व्यापम के माध्यम से पूर्ण की गई ।

- **आधुनिकीकरण** : वर्ष 2014 में प्रदेश की जेलों में मोबाईल एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तु का प्रवेश न हो इस हेतु 194 डोरफ्रेम मेटल डिटेक्टर, 04 बैगेज स्केनर एवं 08 जेलों पर सी.सी.टी.व्ही. स्थापित किए गए ।

8.175 वार्षिक योजना 2014-15 : वार्षिक योजना वर्ष 2014-15 में राशि रूपये 2415.02 लाख की योजना सीमा स्वीकृत की गई थी, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 1440.32 लाख व्यय की गई थी । इस राशि से जेल विभाग द्वारा 08 जेलों पर सी.सी.टी.व्ही., 06 फोटोकापियर, 25 वॉटर कूलर, 460 टेलीविजन, 20 एम्बुलेंस, 07 मल्टीपरपज वाहन, 20 आटा गूथने की मशीने, 04 बैगेज स्केनर, 148 वॉकी-टॉकी, 02 आई.टी.आई. संचालन, 03 पावरलूम जेलों में लगाए गए । 06 जेलों पर वीडियों कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई । इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जेलों में आवश्यक निर्माण कार्य कराए गए । विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में लगभग 98 प्रतिशत उपलब्धि आंकी गई । लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में उपलब्धि अपेक्षाकृत नही रही, जिसे वर्ष 2015-16 में शत-प्रतिशत रखने के प्रयास किये जावेंगे ।

8.176 वार्षिक योजना 2015-16 : वार्षिक योजना 2015-16 में राशि रूपये 2536.51 लाख की योजना सीमा निर्धारित है, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 2513.49 लाख का बजट प्रावधान किया गया है । इस राशि में से रूपये 1271.00 लाख लोक निर्माण विभाग द्वारा उपयोग किए जा रहे है, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा राशि रूपये 510.64 लाख (40 प्रतिशत) उपयोग की जा चुकी है, निर्माण कार्य प्रगति पर है । शेष राशि रूपये 1242.49 जेल विभाग द्वारा उपयोग की जाना है, दिनांक 31 दिसम्बर 2015 तक

राशि रूपये 573.54 लाख व्यय की जा चुकी है, शेष राशि चतुर्थ त्रैमास में उपयोग की जावेगी । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि जेल विभाग को उपलब्ध कराई गई राशि रूपये 200.00 लाख जिससे सेलफोन डिएक्टिवेटर स्थापित किए जाना है, शासन द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में आलोच्य कार्य कराए जाने का परामर्श दिया गया है

पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने दैनिक अपराध प्रबंधन कानून-व्यवस्था व अन्य कार्यो में व्यस्तता के चलते यातायात प्रबंधन का कार्य भी देखना संभव नहीं हो पाता । अतः यातायात पुलिस विभाग का एक अभिन्न अंग है जिस पर यातायात वाहन/सड़क दुर्धटनाएं आदि नियंत्रित करने की जिम्मेदारी होती हैं । शहरों में व्यवस्थित यातायात प्रबंधन में नगर निगम प्रशासन, लोक निर्माण विभाग व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आदि की भागीदारी रहेगी । अच्छी सड़क एवं यातायात सिग्नलों का संचालन इन भागीदारी संगठनों द्वारा किया जाएगा । इस योजना के क्रियांवयन से समाज के उपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अपितु ध्वनि एवं वायु प्रदुषण पर नियंत्रण होने से इसका लाभ सीधे जनता को प्राप्त होगा, साथ ही नवीन यातायात प्रबंधन लागू करने आधुनिक संसाधनों की मद्द से होने वाली ई-चालानी कार्यवाही से अधिक चालान होगें,जिससे पुलिस बल की आवश्यकता भी नहीं होगी । जमीनी चालानी कार्यवाही में होने वाले भ्रष्टाचार भी समाप्त हो सकेगा एवं संघर्ष की स्थिति भी कम होगी, साथ ही राजस्व आय का अभिलेख भी रहेगा । यातायात की मोट व्हीकल एक्ट से संबंधित चालानी कार्यवाही से जो रास्व वर्तमान में प्राप्त होता हैं उसमें कई गुना वृद्धि होगी तथा प्राप्त होने वाली राजस्व राशि से आगामी वर्षो में ही इस समेकित यातायात प्रबंधन योजना का व्ययभा पूर्ण हो सकेगा । अपराधी सामाप्यत अपराध करे भूतल परिवहन का ही उपयोग करते है तथा शहर की सड़कों पर धूमते हैं । आधुनिक ई-यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू होने से शहर के अन्दर विभिन्न स्थानों पर लगे कैमरे में सभी प्रकार के फूटेज देखे जा सकते हैं, दुर्धटनाओ में कमी आएगी, इससे आंतरिक सुरक्षा व अपराधो की रोक-थाम में भी मद्द मिलेगी । योजना की स्वीकृति आयोजना मद से पंचवर्षीय योजना-2012-17 में रू0 165 करोड़ की स्व्ीकृति प्राप्त होने पर राज्य शासन के अनुमोदन उपरान्त ही उक्त योजना क्रिरयान्वित किया जाना संभव हो सकेगा ।

पुलिस विभाग की योजनाएं

8.177 12 वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 एवं वार्षिक योजना 2015-16 : मध्यप्रदेश शासन,गृह (पुलिस) अ्न्तर्गत वार्षिक योजना के अन्तर्गत पुलिस विभाग की 29 राज्य स्तरीय एवं 14 जिला स्तरीय योजनाओं के संचालन के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा प्राविधिक योजनावार आयोजना सीमा 2015-16 के लिए रुपये 90000.00 लाख निर्धारित की गई है। विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं के संबध में जानकारी निम्नानुसार हैः-

8.177.1 .महिला अपराध सेल का गठन, आई.डी.क्रमांक 9106(एस.एस) : महिलाओं पर घटित अपराधों की रोकथाम एवं इन प्रकरणों में प्रभावी विवेचना, एवं नियंत्रण हेतु भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर झोन में वरिष्ठ अधिकारियों को पदस्थ किया गया है, जिनके द्वारा विशेष रूप से महिला संबंधी अपराध एवं मानव दुर्व्यापार संबंधी अपराधों पर नियत्रंण ,रोकथाम एवं पर्यवेक्षण किया जावेगा। साथ ही परिवार परामर्श केन्द्र,महिला डेस्क, ग्राम रक्षा समितियां तथा नगर रक्षा समितियों के माध्यम से अपराधों की रोकथाम हेतु समुचित प्रयास किये जावेंगे। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विभाग जैसे महिला बाल विकास,श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अभियोजन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों को समाप्त करने एवं संवेदनशीलता बढाने तथा महिला संबंधी अपराधों की विवेचना में गुणवत्ता एवं सजायाबी बढाना मुखय उद्देश्य है। इस हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम /सेमिनार/कार्यशाला आदि आयोजित करना, मानव दुर्व्यापार की रोकथाम, अपराधों की रोकथाम हेतु सजग करना, स्कूल कालेज की छात्राओं को आत्मरक्षा के लिये प्रशिक्षण प्रदान करना एवं कानून से अवगत कराना महिला परामर्शदात्रियों को प्रशिक्षित बनाने आदि की दृष्टि से उक्त योजना काफी महत्वपूर्ण है ।

वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत योजना राशि रू. 522.15 लाख निर्धारित है। निर्धारित राशि को वर्ष 2015-16 में महिला अपराध शाखा के झोंनल कार्यालय जबलपुर,इन्दौर,भोपाल एवं ग्वालियर में कार्यालय भवन (वृहद निर्माण),एंव झोंनल कार्यालय के कार्यालयीन उपकरणों एवं वाहनों के क्रय पर व्यय किया जावेगा।

8.177.2 सामुदायिक पुलिस एवं सामाजिक सशक्तिकरण तथा पर्यटन पुलिस : सामुदायिक पुलिस एवं सामाजिक सशक्तिकरण तथा पर्यटन पुलिस आई.डी.क्रमांक 9107(एस.एस)

भारत में बेहतर भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण वरिष्ठ नागरिकों की जीवन अवधि में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके कारण ऐसे नागरिकों की संखया एवं प्रतिद्गात दोनों में वृद्धि हुई है और भविष्य में निश्चित ही उनकी आबादी और अधिक बढ़ेगी । बड़े द्गाहरों में बुजुर्ग प्रायः अकेले रहते हैं, जिसके कारण इनके अपराधियों का सहज निशाना होने की सम्भावना रहती है । वरिष्ठ नागरिकों में सेवानिवृत्त लागों की संख्या काफी अधिक है । प्रस्तावित योजना के माध्यम से प्रत्येक पुलिस बीट अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से सतत् सम्पर्क में रहकर, उनकी पूरी जानकारी अपने पास रखेगा तथा उनके अनुभव एवं ज्ञान का उपयोग अपराधों की रोकथाम जैसे - नेबरहुड वॉच स्कीम (पड़ोस पर निगाह) जैसे कार्यक्रमों के द्वारा करेगा ।

जघन्य अपराध जैसे- हत्या का प्रयास, डकैती, दंगा इत्यादि से पीड़ित व्यक्तियों के लिये वर्तमान में कोई संस्थागत सहायता उपलब्ध नहीं है। ऐसे पीड़ितों को आर्थिक सहायता

के साथ-साथ उनसे निरन्तर सम्पर्क बनाये रखकर मानसिक रूप से सबल प्रदान करने की आवद्नयकता है, जिसमें सामुदायिक पुलिसिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है । इस कार्य हेतु नगर एवं ग्राम रक्षा समितियों के सक्रिय सदस्यों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भी उपयोग किया जायेगा ।

अपराध पीड़ित व्यक्ति की सहायता,गवाहों की सुरक्षा एवं प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर विदेशी/

वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत योजना राशि रू. 0.05 लाख निर्धारित है। निर्धारित राशि से वर्ष 2015-16 में वृहद निर्माण एवं कार्यालय उपकरण पर व्यय किया जावेगा।

8.177.3 महिला/बाल पुलिसिंग अद्योसंरचना आई.डी.क्रमांक 10024(डी.एस) : महिला अपराध शाखा पुलिस मुखयालय से प्राप्त आकडों के अनुसार वर्ष- 2012 में महिलाओं के बिरुद्व 28.535 मामले घटित हुये है। इसी प्रकार बाल अधिकार संरक्षण कानून के अन्तर्गत गुमशुदा बालकों,बाल बंधुआ मजदूरी,बाल विवाह एवं बाल यौन शोषण आदि की रोकथाम के संबंध में बालमित्र योजना के सेमीनार व बैठके आयोजित की जा रही है, किन्तु वित्तीय व्यवस्था एवं बल संसाधनों के अभाव में जिला स्तरीय योजनाओं पर अपेक्षानुसार प्रभावी कार्यवाही नही हो पा रही है ।

वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू. 917.25 लाख, टीएसपी राशि में रू0 215.44 लाख तथा एससीएसपी राशि रू0 78.95 लाख कुल योजना राशि रू. 1211.64 लाख प्रावधानित की है। निर्धारित राशि से वर्ष 2015-16 में वृहद निर्माण एवं कार्यालय उपकरण पर व्यय किया जावेगा।

सामुदायिक पुलिसिंग आई.डी.क्रमांक 10025(डी.एस) :

8.177.4 .बडे शहरों एवं सवेंदनशीन स्थलों की सुरक्षा आई.डी.क्रमांक 4066(एस.एस)

भूमिकाः वर्तमान परिवेश में देश के विभिन्न प्रांतों में बड़ी तादाद में आतंकवादियों एवं जेहादियों एवं विघटनकारी तत्वों द्वारा बड़े शहरों को निशाना बनाकर संवेदनशील स्थानों, भीड-भाड़ वाले बाजारों में आई.ई.डी./बम विस्फोट की घटनाऐं कर आम जनता में भय, आतंक एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित किया जा रहा है, जिससे बड़ी मात्रा में जनधन का नुकसान होता है। ऐसी परिस्थितियों में उपरोक्त तत्वों की गतिविधियों पर सतत् निगरानी रखने के

लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि आधुनिक तकनीक पर आधारित एक इंटीग्रेटेड सिक्युरिटी सर्विलेंस सिस्टम प्रतिष्ठापित कराये जायें। इसी संदर्भ में विगत पंचवर्षीय योजनांतर्गत बड़े शहरों की सुरक्षा के अतंर्गत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर शहर में सिटी सर्विलेंस सिस्टम की प्रतिष्ठापना कराई जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा के अंतर्गत महाकाल मंदिर उज्जैन, मैहर मंदिर सतना, पीताम्बरा पीठ दतिया तथा ओंकारेश्वर मंदिर खण्डवा में सीसीटीवी सिस्टम की प्रतिष्ठापना कराई जा चुकी हैं। इस योजना से देश/प्रदेश के संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा की जाकर साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हो सकेगी।उपरोक्त दर्शाये अनुसार बड़े शहरों के लिए, जो सिटी सर्विलेंस सिस्टम प्रतिष्ठापित किए गए हैं, उनमें पूरे शहर को कव्हर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीमित बजट के अंतर्गत उक्त शहरों के मुखय-मुखय चौराहों पर ही कैमरे लगाये जा सके हैं। इन शहरों में प्रथम चरण में जो सर्विलेंस सिस्टम स्थापित किये गये हैं, उनके सकारात्मक परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय चरण में भोपाल एवं इंदौर शहर के शेष इलाकों में उक्त सिस्टम प्रतिष्ठापित किये जाने हेतु पुनः सम्मिलित किया गया है।

वार्षिक योजना 2012-13 की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां:- बड़े शहरों की सुरक्षा के अंतर्गत इंदौर शहर के संपूर्ण (शेष) इलाकों के लिए राशि रुपये 164.00 लाख तथा मध्यम शहरों की सुरक्षा के अन्तर्गत रतलाम शहर के लिएराशि रुपये 75.00 लाख एवं खण्डवा शहर के लिए राशि रुपये 50.00 लाख सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम तथा अन्य सुरक्षा उपकरण हेतु कुल रूपये 289.00 लाख की राशि प्रावधानित की गई थी।

वार्षिक योजना 2013-14 के लिए विभाग के लक्ष्य : बड़े शहरों की सुरक्षा के अंतर्गत भोपाल एवं इंदौर शहर के संपूर्ण (शेष) इलाकों के लिए सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम तथा अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित बजट प्रावधान अनुसार 2013-14 हेतु कुल रूपये 1000.00 लाख की राशि का प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

योजना वर्ष 2013-14	**राशि**
बड़े शहरों की सुरक्षा के अंतर्गत भोपाल शहर संपूर्ण (शेष) इलाकों के लिए	500.00 लाख
बड़े शहरों की सुरक्षा के अंतर्गत इंदौर शहर संपूर्ण (शेष) इलाकों के लिए	500.00 लाख
कुल योग	1000.00 लाख

8.177.5 बडे शहरो में यातायात प्रबंधन,आई.डी.क्रमांक 9108(एस.एस.)

वर्ष 2012-17 में हमारा मुखय रूप से लक्ष्य यह है कि आम आदमी एवं वाहनों के लिये सुगम यातायात उपलब्ध कराया जाना साथ ही दुर्घटना के प्रकरणें मे कमी लाना। इसके लिये हरसंभव दुर्घटना में घायल एवं मृतको के संबंध में त्वरीत कार्यवाही किया जाना, ट्रैफिक को टेक्नालॉजी से जोडकर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करना, यातायात में पदस्थ पुलिसकर्मियों का मनोबल उचित रहे, इसके लिये हरसंभव उपाय करना। यातायात के नियमों का उलंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही किया जाना । यातायात के विभिन्न पहुलुओं से अवगत करने हेतु यातायात जागृति/जनजागरण अभियान चलाया जाना। यातायात संबंधी उपकरणें का प्रबंध किया जाना। यातायात के योजना के लिये आवंटन मिले इसके लिये प्रयास किया जाना। यातायात संचालनालय को एक इकाई के रूप में विकसित करना जिसके पास साधन एवं अधिकारों से संपन हो। शमन शुल्क के अंतर्गत जहां एक तरफ यातायात नियमों का उलंघन करने वाले के खिलाफ कार्यवाही कर ज्यादा से ज्यादा शमन शुल्क एकत्रित करना एवं दूसरी तरफ जो प्रावधान लचीला है उनको कठोर बनाना। मध्यप्रदेश की जनसंखया एवं वाहनों की संख्या के अनुपात में ट्रैफिक पुलिस के अधिकरियों एवं पुलिस कर्मियों में वृध्दि किया जाना। ट्रैफिक वार्डन को आधिकारिक रूप से गठित किया जाना जिन्हें कम से कम नगर एंव ग्ारम रक्षा समिति को मिलने वाली सुविधाएं दिया जाये। ज्यादा से ज्यादा एनजीओ एवं अन्य संस्था जैसे एनसीसी, एनएसएस एवं स्काउट आदि को ट्रैफिक पुलिस से जोड़ना।

8.178 भविष्य की योजना एवं प्रस्ताव : यातायात में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक एवं जिला पुलिस बल में पदस्थ उप निरीक्षक एवं निरीक्षकों को समन शुल्क वसूल किये जाने का अधिकार प्रदाय किये जाने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया हैं । यातायात में पदस्थ बल को वेतन का 50 प्रतिशत भत्ता दिये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है । प्रदेश के लिये पृथक से यातायात संचालनालय के गठन के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। ट्राफिक वार्डन को वर्दी तथा खाना/नाश्ता दिये जाने के संबंध मे प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है। वाहन चालन के समय मोबाईल पर बात करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध प्रसमन शुल्क राशि 1500/-रूपये किये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया हैं प्रदेश में वर्तमान में कुल-09 जिलों में यातायात थाना हेतु भवन उपलब्ध है शेष-41 जिलो में यातायात थाने हेतु भवन बनाया जाना प्रस्तावित हैं । प्रत्येक जिले में एक यातायात पार्क भी बनाये जाने हेतु निर्देश इकाईयों को दिया गया हैं । मध्य प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की वर्ष-2007 में सम्पन्न चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार हाईवे पेट्रोलिंग स्कीम के तहत 80 हाईवे चैकपोस्ट स्थापित किये जाने संबंधी स्वीकृति प्रस्ताव, तथा यातायात में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियो के लिये कार्यालय/आवास का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित हैं । 12वीं पंचवर्षीय

2012-17 के 05 बड़े शहरो (भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन) में यातायात प्रबंधन हेतु कार्य योजना एवं शेष-45 जिलों में यातायात प्रबंधन हेतु कार्ययोजना प्रस्तावित की गई हैं । मध्य प्रदेश के समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को माह में एक बार यातायात सड़क सुरक्षा की बैठक आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं

8.179 निर्धारित महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा Main Trust : यातायात प्रबंधन एवं संसाधन स्थापित करने पर बढ़ती हुई जनसंखया वाहनों की संखया, शहरों की औद्योगिकीकरण के चलते वर्तमान समय में वाहन/सड़क दुर्धटनाओं का गढता ग्राफ प्रदेश की उन्नति में बाधक बनता जा रहा हैं । यातायात अव्यवस्था विकराल रूप धारण करते जा रही है एवं घ्वनि तथा वायु प्रदूषण से जनसाधारण से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडता है, जमीनी चालानी कार्यवाही से भ्रष्टचार बढ़ रहा हैं,समय भी अधिक लगता है । राजस्व की वसूली भी सही ढ़ग से नहीं हो पाती है । यातायात को सुचारू एवं नियंत्रित करने एवं प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करने जनसाधारण के समय की बचत व स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु 05 बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन एवं संसाधन स्थापित करने के लिये यातायात व्यवस्था का सुदृढीकरण किया जाना आवश्यक हैं । प्रदेश के 05 बड़े शहरों में यातायात व्यवस्थित एवं जनजागरण हेतु निम्नानुसार योजना है ।

क्रमांक	शहर	प्रस्तावित राशि (लाखों में)
1	भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन	8060.00

वार्षिक योजना 2014-15 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू. 11268.00 लाख, कुल योजना राशि रू. 11268.00 लाख प्रावधानित की है।

8.180 राजमार्गो की सुरक्षा/संरक्षा आई.डी.क्रमांक 9109 (एस.एस.) : माननीय मुखयमंत्री,मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार एवं मध्य प्रदेश राज्य सडक सुरक्षा परिषद् की चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य के महत्वपूर्ण राजकीय मार्गो पर हाईवे सुरक्षा परिषद के पत्र क्र0 पुमु/अमनि/पीटीआरआई/सेल/677/2007 दि0 22.1.07 राज्य में 80 हाईवे सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र प्रदेश के विभिन्न जिलो के राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य के महत्वपूर्ण राजकीय मार्गो पर बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका उददेश्य सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता हाईवे पर राहजनी, लूट,डकैती आदि की वारदातो की रोकथाम, नाकाबंदी किया जाना है। साथ ही साथ हाईवे पर पुलिस की उपस्थिति बढाना व इसके फलस्वरूप जनता में पुलिस के प्रति विश्वास एकत्र करना है।

प्रत्येक हाईवे सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र पर जिले व राज्य का रोडमेप विभिन्न रास्तो की जानकारी नजदीकी शहर के अस्पतालो थानो प्रमुख शिक्षण संस्थान उधोग एवं होटल आदि ऐसी समस्त जानकारिया जो हाईवे यात्रा करने वाले यात्री को आवश्यकता हो सकती है रखा जाना प्रमुख उददेश्य है । वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत योजना राशि रूपये 1416.93 लाख़ (सामान्य) योजना सीमा निर्धारित है। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 हेतु कुल 34 हाइवे सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र हेतु कुल राशि 20,94,60,400/- रू0 का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

8.181 पुलिस गश्त वाहन (पेट्रोलिंग) आई.डी.क्रमांक 9110(एस.एस.) : सड़क दुर्धटनाओं की रोकथाम, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता, हाईवे पर राहजनी,लूट,डकैती आदि की वारदातो की रोकथाम, नाकाबंदी किया जाना है, साथ ही साथ हाईवे पर राहजनी,लूट,डकैती आदि की वारदातों की रोकथाम,नाकाबंदी किया जाना है,साथ ही साथ हाइचें पर पुलिस की उपस्थिति बढना व इसके फलस्वरुप जनता के प्रति विश्वास एकत्र करना है । प्रत्येक हाइवे सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र पर जिले एवं राज्य का रोडमेप,विभिन्न रास्तों की जानकारी नजदीकी शहर के अस्पतालों,थानों प्रमुख शिक्षण संस्थान उद्यौग एवं होटल आदि ऐसी समस्त जानकारियां जो हाइवे यात्रा करने वाले यात्री को आवश्यकता हो सकती है,रखा जाना प्रमुख उद्देश्य है।

हाइवे पर पुलिस के वाहन एवं हाइवे सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र दिखने से विशेष तौर पर रात्रि के समय,लोगों में सुरक्षा की भावना बढेगी इस योजना का उपयोग पुलिस एवं आम जनता में दुरी कम करने में भी सहयोगी होगा। प्रदेश को पुलिस पेट्रोलिंग व्हीकल की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सडक उपभोक्ताओं के घनत्व के अनुपात में तीन भागों में विभाजित किया गया हैः-

(अ) श्रेणीः- इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर।

(ब) श्रेणीः रीवा, होशंगाबाद, बालाघाट, शहडोल, चम्बल, देवास, छतरपुर, छिन्दवाडा, गुना, खण्डवा, मंदसौर एवं मुरैना ।

(स) श्रेणीः रतलाम, घार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, बडवानी, नीमच, शाजापुर, राजगढ, सीहोर, विदिशा, बैतूल, हरदा, रायसेन, भिण्ड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर, डिण्डोरी, मंण्डला, सीधी, सिंगरौली, सतना, कटनी, नरसिहंपुर, सिवनी, उमरिया, अनूपपुर, दमोह, पन्ना एवं टीकमगढ।

वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू. 0.01 लाख, कुल योजना राशि रू. 0.01 लाख प्रावधानित की है।

8.182 जिलो में यातायात पुलिसिंग : म.प्र. देश का हृदय स्थल है। अपने ऐतिहासिक, कृषि,व्यवसायिक, शैक्षणिक धार्मिक तथा राजनैतिक स्वरूप में विकासशील प्रदेश है। वर्तमान में यातायात की अव्यवस्थायें निरंतर विकराल रूप धारण ध्वनि और वायु प्रदूषण से जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही प्रदेश के राजस्व की हानि भी हो रही है। शहरों में यातायात प्रबंधन एवं आधुनिक संसाधन स्थापित करने पर यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। इस हेतु प्रदेश के जिलों में यातायात व्यवस्था का सुदृढीकरण किया जाना आवश्यक है। इस योजना से यातायात के नियमो का उल्लंघन करने वालो मे कमी आयेगी,साथ मे यातायात नियमो के पालन के प्रति आम जनता मे जागरूकता भी उत्पन्न होगी।

इस योजना का मुखय उद्वेश्य प्रदेश के जिलो मे यातायात प्रबंधन किया जाना है। प्रदेश की बढती हुई जनसंखया एंव वाहनो की बढती हुई संख्या के कारण निरंतर सडक दुर्घटनाओ मे वृध्दि हो रही है । सडक दुर्घटनाओ मे मरने वालो मे युवा पीढी की संख्या अधिक है । युवा पीढी की सडक दुर्घटनाओ मे बढती हुई मृत्यु दर के कारण मृतक परिवार एंव देश दोनो को ही अपूर्णीय क्षति हो रही है । यातायात प्रबंधन एंव संसाधन स्थापित किये जाने पर निश्चित ही आम जनता मे यातायात नियमो का प्रचार प्रसार होगा जिससे सडक दुर्घटनाओ मे कमी आयेगी एंव सडक दुर्घटनाओ मे हो रही मृत्यु दर मे निश्चित ही कमी आयेगी। अव्यवस्थित यातायात से बढ रहा ध्वनि एंव वायु प्रदूषण भी नियंत्रित होगा।

वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू. 1285.72.47 लाख, टीएसपी राशि में रू 257.04 लाख तथा एस.सी.एस.पी राशि रू0 72.44 लाख कुल योजना राशि रू. 1615.20 लाख प्रावधानित की है।

8.183 सायबर अपराध अन्वेषण योजन आई.डी.क्रमांक 4065 (एस.एस.) : विश्व में सूचना प्रौघोगिकी के तेजी से विकास के साथ साथ कम्प्यूटर तथा सूचना तंत्रों पर आधारित घटित किए जाने वाले अपराधों की संखया में भी इजाफा हुआ है इन अपराधो से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 तथा संशोधन वर्ष 2008 लागू किया जा चुका है । सायबर अपराधों से संबंधित सिविल प्रकरण हेतु Adjudicating officer की नियुक्ति की गयी है । सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के तहत Controller of Certifying Authorites को स्थापित किया गया हे जो ई कामर्स के सफल क्रियान्वयन हेतु डिजिटल हस्ताक्षर जारी किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी है । भारत सरकार द्वारा Computer Emergency Response Team India को स्थापित किया गया है जो शासन एवं जन सामान्य को आने वाले सायबर आक्रमण एवं इनसे बचाव तथा सुरक्षा हेतु समय समय पर आवश्यक सुझाव जारी करते है जिससे सायबर जगत में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढी है। 04 जुलाई

2012 को राज्य सायबर पुलिस अंतर्गत सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराध पुलिस थाना का गठन किया गया है, जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है । वर्तमान में राज्य सायबर पुलिस थाना/कार्यालय के सभी न्यायालय संबंधी कार्य सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराध पुलिस थाना के माध्यम से संपन्न कराये जा रहे है।

वार्षिक योजना 2012-13 की माह नवंबर 12 तक की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां : राज्य सायबर पुलिस को वित्तीय वर्ष 2012-13 में 0101 राज्य आयोजना 5554 सायबर अपराध अन्वेषण अंतर्गत विभिन्न मदों में राशि रू.350.00 लाख (तीन सौ पचास लाख) का प्रावधान किया गया था , जिसके अंतर्गत 22-003, कार्यालय फर्निचर उपकरण मद में राशि रू.1000.00 (एक हजार रू.), 32-00 लघु निर्माण कार्य मद में राशि रू. 250.00 लाख (दो सौ पचास लाख) , 23-002 वाहनों का क्रय/प्रतिस्थापन में राशि रू. 25.00लाख (पच्चीस लाख) 22-013 कार्यालय उपकरणों का क्रय में राशि रू. 35.00 लाख (पैंतीस लाख) एवं 64-002 मद्राीन उपकरण मद में राशि रू. 40.00 लाख (चालीस लाख) का प्रावधान चार किश्तों में किया गया था । जिसमें से 32-00 लघुनिर्माण कार्य मद में राशि रू. 175.00 लाख (एक सौ पचहत्तर लाख) का आवंटन हुआ था जिसमें से राशि रू. 100.00 लाख (सौ लाख) का उपयोग किया जा चुका है शेष राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष की चतुर्थ तिमाही में राज्य सायबर पुलिस को होने पर शेष राशि का उपयोग किया जा सकेगा

अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में संदर्भित सेक्टर का अपेक्षित विकास का स्तर :-

वर्तमान में मध्यप्रदेश में बढते सायबर अपराधों की घटना को देखते हुए पुलिस विभाग में राज्य सायबर पुलिस शाखा तथा सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराध थाने का गठन किया गया है, जिसमें सायबर स्पेस, कम्प्यूटर और इलेक्ट्रनिक गजेट्स एवं संबंधित उपकरण, उच्च तकनीकी अपराध, कॉपी राईट, बौद्विक सम्पदा अधिकार से संबंधित मामले तथा अपराध जिसमें सूचना-संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है एवं अन्य विधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया जाना है प्रदेश के अन्य जिलों के पुलिस इकाइयों द्वारा सायबर संबधी अपराधों की विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान अथवा जिलों में घटित सायबर अपराधों संबंधित मामलों को हस्तगत करना है ।अन्य प्रदेशों के साथ साथ मध्यप्रदेश में भी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अपराधों की संख्या में इजाफा हुआ है। भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध सायबर अपराधों की संख्या में संख्या 2006 एवं वर्ष 2007 में मध्यप्रदेश का स्थान प्रथम था। राज्य सायबर पुलिस पु.म. को उक्त द्विाकायतें ई-मेल आईडी हैकिंग, इंटरनेट बैंकिंग फ्राड, जाब फ्राड, अश्लील फेसबुक/आरकुट प्रोफाईल, मानहानि, अद्वलील एसएमएस एवं मोबाईल चोरी, सिविल/पारिवारिक डिसपुट, डिफेमिगं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई। तथा हत्या,

चोरी, लूट, अपहरण, बलात्कार, गुमशुदा तथा अन्य मामलों में प्रदेश के विभिन्न थानो को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है इसके अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रीय संस्थाओं जैसे CBI WILD, LIFE ENFORCEMENT BUREAU, तथा अन्य प्रदेश के पुलिस बलों से समन्वय तथा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा तकनीकी रूप से सक्षम समस्त संसाधनों के साथ जोनल/रेंज स्तर पर राज्य सायबर पुलिस के कार्यालय की स्थापना करने से इस प्रकार के अपराधों में त्वरित रूप से प्रभावी रोक लगेगी।

1- वार्षिक योजना 2014-15 के लिए विभाग :- (राज्य सायबर पुलिस, के लक्ष्य एवं उदेश्य):-

2- प्रदेश स्तर में घटित होने वाले समस्त सायबर अपराधों की जानकारी एवं प्राप्त आसूचना का विश्लेषण करना।

3- समस्त बैंक/गैरबैंकिंग वित्तीय संस्थान एवं इंटरनेट/मोबाईल सर्विस प्रोवाईडर से सतत् संपर्क बनाये रखना एवं घटित होने वाले धोखाधडी संबंधित घटनाओं का संकलन आसूचना तैयार करना।

4- सायबर बेबसाईट पर पोर्टल तैयार कर जन सामान्य से सूचना प्राप्त करना तथा उपरोक्त आधार पर आसूचना तैयार करना

5- सूचना तकनीकी आधारित समस्त अपराध तथा वे अपराध जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हुआ है को पंजीबद्ध करना, शिकायत की जांच करना तथा पंजीबद्ध अपराधों की विवेचना करना।

6- प्रदेश के अन्य जिलों के पुलिस इकाईयों द्वारा सायबर संबंधी अपराधों की विवेचना के दौरान आने वाली समस्या अथवा जिलों में घटित सायबर अपराधों संबंधी मामलों को हस्तगत करना।

7- सायबर अपराध की विवेचना के दौरान जो भी डिजिटल साक्ष्य एकत्रित होते हैं उनकी जप्ती से कोर्ट में प्रस्तुति तक फोरेंसिक मापदण्ड के अनुसार जब्त साक्ष्यों का विश्लेषण करना एवं डिजिटल साक्ष्यों की यथास्थिति बनाये रखना।

8- सायबर अपराधों के क्रियान्वयन के दौरान जिन तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है उन तकनीकी उपकरणों की जप्ती करना तथा विवेचना संबंधी कार्य से विवेचक को प्रशिक्षित करना।

9- नेसकाम के सहयोग से गठित की जाने वाली सायबर लैब विवेचना अधिकारियों को सायबर अपराधों की विवेचना के संबंध में समय-समय पर प्रशिक्षित करना।

10- एल.ओ.सी. जारी करवान

11- एल.आर. जारी करवाना।

12- प्रासिक्युशन कार्य

13- सायबर टेरोरिज्म एवं सायबर अपराध।

14- आनलाईन मनीलॉड्रिंग

15- विभिन्न प्रकार के क्राईम का विद्वलेषण करना जिसमें भारतीय दण्ड विधान से संबंधित गंभीर अपराध व सायबर एवं हाईटेक क्राईम सम्मिलित हैं।

16- सायबर स्पेस, कम्प्यूटर और इलेक्ट्रानिक गजेट्स एवं संबंधित उपकरण, उच्च तकनीकी अपराध, कापी राईट, बौद्धिक सम्पदा अधिकारी से संबंधित मामले तथा अपराध जिसमें सूचना-संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है।

17- सायबर/इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों का सायबर फारेंसिक द्वारा प्रिपरेद्रान व विद्वलेषण करना।

18- ऑनलाईन ईमेल, बैंकिग ट्रांजेक्द्रान एवं कॉल्स की मानिटरिंग करना।

19- गेटवे मानिटरिगं एवं सायबर असूचना संकलन करना।

20- स्टेगनोग्राफी एनालिसिस करना :

8.184 राज्य सायबर पुलिस की समस्याएं एवं प्राथमिकताएं :- प्रदेश में बढ़ते सायबर अपराधों पर अपराधों के प्रभावी नियंत्रण व विवेचना कार्य हेतु पुलिस मुखयालय में अपराध अनुसंधान विभाग (सी.आई.डी.) अंतर्गत राज्य सायबर पुलिस तथा सायबर एवं उच्च तकनीकी थाने का गठन किया गया है । सायबर शाखा में पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं से स्टाफ को संबद्ध कर शाखा को कार्य संचालित किया जा रहा है । राज्य साबयर पुलिस में वर्तमान तक आहरण संवितरण अधिकारी एवं अनुसचिवीय बल की स्थापना न होने से आयोजना एवं अन्य बजट अंतर्गत प्राप्त राशि सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी विकास के साथ ही सायबर स्टाफ के तकनीकी अनुसार प्रद्विाक्षित न होने से विभिन्न क्षेत्रों में अपराधों के नियंत्रण रोकथाम में असुविधा हो रही है । विद्वोषीकृत आधुनिक संसाधनों की कमी से भी अपराधियों पर पकड़ बनाने में अत्यधिक समय लग रहा है । प्रदेश में एक मात्र थाना होने व कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेद्रा होने से अत्यधिक कार्य का दबाव बना हुआ है । वर्तमान मे मध्यप्रदेश में पुलिस मे तकनीकी रूप से सक्षम पुलिस बल एवं विशेषीकृत अन्वेषण संस्था उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण कम्प्यूटर और इलेक्ट्रनिक गेजेट्स एवं संबंधित उपकरण, उच्च तकनीकी अपराध, कापी राईट, बौध्दिक सम्पदा अधिकार से संबंधित मामले तथा अपराध जिसमें सूचना-संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है कि सफल विवेचना नहीं हो पाती है जिससे आमजन विशेषकर महिलाएं तथा बच्चे, बैंक/ शासकीय वित्तीय संस्थाएं प्रभावित होती हैं। वर्तमान में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा इस प्रकार के अपराधों से बचाव हेतु जागरूक किया जा रहा है, किन्तु यह यह प्रयास अपर्याप्त है एवं अपराध धटित होने की दशा में पुलिस ही एकमात्र विकल्प है।

8.185 राज्य सायबर पुलिस की गतिविधियां/कार्यक्रम एवं वर्तमान स्थिति : राज्य सायबर पुलिस द्वारा सायबर पुलिस का वेव पोर्टल स्थापित कर उसके माध्यम से आमजन को सायबर अपराधों के प्रति जागरूक लगातार किया जा रहा है तथा विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों

स्तर पर तथा विभिन्न कार्यालयों जागरूकता सत्र का आयोजन राज्य सायबर पुलिस द्वारा किया जा रहा है । पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं के विसबल/जेल /होमगार्ड /रेल/विद्रोष शाखा कार्यपालिक बल को सायबर क्राइम एवं इन्वेटीगेशन करने में सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्य संचालित किया जा रहा है ।

भविष्य की योजनाएं एवं प्रस्ताव : राज्य सायबर पुलिस को 12 वीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य आयोजना सायबर अपराध अन्वेषण अंतर्गत राशि रू. 370.00 लाख (तीन सौ सत्तर लाख) का आवंटन प्रस्तावित है उपरोक्त राशि से सायबर पुलिस के जोनल कार्यालय ग्वालियर का निर्माण व आधारभूत संरचना विकास का कार्य किया जाना प्रस्तावित है उपरोक्त प्रस्तावित आवंटित बजट में ग्वालियर जोनल कार्यालय का कार्यालय भवन के निर्माण कार्य के साथ कार्यालय हेतु आवश्यक फर्नीचर , वाहन व सायबर फोरेसिंक हार्डवेयर /साफटवेयर सह सामग्री का क्रय किया जाना है।

8.186 निर्धारित महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भोतिक लक्ष्य तथा Main Thrust : राज्य सायबर पुलिस के जोनल कार्यालय ग्वालियर के लिए 25 एकड़ भूमि का का आवंटन प्राप्त हो चुका है । वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू. 350.00 लाख, प्रावधानित की है। निर्धारित राशि से जोनल कार्यालय इंदौर एवं जबलपुर के निर्माण कार्य तथा जोनल कार्यालय एवं राज्य सायबर मुखयालय के लिए वाहन/ उपकरण/टैंक्नीकल डिवाइस के लिए व्यय की जायेगी।

8.187 जिलो में पुलिस कन्ट्रोल रूम की अधोसंरचना आई.डी.क्रमांक 10028(डी.एस.) : आपातकाल/आपता की स्थिति में त्वरित कार्यवाही किये जाने की दृष्टि से जिला मुखयालय/अनुविभागीय मुख्यालय पर पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने एवं जिलों मे मौजूदा पुलिस कंट्रोल रूम जो जीर्ण -शीर्ण अवस्था में होने के कारण उनका उन्नयन के साथ-साथ नवीन तकनीकी से लैस कंट्रोल रूम की नितांत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये राज्य योजना आयोग द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण अनुसार जिला योजना वर्ष 2015-16 से विकेन्द्रीकृत योजनाओं के तहत प्रदेश की वार्षिक योजना 2015-16 के अंतर्गत निर्धारित थीम सायबर एवं उच्च तकनीकी पर आधारित पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत जिलों में पुलिस कंट्रोल रूम की अधोसंरचना के लिये वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू. 1230.12 लाख, टीएसपी राशि में रू 145.83 लाख तथा एस.सी.एस.पी राशि रू0 150.01 लाख कुल योजना राशि रू. 1525.96 लाख प्रावधानित की है। प्रावधानित राशि से प्रत्येक जिले में मिनी कंट्रोल रूम के निमार्ण के साथ-साथ जिलों में मौजूद कंट्रोल रूम की साज-सज्जा पर व्यय की जायेगी।

8.188 नारकोटिक्स शाखा का पुनर्गठनः- आई.डी.क्रमांक 9112 (डी.एस.) : प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं, जो नदियो से प्रभावित होने के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी जुड़ी होने के कारण

अवैद्य शराब का परिवहन के अतिरिक्त भी असामाजिक तत्वों का आवागमन होने की दृष्टि से आपातकाल /आपता की स्थिति में त्वरित कार्यवाही किये जाने की दृष्टि से जिला मुखयालय/अनुविभागीय मुखयालय पर पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने से ऐसे क्षेत्रों में गश्ती के लिये डीजल मोटर बोर्ड एवं मोटर बोर्ड चलाने हेतु मोटर बोर्ड पर दो-दो आरक्षक (नाविक) की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षक द्वारा राज्य योजना आयोग द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार जिला योजना वर्ष 2014-15 से विकेन्द्रीकृत योजनाओं के तहत प्रदेश की वार्षिक योजना 2014-15 के अंतर्गत निर्धारित थीम संगठित, अपराध तथा जघन्य मामले, वामपंथी /साम्प्रदायिक गतिविधियां, मादक पदार्थों का दुर्व्यवहार एवं वन्य जीव अपराध तथा कानून व्यवस्था के अंतर्गत प्रभावित जिलों में विशेष नदी गश्ती दल की स्थापना के लिये वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू. 827.86 लाख, टीएसपी राशि में रू 250.12 लाख तथा एस.सी.एस.पी राशि रू0 152.02 लाख कुल योजना राशि रू. 1305.00 लाख प्रावधानित की है। प्रावधानित राशि से नदी प्रभावित जिलों में डीजल मोटर बोर्ड एवं आरक्षक नाविक की क्रय एवं भर्ती पर व्यय की जायेगी।

8.189 पुलिस आई सी टी (रेडियो टेकिंग सिस्टम) आई.डी.क्रमांक 9114(एस.एस.) : पुलिस विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाएँ वहुत अधिक है। वर्तमान में सूचना प्रसंस्करण इत्यादि में दोहरा उद्यम तथा अधिक समय लगता है। इस योजना का उद्धेश्य पुलिस के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विषयो पर अधिक सुविधा प्रदान करना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण को वेहतर बनाना एवं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

8.190 ऑटोमेटिक स्वचलित अंगुल चिन्ह व्यवस्था आई.डी.क्रमांक 9115 (एस.एस.) : एफिस केन्द्रीय सर्वर राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुखयालय भोपाल में प्रतिष्ठापित है। म.प्र के 48 जिलो तथा 3 रेल्वे इकाईयों में एफिस रिमोट क्वेरी वर्क स्टेद्गान स्थापित है। प्रत्येक रिमोट क्वेरी स्टेद्गान भोपाल में स्थापित एफिस केन्द्रीय सर्वर से एयरटेल लाईन तथा राउटर के माध्यम से जुडा है। प्रत्येक रिमोट क्वेरी स्टेद्गान पर उस जिले तथा केन्द्रीय सर्वर पर समस्त जिलो का फिंगर प्रिन्ट रिकार्ड उपलब्ध होता है। समस्त एफिस रिमोट क्वेरी वर्कस्टेद्गान एफिस केन्द्रीय सर्वर से डायल-अप कनेक्द्गान के माध्यम से जुडे है। वर्तमान में एफिस केन्द्रीय सर्वर हार्डवेयर समस्या आने के कारण विगत मई 2011 से पूर्णतः बन्द है तथा एफिस रिमोट स्टेद्गान एकांकी (ैजंदक ंसवदमद्ध रूप में कार्य कर रहे है।

प्रस्तावित एफिस के जनता एवं पुलिस को लाभः- अपराधो की रोकथाम तथा अपराधियो की पतारसी में अत्यन्त मददगार। अंतर्राज्यीय तथा अंतराष्ट्रीय अपराधियो की त्वरित पहचान होने

से राज्य में संभावित घटनाओ की रोकथाम की जा सकेगी। मोबाईल एफिस की स्थापना से घटनास्थल पर ही अपराधियों की त्वरित पहचान स्थापित की जा सकेगी। पुलिस तथा अन्य सरकारी संस्थाओं में भर्ती पूर्व उम्मीद्वारो के फिंगर प्रिन्ट की जॉच डाटाबेस में कर अवांछित तथा अपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारो को रोका जा सकेगा। पासपोर्ट, आर्म्स तथा ड्रायविंग लायसेन्स आदि प्रदान करने के पूर्व उपलब्ध डाटा में सर्च कर अवांछित तथा आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को रोका जा सकेगा। सुरक्षा सर्विस प्रदान करने वाली एजेन्सी द्वारा सार्वजानिक/प्रायवेट संस्थाओ/कालोनी में सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षाकर्मियो का फिंगर प्रिन्ट वेरीकिकेद्वान किया जा सकेगा। घरेलू नौकरो को कार्य पर रखने के पूर्व में फिंगर प्रिन्ट वेरीकिकेद्वान किया जा सकेगा।

एफिस परियोजना की कुल लागत 16,09,88,000.00 (सोलह करोड नौ लाख अठायासी हजार रूपये) एफिस परियोजना में आवद्वयक उपकरण तथा सॉफ्टवेयर एक साथ क्रय किया जाना आवद्वयक है।

वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू. 1509.88 लाख, टीएसपी राशि में रू 0.00 लाख तथा एस.सी.एस.पी राशि रू0 0.00 लाख कुल योजना राशि रू. 1509.00 लाख प्रावधानित की है। प्रावधानित राशि से वर्ष 2015-16 में उपकरण तथा हार्डवेयर/साफ्टवेयर पर व्यय किया जावेगा।

8.191 विवेचना में सहायक संसाधन (एड्स टू इंवेस्टीगेशन) आई.डी.क्रमांक 9116(एस.एस.)
भूमिकाः-

बढते आधुनिक अपराधों को एवं भविष्य की संभावनाओं से निपटने हेतु यह आवद्वयक है कि अनुसंधान का स्तर भी उस द्विाखर तक ले जाया जावे, जिससे इन अपराधों से समुचित तरीके से निपटा जाकर आरोपी को सजा होना सुनिद्विचत किया जा सके। इसके लिये अपराध अन्वेषण से जुडी सहायक एजेंसियों का सुदृढिकरण आवद्वयक है। इसी तारतम्य में अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत आने वाली अपराध अन्वेषण से जुडी एजेंसिंयो का विस्तार एवं इनको आधुनिक किया जाना प्रस्तावित है। विगत कई वर्षों से इन एजेंसियों के अपग्रेडेद्वान एवं बल में वृद्धि का कार्य नही हो सका है, जबकि तुलनात्मक रूप से अन्वेषण से जुडी अन्य इकाईयॉ सुदृढ हुई है, जिससे इन सहायक इकाईयों पर दबाव बढा है। आम जनता से जुडे आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु उक्त एजेंसियों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

8.192 विवेचना तथा जिलों में स्वचलित विधि विज्ञान सहायता आई.डी.क्रमांक 10029(डी.एस.) : भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय फोरेंसिक प्रयोग शालाओं में परीक्षण की

ये सभी उन्नत तकनीकें उपलब्ध हैं तथा इनका उपयोग कर शालाओं द्वारा न्यायालिक अभिमत दिये जाते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में मुखय फोरेंसिक प्रयोग शाला शागर में एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं ग्वालियर, इंदौर एवं भोपाल में कार्यरत हैं परन्तु प्रकरणों की लगातार बढ़ती संखया को देखते हुये एवं विभिन्न जिलों से दूरी के परीप्रेक्ष्य में नयी जिला स्तरीय स्वचालित विधि विज्ञान स्थापित किया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। इस संदर्भ में राज्य योजना आयोग द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार जिला योजना वर्ष 2014-15 से विकेन्द्रीकृत योजनाओं के तहत प्रदेश की वार्षिक योजना 2014-15के अंतर्गत निर्धारित थीम विवेचना में सहायक संशाधन एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग के तहत जिलों में विवेचना तथा जिलों में स्वचलित विधि विज्ञान सहायता के साथ-साथ बढते आधुनिक अपराधों को एवं भविष्य की संभावनाओं से निपटने हेतु ये आवश्यक है की अनुसंधान का स्तर भी उस शिखर तक ले जाया जावे जिससे इन अपराधों से समुचित तरीके से निपटा जाकर आरोपी को सजा होना सुनिश्चित किया जा सके।

विवेचना तथा जिलों में स्वचालित विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किये जाने के लिए वार्षिक योजना 2015-16 के अंतर्गत सामान्य में योजना राशि रू 735.61 लाख,टी.एस.पी. में राशि 96.03 लाख,तथा एस.सी.एस.पी में राशि रु0 66.41 लाख कुल योजना सीमा राशि रु0 898.05लाख निर्धारित की गई है निर्धारित राशि से जिलों में प्रयोगशाला भवन का निर्माण एवं उन्नत उपकरणों के क्रय किये जाने का लक्ष्य है।

8.193 समेकित पुलिस प्रशिक्षण कांम्पलेक्स का निर्माण आई.डी.क्रमांक 4067(एस.एस.) : मध्यप्रदेश पुलिस के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण में एकरुपता लाने के उद्देश्य से एक ही स्थान पर समस्त रैंकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने एवं मानव तथा भौतिक संसाधनों का सही उपयोग करने के उद्देश्य से ग्राम भौंरी, जिला भोपाल में एक कम्पोजिट पुलिस टेनिंग सेंटर भौंरी की स्थापना की जा रही हे । ग्लोबलाईजेशन सूचना प्रौद्योगिकी, विकास, सायबर अपराध उग्रवादी एवं नक्सलवादी गतिविधियों तथा अपराधों के तरीकों में परिवर्तन के मद्दे नजर पुलिस विभाग में दिये जाने वाले बुनियादी प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षणों में कुशल नेतृत्व, जनता से अच्छा व्यवहार एवं विषम परिस्थितियों में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

8.194 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पुलिस प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन आई.डी.क्रमांक 7110 (एस.एस.) : 13 वे वित्त आयोग के अन्तर्गत 5 पुलिस प्रशिक्षण शालाओं के उन्नयन एवं एक नवीन प्रशिक्षण शाला की स्थापना हेतु 180.00 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की गई है । इस राशि के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु नवीन भवनों के निर्माण के साथ-साथ पुराने भवनों के अपग्रेडेशन/रेनोवेशन किये जाने की कार्ययोजना बनाई गई है। प्रदेश में नव आरक्षक (जिला पुलिस बल) बुनियादी प्रशिक्षण के लिये पॉच प्रशिक्षण शालाऐं

इन्दौर, तिगरा, रीवा, उमरिया एवं पचमढी में स्वीकृत हैं, जिनकी वर्तमान प्रशिक्षण क्षमता 250 प्रत्येक शालाऐं हैं । प्रदेश के पुलिस बल में प्रतिवर्ष सेवानिवृत्ति/बलवृद्धि के फलस्वरूप लगभग 3000 अतिरिक्त नव आरक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है । वर्तमान में इन प्रशिक्षण शालाओं में उनकी क्षमता से दो गुने से भी अधिक 3286 नव आरक्षक प्रशिक्षणरत है इतनी बडी संखया में इन प्रशिक्षण शालाओं मे प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्णियों को प्रशिक्षण देने के लिये उपलब्ध प्रशिक्षकों को क्षमता से अधिक कार्य करने के साथ ही अतिरिक्त अतिथि व्याखयाताओं/प्रशिक्षको को बडी संखया में आमंत्रित करना पड रहा है । प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन होने पर उक्त संमस्याओं का समाधान सम्भव हो सकेगा। मध्यप्रदेश पुलिस 05 प्रशिक्षण शालाऐं क्रमशः इन्दौर,पचमढी,तिगरा,रीवा एवं उमरिया की क्षमता कुल 1500 प्रशिक्षार्थी की है, जो म0प्र0पुलिस बल की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है । वर्तमान परिवेश में पुलिस की बढती जिम्मेदारी जैसे कानून-व्यवस्था ,मानव कार्य एवं प्राकृतिक आपदा/विपदा,लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण,नक्सवाद,एवं आतंकवादी गतिविधियों तथा संचार क्रांति के दौर मे समाज को पुलिस संगठन से काफी अपेक्षायें है । भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा शासकीय क्षेत्र में उपलब्ध मानव संसाधन के विकास हेतु वर्ष 1996 में राष्ट्रिय प्रशिक्षण नीति का निर्माण किया गया है । प्रशिक्षण नीति के अनुरूप पुलिस की विभिन्न शाखाओं द्वारा दिये जा रहे मूलभूत प्रशिक्षणों के अलावा व्यावसायिक दक्षता बनाये रखने के लिये समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाना नितान्त आवश्यक है ।

8.195 विशेष सशस्त्र बल तथा अन्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का पुर्नगठन आई.डी.क्रमांक 8106(एस.एस.)

भूमिकाः- यह योजना राज्य सरकार के अन्तर्गत म0प्र0 पुलिस के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कार्यरत बल के प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक सुदृढ तथा सुविधायुक्त बनाने हेतु प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत बैण्ड प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा राज्य स्तरीय परेड, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, फालो गार्ड आदि महत्वपूर्ण उपलक्ष्यों परं समय-समय पर बैण्ड पार्टी का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी बैण्ड पार्टी भाग लेकर राज्य को गौरवान्वित करती हैं। वि0स0बल के प्रशिक्षण संस्थानों में कर्मचारी/अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के सीनियर कोर्स एवं तकनीकी/गैर तकनीकी कोर्स कराये जाकर अलग-अलग प्रकार की डियूटियो पर तैनात किया जाता है। अतः उक्त प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक एवं सर्वसुविधा युक्त बनाये जाने के तारतम्य में यह योजना प्रस्तावित है।

8.196 वार्षिक योजना 2014-15 के लिए विभाग के लक्ष्य एवं उददेश्य :

1. विशेष सशस्त्र बल के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कर्मचारी/अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण एवं पारंपरिक गैर तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो विपरित परिस्थितियों के दौरान नियंत्रण बनाने में पूर्णतः सक्षम होने उपरान्त के भी तकनीकी के

अभाव में सफलतम् प्रतीत नहीं होता है । आधुनिक उपकरणों से लैस एवं तकनीकी कौशल के साथ-साथ व्यवसायिक दक्षता उच्चतम् करने उद्देश्य से प्रशिक्षु कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना नितांत आवश्यक है । ताकि सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों के द्वारा बेहतर कानून व्यवस्था डियूटी का संपादन किया जाकर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने में मुख्य योगदान दिया जा सके ।

2. विसबल प्रशिक्षण संस्थानों को तकनीकी कुशल बनाया जाकर इन संस्थानों में प्रशिक्षु विसबल के कर्मचारी/अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न जोखिम भरे कार्यों को भी तकनीक से सुगमता पूर्वक त्वरित रूप से संपादित किया जा सकता है, जिससे आम जनता में धन-जन की हानि की स्थिति निर्मित नहीं हो सके । इन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण उपरान्त विसबल कर्मियों के द्वारा साम्प्रदायिक दंगों, चुनाव डियूटी, उग्र आंदोलन, विरोध प्रदर्शन एवं जुलूस जैसी संवेदनशील स्थिति को भी उच्च कौशल के प्रशिक्षण के कारण नियंत्रित किये जाने में अधिक से अधिक सफलता अर्जित की जा सकती है ।

बैण्ड प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित पुलिस बैण्ड पाटियों के द्वारा समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया जा कर प्रदेश को गौरवान्वित किया गया है । बैण्ड पुलिस परेड का एक आवश्यक अंग है । बैण्ड प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा राज्य स्तरीय परेड समारोहों- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, फॉलो गार्ड आदि महत्वपूर्ण उपलक्ष्यों पर महत्वपूर्ण योगदान होता है । अतः विसबल के प्रशिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत म0प्र0 पुलिस के एक मात्र बैण्ड प्रशिक्षण संस्थान को तकनीकीकुशल एवं व्यवसायिक दक्ष बनाने के उद्देश्य से योजना प्रस्तावित की गई है ।

8.197 गतिविधियां / कार्यक्रम एवं वर्तमान स्थिति : पुलिस विभाग में विशेष सशस्त्र बल का गठन प्रदेश में डकैती उन्मूलन, साम्प्रदायिक दंगों पर प्रभावी नियंत्रण, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विपरित परिस्थितियों से निपटने एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आन्दोलनों इत्यादि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हुये प्रदेश में अमन-चैन बनाये रखने हेतु जिला पुलिस को सक्रिय सहयोग देने के उद्देश्य से स्ट्राईकिंग रिजर्व के रूप में किया गया था । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्व जैसे- गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शहीद दिवस, राज्य स्तरीय परेड आदि महत्वपूर्ण अवसरों पर भी विसबल के कर्मचारियों द्वारा गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया जाता है ।

विशेष सशस्त्र बल के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कर्मचारी/अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण एवं पारंपरिक गैर तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो विपरित परिस्थितियों के दौरान नियंत्रण बनाने में पूर्णतः सक्षम होने के उपरान्त भी तकनीकी के

अभाव में सफलतम् प्रतीत नहीं होता है । आधुनिक उपकरणों से लैस एवं तकनीकी कौशल के साथ-साथ व्यवसायिक दक्षता उच्चतम् करने उद्देश्य से प्रशिक्षु कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना नितांत आवश्यक है । ताकि सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों के द्वारा बेहतर कानून व्यवस्था डियूटी का संपादन किया जाकर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने में मुखय योगदान दिया जा सके ।

विसबल प्रशिक्षण संस्थानों को तकनीकी कुशल बनाया जाकर इन संस्थानों में प्रशिक्षु विसबल के कर्मचारी/अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न जोखिम भरे कार्यों को भी तकनीक से सुगमतापूर्वक त्वरित रूप से संपादित किया जा सकता है, जिससे आम जनता में धन-जन की हानि की स्थिति निर्मित नहीं हो सके । इन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण उपरान्त विसबल कर्मियों के द्वारा साम्प्रदायिक दंगों, चुनाव डियूटी, उग्र आंदोलन, विरोध प्रदर्शन एवं जुलूस जैसी संवेदनशील स्थिति को भी उच्च कौशल के प्रशिक्षण के कारण नियंत्रित किये जाने में अधिक से अधिक सफलता अर्जित की जा सकती है ।

परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 7.11.2012 में निर्णय लिया गया की विस्तृत कार्ययोजना योजना सीमा से अधिक धन राशि की होने के कारण चरणबार प्राथमिकता का निर्धारण करते हुए संशोधित कार्ययोजना तैयार की जाये, लेकिन शासन से कार्यवाही विवरण अपेक्षित है ।

भविष्य की योजना एवं प्रस्ताव : 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में म0प्र0 विशेष सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थानों हेतु कुल राशि रू0 10161.21 लाख (एक अरब एक करोड़ इकसठ लाख इक्कीस हजार) का आवंटन प्रस्तावित था । उपरोक्त राशि से विसबल प्रशिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत आरएपीटीसी इन्दौर, 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर, 8वीं वाहिनी विसबल छिन्दवाड़ा, मोटर ट्रेनिंग स्कूल रीवा एवं म0प्र0 पुलिस बैण्ड स्कूल भोपाल में निर्माण कार्य के अन्तर्गत भवन निर्माण , फर्नीचर, आफिस इक्यूपमेंट एवं वाहन आदि क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।

8.198 निर्धारित महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा Main Thrust : वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत योजना राशि रू. 3500.00 लाख निर्धारित है। निर्धारित राशि से वर्ष 2015-16 में म0प्र0 विशेष सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत आरएपीटीसी इन्दौर, 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर, 8वीं वाहिनी विसबल छिन्दवाड़ा, एमटीएस

रीवा, म0प्र0 पुलिस बैण्ड स्कूल भोपाल, एवं पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर के भवन निर्माण, फर्नीचर, आफिस इक्यूपमेंट एवं वाहन आदि क्रय पर व्यय की जावेगी ।

8.199 अश्वारोही एवं श्वान दलों का पुर्नगठन आई.डी.क्रमांक 8106(एस.एस.) :

भूमिकाः- यह योजना राज्य सरकार के अन्तर्गत कानून-व्यवस्था डियूटी प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एवं आतंकवादी/अवैधानिक कृतों पर अकुंश लगाने तथा नक्सलाईट क्षैत्रों में अमन चैन की स्थिति निर्मित करने के तारतम्य में महत्पूर्ण कार्यो में समय-समय पर अश्वारोही दल का उपयोग किये जाने,जबकि 23 वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल भोपाल स्थित श्वान दल के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के विभन्न जिलों में तैनात श्वानों का कानून व्यवस्था डियूटियों में महत्पूर्ण योगदान होने के फलस्वरुप इन दोनो दलों को आधुनिक एवं सर्वसुविधा युक्त बनाये जाने के तारतम्य में प्रस्तावित है।

वार्षिक योजना 2012-13 की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाः- वार्षिक योजना 2012-13 की संशोधित योजना सीमा के अन्तर्गत म0प्र0 विशेष सशस्त्र बल के अश्वारोही एवं श्वान दल का पुर्नगठन योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2012-13 के लिए राशि रुपये 49.00 लाख तथावर्ष 2012-17 के लिए राशि रुपये 300.00 लाख प्रावधानित की गई है ।उक्त परियोजना वित्तीय व्यय समिति की बैठक दिनांक 17.10.2012 में स्वीकृत हुई है,लेकिन शासन से कार्यवाही विवरण अपेक्षित होने के कारण योजना का क्रियान्वयन सम्भव नही होने के कारण वार्षिक योजना 2012-13 की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां शून्य है ।

8.200 वार्षिक योजना 2014-15 के लिए विभाग के लक्ष्य एंव उद्देश्यः-

1. राष्ट्रीय समारोह जैसे-स्वतंत्रता दिवस,गणतंत्र दिवस के अतिरिक्त शहीद दिवस आदि का सुसज्जित करने के उद्देश्य से अश्वारोही दल का बडे पैमाने पर भाग लेना ।
2. कानून व्यवस्था डियूटी के दौरान जुलूस आदि पर नियंत्रण रखने में उच्चस्तरीय योगदान देना।
3. कंजर विरोधी अभियानों के अन्तर्गत कंजरो द्वारा कपास फसलों की लूटपाट पर लगाम लगाने,दुर्गम स्थानों पर जहॉ बाहन आदि सरलता से प्रवेश नही कर पाते,ऐसे स्थानों पर अपराधिक गतिविधियों के नियत्रंण एवं देशी मदिरा आदि अवैध कार्यो की घर पकड के संबंध में महत्पूर्ण कार्य करना ।
4. 23वी वाहिनी वि.स.बल. भोपाल स्थित श्वान दल के अन्तर्गत म0ंरप्र0 के विभिन्न जिलों में तैनात श्वानों के द्वारा कानून व्यवस्था डियूटी के सम्पादन में महत्पूर्ण सहयोग दिया जाता है।अपराधों पर अकुंश लगाने के संदर्भ में श्वानो केक माध्यम से कुखयात

अपराधियों की घरपकड,चोरी,लूट एवं डकैती जैसेस बडे-बडे अपराधों के निराकरण में श्वानों की सराहनीय भूमिका निहित है।अतः उक्त श्वानों के प्रशिक्षण,निवास,पोषण एवं चिकित्सा सुविधाओं की उच्चस्तरीय व्यवस्था मुहैया करान

8.201 समस्याएं एवं प्रथामिकताऐं:-

1. अश्वारोंह दल के अन्तर्गत अश्वों के रखरखाब हेतु दुरुस्त अस्तबल एवं सुविधाओं का अभाव।
2. अश्वों के राशन,दाना-पानी,घास आदि के लिए स्टोर एवं घास गोदाम की पर्याप्त उपलब्धता एवं अश्वों को एक स्थान उसे दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु अश्व वाहनों की अपर्याप्ता एवं अनुपलब्धता।
3. अभ्यास हेतु खुले मैदान(राईडिग ग्राउण्ड) की कमी तथा चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत डिस्पेंसरी का न होना ।
4. अश्वों की नाल बंदी हेतु पृथक कक्ष एवं सामग्री का पर्याप्त न होना तथा अस्तबल में विधिवत् विधुत एवं पानी व्यवस्था की अर्पयाप्तता एवंअश्वारोही दल कर्मियों हेतु बैरिक एवं आवासीय व्यवस्था का अभाव ।
5. श्वान दल,23 वी वाहिनी विसबल भोपाल में श्वानों के लिये कैनल्स की अपर्याप्ता,एवं श्वान दल हेतु बाहनों का अभाव ।
6. श्वानों की चिकित्सा हेतु पृथक डिस्पेंसरी की अनुपलब्धता एवं श्वानदल कर्मियों के लिये बैरिक एवं आवासीय व्यवस्था का अभाव के साथ साथ श्वानों के प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त सामग्री एवं भोजन व्यवस्था आदि के लिए स्टोर रुम आदि का अभाव इत्यादि ।

गतिविधियां/कार्यक्रम एवं वर्तमान स्थितिः- अश्वारोही दल द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया जाकर प्रदेश को गौरवान्वित करने के तारतम्य में योगदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कंजर विरोधी अभियानों के अन्तर्गत कंजरों द्वारा कपास फसलों की लूटपाट पर लगाम लगाने,दुर्गम स्थानों पर जहॉ बाहन आदि सरलाता से प्रवेश नही कर पाते है, ऐसे स्थानों पर अपराधिक गतिविधियों के नियत्रंण एवं देशी मदिरा आदि अवैध कार्यो की घरपकड के संबंध में महत्पूर्ण कार्य भी अश्वारोंही दल के माध्यम से सफलतापूर्वक सम्पादित किया जाते है।कानून व्यवस्था की डियूटी केक दौरान जुलूस आदि पर नियंत्रंण रखने में भी अश्वारोही दल की महति भूमिका रहती है ।राष्ट्रीय समारोह जैसे-स्वतंत्रता दिवस,गणतंत्र दिवस के अतिरिक्त शहीद दिवस आदि को सुसज्जित करने के उद्देश्य से अश्वारोही दल द्वारा बडे पैमाने पर भाग लिया जाता है तथा इस दौरान मुखय अतिथियों के आगुवानी एवं फालो गार्ड के कार्य को भी बडे सुगमता से इस बल के द्वारा सम्पादित किया जाता है ।

इस प्रकार 23 वीं वाहिनी विसबल भोपाल स्थित श्वान दल से प्रशिक्षित विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था डियूटी हेतु तैनात श्वानों के द्वारा अपराधों पर अकुंश लगाने के संदर्भ में कुखयात अपराधियों की घरपकड,चोरी,लूटएवं डकैती जैसे बडे-'बडे अपराधों के निराकरण में सराहनीय भूमिका निहित है। श्वानों के द्वारा भी विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया जाता है ।

8.202 भविष्य की योजना एवं प्रस्ताव : 12 वी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में म0प्र0 अश्वारोही दल की विभिन्न इकाईयों हेतु कुल राशि रू0 100.00 लाख का आवंटन प्रस्तावित है। जिसमें से अश्वारोही दल इकाईयों हेतु राशि रू0 90.00 लाख के अंतर्गत प्रथम वाहिनी विसबल, इंदौर, 2 रीं वाहिनी विसबल ग्वालियर, 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर तथा 7 वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल में निर्माण कार्य के अन्तर्गत अस्तबल बंद राईडिंग स्कूल का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार 12 वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में म0प्र0 श्वानदल, 23वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल हेतु कुल राशि रू0 10.00लाख का आवंटन प्रस्तावित है। उपरोक्त राशि से श्वान दल में निर्माण कार्य के अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल, ग्राउण्ड, ट्रेरनिंग हॉल, ग्रूमिंग शेड, डिसप्ले बोर्ड, हॉस्पिटल भवन का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

8.203 निर्धारित महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा Main Thrust :- वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य मे योजना राशि रू. 301.76 लाख निर्धारित है। निर्धारित राशि से वर्ष 20145-16 में प्रशिक्षण शाला के निर्माण, प्रथम वाहिनी विसबल इन्दौर एवं 7 वीं वाहिनी, विसबल भोपाल 2 रीं वाहिनी, विसबल,ग्वालियर तथा 6वीं वाहिनी,विसबल, जबलपुर राईडिंग स्कूल का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अश्व,सेडलरी एवं उनका दाना-पानी क्रय किये जाने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत म0प्र0 श्वान दल 23 वीं वाहिनी, विसबल,भोपाल में ट्रेरनिंग हॉल ,ग्रूमिंग शेड का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

8.204 पुलिस ग्रंथालयों का पुनर्गठन आई.डी.क्रमांक 8104(एस.एस.) :

भूमिकाः- वर्तमान में पुलिस को अपराध नियत्रंण के साथ ही आतंकवाद तथा नक्सलवाद जैसी ज्वलन्त समस्याओं से जूझना पड़ रहा हैं। इससे निपटने के लिए पुलिसकर्मी विभिन्न संस्थानों में व्यावसायिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। व्यावसायिक दक्षता एवं प्रबंधन क्षमता को विकसित करने हेतु उन्हें उत्कृष्ट एवं व्यावसायिक साहित्य सामग्री उपलब्ध कराना ग्रंथालय का मुख्य दायित्व है। जिससे वह अपराधियों द्वारा अपराध करने के नये तरीकें, उनका आपराधिक अनुसंधान, कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आधुनिक प्रविधियों के

प्रयोग के साथ ही सहविषयों पर संबंधित साहित्य का अध्ययन कर अपने कौद्गाल, आत्मविद्गवास एवं आत्मबल में वृद्धि कर सकें।

- ❖ इस संबंध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के उद्धरण निम्नानुसार है :-
- ❖ क्रमांक 3, पुस्तकालय और सूचना सेवा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं में सुधार करना" के अनुसार, पुस्तकालय और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण को उन्नत बनाने के लिये आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- ❖ सिफारिश क्रमांक 6. "पुस्तकालय प्रबंध को आधुनिक बनाना"के अनुसार, पुस्तकालय की उपयोगिता सिद्ध करने के लिये ग्रंथालय कर्मचारी प्रशिक्षित होने चाहिए।
- ❖ सिफारिश क्रमांक 8. पुस्तकालयों में सूचना संचार प्रौधोगिकी (आईसीटी) में वृद्धि"के अनुसार पुस्तकालयों में सूचना संचार प्रौधोगिकी को प्रेरित करने एवं पुस्तकालयों को डिजिटल स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिये।

वार्षिक योजना 2012-13 की माह नवम्बर 2012 तक की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ :-

- ❖ कार्य योजना में नार्म्स एवं प्रस्तावित किये गये पदो पर पुर्नविचार करते हुए मानक के आधार पर संशोधित कार्य योजना तैयार की जा रही है। अतः भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ निरंक है।
  अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में संदर्भित सेक्टर का अपेक्षित

विकास का स्तरः-
- ❖ इस संबंध में जानकारी अनुपलब्ध होने के कारण विकास का स्तर बता पाना संभव नहीं है।
- ❖ वार्षिक योजना 2014-15 के लिये विभाग के :लक्ष्य एवं उददेश्य -

लक्ष्यः-
- प्रत्येक पुलिस प्रद्गिक्षणं संस्थान, केन्द्र एवं अकादमी में ग्रंथालय की स्थापना। ग्रंथालय के माध्यम से प्रद्गिक्षण को उन्नत बनाने के लिये आवद्गयक प्रोत्साहन देना।
- संभी ग्रंथालयों में संग्रहित पुस्तकों का यूनियन केटलाग्स बनाना।
- समस्त ग्रंथालयों की नेटवर्किंग ।
- प्रत्येक पुलिस कर्मी को कानून व्यवस्था एवं अनुसंधान आदि से संबंधित नियमों एवं अधिनियमों तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराना।
- शासन की मंशा अनुरूप ई-ग्रंथालय की संकल्पना को मूर्त रूप देना।

विभाग में उपलब्ध सामग्री, सर्कूलर आदि का संग्रहण एवं डिजिटेलाइजेशन । जिससे उनको सुदूश्र क्षेत्र में बैठे पुलिस कर्मी भी लाभान्वित हो सकें।

उददेश्य :-

- पुलिस विज्ञान, अपराध एवं विधि संबंधी साहित्य का संग्रहण।
- सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रद्रिाक्षणार्थी को अद्यतन एवं ज्ञानवर्द्धक सामग्री उपलब्ध कराना।
- मानसिक एवं शारीरिक तनाव से निपटने के लिये मनोरजंक सामग्री उपलब्ध कराना
- सामाजिक सदभाव एवं देद्रा की सम्प्रभुता बनाये रखने के लिये बने विधि एवं नियमों आदि से परिचित कराना
- पुलिस कर्मियों को ग्रंथालय के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना एवं उपलब्ध सामग्री का संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु संदर्भ देखना एवं उपयोग सिखाना।
- सूचना संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के साथ ही पुस्तकालयों को डिजिटल स्वरूप प्रदान करना।
- ग्रंथालय में संग्रहित जानकारी को सुदूर क्षेत्र के उपयोगकर्ता को इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना।
- संग्रहित सामग्री एवं जानकारी की सुरक्षा एवं संरक्षण।
- लाभः- नवागन्तुक पुलिस कर्मी एवं अधिकारियों के साथ ही सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ग्रंथालयीन सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा, जिससे वह समाज में कानून एवं व्यवस्था के नियन्त्रण में दक्ष हो सकेंगे।
- नवीनतम तकनीक से किये जाने वाले अपराधों के अनुसंधान एवं विवेचना में अपने को सक्षम कर सकेंगे।
- इसका मुखयः लक्ष्य शासन एवं विधि द्वारा स्थापित लक्ष्यों की पूर्ति एवं अप्रत्यक्ष लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को होगा।
- संग्रहित सूचना का त्वरित प्राप्ति।
- समस्याएँ एवं प्राथमिकताएँः -
- **समस्याएँ :-** वर्तमान में ग्रंथालय की इस योजना में पदों की मांग की गई है। चटटोपाध्याय समिति एवं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा विभागीय ग्रंथालयों हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये है।, परन्तु उक्त अनुद्रांसाओं पर शासन स्तर पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।
- कार्य योजना में नार्म्स एवं प्रस्तावित किये गये पदो पर पुर्नविचार करते हुए मानक के आधार पर संशोधित कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस कारण प्रस्तावित एवं अन्य मदों के लिये प्राप्त टोकन मनी/बजट का उपयोग नहीं किया जा सका है।

- ग्रंथालय में तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारियों का अभाव। जिससे प्रशिक्षण संस्थानों आदि की ग्रंथालय सेवाओं प्रभावित।
- ग्रंथालयीन सेवाओं सीमित क्षेत्र तक की प्रभावित।
- प्राथमिकताए :- ग्रंथालयीन सेवाओं के निर्वाध व्यवस्थापन हेतु सर्वप्रथम भवन निर्माण एवं उपलब्ध भवनों का विस्तार।
- ग्रंथालयीन सेवाओं के सुचारू व्यवस्थापन हेतु आवश्यक पदों का निर्माण एवं स्वीकृति।
- संग्रहित सामग्री एवं जानकारी की सुरक्षा एवं संरक्षण।

संग्रहित सामग्री एवं सूचना के आदान प्रदान हेतु आवश्यक उपकरण, फर्नीचर आदि का क्रय।

8.205 गतिविधियॉ/कार्यक्रम एवं वर्तमान स्थितिः ग्रंथालय में वर्तमान में लॉ जर्नल्स साफ्टवेयर के माध्यम से न्यायालयों के निर्णय आदि की हार्डकापी का प्रदाय कर विधि संबंधी प्रकरणों में संदर्भों की उपलब्धता सुनिश्चत की जा रही है।

भविष्य की योजना एवं प्रस्ताव :- ग्रंथालय, की भावी योजनाओं में ग्रंथालय भवन का विस्तार एवं ग्रंथालयीन सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी एवं व्यावसायिक दक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव।

निर्धारित महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा Main Thrust वार्षिक योजना 2015-15 की योजना सीमा के अंतर्गत सामांन्य मे योजना राशि रू. 725.30 लाख निर्धारित है। निर्धारित राशि से वर्ष 2015-16 में भवन निर्माण, पुस्तके एवं उपकरणों पर व्यय किया जायेगा।

8.206 क्षमता निर्माण एवं दक्षता विकास आई.डी.क्रमांक 9117(एस.एस.) : पुलिस विभाग (कल्याण शाखा) द्वारा दो औधोगिक प्रशिक्षण संस्थाएं भोपाल/इन्दौर में संचालित की जा रही है। वर्तमान में पुलिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भोपाल में मैकेनिक(मोटर व्हीकल,इलेक्ट्रानिक,डीजल), वेल्डर (गैस एण्ड इले.),कटिंग एण्ड स्वीइंग, स्टेनोग्राफी हिन्दी/अंग्रेजी प्रशिक्षण एवं पुलिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर में मैकेनिक(इलेक्ट्रानिक), रेडियों एण्ड टेलीविजन कोर्सेज संचालित किये जा रहे हैं। प्रस्तावित योजना के माध्यम से पुलिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सहायक प्रोग्रामर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीन ऑपरेटर, इलेक्ट्रानिक कम्युनीकेशन सिस्टम एवं फिटर तथा पुलिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर में सूचना प्रौधोगिकी, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सहायक प्रोग्रामर कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, हियर एण्ड स्कीन कैयर, फिटर एवं फल एवं साग सब्जियों की सुरक्षा, नवीन व्यवसायों का पाठ्यक्रम संचालित करना प्रस्तावित है।

उद्धेश्य :-

पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को गुणवत्ता मूलक और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें दक्ष एवं कार्यकुशलता प्रदान कर आत्म निर्भर बनाना । पुलिस औधोगिक प्रशिक्षण संस्थाओ के माध्यम से युवक/युवतियों को तकनीकी एवं गैर तकनीकी व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर रोजगार/नौकरी, प्रतिष्ठानो के लिए शिक्षित दक्ष/कुशल कर्मी तैयार करना।

वार्षिक योजना 2015-16 योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू 489.87 लाख, टी.एस.पी. में राशि रू0171.58 लाख एवं एस.सी.एस.पी. में राशि रू. 122.00 लाख कुल योजना राशि रू. 783.45 लाख निर्धारित है। निर्धारित राशि से वर्ष 2015-16 में लघु निर्माण/उपकरण, पर व्यय की जायेगी।

8.207 जिलो में क्षमता निर्माण आई.डी.क्रमांक 10027(डी.एस.) आई.डी.क्रमांक 10027(डी.एस.) : पुलिस विभाग में कार्यरत समस्त पुलिस कर्मचारियों के पुत्र /पुत्रियों को गुणवत्ता मूलक और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें दक्ष एवं कार्य कुशलता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना तथा पुलिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से युवक /युवतियों को तकनीकी एवं गैर तकनीकी व्यवसायों में व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर रोजगार/नौकरी, प्रतिष्ठानों के लिए शिक्षित दक्ष/कुशलकर्मी तैयार किये जाने की दृष्टि से पुलिस विभाग द्वारा वर्तमान में दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाऐं भोपाल /इंदौर में संचालित की जा रही हैं। पुलिस कर्मियों के पुत्र /पुत्रियों रोजगारोंन्मुखी प्रशिक्षण के लिए दूरस्थ स्थानों से इन स्थानों पर आने एवं प्रशिक्षण के दौरान उनके निवास की प्रर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उन्हें मजबूरन किराये के मकानों में शरण लेना पडती है जिसके कारण उनके पालकों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पडता है,जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा सी जाती है।

मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग द्वारा लिए गये महत्पूर्ण निर्णय के अनुसार जिला योजना वर्ष 2014-15 से विकेन्द्रीकृत योंजनाओं के तहत जिलों में क्षमता निमार्ण की योजना के तहत प्रशिक्षणार्थी तथा पालको को राहत प्राप्त होने के साथ -साथ गुणवत्ता मूलक और राजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने को गति उन्हें प्रदान करेंगी।

वार्षिक योजना 2015-16 योजना सीमा के अन्तर्गत सामान्य में योजना राशि रु0 947.63 लाख,टी.एस.पी में राशि रु0 265.68 लाख तथा एस.सी.एस.पी में राशि रु0 121.69लाख कुल राशि रु0 1335.00लाख निर्धारित की है। निर्धारित राशि से निमार्ण कार्य/उपकरण मद में व्यय किये जाने का लक्ष्य है।

8.208 जिलों में मेला व्यवस्था आई.डी.क्रमांक 10030 (डी.एस.) : प्रदेश की ऐसे कई जिले हैं, जो धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ मेले का भी आयोजन किया जाता है। जिलों में मेला व्यवस्था हेतु पर्याप्त संशाधन उपलब्ध न होने के कारण मेला आयोजकों तथा जनता में असुरक्षा की भावना जाग्रत होती है। अभी हाल ही में दतिया जिले के रतनगढ मेले में हुये विभित्स हादसे को दृष्टिगत रखते हुये भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना घटित न हो इस दृष्टि से ये योजना काफी महत्वपूर्ण है। राज्य योजना आयोग द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार योजना वर्ष 2014-15 में मध्य प्रदेश के लिये विकेन्द्रीकृत जिला स्तरीय योजना के तहत राज्य योजना आयोग मध्य प्रदेश द्वारा वार्षिक योजना 2014-15 की योजना सीमा के अंतर्गत निर्धारित विषय वस्तु में समाहित जिलों में मेला व्यवस्था के लिये समान्य में राशि रू0 1043.97 लाख,टी.एस.पी. में राशि रु0 193.74 लाख तथा एस.सी.एस.पी में राशि रु0 107.29 कुल राशि रु01345.00 लाख योजना सीमा निर्धारित की गई है निर्धारित योजना सीमा से मेला व्यवस्था हेतु आवश्यक सामग्री क्रय किये जाने का लक्ष्य है।

8.209 हुडको लोन से पोषित आवासीय योजना आई.डी.क्रमांक 3069(एस.एस.) : पुलिस की आवासीय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 600 एनजीओ, 2400 प्र.आर./आर कुल 3000 आवास गृहो के लिए प्रोजेक्ट लागत राशि रू. 368.50 करोड एवं मार्जिन मनी की राशि रू. 39.50 करोड, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए के लिए 500 एनजीओ, 2000 प्र.आर/आर. कुल 2500 आवास गृह निर्माण किया जाना है। इसके लिए प्रोजेक्ट की राशि रू. 312.39 करोड एवं राज्य शासन की मार्जिन मनी रू. 32.39 करोड वर्ष 2014-15 में 500 एनजीओए 2000 प्र.आर./आर. आवास गृह कुल 2500 आवास गृह निर्माण किया जाना है। इसके लिए प्रोजेक्ट लागत राशि रू. 312.39 करोड एवं मार्जिन मनी रू0 32.39 करोउ का व्यय भार आवेगा।

वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक 600 एनजीओ एवं 6400 प्र.आर./आर. कुल 8000 आवास गृहो के लिए रू. 993.38 प्रोजेक्ट की संपूर्ण लागत राशि रू. 993.28 करोड एवं मार्जिन मनी की राशि रू. 104.28 करोड़ होगी। उक्त परियोजना हेतु म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा रू0 889.00 करोड़ का ऋण हुडको से 16 वर्ष के लिए प्रचलित मानको के अंतर्गत फ्लोटिग ब्याज दर पर लिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा परियोजना के लिए रू. 104.28 करोड की मार्जिन मनी उपलब्ध करायी जायेगी इस प्रकार परियोजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण में कुल रू. 1012.69 करोड़ व्ययभार आयेगा जिसमें रू. 103.69 करोड अंश राशि होगी।

वार्षिक योजना 2015-16 के लिए निर्धारित योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू0 7600.00 लाख, टी.एस.पी. में रू 0.00 लाख एवं एस.सी.एस.पी. राशि रू. 0.00 लाख कुल योजना राशि रू. 7600.00 लाख निर्धारित है।

8.210 राज्य औद्योगिक,सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना आई.डी.क्रमांक 8110(एस.एस.) :

1. भूमिकाः- मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों, प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों, वित्तीय संस्थानों आदि की सुरक्षा के लिये निरन्तर सशस्त्र गार्ड की आवश्यकता प्रतिपादित की जाती रही है, परन्तु राज्य में पुलिस बल की कमी को देखते हुये आवश्यकतानुसार बल उपलब्ध कराना संभव नही हो पाता है। केन्द्र शासन द्वारा भी औद्योगिक संस्थानों आदि की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिये राज्यों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राज्यों में औधोगिक सुरक्षा बल का गठन का सुझाव दिया है। अतएव राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाना औचित्य पूर्ण है । इस बल का मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल एक्ट 1968 के अन्तर्गत सशस्त्र वाहिनियों के रूप मे गठित किये जाने संबंधी प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।वर्तमान में मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल की 7 कम्पनियां तथा एक प्लाटून सहित कुल 951 पद शासन द्वारा पृथक-पृथक से स्वीकृत किये गये हैं, जो वन विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (इंदिरा सागर/सरदार सागर परियोजना) बाणसागर परियोजना तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में पूर्व से ही कार्यरत है । इन सभी कम्पनियों व एक प्लाटून को राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की वाहिनियों में विशेष सशस्त्र बल से पृथक कर समायोजित किया जाकर म0प्र0 राज्य औधोगिक सुरक्षा बल की प्रथम वाहिनी का नाम दिया जाएगा। इस नये बल के लिए मांग तथा आवश्यकता के आधार पर 4 वाहिनियों हेतु 18+2949+46 नवीन पदों सहित कुल 3,013 नवीन पदों का सृजन होगा, जिसका प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन को पृथक से प्रेषितः किया गया है।

वार्षिक योजना 2012-13 की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियॉः- वार्षिक योजना 2012-13 की संशोधित योजना सीमा के अन्तर्गत राज्यऔद्योगिक,सुरक्षा बल के गठन हेतु वर्ष 2012-13 के लिए राशि रुपये 10.00 लाख तथा वर्ष 2012-17 के लिए राशि रुपये 145.00 लाख प्रावधानित की गई है । उक्त परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 7.11.2012 में निर्णय लिया गया कि " राज्य औद्योगिक,सुरक्षा बल के गठन तीन चरणों में प्रारम्भ किया जाये । जिन बडे शहरों में भूमि की उपलब्धता न के बराबर है,उनके स्थान पर जहॉ इस बल को तैनात किया जाना है,उसके नजदीक के शहरों में गठन किया जाये । आवासीय भवन निर्माण के लिए हुडकों ऋण पोषित योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु संशोधित विस्तृत कार्य योजना कके साथ ही शेष संसाधनों हेतु भी तीन चरणों में विस्तृत कार्य योजना

तैयार की जाये"। परियोजना परीक्षण समिति कार्यवाही विवरण अपेक्षित होने के कारण उक्त योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। परियोजना के क्रियान्वयन न होने के कारण वार्षिक योजना 2012-13 की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों के संबंध में जानकारी निरंक प्रस्तावित है।

8.211 वार्षिक योजना 2014-15 के लिए विभाग के लक्ष्यः- औद्योगिक,सुरक्षा बल के गठन एवं नये बल के लिए मांग तथा आवश्यकता के आधार पर 4 वाहिनियों हेतु 18+2949+46 नवीन पदों सहित कुल 3,013 नवीन पदों का सृजन के साथ इस बल की आधारभूत संरचना निर्माण हेतु रु 150.00 करोड की एक मुश्त (One Time) राशि की प्रारम्भ में नितान्त आवश्यकता होगी।

उद्देश्यः राज्य शासन के ज्ञाप क्र. एफ-3-14/2009/बी-3/दो, दिनांक 26.03.11 व्दारा स्थाई तथा अस्थाई गार्ड हेतु निर्धारित दरें निम्नानुसार हैं। प्रस्तावानुसार 4 वाहिनियों की स्वीकृति दी जाने पर निम्नानुसार राजस्व की प्राप्ति होगी :-

पद जिसके लिये दरें निर्धारित है	स्थाई गार्ड हेतु वार्षिक दर	अस्थाई गार्ड हेतु दैनिक दर	पद संखया	स्थाई गार्ड हेतु वसूली जो प्राप्त होगी लाख में
उ0पु0अ0/सहा0सेनानी	अनुमानित रु 9.00 लाख		3	27.00 लाख
निरी0/कंपनी कमांडर	रु. 7.50 लाख	रु. 3100/-	8	60.00 लाख
उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर	6.25 लाख	रु. 2600/-	35	218.75 लाख
स0उ0नि0/सेक्शन कमांडर	4.50 लाख	रु. 2500/-	77	346.50 लाख
प्रधान आरक्षक	4.25 लाख	रु. 1700/-	160	680.00 लाख
आरक्षक	4.00 लाख	रु. 1600/-	686	2744.00 लाख
एक वाहिनी की वसूली का योग रु0			969	4076.25 लाख
4 वाहिनियों की वसूली का योग			3876	16305.00 लाख

उपरोक्त विवरण के अनुसार वसूली के रूप में प्राप्त होने वाली राशि हमारी एक वाहिनी हेतु लगने वाले मानक व्यय रू0 24.00 करोड से रू. 16.76 करोड अधिक है। इस प्रकार 4 वाहिनियों के बल की वसूली से कुल रू0 16.76 x 4 = 67.04 करोड की प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी । राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का उद्देश्य प्रदेश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा की जा रही सुरक्षा की मांग की पूर्ति की जा सकेगी, साथ ही आवश्यकता पडने पर प्रदेश की कानून-व्यवस्था के दौरान इस बल का उपयोग किया जा सकता है ।

समस्याएं एवं प्राथमिकताएंः- प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति एवं नक्सल समस्या से निपटने हेतु कार्यरत वि.स.बल की 21 वाहिनी की सभी कम्पनियॉ एक्टिव फील्ड डियूटी पर तैनात है,जो 24घंटे एक्टिव डियूटी में तैनात रहती है जिस कारण निजी संस्थानो द्वारा निरन्तर की जा रही सुरक्षा की मांग पर सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना संम्भव नही है।राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन से इन निजी संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग की पूर्ति की जा सकेगी ।

गतिविधियां/कार्यक्रम एवं वर्तमान स्थितिः- वर्तमान में मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल की 7 कम्पनियां तथा एक प्लाटून सहित कुल 951 पद शासन द्वारा पृथक-पृथक से स्वीकृत किये गये है, जो वन विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (इंदिरा सागर/सरदार सागर परियोजना) बाणसागर परियोजना तथा रिजर्व बैक आफ इण्डिया में पूर्व से ही कार्यरत है।

भविष्य की योजना एवं प्रस्तावः- म0प्र0 राज्य औधोगिक सुरक्षा बल का मुखयालय भोपाल में होगा, जिसके मुख्यालय की स्वीकृति हेतु 18 अधिकारी/कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। शेष 3-अतिरिक्त नवीन राज्य औद्यौगिक सुरक्षा बल की वाहिनी के लिए 2,949 पदों के सृजन की आवश्यकता भी परियोजना में दर्शित है।

8.212 निर्धारित महत्पूर्ण वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा Main Thrust.:- वार्षिक योजना 2015 -16 योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू0 7058.33 लाख, टी.एस.पी. में राशि रू. 2378.00 लाख एवं एस.सी.एस.पी मे राशि रू. 63.67 लाख कुल योजना राशि रू. 9500.00 लाख निर्धारित है। निर्धारित राशि से वर्ष 2015-16 में राज्य औद्यौगिक सुरक्षा बल की आधारभूत संरचना निर्माण हेतु व्यय की जायेगी।

8.213 प्रशासकीय भवनो का निर्माण आई.डी.क्रमांक 9118(एस.एस.) : म0प्र0 पुलिस में विभिन्न प्रशासकीय भवनों की 40 प्रतिशत कमी हैं । इसकी पूर्ति हेतु 4 वर्षीय योजना पृथक से तैयार कर विभिन्न प्रशासकीय भवनों का निर्माण कराना प्रस्तावित किया गया हैं । पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012-13 से 2016-17 हेतु कुल रूपये 11026.71 लाख की तैयार की गयी है। इस योजना में पुमनि कार्यालय-1, पुलिस अधीक्षक कार्यालय-5, एसडीओपी कार्यालय-26, कन्ट्रोल रूम-18, डीआरपी लाईन- 25, थाना भवन-25, पुलिस चौकी भवन-29, पीटीआरआई होस्टल -1,पीटीआरआई (एसबी-बैरेक)-1,कुल 130 प्रशासकीय भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं। वर्ष 2011-12 में राज्य आयोजना आयोग की बैठक में प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण किया गया। जिसमें राज्य आयोजना आयोग व्दारा सहमति व्यक्त करते हुए वित्त समिति के माध्यम से योजना स्वीकृत कराने का अभिमत दिया गया।

वार्षिक योजना 2015-16 योजना सीमा के अंतर्गत समान्य में योजना राशि रू. 164.00 लाख निर्धारित है। निर्धारित राशि से वर्ष 2015-16 में वृहद निर्माण कार्यो पर व्यय किया जावेगा।

8.214 पुलिस पारगमन आवासीय आई.डी.क्रमांक 9120 (एस.एस.) : जिला भोपाल में विधान सभा डियूटी, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु म0प्र0 के सभी जिलो से अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आना-जाना निरन्तर बना रहता है। भोपाल में विधान-सभा, मंत्रालय, सतपुडा, विन्ध्याचल भवन,राजभवन, माननीय मत्रियो, सासदों एवं विधायकों के आवास एवं कार्यालय स्थित हैं । इसी प्रकार महत्वपूर्ण शहर, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में भी अधिकारियों/कर्मचारियों का आना-जाना निरन्तर बना रहता हैं जहॉ महत्वपूर्ण स्थल व संभागीय व जिला स्तर के विभिन्न कार्यालय तथा जिला इन्दौर एवं ग्वालियर में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ एवं जबलपुर में मुखयपीढस्थापित हैं। अतएव प्रमख शहर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर में इन्टरनल सिक्यूरिटी सिस्टम हेतु होस्टल का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक हैं।

पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012-17 के अंतर्गत कुल रूपये 1709.00 लाख की योजना तैयार की गयी है। प्रमख शहर भोपाल-2, जबलपुर-1, ग्वालियर-1 एवं इन्दौर-1 इन्टरनल सिक्यूरिटी सिस्टम हेतु 5 होस्टल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं।

वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू0 200.00 लाख, टी.एस.पी. में राशि रू. 0.00 लाख एवं एस.सी.एस.पी में राशि रू. 0.00 लाख कुल राशि रू. 200.00 लाख योजना सीमा निर्धारित है। निर्धारित राशि वर्ष 2015-16 में वृहद निर्माण कार्य एवं उपकरणों पर व्यय की जायेगी।

8.215 पुलिस लाईनो का उन्नयन आई.डी.क्रमांक 9121(एस.एस.) : रक्षित केन्द्र जिला पुलिस इकाईयों के स्नायुतंत्र की तरह हैं क्योकि जिला पुलिस की अनेक प्रकार की गतिविधियां यही से संचालित होती हैं। रक्षित केन्द्र के अंतर्गत जिला इकाईयो के आवास गृह का रखरखाव, मरम्मत शस्त्रो का रखरखाव, मोटर वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव के साथ ही कानून व्यवस्था हेतु अतिरिक्त बल तथा अन्य इकाईयो से आने वाले बल की व्यवस्था आदि का प्रबंध, संचालन होता है। अतः पुलिस लाईनो का उन्नयन अत्यंन्त आवश्यक है।

वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू0 500.00 लाख, टी.एस.पी. में राशि रू. 0.00 लाख एवं एस.सी.एस.पी में राशि रू. 0.00 लाख कुल राशि रू. 500.00 लाख योजना सीमा निर्धारित है। निर्धारित राशि से वर्ष 2015-16 में स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण एवं वृहद निर्माण कार्यो पर व्यय की जायेगी।

8.216 पुलिस स्वास्थ्य अधोसंरचना आई.डी.क्रमांक 9122 (एस.एस.) : पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी दिन-रात कार्य करते है इस दृष्टि से व्यवसायिक कर्त्तव्य निष्पादन के दौरान खतरें बढने की आशंका के साथ-साथ उन्हें गम्भीर किस्म की स्वास्थ्य समस्याऐं जैसे कि दिल की बीमारियों एंव किडनी समस्या आदि निर्मित होने एवं प्रदेश के पुलिस अस्पतालों में आधुनिक संसाधन एवं उपकरणों के अभाव में पुलिस कर्मियों को निकटतम स्थल पर उच्चतम गुणवत्ता वाले अस्पतालों में मजवूरी में इलाज कराने हेतु जाना पडता है। गम्भीर प्रकृति की बीमारियों के इलाज पर व्ययभार ज्यादा आने के कारण उन्हें मानसिक तनाव के साथ- साथ ऋणग्रस्त्रता की ओर भी इंगित करता है । प्रदेश पुलिस के अस्पतालो के गुणात्मक उन्नयन एवं सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु आधुनिक उपकरणों की अत्यंत आवश्यकता है । प्रदेश में 60 पुलिस इकाईयों में पुलिस अस्पताल हैं तथा उन अस्पतालों में पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पैथोलॉजी, चिकित्सा जॉच उपकरण जैसे- मल्टी स्लाइड डिटेक्टर, कंम्प्यूटराइज्ड टोमोग्राफी मशीन,01, डिजिटल एक्सरे मशीन-3, फुली आटोमेटिक लेब-03 नग,सोनोग्राफी मशीन-04 नग, ईसीजी मशीन, 04 नग, कलर डाप्लर मशीन-01 नग, बी0पी0 उपकरण,50 नग इलेक्ट्रॉनिक ग्लूको मीटर 50 नग की नितांत आवश्यकता है । इन उपकरणों के क्रय करने पर पुलिस अस्पतालों में पुलिस परिवार के सदस्यों एवं उनके आश्रितों को इलाज/जॉच कराने में सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

वार्षिक योजना 2015-16योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू0 0.01 लाख, टी.एस.पी. में राशि रू0 0.00 लाख एवं एस.सी.एस.पी. राशि रू. 0.00 लाख कुल योजना राशि रू. 0.01लाख योजना सीमा निर्धारित है।

8.217 विशेष सशस्त्र बल के अन्तर्गत बेरिक,पुलिस प्रशिक्षण केम्प, होस्टल आई.डी.क्रमांक 10018(डी.एस.) : मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र की कंपनियॉ प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने,आतंरिक सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदा,न्यायालियक व्यवस्था के लिए विभिन्न जिलो मे तैनात हैं।इन कर्मचारियो को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक जिला मुखयालय पर कार्यालय भवन एवं आवास व्यवस्था हेतु कम्पनी मुखयालय(समवाय मुखयालय) का निमार्ण कार्य कराये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य योजना आयोग द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार योजना वर्ष 2014-15 में मध्य प्रदेश के लिये विकेन्द्रीकृत जिला स्तरीय योजना के तहत राज्य योजना आयोग मध्य प्रदेश द्वारा वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत निर्धारित विषय वस्तु में समाहित विशेष सशस्त्र बल के अन्तर्गत बेरिक,पुलिस प्रशिक्षण केम्प,होस्टल के लिये सामान्य में राशि रू0 2028.30,टी.एस.पी में राशि रु0 456.87 लाख तथा एस.सी.एस.पी में राशि रु. 292.62 लाख कुल राशि रु0 2777.79 लाख योजना सीमा निर्धारित की गई है ।

8.218 फायरिंग रेंज का विकास आई.डी.क्रमांक 10020(डी.एस.) : फायरिंग रेंज की सतह उबड़ खाबड़ होने एवं आवारा पशुओं के विचरण करने जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित होने की संभावना के साथ-साथ फायरिंग सामग्री की सुरक्षा हेतु स्टोर रूम, आदि मूल-भूत सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में फायरिंग रेंज का विस्तार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये राज्य योजना आयोग द्वारा लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार योजना वर्ष 2014-15 में मध्य प्रदेश के विकेन्द्रीकृत जिला स्तरीय योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत निर्धारित विषय वस्तु में समाहित फायरिंग रेंज का विकास के लिए सामान्य में राशि रू. 911.67 लाख,टी.एस.पी.में राशि रु0 209.33 लाख तथा एस.सी.एस.पी में राशि रु0 59.42 लाख कुल राशि रु0 1180.42 लाख योजना सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित योजना सीमा से फायरिंग रेंज के विकास में व्यय कराये जाने का लक्ष्य है।

8.219 पुलिस थाने /चौकी की अद्यौसंरचना आई.डी.क्रमांक 10021(डी.एस.) : पुलिस थाने एवं चौकी के मूल-भूत सुविधाओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये राज्य योजना आयोग द्वारा लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार योजना वर्ष 2014-15 में मध्य प्रदेश के विकेन्द्रीकृत जिला स्तरीय योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत निर्धारित विषय वस्तु में समाहित पुलिस थाने/चौकी की अद्यौसंरचना के लिए सामान्य में राशि रू01391.65 लाख,टी.एस.पी. में राशि रु. 329.23 तथा एस.सी.एस.पी में राशि रु.186.72 लाख कुल राशि रु0 1907.60 लाख योजना सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित योजना सीमा से पुलिस थानों की अद्यौसंरचना के अंतर्गत बाउण्ड्री वॉल इत्यादि व्यय किये जाने का लक्ष्य है।

8.220 आई.टी./ई.-गवर्नेंस आई.डी.क्रमांक 10021(डी.एस.) : सूचना प्रौद्यागिकी एवं ई.-गवर्नेंस आवश्यकताओं का आंकलन कर उसे क्रियान्वित किये जाने की दृष्टि से नवीन परियोजना प्रस्तावित की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना वर्ष 2015-16 के लिये प्रस्तावित परियोजना के लिए सामान्य मे राशि रू0 200.00 लाख योजना सीमा निर्धारित की है।

9

मानव विकास

9.1 प्रगति का मुख्य लक्ष्य मानव विकास है और मानव विकास एक ऐसा संसाधन है, जिसके बिना प्रगति संभव नही है । मानव विकास जहां एक ओर इन्सान की मौजूदा जरूरतों को पूरा करता है वही दूसरी ओर यह भविष्य में समाज को प्रगति की ओर ले जाने में मदद करता है । मानव विकास मध्यप्रदेश के लिए बहुत प्रासंगिक है । सामाजिक सूचकों की दृष्टि से मध्यप्रदेश दूसरे समृध्द से राज्य से बहुत पीछे है । इस पिछडेपन को दूर करने हेतु मानव संसाधनो पर ध्यान केंद्रित करना तथा उसके लिए आवश्यक क्षेत्रों के विकास के लिए प्रभावशाली कदम उठाना राज्य की प्राथमिकता है ।

9.2 मानव विकास के संकेतांक : वर्ष 2010 से पहले मानव विकास संकेतांक में तीन आयामों को शामिल किया गया था । जनसंख्या, स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा,** ज्ञान और शिक्षा के लिए वयस्क साक्षरता दर (2/3 भारांक के साथ) तथा प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक कक्षाओं में सकल नामांकन दर (1/3 भारांक के साथ) एवं जीवन स्तर के लिए क्रय सहित समानता पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का प्राकृतिक लघु गणक को संकेत के रूप में लिया गया था ।

इन तीन संकेतांकों का औसत ही मानव विकास सूचकांक माना गया था ।

2010 की मानव विकास रिपोर्ट में यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए एक नई विधि का उपयोग शुरू किया । निम्नलिखित तीन सूचकांक इस्तेमाल किये गये हैं :

1. **जीवन प्रत्याशा सूचकांक:** जन्म के समय जीवन प्रत्याशा । जन्म के समय न्यूनतम जीवन प्रत्याशा 20 साल ली गई है जबकि जन्म के समय अधिकतम जीवन प्रत्याशा 85 साल और जीवन प्रत्याशा सूचकांक 0 से 1 होगा।

2. **शिक्षा सूचकांक (ईआई):**

   2.1 विद्ययालयी शिक्षा के वर्ष का सूचकांक (MYSI): MYS स्कूली शिक्षा के साल का एक व्यक्ति ने 25 साल की उम्र तक कितने वर्ष स्कूल में शिक्षा के लिए व्यतीत

किए हैं । विद्यालय शिक्षा के वर्षो के सूचकांक पन्द्रह साल लिये गये हैं। जो कि इसकी अधिकतम का लिमिट 2025 के लिये हैं ।

2.2 Expected Year of schooling (EYSI): EYS: स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (एक 5 वर्षीय बच्चे को अपने जीवन भर में स्कूल में व्यतीत किए जाने वाले वर्षो की अधिकतम सीमा) अठारह साल के लिए हैं जो कि अधिकांश देशों में एक मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए बराबर है । इस सूचक की अनुमानित अधिकतम सीमा है।

3. **आय सूचकांक (GNIpc):** प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति समता में सकल राष्ट्रीय आय(अमेरिकी $ में) प्रति व्यक्ति न्यूनतम जीएनआई $ 100 ली गई है, जबकि प्रति व्यक्ति जीएनआई $ 75000 ली गई है ।

अंत में, मानव विकास सूचकांक में पिछले तीन सामान्यीक्कृत सूचकांकों के ज्यामितीय मीन है ।

9.3 मध्यप्रदेश में मानव विकास सूचकांकों के संकेतांकों

मानव विकास एक बहु विस्तारक रूपावली है जिसमें एक ही समय पर पृथक-पृथक मूल्यों के उद्धेश्य की परिकल्पना की गई है । यह एक कार्यवाही है तथा इसमें व्यक्ति की जीवन शैली में बदलाव लाने एवं विकल्पों का विकास कर मनुष्य की रूचियों को बढ़ावा देने हेतु खोज की गई है ।

मध्यप्रदेश ने मानव विकास में लगातार प्रगति की है जिसका प्रमाण यह है कि मानव विकास सूचकांक 1981 में 0.245 था जो बढ़कर वर्ष 2001 में 0.394 तक पहुंच गया है । वर्ष 2007-2008 में राष्टीय योजना आयोग व्दारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेय के मानव विकास सांकेतांका 0.375 रहा, जबकि राष्टीय स्तर पर इसे 0.467 मांपा गया है ।

9.4 मध्यप्रदेश में मानव विकास सूचकांकों के संकेतांकों में निरतंर प्रगति हुई हैं । वर्ष 1995 में जब मानव विकास सूचकांकों के आधार पर प्रदेश को देखा गया तो राज्य अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा राज्य था । पिछले 15-16 वर्षो में प्रदेश मानव विकास के इन सूचकांकों यथा साक्षरता, स्वास्थ्य पोषण में देश के सभी राज्यों में आ खड़ा हुआ है । हालाकि अभी भी देश में औसत से राज्य काफी पिछड़ा है । प्रदेश में ऐसे भी क्षेत्र है जहां बडी संख्या में वन है, जहां बडी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग निवास करते है

ऐसे भी क्षेत्र है जहां की भौगोलिक स्थितियां कृषि के लिये अनुकूल नही है । यह स्थितिया मानव विकास में चुनौतियां पैदा करती है । मध्यप्रदेश में मानव विकास में सूचकांकों में की गयी प्रगति को **तालिका 9.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 9.1

मानव विकास इन्डेक्स

1981	2001	2007-08	2011
0.245	0.394	0.375	0.451

9.5 मानव विकास के आगामी प्रतिवेदन अभी ड्राफ्ट स्तर पर है । इस प्रतिवेदन में कृषि और मानव विकास के जटील स्तरों को चिन्हित किया गया है । इसमें अजीविका व जीवन संचालन में कृषि का योगदान वतर्मान स्थिति को समझने की कोशिश की गयी है ।

9.6 मानव विकास के संकेतांक : मानव विकास के संकेताकों की गणना मानव साधन (Standard means) का प्रयोग कर की गई है । यह एक साहसिक संकेतांक है जो विकास के तीन स्तम्भों पर आधारित है यथा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो कि दीर्घायु एवं स्वास्थ्य जीवन का संकेत देती है, शैक्षणिक योग्यता की प्राप्ति जिसमें वयस्क साक्षरता जिसे 2/3 भारांक तथा स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात जिसे 1/3 भारांक दिया गया है, प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद पर आय है । मानव विकास के संकेतांकों की गणना के पूर्व उपरोक्त तीनों संकेतांकों की गणना की आवश्यकता होती है । इन तीनों संकेताकों में निम्नतम एवं उच्चतम मानों को चुन लिया जाता है ।

9.7 राज्य मानव विकास संकेतांक : राज्य मानव विकास प्रतिवेदन का महत्वपूर्ण योगदान निम्न क्षेत्रों में रहा है-

- मानव विकास के क्षेत्र में राज्य को चिन्हित करना ।
- वृहद शोध नीति तथा मानव विकास के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावशाली व दक्ष बनाने हेतु कार्यवाही के विकल्पों को आधार प्रदान करना ।
- यह आंकलन करना कि विकासात्मक योजनाओं की मुख्य धारा में किस हद तक सिफारिशों को लागू किया गया ।

राज्य मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम रहा है । प्रथम प्रतिवेदन 1995 में प्रकाशित किया गया इसके बाद द्वितीय,1998 एवं तृतीय 2002 एवं चतुर्थ प्रतिवेदन 2007 में प्रकाशित किया गया प्रतिवेदन में मानव विकास से संदर्भित बहुमूल्य सामग्री को प्रकाशित किया गया जो मानव विकास की प्रगति को मापने वाले बेरोमीटर साबित हुये ।

मध्यप्रदेश में मानव विकास का स्तर

9.8 शिक्षा : शिक्षा मानव विकास के स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान देती है । दो ही ऐसे संकेतांक है, जो किसी क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकीय रूप में दर्शाते है ।

- साक्षरता (7 +)
- 4-15 वर्ष के बच्चों का स्कूल में नामाकंन

उपरोक्त में से साक्षरता के आकड़े जनगणना 2011 में 69.3 प्रतिशत रूप में ली गयी है वही नामांकन दर के लिये हमें विभक्त आकड़ों को संकलित करना होता है । वर्ष 2007-08 में जहां प्राथमिक स्कूलों में सकल नामांकन दर 153.44 थी वर्ष 2010-11 में इसका प्रतिशत बढ़कर 136.6 हो चुका है। माध्यमिक में यह प्रतिशत 99.98 प्रतिशत से बढ़कर 101.4 जा चुका है । बालिकाओं का भी सकल नामांकन दर प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में ही बढ़ा है ।

9.9 साक्षरता : पिछले दशक की तुलना में साक्षरता का प्रतिशत वर्ष 2001 व 2011 के मध्य अधिक तेजी से बढ़ा है। मध्यप्रदेश मे 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में साक्षरता का प्रतिशत 64 से बढ़कर 69.3 रहा, जबकि महिला साक्षरता का प्रतिशत 50 से बढ़कर 59.2 प्रतिशत हो गया ।

9.10 नामांकन : वर्ष 2013-14 प्राथमिक स्तर पर बच्चों का सकल नामांकन अनुपात (Net Enrolment Ratio-NER) लगभग 95.03 प्रतिशत रहा । प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति में वृद्धि रही जबकि बालिकाएं एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बच्चों के सकल नामांकन अनुपात (Net Enrolment Ratio-NER)में कमी परिलक्षित हुई। प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का शुद्ध नामांकन अनुपात 120.04 प्रतिशत से घटकर 99.69

प्रतिशत हो गया तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों का प्रतिशत 118.09 से घटकर 98.87 प्रतिशत हो गया।

9.11 जीवन प्रत्याशा : नवीनतम अनुमान के अनुसार मध्यप्रदेश में जीवन प्रत्याशा पुरूषों के लिये 61.1 वर्ष तथा महिलाओं के लिये 63.8 वर्ष (2001 से 2006 के मध्य) रही जो भारत में सभी वृहद राज्यों से कम है। भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 में राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 40 के विरूद्ध मध्यप्रदेश में अनुमानित शिशु मृत्यु दर 54 रही । अतः स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हेतु प्रदेश में सामाजिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता है।

9.12 स्वास्थ्य : मानव विकास का मूलभूत आधार है उसका स्वास्थ्य । स्वास्थ्य में दो मुख्य संकेतांक है जो मानव विकास की प्रावधारणा का इंगित करते है । जीवन जीने की प्रत्याक्षा का अर्थ किसी भी व्यक्ति के कुल वर्ष जीवित रहने की प्रत्याशा को दर्शाता है, यह संकेतांक कई महत्वपूर्ण तत्वों सेवाओं पर निर्भर करता है, तथा स्वास्थ्य सेवाएं पर्यावरण, आर्थिक स्थिति और कई सारे तत्व जो जीवित रहने में मदद करते है । प्रदेश में 2006 मे 10 मध्य के समय में पुरूषों में जीवन जीने की प्रत्याशा 61.1 वर्ष व महिलाओं में 63.8 प्रतिशत रही । हालाकि यह अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है, तथापि पिछले वर्ष की तुलना में यह काफी बढी है ।

प्रदेश में भौगोलिक परिस्थिति भिन्न-भिन्न तथा फैली हुई है । प्रदेश शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने विशेषकर बालिकाओं के शिक्षा के लिये अच्छा वातावरण तैयार करने की दिशा में प्रयत्नशील है । साथ ही शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्युदर को घटाने और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिये राज्य में अधोसंरचना और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर अधिक निवेश किया है । ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों के स्वसहायता समूह बनाये गये है जिससे समुदाय की शक्तियों का उपयोग विकास के संसाधनों के रूप में किया जा सके । उक्त क्षेत्रों में हुआ मानव विकास भविष्य में होने वाले मूल्यांकन में दृष्टिगोचर होगा एवं राज्य देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा ।

9.13 जीविका : मानव विकास में स्वास्थ्य,शिक्षा आदि के अलावा जीविका के अवसरों का भी मुख्य प्रभाव होता है । प्रदेश मे प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2013-14 (त्वरित) में 54030 रही जो विगत वर्ष से 42.21 प्रतिशत अधिक है ।

9.14 जेण्डर विश्लेषण : वर्ष 2001 की जनगणनानुसार मध्य प्रदेश में स्त्री पुरूष अनुपात (अर्थात प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या) 919 है जो वर्ष 2011 की जनगणनानुसार बढ़कर 931 हो गया है। किन्तु अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2011 में प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या 940 से कम है। महिलाओं की यह स्थिति न केवल राज्य में वरन् राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंतनीय है। यद्यपि राज्य शासन ने बालिकाओं के हितो के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के द्वारा उनके संरक्षण एवं विकास के उपाय किये हैं ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य में साक्षरता, विशेषकर महिलाओं की साक्षरता मे वृद्धि हेतु अधिक प्रयास किये जाने आवश्यक है। साथ ही ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाकर अधिकाधिक रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है ताकि ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य संरचना का सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में सुधार करना है ।

9.13 मानव विकास प्रतिवेदन, 1995- प्रतिवेदन में व्यक्ति के जीवन स्तर की गुणवत्ता में शिक्षा,स्वास्थ्य एवं जीविका को केन्द्र बिन्दु बनाकर उसकी हैसियत व संभावनाओं का उल्लेख किया गया है इसमें सरोकार एवं अत्यावश्यकता की सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश में मानव विकास के संकेतोंकों के आधार पर प्रदेश के स्तर को चिन्हित किया गया है । इस प्रकार नवीन एजेन्डा के प्रयोजन से मानव विकास के लक्ष्यों में उच्च प्राथमिकता के अनुसार जनसामान्य में विचारों का संचार हो सका ।

9.14 मानव विकास प्रतिवेदन, 1998- उक्त प्रतिवेदन में मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन 1995 का योगदान मुख्य रूप से राज्य में मानव विकास के सदंर्भ में चिन्ता,परिचर्चा एवं की गई कार्यवाही का समावेश किया गया है प्रतिवेदन में जीविका एवं प्राकृतिक संसाधनों में पंचायती राज्य संस्थानों की भूमिका को शामिल किया गया है ।

9.15 मानव विकास प्रतिवेदन, 2002- इस प्रतिवेदन में मानव विकास के ऐजेन्डा पर दर्ज की गई प्रगति का प्रमुख रूप से वर्णन है । साथ ही मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में विकास को मापने हेतु संगत संकेतांकों की आवश्यकताओं का प्रस्तुतीकरण है । प्रतिवेदन में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति विकास सूचकांक से संबंधित प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है ।

9.16 मानव विकास प्रतिवेदन, 2007- प्रतिवेदन में अधोसंरचना एवं मानव विकास जैसे मुद्दों के बीच सह संबंधों का पता लगाना अधोसंरचना में जननिवेश की आवश्यकताओं पर संवाद के जरिये मध्यप्रदेश में मानव विकास की त्वरित प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु प्रगति के विस्तार को गतिशील बनाना राज्य के चहुँमुखी विकास हेतु बिजली, पानी, सड़क आदि प्रमुख पूर्व अपेक्षित वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ।

9.17 जिला विकास प्रतिवेदन 2011- मानव विकास के मुद्दे की गहराईयों को मापने हेतु जिला स्तर पर जिला मानव विकास प्रतिवेदनों को तैयार किया गया है । 73वां व 74वां संविधानिक संसाधन अधिनियम जिला स्तर पर योजनायें तैयार करने की आशा देता है। जिला मानव विकास प्रतिवेदन मानव विकास के परिप्रक्ष्य में जिला योजनायें तैयार करने का अवसर प्रदान करता है इस प्रतिवेदन का उद्धेश्य जिला योजनाओं के माध्यम से मानव विकास का प्रिज्म तैयार करना है ।

मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण

2015-16

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश एवं भारत के चुने हुये समाजार्थिक विकास संकेतांक

मद	इकाई	मध्यप्रदेश	भारत
1	2	3	4
जनसंख्या		**जनगणना, 2011**	**जनगणना, 2011**
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	236	382
पुरूष स्त्री अनुपात	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियां (संख्या)	931	940
जनसंख्या वृद्धि दर (2001-2011)	प्रतिशत	20.3	17.6
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या	प्रतिशत	72.4	68.9
कुल जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या (मुख्य+सीमांत कार्यशील)	प्रतिशत	43.5	39.8
कुल कार्यशील जनंसख्या में कुल महिला कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत	36.2	31.1
कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक	प्रतिशत	26.0	19.9
कुल कार्यशील जनसंख्या में खेतिहर मजदूर	प्रतिशत	21.0	17.9
कुल कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योग कर्मी	प्रतिशत	2.1	2.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	प्रतिशत	15.6	16.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	प्रतिशत	21.1	8.6
प्रति व्यक्ति आय		**2013-14 (अ.)**	**2013-14 (अ.)**
प्रचलित भावों पर	रूपये	51798	74380
स्थिर (2004-05) भावों पर	रूपये	26853	39904
साक्षरता		**जनगणना, 2011**	**जनगणना, 2011**
कुल	प्रतिशत	70.6	74.0
पुरूष	प्रतिशत	80.5	82.1

मध्यप्रदेश एवं भारत के चुने हुये समाजार्थिक विकास संकेतांक

मद	इकाई	मध्यप्रदेश	भारत
1	2	3	4
स्त्री	प्रतिशत	60.0	65.5
जीवनांक		**वर्ष 2013**	**वर्ष 2013**
अ. जीवनांक (a)			
जन्म दर	प्रति हजार व्यक्ति	26.3	21.4
मृत्यु दर	प्रति हजार व्यक्ति	8.0	7.0
शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	54	40
बैंकिंग		**मार्च 2014**	**मार्च, 2014**
प्रति लाख जनसंख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कार्यालय	संख्या	7	8
प्रति व्यक्ति जमा राशि	रूपये	29744	64217
प्रति व्यक्ति ऋण राशि	रूपये	17958	50707
ऋण/जमा अनुपात	प्रतिशत	60.3	78.9

(प्रा.) : प्रावधिक (अनु.) : अनुमानित

(त्व.) : त्वरित (अ.) : अग्रिम

(a) : न्यादर्श रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर आधारित ।

टीप : मध्यप्रदेश एवं अखिल भारत के संकेतांक तैयार करने हेतु संबंधित वर्ष की अनुमानित जनसंख्या का उपयोग किया गया है ।

खनिज

प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(लाख टन में)

खनिज	2010-11 (सं)	2011-12 (स)	2012-13 (सं)	2013-14 (सं)	2014-15(प्रा.)
1	3	4	5	6	7
कोयला	711.04	716.58	759.48	755.90	852.08
बाक्साइट	6.16	6.17	10.17	7.76	8.08
ताम्र अयस्क	22.34	20.83	22.54	23.76	24.58
आयरन ओर	17.62	11.02	12.25	20.90	40.19
मैंगनीज अयस्क	7.16	6.48	7.15	7.96	8.84
रॉक फास्फेट	1.33	2.44	2.48	1.31	0.78
हीरा (कैरेट में)	11222	18490	31988	37517	35724
डोलोमाईट	2.80	4.60	6.56	5.96	5.43
फायरक्ले	0.45	0.67	0.71	0.74	0.23
चूनापत्थर	332.76	340.72	355.36	378.32	389.72
गेरू	0.45	0.54	0.55	0.69	0.70

नोट: खनिजो का उत्पादन आई.बी.एम.की जानकारी के आधार पर है।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्रावधिक ।

खनिज

प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्पादित खनिजों का मूल्य

(राशि लाख रूपयों में)

खनिज	2010-11 (सं)	2011-12 (सं)	2012-13 (सं)	2013-14 (स.)	2014-15(प्रा.)
1	3	4	5	6	7
कोयला	936736	833055	937379	1117927	1260171
बाक्साइट	2624	4609	6153	4587	4741
ताम्र अयस्क	24780	29348	29840	33553	26371
आयरन ओर	7853	8016	8874	12464	21635
मैंगनीज अयस्क	42268	40335	48501	51575	51587
रॉक फास्फेट	769	1592	2266	1451	660
हीरा (कैरेट में)	1068	1982	3665	6141	6135
डोलोमाईट	418	1101	1198	1330	1271
फायरक्ले	42	79	127	162	36
चूनापत्थर	47857	43440	50179	63306	60413
गेरू	56	83	136	131	173

नोट: खनिजो का उत्पादन आई.बी.एम.की जानकारी के आधार पर है।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्रावधिक ।

खनिज

प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिजों का प्रतिटन औसत मूल्य

(रूपयों में)

खनिज	2010-11 (सं)	2011-12 (सं)	2012-13 (सं)	2013-14 (सं.)	2014-15(प्रा.)
1	4	5	6	7	
कोयला	1317	1171	1234	1479	1479
बाक्साइट	426	567	605	592	587
ताम्र अयस्क	31455	39007	44116	41989	45871
आयरन ओर	446	648	724	596	538
मैंगनीज अयस्क	5901	6634	6786	6475	5837
रॉक फास्फेट	577	663	912	1104	851
हीरा (कैरेट में)	9517	10721	11457	16368	35724
डोलोमाईट	149	239	183	223	234
फायरक्ले	94	91	178	218	159
चूनापत्थर	144	127	141	167	155
गेरू	125	154	244	189	246

नोट: खनिजो का उत्पादन आई.बी.एम.की जानकारी के आधार पर है।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्रावधिक ।

श्रम एवं रोजगार

रोजगार समंक

वर्ष	रोजगार कार्या-लयों की संख्या	पंजीयत व्यक्तियों की संख्या (हजार में)	वर्ष के अंत में चालू पंजी पर दर्ज व्यक्तियों की संख्या		नौकरी दिलाये गये व्यक्तियों की संख्या			
			समस्त व्यक्ति (हजार में)	शिक्षित व्यक्ति (हजार में)	कुल (हजार में)	महिलाएं (संख्या में)	अनुसूचित जाति (संख्या में)	अनुसूचित जन जाति (संख्या में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	57	477	1954	1521	09	287	1115	988
2011	57	537	2002	1405	07	350	1487	1632
2012	48	540	2069	1677	12	643	1058	1178
2013	48	424	2066	1751	06	154	242	276
2014	48	392	2004	1672	1.3	87	67	71
2015	48	423	1560	1377	0.334	07	30	04

स्त्रोत : आयुक्त, उद्योग विभाग मध्यप्रदेश ।

श्रम एवं रोजगार
सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार

वर्ष	संस्थानों की संखया			सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार (संखया)	सार्वजनिक क्षेत्र में महिला रोजगार (संखया)	सार्वजनिक क्षेत्र में महिला रोजगार का प्रतिशत	प्रतिशत वार्षिक वृद्धि/ कमी (स्तंभ 5 की)
	संबंधित	प्रतिचार करने वाले	प्रतिशत (स्तंभ 3 का 2 से)				
1	2	3	4	5	6	7	8
2008-09	9247	7414	80.17	853987	119176	14.0	(-) 0.25
2009-10	9230	6998	75.81	846908	121067	14.2	(-) 0.83
2010-11	9218	7156	77.63	849774	119605	14.07	(+) 0.52
2011-12	9213	6956	75.50	840123	120121	14.3	(-) 1.13
2012-13	9219	7110	77.12	846193	120030	14.18	(+)0.72
2013-14(*)	9211	7685	83.43	846603	119721	14.14	(-)0.05

(*) =दिसम्बर- 2013 की स्थिति ।

स्त्रोत : आयुक्त, उद्योग विभाग मध्यप्रदेश ।

श्रम एवं रोजगार

मध्यप्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

(31 मार्च की स्थिति)

नियोजन क्षेत्र	2011	2012	2013	2014	2015 (प्रा.)
1	3	4	5	6	6
शासकीय विभाग (नियमित)	445856	437538	440089	445849	457422
राज्यीय सार्वजनिक उपक्रम एवं अर्द्ध-शासकीय संस्थान	61855	54413	54356	61109	59587
नगरीय स्थानीय निकाय	73283	73976	74474	75134	75134
ग्रामीण स्थानीय निकाय	159472	160398	157320	168182	168182
विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1804	1784	1762	1706	1746
विश्वविद्यालय	7666	8204	6902	6916	6792
योग	**749936**	**736313**	**734903**	**758896**	**768863**

(प्रा.) = प्रावधिक ।

स्त्रोत : आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश भोपाल ।